4.5.

सप्तम माला, 25 मार्च, 1981/ चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपए

विषय-सूची

अंक 28, बुधवार, 25 मार्च, 1981/ 4 चैत्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
घाना के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—25
* तारांकित प्रश्न संख्या : 516, 517, 520, 522 से 525 और 528	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—198
तारांकित प्रश्न संख्या : 519, 521, 526, 527 और 529 से 535	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4916 से 4979, 4981 से 5053 और 5055 से 5115	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	199—201
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति उन्नीसवां प्रतिवेदन	201
प्राक्कलन समिति आठवां प्रतिवेदन	201
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	202—208
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना अमरीका द्वारा पाकिस्तान को नए सिरे से आधुनिक शस्त्रास्त्र दिए जाने का समाचार	208—227
श्री राजेश कुमार सिंह	208

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव 208

श्री रामावतार शास्त्री 214

श्री मूलचन्द डागा 217

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 220

श्री रशीद मसूद 224

सदस्य की रिहाई 228

श्री तजाई एम० करुणानिधि 228

जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति के गठन के बारे में वक्तव्य 228—229

नियम 377 के अधीन मामले 229—234

(एक) बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता

प्रो० के० के० तिवारी 229

(दो) छूट वापिस लिये जाने के कारण तमिलनाडु में हथकरघा उद्योग में संकट

श्री एम० एस० के० सत्येन्द्रन 230

(तीन) सिरपुर-खगजनगर को हैदराबाद से जोड़ने वाली रेलगाड़ी की आवश्यकता

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी 231

(चार) एक हजार रुपये तक के उत्पादन कार्य पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने के कारण राजस्थान में लघु उद्योगों को हुई कठिनाई

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 232

(पांच) जयपुर में उचित मूल्य की दुकानों में गेहूं, चीनी और चावल की कमी

श्री सतीश अग्रवाल 232

(छः) बर्दवान-आसनसोल सैक्शन में चार उपनगरीय रेल सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य 233

(सात) खड़गपुर, दक्षिणपूर्व रेल में रेलभूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के उपाय

श्री नारायण चौबे 233

(आठ) नागालैंड राज्य में कृषि कालेज के कार्यकरण में सुधार करने के उपाय

श्री चिंगवांग कोनयक 234

अनुदानों की मांगें, 1981-82 235—295

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय

प्रो० रूप चन्द पाल 235

श्री गिरधारी लाल डोगरा 241

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी 246

श्री रशीद मसूद 250

श्रीमती गीता मुखर्जी 264

श्री गिरधर गोमांगो 267

श्री मनी राम बागड़ी 271

कु० कुमुदबेन एम० जोशी 274

आचार्य भगवान देव 279

श्री एन० सेलवाराजू 283

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी 287

श्री सत्यनारायण जटिया 289

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 294

सभा पटल पर रखे गये पत्र-जारी 295—296

आधे घण्टे की चर्चा 296—308

छठी योजना के दौरान पेयजल की ओर विशेष ध्यान देना

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 296

श्री भीष्म नारायण सिंह 299

श्री जनार्दन पुजारी 303

श्री अजीत कुमार साहा 304

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 305

श्री मुकुन्द मण्डल 306

लोक सभा

बुधवार, 25 मार्च, 1981/4 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

घाना के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : मुझे आरम्भ में एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा इस सभा के सदस्यों की ओर से घाना की संसद् के प्रथम उपाध्यक्ष महामहिम श्री ई० डी० महामी तथा घाना के संसदीय शिष्टमन्डल के माननीय सदस्यों का जो हमारे सम्मानित मेहमान के रूप भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य ये हैं :—

1. कुमारी मोनीका अटेंका, संसद् सदस्य
2. श्री पी० ओ० अनाला, संसद् सदस्य
3. श्री के० अकोटो, संसद् सदस्य
4. श्री इ० ए० एंटी, संसद् सदस्य
5. श्री टी० बरोनी, संसद् सदस्य
6. श्री सी० अमनक्वा, संसद् सदस्य
7. डा० ए० के० अंकोमा, संसद् सदस्य
8. श्री एफ० ई० अशुन, संसद् सदस्य
9. श्री ओ० एस० महामुदा, संसद् सदस्य

शिष्टमंडल 23 मार्च की शाम को भारत पहुंचा था तथा 5 अप्रैल, 1981 तक यहां रहेगा। इस समय वे विशिष्ट प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हमारी यही कामना है कि हमारे देश में उनका समय खुशी से गुजरे और उनकी यात्रा लाभदायक हो। उनके माध्यम से हम अपनी शुभकामनायें घाना की संसद्, सरकार और वहां के मित्रजनों को भेज रहे हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तमिलनाडु द्वारा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म से अपरिष्कृत फिल्मों की खरीद

*516. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) तमिलनाडु सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस से गत पाँच कलैंडर वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में अपरिष्कृत फिल्में खरीदीं ;

(ख) यह खरीद कितनी धन राशि की थी ;

(ग) खरीद किस दर से की गई ;

(घ) फिल्में किन-किन प्रयोजनों के लिए खरीदी गईं ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि खरीदी गई फिल्मों का उचित उपयोग किया जाये ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) विवरण 1 तथा 2 सभा पटल पर रखे जाते हैं ।

विवरण—1

(क) से (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेट (एच० पी० एफ०) द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे ही रा-फिल्मों की बिक्री करना अक्तूबर, 1977 से आरम्भ किया गया था, इससे पूर्व एच० पी० एफ० अपने उत्पादों को वितरकों को बेचती थी ।

1 अक्तूबर, 1977 से 31 दिसम्बर, 1980 तक खरीदी गई रा-फिल्मों की कुल मात्रा, निहित राशि तथा जिस दर पर ये खरीदी गई थी, उसे संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि ये खरीद तमिलनाडु फिल्म तथा टी० वी० संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के प्रयोगात्मक कार्य तथा तमिलनाडु फिल्म्स डिवीजन द्वारा न्यूजरील तथा वृत्त चित्र बनाने के लिए की गयी थी ।

(ङ) चूंकि रा-फिल्मों के वितरण तथा बिक्री को कानूनी रूप से नियमित नहीं किया जाता है तथा यह खरीद राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा की गयी थी, अत: उनके उपयोग पर निगरानी रखने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कदम उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण-2

(ली० मी० में तथा मूल्य रुपयों में)

उत्पाद	1977		1978		1979		1980	
	अक्तू०——दिस०		जन०——दिस०		जन०——दिस०		जन०——दिस०	
	ली० मी०	मूल्य	ली० मी०	मूल्य	ली० मी०	मूल्य	ली० मी०	मूल्य
35 एम० एम० सिने पोजीटिव (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	118426	115238	620399	626102	614872	649923	538121	685867
16 एम० एम० सिने पोजीटिव (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	22170	13762	83968	68695	127432	90821	108252	88763
35 एम० एम० सिने साउन्ड नैगेटिव	2480	2724	47020	53280	50782	60148	24595	34977
35 एम० एम० सिने पोजीटिव 70 (रंगीन)	—	—	11824	23260	77791	153042	10756	22938
35 एम० एम० सिने पोजीटिव जी .9 (रंगीन)	—	—	3926	8883	—	—	4526	15152
विविध								
(व्हाइट लीडर फिल्म)	—	—	1214	1076	10422	6564	4835	3694
(ब्ल्यू लीडर फिल्म)	600	532	—	—	—	—	—	—

दरें, जिस पर खरीद की गई (कर सहित प्रति लीनियर मी० दर)

(रुपयों में)

उत्पाद	1-10-77 को	12-5-78 को	9-1-79 को	10-12-79 को	1-7-80 से आज तक
35 एम० एम० सिने पोजीटिव (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	0.97311	1.01262	1.0467	1.27403	1.27515
16 एम० एम० सिने पोजीटिव (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	0.62078	0.64895	0.67170	0.81944	0.820557
35 एम० एम० सिने साउन्ड नेगेटिव	1.09875	1.13763	1.17173	1.42177	1.422885
35 एम० एम० सिने पोजीटिव 07 (रंगीन)	—	1.96727	1.96727	2.16052	3.014
35 एम० एम० सिने पोजीटिव जी 9 (रंगीन)	—	1.27918	1.27918	2.49006	3.343583
विविध (व्हाइट लीडर फिल्म)	0.41733	0.44187	0.44187	0.55007	0.54007
(ब्ल्यू लीडर फिल्म)	0.88646	0.88646	0.86970	0.89670	0.89670

श्री एन० डेनिस : राज्य सरकार अधिक प्रभाकारी और लाभ की स्थिति में होने के कारण फिल्म डिवीजन और टी० वी० संस्थान के नाम पर अपेक्षित मात्रा से अधिक अपरिष्कृत फिल्में खरीद रही है। प्राइवेट सेक्टर के आवेदकों को अपेक्षित मात्रा में अपरिष्कृत फिल्में नहीं मिल रही हैं इसी लिए उनको कष्ट पहुंच रहा है और शिकायतें की जा रही हैं और आरोप लगाये जा रहे हैं। क्या सरकार इस स्थिति की जांच करेगी तथा आवेदकों की स्थिति का भेद भाव किये बिना अपरिष्कृत फिल्मों की उचित और साम्यपूर्ण सप्लाई करने के लिए शीघ्र उपाय करेगी।

श्री चरणजीत चानना : जहां तक अपरिष्कृत फिल्मों तथा अन्य प्रकार की फिल्मों का सम्बन्ध है, पहली बात तो यह है कि इनकी कोई कमी नहीं है दूसरी बात यह है कि वृत चित्रों के लिए फिल्में परमिट से दी जाती हैं जब कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम देता है। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स केवल फिल्में बेचता है। इनके उपयोग अथवा दुरुपयोग का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। फिल्म वितरण का विनियमन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है। माननीय सदस्य का प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

श्री एन० डेनिस : क्या सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा खरीदी गयी परिष्कृत फिल्मों की मात्रा की पड़ोसी राज्यों तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा खरीदी गयी परिष्कृत फिल्मों की मात्रा से तुलना की है और यदि हां तो क्या सरकार को सप्लाई के बारे में किसी विषमता का पता चला है? क्या सरकार अपरिष्कृत फिल्मों के नियतन के मामले में कपेटा प्रणाली लागू करेगी?

श्री चरणजीत चानना : अन्तर्राज्यिक और अन्तर्क्षेत्रीय तुलनात्मक ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है। किन्तु तैयार किया जा सकता है। इसे तैयार करना हमने इस लिए आवश्यक नहीं समझा क्योंकि सप्लाई की कोई कमी नहीं है। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के पास इतना स्टाक है कि अब हम वहां तालिका व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं।

श्री ए० नोलालोहियादसन नाडार : क्या भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार द्वारा फिल्मों की खरीद के बारे में कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा भारत सरकार ने उसका क्या कार्यवाही की है और यदि कोई अनियमितता पाई गयी है तो क्या भारत सरकार इस बारे में कुछ कर पाई है।

श्री चरणजीत चानना : भारत सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है केवल माननीय सदस्य द्वारा सबाल पूछा गाया है।

मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन आदि पर श्रम कानूनों का लागू किया जाना

*517. **श्री जैनुल बशर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्गी पालन, कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम के कीड़ों का पालन तथा पशु पालन में लगे कर्मचारियों पर श्रम कानून लागू किये गये हैं ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) हालांकि समान पारिश्रमिक अधिनियम इन सभी कार्यकलापों में रोजगारों पर लागू होता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पशुधन, मुर्गी-पालन और मधुमक्खी पालन पर लागू होता है, बोनस संदाय अधिनियम उन कार्यकलापों पर लागू होता है जो अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठान है तथा जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति अथवा 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों, यदि सम्बन्धित सरकार ने ऐसा अधिसूचित किया हो, और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम को 9 राज्य सरकारों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों ने पशुधन के पालनपोषण और अनुरक्षण या मत्स्य पालन में उन रोजगारों पर लागू किया है जिनमें 25 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों।

(ग) और (घ) इस समय ऐसे कानून लागू करने का प्रस्ताव नहीं है जिसके अन्तर्गत भाग (क) में उल्लिखित कार्यकलापों में नियोजित कर्मचारियों को विशेष रूप से लाया जा सके। लेकिन मत्स्य पालन में कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मुर्गी-पालन में कर्मचारियों को भविष्य निधि प्रसुविधा लागू करने के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है। सरकार कृषि श्रमिकों के लिए, जिनमें पशुधन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन में नियोजित श्रमिक शामिल हैं, केन्द्रीय कानून के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार सुरक्षा, विवादों के शीघ्र निपटान, समाज सुरक्षा उपायों, कार्य घण्टों के विनियमन आदि की व्यवस्था की जा सके। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष जी, इस सेक्टर के श्रमिकों को नजरअन्दाज किया गया है और उनका बराबर शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जवाब में जो कानून बताये गये हैं उनको दिल्ली सहित किन-किन राज्यों में नोटिफिकेशन के जरिये लागू किया गया है ? दिल्ली में इस केटेगरी के श्रिमकों को कितना मिनिमम वेज दिया जा रहा है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है और क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पोल्ट्री फार्मिंग में इकुअल रेम्युनरेशन एक्ट 1 76, मिनिमम वेजिज एक्ट 1948 और पेमेंट आफ बोनस एक्ट 1965 को सप्लाई

करते हैं। बी-कीपिंग में भी इनको लागू किया गया है। पिसी कल्चर और सेरीकल्चर में इकुअल रेम्युनरेशन एक्ट और पेमेंट आफ बोनस एक्ट लागू किये गये हैं।

मिनिमम वेजेज एक्ट-48, पेमेंट्स आफ बोनस एक्ट-55, वर्कमैन कम्पन्सेशन एक्ट-23, लागू है। अभी जैसा कि मैंने जबाव में बताया है कि 9 स्टेट और पांच यूनियन टेरिटरीज में वर्कमैन कम्पन्सेशन एक्ट लागू करने के किए तय कर लिया गया है। ये प्राविंस हैं आसाम, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघायय, पंजाब, उड़ीसा और तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरीज हैं— अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, मिजोरम और पांडिचेरी। जहां तक शोषण का सवाल है, उसके लिए यदि वहां पर ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक यूनियनों का रजिस्ट्रेशन है और वे डिस्प्यूट हमारे सामने लाते हैं तो चाहे वे एस्टैब्लिशनमेन्ट स्टेट गवर्नमेंट के प्राधिकार में कार्य करते हों या दिल्ली प्राधिकार के अन्तर्गत या सेन्ट्रल सेक्टर के अन्दर आते हैं उनका समाधान बाइपरटाइट तरीके से समझौता नहीं होने पर टाइपरटाइट मशीनरी से और यदि वह भी फेल कर गया तो आर्बीट्रेशन से अथवा एडजूडिकेशन में भेजकर फैसला करवाया जाता है। (व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : मेरा जबाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : पर एक बात तो सुनिए कि रेलवे मन्त्रालय के पास बैठने से मिसेज सिन्हा ने कैसा फर्स्ट-क्लास, राजधानी एक्सप्रेस की तरह जबाब दिया है।

श्री जैनुल बशर : अभी मेरा जबाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि दिल्ली में इस केटेगरी में मिनिमम वेजेज क्या हैं और उसका उल्लंघन करने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। अभी पहला ही जबाब नहीं आया है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष जी, इस केटेगरी के जितने लोग हैं, उनकी सेवाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपके दिल्ली के आसपास बहुत से पोल्ट्री फार्म्स हैं, डेरी फार्म्स हैं, बी-कीपिंग है, हार्टीकल्चर हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर 10 दिन बाद या दो-चार महीने बाद बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए वे क्या उपाय करने वाली हैं ताकि उनका शोषण न हो सके और इन कानूनों की शख्ती से पालन करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : रोजगार की सुरक्षा, विवादों के शीघ्र निपटारे, सामाजिक सुरक्षा उपायों, न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घण्टों के विनियमन आदि की व्यवस्था करने के लिए विधान बनाने का प्रस्ताव है। यह विधान बनाया जायेगा और इसे बनाने के बाद इसे खेतिहर मजदूरों और पशुपालन, मधु-मक्खी पालन, मुर्गी-पालन में और उन प्रतिष्ठानों में जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, लगे लोगों पर लागू किया जायेगा।

श्री जेवियर अराक्कल : उत्तर काफी सन्तोषजनक है . . .

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा है। यह अपने आपको सन्तुष्ट करने के लिए है।

श्री जेवियर अराक्कल : यदि नया विधेयक जिसे सरकार पेश करेगी . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि अब आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है।

श्री जेवियर अराक्कल : माननीय मन्त्री ने कहा है कि यदि नये विधेयक को पेश किया जाता है और इसे पास कर दिया जाता है तो ये सब बातें हो जायेंगी। परन्तु जब इस सभा में एक सांविधिक विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो सभा ने सर्वसम्मति से अनुरोध किया था इस क्षेत्र को संगठित करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी होने चाहिये। मुख्य समस्या यह है कि यह क्षेत्र संगठित नहीं है। सबसे पहले इस क्षेत्र को संगठित करना होगा। इसके लिए सरकार विधेयक पेश किए जाने तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं माननीय सदस्य से तथा अन्य सदस्यों से भी अनुरोध करूंगी कि वे प्रतिष्ठानों में जायें और इस क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित करें तथा क्षेत्र को कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत लायें तथा श्रम विभाग के समक्ष विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लायें और तब ये विवाद शान्तिपूर्वक पंचफैसले अथवा आपसी समझौते या मध्यस्थ निर्णय द्वारा जो भी आवश्यक होगा, निबटाये जायेंगे।

भारतीय आर्थिक सेवा में चयन ग्रेड और "सुपर टाइम" वेतनमान के पद

*520. **श्री राम विलास पासवान**
श्री तारिक अनवर } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा में चयन ग्रेड और "सुपर टाइम" वेतनमान के कितने पद हैं ;

(ख) ग्रेड चार से सुपर टाइम वेतनमान तक के विभिन्न पदों का अनुपात क्या है ;

(ग) क्या इस अनुपात से स्वस्थ सेवा और कुशल कैडर प्रबन्ध की झलक मिलती है ;

(घ) अन्य केंद्रीय सेवाओं में अनुपात क्या है ; और

(ङ) इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा में चयन ग्रेड अथवा "सुपर टाइम" वेतनमान के कोई पद नहीं हैं।

(ख), (ग) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस सेवा में "सुपर टाइम" वेतनमान के कोई पद नहीं हैं।

(घ) कुछ चुनिन्दा गैर-तकनीकी समूह "क" सेवाओं के विभिन्न ग्रेडों में सापेक्ष पद संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निम्नलिखित पदों की संख्या

क्रम संख्या	सेवा का नाम	उच्चतर ग्रेड	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	वरिष्ठ समय वेतनमान	कनिष्ठ समय वेतनमान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आई० ए० तथा ए० एस० (लेखा परीक्षा तथा लेखा)	1	71	188	114	232	606
2.	आई० सी० ए० एस० (सिविल लेखा)	1	14	36	51	16	118
3.	आई० डी० ए० एस० (रक्षा लेखा)	1	16	31	104	40	192
4.	आई० आर० ए० एस० (रेल लेखा)	1	45	92	165	89	392
5.	आई० आर० एस० (आय-कर)	—	158	630	898	497	2183
6.	आई० आर० एस० (सीमा शुल्क तथा उत्पादशुल्क)	—	54	104	*774		932
7.	आई० पी० एस० (डाक)	2	23	53	151	84	313
8.	सी० आई० एस० (सूचना)	1	—	49	156	92	298
9.	आई० आर० टी० एस० (रेल यातायात)	8	135	194	248	190	775
10.	एम० एल० सी० एस० (सेनाभूमि तथा छावनी)	—	9	19	59	15	102

*1-1-1973 से एकीकृत समय वेतनमान के द्विभाजन के बाद आई० आर० एस० (सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क) में समय वेतनमान पदों को कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वेतनमान पदों में अभी नहीं बांटा गया है ; इस विवरण के प्रयोजन के लिए समय वेतनमान पदों के एक-तिहाई पदों को कनिष्ठ वेतनमान में माना गया है और शेष को वरिष्ठ वेतनमान में।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने कहा है कि (ख) और (ग) जो भाग है उनके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस सेवा में सुपर टाइम वेतनमान का कोई पद नहीं है। क्या यह सही है कि यू० पी० एस० सी० की परीक्षा में जो फार्म भरे जाते हैं उनमें सिलैक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल के पदों की व्यवस्था रहती है लेकिन आप कहते हैं कि भारतीय सेवा में इसका कोई पद नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सही है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : श्रीमन् अन्य सेवाओं की तुलना में भारतीय आर्थिक सेवा का संगठनात्मक ढांचा भिन्न है। यह सेवा 1961 में बनायी गयी थी और इसका सम्बन्ध विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से है इस लिए इस सेवा में कोई सुपर टाइम वेतनमान वाले पद नहीं हैं परन्तु साथ ही यह ध्यान भी रखा गया है कि ग्रेड "क" में पाँच वर्ष से अधिक सेवा वाले लोगों के मामले में प्रगतिरोध पैदा न हो पाये। इसलिए एक विशेष ग्रेड बनाया गया है ताकि इन लोगों की उस ग्रेड में पदोन्नति हो पाये जिसका वेतनमान ग्रेड I अधिक है।

श्रीमन् मैंने सभा में बताया था कि यह सेवा उन पदों को मिलाकर बनायी गयी है जहां केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों में आर्थिक कृत्य हों। इन पदों के लिए लोगों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था और उन्हें विभिन्न ग्रेडों में 15-2-1964 से नियुक्त किया गया था। इस सेवा को बाद में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 के अनुसार चलाया गया था।

श्री रामविलास पासवान : इसी सेवा में है तो इस सेवा में, आर्थिक सेवा में क्यों नहीं है ?

भाग (ग) में मैंने पूछा था कि इस अनुपात से स्वस्थ सेवा और कुशल कैडर प्रबन्ध की झलक मिलती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह बतायेगी कि क्षमता का मापदंड आपने क्या रखा है ?

श्री वेंकट सुब्बय्या : जैसा मैंने कहा आर्थिक सेवा विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में फैली हुई है जैसे आय-कर विभाग में। वे एक विभाग के अन्तर्गत काम करते हैं। यहां वे विभिन्न विभागों में फैले हुए हैं। यह उस सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा विभाग पर निर्भर है जहां वे काम करते हैं कि वे किन्हीं पदों को भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल करने के लिए रखी हो। हम इस सेवा पर एक तरह दूर से नियंत्रण रख रहे हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : वित्त विभाग (आर्थिक विभाग) में लोगों को ग्रेड-एक श्रेणी-एक में भर्ती किया गया है और उन्हें श्रेणी दो की विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। मन्त्री महोदय ने बताया कि भारतीय आर्थिक सेवा के किसी पद पर ५ वर्ष से अधिक का प्रगति रोध नहीं है। मैं उन से जानना चाहता हूं कि लोगों के वहां श्रेणी दो में 10 वर्ष से भी अधिक काम कराने के बावजूद भी श्रेणी-एक का पद क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जैसा मैंने बताया, सेवा में विभिन्न ग्रेड हैं। यह ग्रेड चार से शुरू होकर ग्रेड-एक तक जाती है। इन सभी मामलों में पदोन्नति के बारे में नियम बनाये गये हैं। ग्रेड-एक में 75 प्रतिशत लोग पदोन्नति पाकर आते हैं और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से आते हैं। ग्रेड 2 में भी 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आते हैं। ग्रेड तीन में 100 प्रतिशत पदोन्नति से आते हैं। वहां सीधी भर्ती नहीं होती। ग्रेड-4 में 25 प्रतिशत पदोन्नति से और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती से आते हैं। ये सभी नियमों के अन्तर्गत होता है सीधी भर्ती और पदोन्नति नियमों के अधीन ही होती है। यह ध्यान रखा जाता है कि लोगों को इन नियमों के अनुसार पदोन्नति मिले।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। सदस्य अनुपस्थित है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न संख्या 521 के स्थान पर हम प्रश्न संख्या 530 को क्यों न ले लें? दोनों हो एक जैसे प्रश्न हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 522 श्री होरो अनुपस्थित हैं श्री चिन्तामणि जेना।

ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए किए गए उपाय

*522. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री ए० ई० होरो] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योगों का, विशेषकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित नये उद्योगों का विकास करने के लिए ऐसे क्या व्यावहारिक उपाय किए गए हैं जिनसे अभी तक कोई वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

उद्योग मंत्राजय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : वर्तमान अनेक योजनाओं के अलावा, सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उपयुक्त उद्योगों का संवर्धन करने के लिए हाल ही में व्यापक उपाय किए हैं। इनमें ऐसे केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम चालू करना भी सम्मिलित है, जिनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुषंगी एककों की स्थापना करना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्षेत्र तथा संरक्षण का विस्तार करना और ग्रामीण ऋण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कृषि तथा ग्राम्य विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने के बारे में भी निर्णय लिया जायेगा।

श्री चिन्तामणी जेना : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस नई योजना के लागू होने से किन लोगों को लाभ पहुंचेगा? इसके परिणामस्वरूप देश में कितना औद्योगिक उत्पादग बढ़ेगा?

श्री चरणजीत चानना : लाभ पाने वालों को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। परन्तु इतना कहा जा सकता है कि लाभ इस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को ही

मिलेगा। इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने का उद्देश्य बड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रयत्न इन क्षेत्रों में यथासम्भव अधिकतम उत्पादन दर बढ़ाना है।

श्री चिन्तामणि जेना : यह नयी योजना देश में वास्तव में कब लागू की जायेगी? यह किन-किन राज्यों में लागू की जायेगी? इस योजना से लगभग कितने लोगों को लाभ होगा?

श्री चरणजीत चानना : इस सम्बन्ध में मैं सभा में पहले ही बता चुका हूं। मैंने सभी मुख्य मन्त्रियों को लिखा है कि वे ऐसे दो जिलों अथवा क्षेत्रों के नाम बताएं जो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आते हैं। उस योजना के सम्बन्ध में हमारे पास राज्यों से प्रस्ताव आ चुके हैं और हम योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। जिन राज्यों से हमने ब्यौरा मांगा है उनके नाम हैं :

आन्ध्र प्रदेश
बिहार
केरल
जम्मू और काश्मीर
मध्य प्रदेश
नागालैण्ड
पश्चिमी बंगाल
गुजरात
पंजाब
उड़ीसा
हिमाचल प्रदेश और
उत्तर प्रदेश

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उत्तरी बिहार समूचे देश में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से है। परन्तु वह खोई पर आधारित कागज उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श है। सरकार का उत्तरी बिहार में खोई पर अधारित कागज उद्योग की स्थापना करने के सम्बन्ध में क्या विचार है?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि हमने उन सभी राज्यों को खोई पर आधारित कागज के कारखाने स्थापित करने के लिए कहा है जहां इसकी स्थापना करना सम्भव है। सबसे पहले हमने उनसे चीनी मिलों की बहुतायत वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहा है। दूसरे हमने राज्यों से चीनी उद्योग को ही प्रोत्साहन देने के लिए नहीं कहा वरन्

खोई उद्योग,----जिससे अन्ततः कागज उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा----को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : पिछले वर्ष मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग चालू करने में पहल करेगी। मैंने उस समय बांकुरा, पुरुलिया, मिदनापुर और उत्तरी बंगाल के जिलों का जिक्र किया था। इन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार ने कितने उद्योग चालू किए तथा उन उद्योगों के नाम क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह सब बताया जा सकता है।

श्री चरणजीत चानना : मैं सभा को बता चुका हूं कि हमने राज्यों को पिछड़े क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिये लिखा है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मंत्री ने बांकुरा और जलपाईगुड़ी क्षेत्रों का उल्लेख किया है। केन्द्र सरकार केवल राज्य सरकार के सहयोग से ही इन क्षेत्रों में औद्योगीकरण करती है और जहां तक सदस्य महोदय का प्रश्न है अभी उसके सम्बन्ध में कुछ बताना बहुत जल्दी होगी क्योंकि अभी राज्य सरकार तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण करके यह योजना तैयार करने के प्रयत्न में लगी है कि वहाँ किस प्रकार के उद्योग किए जाएँ।

श्री एम० एम० ए० मलिक खां : उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, यहां के ईस्ट, वैस्ट के झगड़े में जो बीच के जिले हैं वह इण्डस्ट्रियलाइज होने से बिल्कुल रह गये हैं। मैं महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आइडिएन्टीफाई करने के लिये उन्होंने कोई उसूल बनाये हैं ? यदि बनाये हैं तो वह क्या हैं ?

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मोलैसेज सरप्लस होता है। मोलैसेज से इण्डस्ट्री लगाने के लिए और अल्कोहल के लिए इण्डस्ट्री लगाने के लिए क्या सरकार ने कुछ सोचा है या नहीं ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि लगभग 12-13 वर्ष पहले योजना आयोग के दो कार्यकारी दलों ने पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक फार्मूला बनाया था। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के सात जिलों अर्थात् बलिया, झांसी, अल्मोड़ा, बस्ती, फैजाबाद, रायबरेली और ललितपुर को पिछड़ा क्षेत्र समझा गया था।

श्री एम० एम० ए० मलिक खां : मेरी बात बिल्कुल सही थी, बीच के डिस्ट्रिक्ट्स छोड़ दिये गये हैं, किनारे के ले लिए गए हैं। ईस्ट और वैस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स को ले लिया गाया है, बीच में छोड़ दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुशीर साहब को भी ले लो।

श्री चरणजीत चानना : उनका पता कार्यकारी दलों ने लगाया था। परन्तु योजना आयोग ने श्री शिवरामन की अध्यक्षता में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के

लिए एक समिति की नियुक्ति की। इसका प्रतिवेदन योजना आयोग को दे दिया गया है तथा उस पर विचार हो रहा है।

जहां तक राज्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग के बीच के क्षेत्र का सम्बन्ध है शिवरामन समिति ने समूचे राज्य पर विचार किया है और उस प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रों का पता लगाया जायेगा।

जहां तक खोई पर आधारित उद्योगों का सम्बन्ध है राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किस प्रकार के उद्योग इन क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं। जहां तक राज्य के विकास का सम्बन्ध है कोई जिला अपवाद नहीं हो सकता।

श्री हरिकेश बहादुर : मन्त्री महोदय पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया और बस्ती जिलों का उलेल्ख कर रहे थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और सभा में इस बात पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि इस क्षेत्र में खोई आधारित कागज उद्योग स्थापित किए जाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेकों चीनी मिल हैं तथा बड़ी मात्रा में खोई उपलब्ध हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोई पर आधारित कागज उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने वाली है जिससे कि उस क्षेत्र की बेरोजगारी और गरीबी दूर की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री चरणजीत चानना : राज्य सरकार एक सर्वेक्षण कर रही है जिसमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित जिले भी शामिल हैं।

विकास केन्द्रों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्र का विकास

523. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्र के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए 100 विकास केन्द्र तथा लघु और सहायक उद्योगों के लिए इतनी ही संख्या में लघु औद्योगिक सम्पदाएं बना कर औद्योगिक विकास के द्रुत प्रसार के लिए एक ठोस नीति की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने वर्तमान औद्योगिक केन्द्रों से दूर मध्यम तथा बड़े उद्योगों के संवर्धन की देखभाल के लिए 100 विकास केन्द्रों में से प्रत्येक में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी सिफारिश की है ;

(घ) अन्य सिफारिशें क्या की गई हैं ; और

(ङ) सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) से (ग) तक जी, हां।

(घ) माननीय सदस्य का ध्यान पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई 'औद्योगिक प्रकीर्णन' से संबंधित रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश नामक अध्याय की ओर दिलाया जाता है ; इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय को उपलब्ध कराई गई हैं।

(ङ) राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

श्री बी० वी० देसाई : सात-आठ वर्ष पहले, पिछड़े जिलों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास की धारणा लोकप्रिय बनी। उसके पश्चात् एक समिति नियुक्त की गई और अब हमें उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। इस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने में पहले जो कमी थी उसे दूर किया गया है अर्थात् क्या क्षेत्र की विकास क्षमता को ध्यान में रखा गया है। यदि हां, तो क्या उन्होंने इन 100 विकास केन्द्रों के बारे में विकास के लिए सिंचित क्षेत्रों की क्षमता को ध्यान में रखा है ? उन्हें समृद्ध क्षेत्र अथवा बहुप्रयोजनीय परियोजना क्षेत्र कहा जाता है जहां कृषि-आधारित उद्योग आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। क्या वर्तमान समिति ने इन बातों पर विचार किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या करने का है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : समिति ने सभी त्रुटियों तथा कमियों पर विचार किया है और अनुभव पर कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें लगभग आठ पृष्ठों में हैं। इसलिए यह संभव नहीं होगा और वास्तव में न्यायसंगत नहीं होगा यदि मैं इन सिफारिशों का हवाला संक्षिप्त में दूं। फिर भी यदि आप अनुमति दें तो मैं सभा के समक्ष जानकारी रख सकता हूं। बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के संवर्धन के सम्बन्ध में, समिति ने विकास केन्द्रों की स्थापना का सुझाव दिया है। समूचे देश में एक सौ विकास केन्द्रों को चुना जायेगा जो उस मानदंड पर आधारित होंगे जिसकी सिफारिश की गई है।

जहां तक लघु उद्योगों के संवर्धन का सम्बन्ध है, समिति ने सिफारिश की है औद्योगिक राज्य कार्यक्रम को दोनों ही केन्द्रों में अर्थात् चुने हुए 100 विकास केन्द्रों और विकास केन्द्रों से भिन्न 100 नये औद्योगिक केन्द्रों में फिर से चलाया जाये। यदि आप अनुमति दें तो मैं

अन्य ब्यौरा भी दूंगा । किन्तु मैं बताना चाहूंगा कि प्रतिवेदन ग्रंथालय में रखा गया है और मुद्रित प्रतियों के उपलब्ध होते ही उन्हें सभा पटल पर रखा जायेगा ।

श्री बी० वी० देसाई : अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि पिछले प्रतिवेदन में, जिसके अधार पर पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया जाता था, व्याप्त कमियों तथा त्रुटयों पर विचार कर के उन्होंने अब उनका नाम पिछड़े क्षेत्रों के बदले विकास केन्द्र रख दिया है । इसका मतलब है उन्होंने सम्बन्धित क्षेत्र की विकास-क्षमता पर भी विचार किया है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए, क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा संचार सर्वाधिक महत्व-पूर्ण मदों में से एक है और क्या देश के भिन्न-भिन्न भागों में इन विकास केन्द्रों को नियत करते समय इस पहलू को ध्यान में रखा गया है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : जी हां । इसे ध्यान में रखा गया है ।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं किसी राज्य के किसी विशिष्ट भाग की बात नहीं कह रहा हूं, चाहे वह लद्दाख हो, डोडा मंडी हो, लाहौल-स्पिति हो, किन्नौर हो या अल्मोड़ा बल्कि समूचे हिमालयन क्षेत्र की बात कर रहा हूं । यह समूचा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इसकी परिस्थितिक विशेष समस्याएं हैं । क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि (क) क्या इन क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान दिया जायेगा और (ख) क्या औद्योगिक विकास में, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा कि परिस्थितिक सन्तुलन न बिगड़ने पाये ताकि उद्यान विज्ञान रेशम कीट पालन (रेशम उत्पादन) मधु मक्खी पालन आदि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले जो विकास को तीव्र गति भी देंगें और बहुत नाजुक हिमालयन परिस्थितिक संतुलन को नष्ट भी नहीं होने देंगे ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह इस समिति के निर्देश निबन्धन में शामिल था और समिति ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है और उसने अपनी निश्चित सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ।

श्री के० मलन्ना : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध पिछड़े क्षेत्रों के विकास से है । क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्य उस परिभाषा का विरोध कर रहे हैं जिसकी सिफारिश शिवरामन समिति ने विकास के लिए सहायता देने के प्रयोजनार्थ की है ? क्या राष्ट्रीय समिति में इस पर विचार-विमर्श किया गया है ? यदि नहीं तो पिछड़े क्षेत्रों की परिभाषा और विभिन्न राज्य द्वारा उसका जो विरोध किया जा रहा है, उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अध्यक्ष महोदय, सिफारिशें विचाराधीन हैं और उनकी जांच की जा रही है । सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व राज्य सरकारों, सम्बन्धित

मंत्रालयों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ आवश्यक रूप से विचार-विमर्श किया जायेगा और उनकी राय ध्यान में रखी जायेगी ।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण प्राय: प्रश्न का उत्तर देते समय उस उत्तर को भूल जाते हैं जो इसी तरह के प्रश्नों के बारे में पहले दिया जा चुका है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्या कोंकण जैसे पिछडे क्षेत्रों में बांस के बागानों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर के प्रोत्साहन देना सरकार के लिए संभव होगा ताकि उन्हें कागज उद्योग के लिए इस्तेमाल किया जा सके, तब जबाव दिया गया था कि मामला विचाराधीन है । यह मामला कब तक विचराधीन रहेगा ? मैं अवधि जानना चाहूंगा, क्या विचार कर लिया गया है, क्या आपने इस समस्या पर अपना दिमाग लगाया है और क्या यह मामला कारगर रूप से हल किया जायेगा ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : कृषि उद्योगों के विकास के बारे में प्रश्न पर समिति द्वारा विचार किया गया है और उसने इस बारे में निश्चित सिफारिशें की हैं ।

बड़े व्यापार गृहों के सम्पर्क अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

*524. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के परामर्श पर सरकार का यह विचार है कि आपूर्ति, वाणिज्य और उद्योग विभागों से सम्बद्ध अधिकारियों के कार्यालयों में बड़ी वाणिज्यिक फर्मों के 26 सम्पर्क अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : इन व्यापारिक घरानों से सम्बन्धित सम्पर्क अधिकारियों के ऊपर प्रतिबन्ध का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, लेकिन क्या यह सच है कि केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को इन सम्पर्क अधिकारियों की कुछ गतिविधियों पर, जो वांछनीय और नैतिक नहीं हैं शिकायतें मिली हैं ; यदि हां, तो सरकार ऊपर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को लेकर भ्रान्ति उत्पन्न कर रहे हैं । मूल प्रश्न में पूछा गया है : "क्या सरकार केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के परामर्श पर सरकार ..." । अब वह "केन्द्रीय जांच विभाग" का उल्लेख कर रहे हैं । **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : भ्रान्ति को दूर कीजिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जहां तक केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि इसका केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्द खान : मैं अंग्रेजी में स्पष्ट कर देता हूं। मेरा प्रश्न था : क्या केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो की सिफारिश कर कुछ सम्पर्क अधिकारियों के प्रवेश या प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं क्या उक्त ब्यूरो को कुछ वाणिज्यिक फर्मों के सम्पर्क अधिकारियों की ऐसी गति विधियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो वांछनीय और वैद्य नहीं हैं, क्या उन्हें कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हा, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं एक बार फिर स्थिति स्पष्ट कर दूं कि केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : प्रश्न यह है क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : सन्थानम समिति की सिफारिशों के अनुसार मैं सन्थानम समिति की सिफारिश के संगत भाग को उद्धृत करता हूं जिसमें यह कहा गया है—

> "किसी अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो किसी व्यापार या औद्योगिक गृह या किसी व्यक्ति की ओर से कार्य करने का दावा करे, तब तक व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक उसे उचित रूप से अधिकृत न कर दिया गया हो और उसका सम्बन्धित विभाग आदि ने अनुमोदन न कर दिया हो। ऐसी प्रक्रिया से उन व्यक्तियों को दूर रखा जा सकेगा जिनका पूर्व इतिहास या ख्याति नागवार है। परन्तु यदि फर्म का मालिक या प्रबन्धक आदि या स्वयं प्रार्थी अधिकारियों से मिलना चाहें तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।"

परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि केन्द्रीय जांच विभाग समय-समय पर उन सम्पर्क अधिकारियों के बारे में जिनका पूर्व इतिहास आपत्तिजनक है और जिनके नाम काली सूची में है, मन्त्रालयों को बताता रहता है कि वे ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में न आयें। यह सूची सम्बन्धित मन्त्रालयों को भेजी जाती है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे सम्पर्क अधिकारियों को सम्बन्धित मन्त्रालयों में आकर उनके सामने ऐसे मामले रखने की अनुमति न दी जाये। मैं माननीय सदस्य से केवल यह कहना चाहता था कि वह केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बीच भेद को समझें।

श्री मोहम्मद आरिफ खान : माननीय मंत्री जी ने जैसा कुछ कहा उसे मैं स्वीकार करता हूं। उसके बाद मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहली जनवरी, 1981 से 15 मार्च,

1981 तक कितने सम्पर्क अधिकारी ऐसे हैं जिनके बारे में सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन ने सम्बन्धित मंत्रालयों को उनकी गतिविधियों के अवांछनीय होने की रिपोर्ट की है और उन सम्पर्क अधिकारियों का सम्बन्ध किन कमर्शियल फर्म्स से है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जैसा कि मैंने कहा, इन सम्पर्क अधिकारियों के नाम समय-समय पर भेजे जाते हैं ?

एक माननीय सदस्य : नामों की सूची दी जाये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा कर सकते हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : इन नामों को प्रकट करना लोक हित में नहीं है । परन्तु मैं यह बता दूं कि सरकार इन सम्पर्क अधिकारियों को अच्छी तरह से जानती है और उस सूची को समय-समय पर अद्यतन बना दिया जाता है ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : वह प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं । (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासन सेवा के कई सेवानिवृत्त अधिकारी बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों में सम्पर्क अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहें हैं ? उन्हें सुगमता से प्रवेश मिल जाता है । लायसेंस छूट आदि प्राप्त करने के लिए करोड़ों रुपये घूसखोरी में व्यय हो जाते हैं । यह मामला सभा में कई बार उठाया जा चुका है । क्या सरकार को इसका पता है ? क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने इसकी जांच की है और क्या सरकार भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय सिविल सेवा के भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा बड़ी-बड़ी गैर सरकारी फर्मों में रोजगार प्राप्त किये जाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है । उन्होंने भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय सिविल सेवा के उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के बारे में कहा है जिन्होंने सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों को प्रभावित करने की अव्यक्त भावना से सम्पर्क स्थापित कर रखा है । हमें ऐसे अधिकारियों का कोई मामला नहीं मिला है, जिनके नाम काली सूची में शामिल हों या जिनके तरीके आपत्तिजनक हों । यदि कोई ऐसा मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के ध्यान में लाया जायेगा, तो हम इस मामले की अवश्य जांच करेंगे । यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रभाव काम न करें हमें बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है ।

श्री के० लकप्पा : मुझे खुशी है कि गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने कहा है कि कुछ कार्यवाही करने के लिए पहले ही शुरूआत कर दी गयी है । यह समाचारपत्रों में व्यापक रूप से छपा है कि इन में से कुछ सम्पर्क अधिकारियों की, जो बड़े-बड़े व्यापार गृहों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ साठ-गांठ है और सरकारी फाइलों तथा

अन्य चीजों के बारे में जानकारी बाहर प्रकट हो जाती है मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध कोई और कार्यवाही करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में सख्त कार्यवाही की जाये ? सरकारी जानकारी बाहर के लोगों को दिये जाने तथा अन्य चीजों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : ऐसे मामलों में कार्यवाही की जा रही और सरकार इन अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करेगी। मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार पूरा ध्यान रख रही है। जब भी ऐसे मामले हमारे ध्यान में लाये जाते हैं तब जांच की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उचित कार्यवाही हो।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : माननीय मन्त्री के मूल प्रश्न का उत्तर देने से बचने के प्रयास से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। मूल प्रश्न यह था कि क्या कोई विनिर्दिष्ट शिकायतें हैं ? यदि माननीय मन्त्री जानते हैं कि वे किस प्रकार की शिकायतें हैं, तो उसे उनके बारे में सभा को बताना चाहिए और यह बताना चाहिए कि सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि उन्हें इतना दिलेर होना चाहिए कि वह तथ्यों को छिपाने की बजाये उन्हें सभा के सदस्यों के सामने रखें जिनकी कुछ जिम्मेवारी है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : सरकार बहुत अधिक दिलेर है और माननीय सदस्य को इस बारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

रोजगार गारन्टी योजना

*525. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने रोजगार की गारंटी योजना पहले ही शुरू कर दी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में लागू ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है और केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को इस बारे में क्या निदेश तथा मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा गया है।

(ग) सरकार का यह विचार है कि यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे स्थानीय या राज्य के लिए उपयुक्त रोजगार की गारंटी योजना जैसी अपनी-अपनी विशिष्ट योजनाओं का चयन करें।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही रोजगार गारंटी जैसी योजनाएं

1. **महाराष्ट्र :**

रोजगार गारन्टी योजना का उद्देश्य अनुमोदित कार्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी अकुशल व्यक्तियों को लाभप्रद और उत्पादक रोजगार व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक प्रदान करना है जो काम चाहते हैं तथा जो मजदूर का कार्य करने के लिए तैयार हैं पर निजी प्रयास से मजदूरी नहीं खोज सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्तियों की अकुशल रोजगार की गारन्टी अधिनियम को दी जाती है। महाराष्ट्र रोजगार गारन्टी अधिनियम अधिनियमित करके इस गारन्टी को सांविधिक आधार दिया गया है। जिले में कहीं भी कार्य प्रदान करने की गारन्टी दी गयी है यद्यपि व्यवहारता कार्य आमतौर पर पचायत समिति क्षेत्र के भीतर ही दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार मांगने वाले किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार की माँग प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ही रोजगार देने की व्यवस्था की गयी है। यदि सरकार के लिए ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर कार्य देना सम्भव नहीं होता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। दिया जाने वाला कार्य सामान्यत: कम से कम 30 दिनों के लिए होना चाहिए ताकि श्रमिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बारम्बार स्थानांतरण न हो।

2. **कर्नाटक :**

रोजगार अभिपुष्टि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनकारी समुदाय परिसम्पतियां तैयार करना तथा मन्दे कृषि मौसम के दौरान वर्ष में 100 दिन की अवधि के लिए ग्रामीण गरीबों को अकुशल तथा मजदूर के कार्य अवसरों की गारन्टी प्रदान करना है। योजना में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के पूरुष तथा स्त्रियों को शामिल किया गया है जो सामायन्त: गांव में रहते हैं तथा अधिसूचित अवधि के दौरान मजदूर के कार्य के लिए अपना पंजीकरण करवा कर रोजगार की मांग का नोटिस देते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को यथा संभव उनके घरों से 6 किलो-मीटर की परिधि के भीतर सामायन्त: काम दिया जाता है। 1980-81 के दौरान 99 तालुकों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

3. **तमिलनाडु :**

तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष ग्रमीण रोजगार कार्यक्रम से 18 वर्ष की आयु से ऊपर के ऐसे सभी सक्षम व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की परिकल्पना की गयी है जो एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी० इत्यादि जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के भीतर रोजगार मुहय्या

नहीं दिया जाता है तो तब तक उसे रोजगार नहीं मिल जाता उसे प्रति दिन 1 रु० की कीमत का चावल दिया जायेगा।

4. मध्य प्रदेश :

मध्य प्रदेश सरकार ने "गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" नामक एक योजना आरम्भ की है जिसका उद्देश्य मन्दे कृषि मौसम के दौरान वर्ष में लगभग 100 दिन बेरोजगार ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना और इस प्रक्रिया में स्थायी समुदायिक परिसम्पत्तियां सर्जित करना है। उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि इस समय 189 ब्लाकों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

श्री माधव राव सिंधिया : राज्य सरकारों पर ही जिम्मेदारी डालना पर्याप्त नहीं है। श्रम मंत्रालय द्वारा भी कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जा सकते हैं। छठी योजना के शुरू में क्या राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तैयार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी ? प्रथम चरण के रूप में, क्या एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने की योजना है ? क्या इस तरह की कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है। भू-संरक्षण, वन-रोपण नदियों से गाद हटाने जैसे बड़े सामुदायिक कार्यों में क्या बड़े पैमाने पर श्रमिकों को लगाने की कोई बड़ी योजनाएं सरकार बना रही है क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं में बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया जा सकता है और उन्हें रोजगार में रखा जा सकता है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित 11 बातें बताई गई हैं :—

1. बड़े सिंचाई कार्यक्रमों द्वारा किसी और सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना।
2. देश के सभी ब्लाकों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना।
3. श्वेत क्रांन्ति-II डेरी विकास परियोजना।
4. मत्स्य उद्योग का विकास।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।
6. लघु, खादी और ग्रामोद्योगों के लिए योजना आवंटन।
7. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न चरण।
8. स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण।
9. पर्यावरण सम्बन्धी स्वच्छता, गन्दी बस्तियों के सुधार, पेड़ लगाने और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये मकान बनाने सम्बन्धी कार्य।

10. योजना की एक महत्वपूर्ण बात जनशक्ति आयोजना और रोजगार बढ़ाने के लिए विकेन्द्रित योजना तैयार करना है। स्थापित की जाने वाली जिला जनशक्ति योजना और रोजगार बढ़ाने सम्बन्धी परिषदें जिलों में रोजगार बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार करेंगी।

11. अपने लिए स्वयं रोजगार ढूंढने वालों को विशेष सुविधा देना छठी योजना की एक और महत्वपूर्ण बात है।

श्री माधव राव सिंधिया : किसी भी रोजगार गारन्टी योजना की सफलता व्यावसायिक प्रशिक्षण का तीव्रगति से विकास करने पर निर्भर करती है और यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम डिग्री-प्रधान कार्यक्रमों से भिन्न होना चाहिए। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या श्रम मन्त्रालय इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय से कोई चर्चा करने का विचार करता है, क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्रालय भी अन्तर्ग्रस्त है, ताकि बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य के अनुसरण में कोई संयुक्त प्रयास किया जा सके ? इस योजना और अधिक कुशल कार्यान्वयन के लिए क्या सरकार दोनों मन्त्रालयों का कोई संयुक्त सैल बनाने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सुझाव को अब स्वीकार करेगी ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सुझावों पर विचार किया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : दो रोजगार गारन्टी योजनाएं काफी मशहूर हो गई हैं और मैं उन पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि वे कह रहे हैं कि राज्य सरकारें उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं। एक तो महाराष्ट्र रोजगार गारन्टी योजना है जिसकी सभी जगह काफी सराहना हुई है। क्या सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार किया है ? दूसरे, मंत्री महोदय के महोदय के अपने राज्य बिहार में एक रोजगार गारन्टी योजना बनाई गई है और वहां बेरोजगारी मुआवजे के रूप में 50 रुपये देने का फैसला किया गया है। क्या सरकार इस बात का समर्थन करती है कि राज्य सरकारें बेरोजगार मुआवजा दें।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता देना अथवा बेरोजगार गारन्टी योजना बनाना अथवा इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाना राज्य सरकारों का काम है। उन्हें इस प्रकार के निदेश देना केन्द्र सरकार का काम नहीं है क्योंकि योजना आयोग ने इस विषय पर पहले ही काफी कह दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं पूछ रहा हूं कि आप इसके पक्ष में हैं या नहीं—यह बतलाइये, आप क्यों हिचकिचाती हैं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कौन नहीं चाहता कि एम्प्लायमेंट जैनरेट हो। हम तो बराबर इस के पक्ष में हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह कहना संसदीय परम्परा के अनुकूल है कि कौन नहीं चाहता है। सरकार चाहती है या नहीं ?

श्रीमति रामदुलारी सिन्हा : सरकार तो चाहती है, इसलिये छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये बहुत बड़ी गुंजाइश रखी गई है।

श्री चित्त बसु : प्रश्न रोजगार गारन्टी योजना के बारे में है। जैसा मेरे मित्र श्री स्वामी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने एक रोजगार गारन्टी योजना बनाई है। यह शिकायत कैसे हुई कि केन्द्रीय सरकार उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्राप्त धन अथवा अन्य आदानों की व्यवस्था नहीं करती। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा विस्तृत कार्यक्रम बनाना चाहती है कि जिसके लिए श्रम मन्त्रालय ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय कोई कार्यक्रम तैयार कर रहा है ताकि एक रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की जा सके ? रोजगार की गारंटी एक मुख्य समस्या है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य केवल महाराष्ट्र रोजगार गारन्टी योजना पर ही बल दे रहे हैं। परन्तु मैं सभा को यह बता देना चाहती हूं कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। बिहार से अभी एक रिपोर्ट आई है कि बिहार सरकार भी एक ऐसी योजना बना रही है। अतः जहां तक बेरोजगारी लाभ योजनाओं का सम्बन्ध है यह बहुत से राज्यों में हैं। कुछ राज्यों ने उसके लिए विधान बनाये हैं और कुछ राज्य यह योजना चला रहें हैं। ऐसे राज्य है पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और बिहार। अतः मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ऐसी योजनाएं बनाना राज्य सरकारों का काम है।

श्री चित्त बसु : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था कि यदि राज्य सरकार रोजगार गारन्टी योजना बनायें, तो क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है कि यह राज्य सरकार का काम है।

श्री चित्त बसु : क्या केन्द्रीय सरकार संविधान के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए सहायता देगी ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जब यह मामला केन्द्रीय सरकार के सामने आयेगा तो इस पर विचार किया जायेगा।

भारतीय नौसेना में योग्य अधिकारियों की कमी

*528. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना में योग्य अधिकारियों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बताया गया है कि यह समस्या बहुत समय से किन्तु इसे हाल में अधिक महसूस किया गया है ;

(ग) यदि हाँ तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) भारतीय नौसेना में कुल मिलाकर अच्छी कोटि के अफसर हैं। फिर भी तकनीकी शाखाओं में अफसरों की विशेष-रूप से कमी है। हाल में तकनीकी संरचना की जरूरतों में वृद्धि होने और अन्य क्षेत्रों में

रोजगार के अवसर बढ़ जाने के कारण इनकी अधिक कमी महसूस की जा रही है। नौसेना के लिए बड़ी सख्या में उपयुक्त उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार करना होगा। तकनीकी शाखाओं में अल्पकालीन कमीशन शुरू करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अपने सशस्त्र बलों और कर्मचारियों के बारे में मेरी राय भी बहुत अच्छी है। परन्तु अभी एक समाचार पत्र ने यह खबर छापी है कि हमारी सेना में अधिकारियों की कमी है। हमारे एक जिम्मेदार अधिकारी लैफ्टिनेंट जनरल छिब्बर ने बंगलौर में संवाददाताओं के समक्ष बोलते हुए कहा था कि हमारी सेना में योग्य अधिकारियों की कमी है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इसका कारण यह है कि हमारे नौजवान सशस्त्र बलों में आने के बजाय और अधिक लाभप्रद व्यवसायों को चुनते हैं। क्या हमारे योग्य नौजवानों को सशस्त्र बल में भर्ती होने के लिए कोई प्रोत्साहन दिये जायेंगे और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य ने समाचार पत्र की जिस खबर का उल्लेख किया है वह सेना की स्थिति के बारे में है, नौसेना की स्थिति के बारे में नहीं। मुख्य प्रश्न नौसेना से सम्बन्धित है। किन्तु मैं उस प्रश्न का उत्तर देने की भी कोशिश करूंगा। इस समय, जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है, हमें और अधिकारियों की आवश्यकता है और हम और अधिकारियों की भर्त्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सेना का सम्बन्ध है, नवयुवक सर्वप्रथम नौसेना से भर्ती होना पसन्द करते हैं और उसके बाद वे वायु सेना को पसंद करते हैं और उनकी तीसरी प्राथमिकता सेना है। किन्तु हमने बहुत सी सुविधाएं प्रदान की हैं और हम इन नौजवानों के लिए बहुत सी सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने पदोन्नति के अवसर बनाये हैं। और हम अन्य मामलों में भी बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिससे हमारे नवयुवक सशस्त्र बलों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : हमारी जनसंख्या और हमारे लम्बे तट को देखते हुए हमारे सशस्त्र बलों में और विशेष रूप से नौसेना में अधिकारियों की बहुत कमी है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 25 वर्ष से कम आयु के योग्य नवयुवकों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण आरम्भ करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह एक सम्मानपूर्ण व्यवसाय है जिसमें धन तथा अन्य चीजें इतना महत्व नहीं रखती। जो लोग इस व्यवसाय में और बहादुरी और शौर्य में दिलचस्पी रखते हैं वे इस व्यवसाय को अधिक महत्व देते हैं। हमारे ऐसे कई संगठन हैं जो प्रशिक्षण देते हैं। उदाहरण के लिये राष्ट्रीय कैडिट कोर है जहां नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी और अन्य शिक्षा संस्थानों में भी सुविधाओं की व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

*519. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के उचित उपयोग के लिए किन विशेष उपायों की पहल की गई है; और

(ख) इस विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि को खर्च करने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विशेष केन्द्रीय सहायता विशिष्ट योजनाओं के लिए योजना नमूने पर नहीं है बल्कि राज्य की योजना के लिये वृद्धि के तौर पर है और अनुसूचित जातियों विशेषकर उनके आर्थिक विकास के लिये एक प्रयत्न है और आशा की जाती है कि इससे राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों के लिए उनको विशेष संघटक योजनाओं में सुधार करने के लिए प्रेरणा तथा सहायता मिलती है। यह राज्य योजनाओं के लिए अधिक मात्रा में धनराशि का पूरक है। इस प्रकार मुख्य प्रयास राज्यों को करना है. जिनको विशेष केन्द्रीय सहायता से केवल बल मिलता है। विशेष केन्द्रीय सहायता का वांछनीय प्रभाव हो, इसलिए राज्यों के बीच इसका आवंटन राज्यों द्वारा अपनी विशेष संघटन योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में किये गये प्रयासों पर काफी निर्भर करता है। यदि कोई राज्य सरकार अपेक्षाकृत बेहतर प्रयास करती है और अपनी विशेष संघटन योजना और उसके कार्यान्वयन में इसे प्रतिबम्बित करती है, तो वह विशेष केन्द्रीय सहायता का अपेक्षाकृत अधिक भाग प्राप्त करेंगी। विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन का मापदण्ड इस तरह तैयार किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के योग के साथ-साथ राज्य की विशेष सघटक योजना के उचित कार्यान्वयन और दोनों स्रोतो से धन राशि के उचित उपयोग पर बल दिया जा सके।

2. यद्यपि विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए राज्य को सम्पूर्ण योजना और प्रयासों के लिए वृद्धि के तौर पर है, पर विशेष केन्द्रीय सहायता को खर्च करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई गई है, इसके अनुसार यह बल दिया गया है कि राज्यों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध प्रशिक्षण प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध बैक-अप सेवाओं और संस्थागत निर्माण समेत आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए ही किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन के महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष केन्द्रीय सहायता ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, प्रबोधन और मूल्यांकन के प्रबन्धों के लिए भी उपयोग की जा सकती है। विचार-विमर्श के दौरान और औपचारिक पत्र व्यवहार के जरिये राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया गया है।

औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य

*521. **श्री ई० बालानन्दन**
श्री सुभाष यादव } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1980-81 के लिए औद्योगिक उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1980 से नवम्बर 1980 तक के प्रथम आठ महीनों में प्राप्तियां, निर्धारित लक्ष्य से 21 करोड़ रुपये कम थी;

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट लक्ष्य उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चनना): (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में पांच वर्ष की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन के लिए औसतन 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर को परिकल्पना की गई है। 1980-81 के शुरू के वर्षों में स्थापना सम्बन्धी बाधाओं, औद्योगिक अशान्ति तथा अन्य कठिनाइयों के कारण 1979-80 की ऋणात्मक वृद्धि दर निरन्तर चलती रही थी। वर्ष 1980-81 के प्रथम आठ महीनों अर्थात अप्रैल 1980 से नवम्बर, 1980 के दौरान उपलब्ध औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी जानकारी तथा पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों में प्रतिशत का परिवर्तन नीचे दिया गया है—

महीना	औद्योगिक उत्पादन का सचकांक* क्रूड आधार 1970-100		1979 की इसी अवधि की अपेक्षा 1980 में सूचकांक में हुआ प्रतिशत परिवर्तन
	1979	1980	
अप्रैल	146.0	138.8	—4.9
मई	146.4	143.4	—2.0
जून	141.3	141.2	—0.1
जुलाई	144.6	147.9	2.3
अगस्त	147.3	148.4	0.7
सितम्बर	145.6	150.3	3.2
अक्टूबर	143.8	151.2	5.1
नवम्बर	145.8	155.2	6.4

* अनन्तिम : स्रोत केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों पर सर्वोच्चस्तर पर ध्यान दिया जाता रहा है तथा विभिन्न कठिनाइयों को हल करने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए गये हैं। विद्यमान क्षमता का इष्टतम उपयोग करने पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा अवस्थापना सम्बन्धी अवरोधों को दूर करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं।

नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार जुलाई, 1980 से ही औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी है। चुने हुए उद्योगों में हुआ उत्पादन जिसकी केवल अनन्तिम जानकारी ही उपलब्ध है, यह बताती है कि जनवरी, 1981 में पिछले वर्ष के इसी महीने की अपेक्षा, समग्र रूप से 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्रमिकों को दिया गया नमक का अपर्याप्त मूल्य

*526. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक उद्योग में लगे श्रमिकों को विशेष रूप से गुजरात में अपने नमक का उचित मूल्य नहीं मिलता है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि नमक उद्योग के मालिक श्रमिकों से 1.50 अथवा 2.00 रुपये की दर से नमक खरीदते हैं और और इसे 14 से 22 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचते हैं; और

(ग) क्या श्रमिकों को उचित मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक और क्या उपरोक्त तथ्यों की जांच की जाएगी तथा श्रमिकों को राहत देने के लिए कार्यवाही की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरण जीतवानना) : (क) नमक उद्योग में लगे श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दैनिक या प्रति नग (पीस रेट) की दर के आधार पर मजदूरी पाने के हकदार होते हैं। गुजरात सरकार द्वारा इस प्रकार की न्यूनतम मजदूरी की दरें अधिसूचित की जा चुकी हैं और इसके कार्यान्वयन और समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने के लिए वही उत्तरदायी हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्त्रालयों में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

* 527. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मन्त्रालयों ने अभी तक गृह मन्त्रालय द्वारा परिचालित निदेशों के अनुसार वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है; और

(ख) क्या सरकार का वित्त मंत्रालय के प्राधिकारियों को निदेश जारी करने का विचार है कि वे राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पदों के सृजन सम्बन्धी प्रस्तावों को अस्वीकार न करें ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित अतिरिक्त हिन्दी पदों को योजनेतर पदों पर लागू सामान्य प्रतिबन्ध आदेशों से छूट दी गई है। ऐसे प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले में वास्तविक आवश्यकता और अगस्त, 1973 में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संदर्भ में विचार किया जाता है।

मासिक औद्योगिक विकास दर

*529. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलेण्डर वर्ष 1980 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की मासिक दर पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी अवधि में हुए उत्पादन में वृद्धि की दर के मुकाबले में कितनी है;

(ख) 1980-81 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की संभावित दर क्या है; और

(ग) क्या यह वृद्धि दर सरकारी अनुमानों के अनुरूप है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85 के दौरान पंचवर्षीय योजना अवधि में औसत 8 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की परिकल्पना की गई है; वर्तमान वित्तीय वर्ष के शुरू के महीनों में निरन्तर ऋणात्मक वृद्धि दर चलती रही। उपलब्ध नवीनतम संकेतों के अनुसार जुलाई 1980 से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी है। चुने हुए उद्योगों में हुए उत्पादन में जिसकी अनन्तिम जानकारी ही उपलब्ध है, जनवरी, 1981 में पिछले वर्ष के इसी महीने की अपेक्षा सम्पूर्ण रूप से 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विवरण

कलेन्डर वर्ष 1980 में पिछले वर्ष के इसी महीने की अपेक्षा औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक** में हुई वृद्धि दर।

मास	1980 / 1979	1980* / 1978	1980* / 1977
जनवरी	—2.9	1.7	2.3
फरवरी	—2.1	2.3	2.2

1	2	3	4
मार्च	—5.0	0.3	1.7
अप्रैल	—4.9	—1.5	1.4
मई	—2.0	—1.9	2.3
जून	—0.1	—0.2	1.4
जुलाई	2.3	0.5	3.2
अगस्त	0.7	1.1	3.1
सितम्बर	3.2	1.6	3.9
अक्तूबर	5.1	3.2*	3.9
नवम्बर	6.4	2.8	5.2
दिसम्बर	7.3	0.7*	3.1

* योगिक वृद्धि दर
अनुमानत:
** स्रोत के० सां० संग०

मारुति लिमिटेड के साथ सहयोग के लिए विदेशी आटोमोबाइल का उत्तर

*530. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जिन तेरह बड़े यूरोपीय तथा जापानी आटोमोबाइल निर्माताओं से सरकार द्वारा अधिगृहित मारुति उद्यम में सहयोग करने के लिए अनुरोध किया था उन्होंने भारत में कारें बनाने के लिए स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस नकारात्मक उत्तर के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार ने विभिन्न विदेशी मोटरगाड़ी निर्माताओं को लिखा था जिसमें यात्री कारों और वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु उनका उत्तर मांगा गया था सहयोग के लिए विस्तृत प्रस्ताव अभी तक निम्नलिखित कम्पनियों से प्राप्त हुए हैं—

1. पोगूट, फ्रांस
2. रिनाल्ट, फ्रांस
3. वोल्कसवेगन, पश्चिम जर्मनी
4. एम० ए० एन०, पश्चिम जर्मनी
5. फोर्ड, आस्ट्रेलिया

कुछ अन्य कम्पनियों से भी प्रस्ताव प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोइन्दवाल साहिब, जिला अमृतसर का औद्योगीकरण

* 531. **श्री एल० एस० तुर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गोइन्दवाल साहिब, जिला अमृतसर का विकास औद्योगिक नगर के रूप में करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

(ग) क्या उद्योग के लिए प्लाटों का आबंटन करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है ;

(घ) क्या प्लाटों के आबंटन के लिए प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या वहां उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ख) पंजाब सरकार ने केन्द्रस्थ संयंत्रों और सम्बद्ध सहायक एककों की स्थापना करने के लिए गोइन्दवाल साहिब का एक स्थापना स्थाल के रूप में चयन किया है । इस कम्पलैक्स में उद्योगों को लगाने के लिए इनके द्वारा अनेक अभ्युपाय किए गए हैं । परियोजना के प्रथम चरण के लिए भूमि अभिग्रहीत कर दी गई है, पूर्णकालिक एक परियोजना निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है, तथा विभिन्न अन्य अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था हेतु इसके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं । इस क्षेत्र में भू-खंडों के आवंटन हेतु इच्छुक उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है ।

पिछड़े राज्यों का तीव्र औद्योगीकरण

*532. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तीव्र औद्योगीकरण कार्यक्रम आरम्भ करने का है;

(ख) क्या ऐसे कार्यक्रमों को लागू करते समय पिछड़े राज्यों के औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के रक्षित एककों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध कराने तथा सप्लाई करने के लिए उनके मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) छठी योजना-विधि में 8 प्रतिशत के निर्धारित विकास को प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिए औद्योगीकरण कार्यक्रमों में तेजी लाने हेतु आवश्यक उपाय शुरू किए गए हैं। क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करने के लिए क्षमता का फैलाव औद्योगिक नीति का एक स्वीकृत सिद्धान्त है और लाइसेंसिंग इसका एक साधन है।

(ग) और (घ) कच्चे माल की उपलब्धता तथा पूर्ति उत्पादन का एक बुनियादी काम है। इस्पात, सीमेन्ट आदि जैसी विशेष वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए किए गए उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा की जा रही है। ऐसा करने से लघु, क्षेत्र के एककों सहित सभी एककों को और अधिक सामग्री आसानी से मिलने का सुनिश्चिय किया जा सकेगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन अधिकार

*533. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संघों या यूनियन को बनाने के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, कर्मचारियों के केवल उन्हीं संघों या यूनियन को, जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के उपबन्धों को पूरा करते हैं, अधिनियम के अधीन अधिकार प्राप्त हैं। अन्य कर्मचारी सेवा संघों को बना सकते हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार मशीनरी योजना के अन्तर्गत मान्यता दी जा सकती है।

सीमेंट वितरण नीति

*534. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट का वितरण करने सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सीमेंट के वितरण की वर्तमान पद्धति राज्य सरकारों की आवश्यकता पर आधारित नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना): (क) से (घ) राज्यों को पिछली खपत के आधार पर तथा सीमेंट की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक तिमाही में सीमेंट का आवंटन किया जाता है। इस समय राज्यों को सीमेंट का इकट्ठा ही आवंटन करने सम्बन्धी प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में सीमेंट की सामान्य कमी होने के कारण राज्यों की समग्र आवश्यकता को पूरा करना अभी सम्भव नहीं हुआ है, राज्यों के आवंटन में वृद्धि करना सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में सुधार आ जाने के बाद ही संभव होगा जिसके लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

बैरंगते में जुगल वारफेयर स्कूल का स्थानान्तरण

*535. **श्री रेणु पद दास** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिजोरम की गिरिपीठ में वैरंगते नामक स्थान पर स्थित जुगल वारफेयर स्कूल को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस वैकल्पिक स्थान के बारे में सोचा जा रहा है; और

(ग) क्या उक्त स्कूल के स्थानान्तरण का वैरंगते के लोगों द्वारा विरोध किए जाने की संभावना नहीं है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इसके लिए असम में हाफ्लोंग नियत किया गया है।

(ग) वैरंगते के लोगों से संस्थान को वहां से हटाए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

महाराष्ट्र को सीमेंट का आवंटन

4916. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा वितरण के लिए उपलब्ध थी;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 16 लाख मीटरी टन सीमेंट की मांग की थी परन्तु उसको केवल 4.57 लाख मीटरी टन की सप्लाई की गई; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र की सम्पूर्ण मांग को पूरा न करने के क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1980 में सीमेंट का देशी उत्पादन 179.0 लाख मी० टन था। उस अवधि में लगभग 20 लाख मी० टन सीमेंट

की अतिरिक्त मात्रा का आयात किया गया था जिसके फलस्वरूप सीमेंट की कुल उपलब्ध मात्रा 199.0 लाख मी० टन हो गई ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें प्रत्येक तिमाही लगभग 16 लाख मी० टन सीमेंट की आवश्यकता होगी और अनुरोध किया है कि तिमाही आबंटन में 8 लाख मी० टन की बढ़ोतरी की जाए । जनवरी-मार्च, 81 की तिमाही में महाराष्ट्र सरकार को 5.45 लाख मी० टन सीमेंट का आवंटन किया गया है ।

(ग) देश में सीमेंट की कम उपलब्धता के कारण महाराष्ट्र राज्य सरकार को कम सीमेंट का आबंटन किया गया है ।

हंगरी के साथ संयुक्त उपक्रम

4917. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी ने भारत के साथ संयुक्त उपक्रमों में सहयोग के लिए अपनी इच्छा और तत्परता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयुक्त उपक्रम किस-किस क्षेत्र में स्थापित किये जाने हैं; और

(ग) प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) भारत और हंगरी ने आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग गठित किया है । भारत-हंगरी संयुक्त आयोग की चौथी बैठक नवम्बर 1980 में नई दिल्ली में हुई थी । इस बैठक में उद्योग, व्यापार, कृषि और रसायन के क्षेत्रों में सहयोग करने पर विचार-विमर्श किया गया था। पहले की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए दोनों पक्षों ने लेम्पों के निर्माण के लिए सहयोग को बढ़ाने, दूर-संचार परियोजनाओं के कार्यान्वयन और विद्युत जनित्रण के क्षेत्रों में सहयोग करने जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। तीसरे देशों के बाजारों को सम्भरण के लिए कन्सेन्ट्रेट्स का उत्पादन करने के लिए भारत में खाद्य तथा वनस्पति संसाधन संयंत्रों की स्थापना करने की संभावनाओं को स्वीकार किया गया था । पशु पालन, मुर्गीपालन और मछली पालन के क्षेत्रों में सहयोग के नये क्षेत्रों का भी पता लगाया गया था । कुछ दवाइयों और भेषजीय वस्तुओं के निर्माण के लिए भारत में संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच करने और व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने पर भी सहमति हो गई थी । भारत-हंगरी संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

औद्योगिक सम्बन्धों के विनियमन हेतु राष्ट्रीय शीर्ष निकाय को पुर्नजीवित करना

4918. **श्री के० मालन्ना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि उद्योगों में औद्योगिक सम्बन्धों की देख-रेख करने, अनुचित अपव्यय से बचने और दक्षता में सुधार लाने हेतु नियम बनाने के लिए स्थायी सुसम्बद्ध राष्ट्रीय शीर्ष निकाय शीघ्र ही पुर्नजीवित किया जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सरल कानून बनाने के सम्बन्ध में अपील की है, क्योंकि विद्यमान कानून पुराने पड़ गए है और औद्योगिक तालमेल बनाए रखने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस शीर्ष निकाय का पुनः गठन करने और नियोजक-कर्मचारी सम्बन्धों के लिए सरल कानून बनाने की आवश्यकता सम्बन्धी प्रश्न को सरकार के ध्यान में लाई है। सरकार ने उपयुक्त कार्यवाही के लिए सुझावों को नोट कर लिया है।

उत्तर प्रदेश में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

4919. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान 3 सीमेंट कारख़ाने और 4 लघु सीमेंट संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ये कारखाने और संयंत्र किसी विदेशी फर्म के सहयोग से लगाए जाएंगे; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उत्तर प्रदेश में नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए अभी तक स्वीकृत योजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए दिए गए आवेदन पत्रों में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण में ऐसे किसी भी प्रस्ताव का निर्देश नहीं है।

(ग) वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपने सामान्य कार्यों के भाग के रूप में सीमेंट एककों सहित सभी औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टनों में)
1.	यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन	चुनार जिला मिर्जापुर	16.80
2.	-वही-	बारूवाला जिला देहरादून	4.00
3.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम	पुरकुल गांव जिला देहरादून	0.66
4.	ए० आर० सी० लि०	गुनियालगांव जिला देहरादून	0.60
5.	जे० पी० जैन	कल्हन जिला देहरादून	0.50
6.	रॉक सीमेंट (इण्डिया) प्रा० लि०	कालसी जिला देहरादून	0.35

हिन्दी पदों के लिए संवर्ग का बनाया जाना

4920. **श्री भोखा भाई**
श्री टी० एस० नेगी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी पदों के लिए एक संवर्ग बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संवर्ग की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हिन्दी अनुवादकों के पद तीन वर्षों में नियमित कर दिये गये हैं और कुछ मन्त्रालयों/विभागों में चार वर्षों के बाद भी हिन्दी अनुवादक अभी भी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों, अनुवादकों आदि के पदों का संवर्ग बनाने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के मसौदा नियम सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) प्रस्तावित सेवा के गठन होने तक इन पदों पर नियुक्तियों आदि संबंधित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा बनाए गए विद्यमान भर्ती नियमों द्वारा संचालित की जा रही है।

उप-सचिवों/संयुक्त सचिवों/अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति के लिए निर्धारित कार्यकाल

4921. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी की केन्द्र में उप सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव तथा सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए कितना कार्यकाल निर्धारित किया गया है;

(ख) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र में पहले ही इतना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं अथवा इस वर्ष पूरा करने वाले हैं; और

(ग) क्या इस समय ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान है जिसके द्वारा उन्हें उनके कार्यकाल पूरा होने पर वापस उनके राज्यों में भेज दिया जाये; यदि हां, तो उक्त व्यवस्था क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, निर्धारित कार्यकाल नीचे दिया जाता है :

1. उप सचिवों के लिए	4 वर्ष
2. निदेशकों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए	5-वर्ष

(ख) अवर सचिव तथा उनसे ऊपर के स्तर के अखिल भारतीय सेवा के 106 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है अथवा 1981 में पूरा करने की सम्भावना है।

(ग) कार्यकाल की समाप्ति पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अपने-अपने राज्यों/संवर्गों को लौट जाते हैं। किंतु, उनके कार्यकाल को सरकारी कार्य की अत्यावश्यकता के कारण लोकहित में बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार, उनके कार्यकाल को अवधि को इन्हीं कारणों से घटाया भी जा सकता है।

कागज और अखबारी कागज एककों की स्थापना करना

4922. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज और अखबारी कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में कागज और अखबारी कागज के और एककों की स्थापना के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में कागज और अखबारी कागज के और एककों की स्थापना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान निम्नलिखित प्रावधान किए गये हैं :—

योजना का ब्यौरा	छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का परिव्यय
(1) माण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स स्थायीकरण कार्यक्रम	1.00
(2) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स— आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्यक्रम	20.00
(3) न्यू पल्प एंड पेपर मिल्स	1.00

नौसेना में 'बी' ग्रेड लिपिक

4923. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री नौसेना के भूतपूर्व 'बी' ग्रेड लिपिकों के अभ्यावेदन के बारे में 17 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त अभ्यावेदन पर भारत सरकार द्वारा इस बीच निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन महीनों के दौरान क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक अन्तिम निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप नौसेना के तत्कालीन 'बी' ग्रेड लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में वर्गीकृत करने के प्रश्न पर कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार से जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र निर्णय किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मूल्य वृद्धि के कारण आवंटन के वृद्धि करना

4924. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल्य वृद्धि एक सतत प्रक्रिया होने के कारण योजना आयोग द्वारा इस वृद्धि को पूरा करने के लिए धनराशि

आवंटित करते समय ही इन योजनाओं के लिए प्रावधान में आनुपातिक वृद्धि मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : कीमतों में लगातार वृद्धि होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए थोक कीमतों के सूचकांक में 1975-76 में कमी दिखाई दी और अगले तीन वर्षों में कीमतों में आपेक्षिक स्थिरता रही। किसी भी हालत में, योजनागत स्कीमों के लिए धनराशियों के आवंटन के समय सम्बन्धित योजना की अवधि में कीमतों में संभावित वृद्धि या योजनागत संसाधनों पर उसके प्रभाव को निर्धारित करना सम्भव नहीं है। इसलिए योजनागत स्कीमों के लिए धनराशियों के आवंटन के समय भविष्य में होने वाली कीमतों में वृद्धि के लिए गुंजाइश रखने के लिए कोई अनुभव निरपेक्ष कसौटी नहीं है।

नागालैंड में कागज मिल की स्थापना

4925. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचुर वन संसाधनों तथा पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नागालैंड में मध्यम दर्जे की कागज मिलें स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) नागालैंड के तुली स्थान में 33,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाली एक एकीकृत लुगदी तथा कागज मिल की स्थापना की जा रही है। नागालैंड में वनज कच्चे माल के प्रयोग पर आधारित किसी अन्य कागज मिल की स्थापना करने सम्बन्धी कोई और प्रस्ताव नहीं है।

पुनर्वास और विस्थापन निदेशालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरी की व्यवस्था

4926. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास और विस्थापन निदेशालय ने चालू वित्तीय वर्ष में भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयुक्त नौकरियों की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष सहित विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिलवाई गई;

(ग) निदेशालय में 31 मार्च 1979, 31 मार्च 1980 तथा 15 मार्च, 1981 को कुल कितने भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे;

(घ) क्या भारी संख्या में नौकरियों की व्यवस्था करके पुनर्वास की गति को तेज करने के लिए कोई कदम उठाये जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार के कदम उठाये जाने हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अफसरों समेत जिन भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां दिलाई गई हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	1978	1979	1980
अफसर	215	203	125
अन्य रैंक	3,109	2,812	3,216

इसके अलावा, रोजगार कार्यालय के माध्यम से कई भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया गया है।

(ग) पुनर्वास महानिदेशालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों के आंकड़े वर्ष-वार रखे जाते हैं। ये आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	1978	1979	1980
अफसर	872	1210	1379
अन्य रैंक	21235	17760	22336

(घ) और (ङ) सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है।

भारतीय प्रशासनिक तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

4927. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कुल कितने अधिकारी हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी-कितनी है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

1-1-1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कार्यरत अधिकारियों की संवर्गवार संख्या

क्रम संख्या	संवर्ग का नाम	भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्यरत अधिकारियों की संख्या	भारतीय पुलिस सेवा के कार्यरत अधिकारियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	263	131
2.	असम-मेघालय	148	85
3.	बिहार	297	156
4.	गुजरात	175	84
5.	हरियाणा	136	67
6.	हिमाचल प्रदेश	89	47
7.	जम्मू व कश्मीर	86	43
8.	कर्नाटक	203	88
9.	केरल	129	75
10.	मध्य प्रदेश	311	209
11.	महाराष्ट्र	287	148
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	82	47
13.	नागालैंड	42	भा०पु० सेवा संवर्ग नहीं है
14.	उड़ीसा	186	100
15.	पंजाब	154	87
16.	राजस्थान	189	97
17.	सिक्कम	26	9
18.	तमिलनाडु	248	107
19.	संघ राज्य क्षेत्र	158	83
20.	उत्तर प्रदेश	428	316
21.	पश्चिम बंगाल	243	182
	कुल	3880	2161
	1979 की परीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार जिन्हें अभी राज्यों को अन्तिम रूप से आबंटित नहीं किया गया है	124	48
	कुल योग	4004	2209

सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट

4928. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985 तक, प्रौद्योगिक संयंत्र स्तर पर कम से कम एक एम० एफ० प्रति वर्ष की सोलर फोटोवोल्टेक प्रणाली बनाने की योजनायें बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) में 1985 तक कम से कम एक मैगावाट की वार्षिक समग्र उत्पादन क्षमता वाले सौर प्रकाश वोल्टीय मोड्यूलों के उत्पादन के लिए प्रायोगिक संयंत्र सुविधाओं की स्थापना के लिए एक 5-वर्षीय परियोजना, प्रारम्भ हो गई है । परियोजना के मुख्य उद्देश्य जल पम्पन, प्रकाश व्यवस्था, संचार उपकरण और अन्य सुदूर क्षेत्र के अनुप्रयोगों के लिए प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों का विकास और उत्पादन करना है । इस परियोजना के अन्तर्गत भवन और मानव शक्ति सहित आवश्यक उपकरण और सुविधायें प्रदान की जायेंगी । सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों की लागतों में कमी करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य भी किए जायेंगे । इस परियोजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में प्रचुर संख्या में प्रदर्शन यूनिटों की प्रतिष्ठापना की जाएगी । इस परियोजना पर 12 करोड़ रुपए का परिव्यय आएगा ।

लाल डोरा के भीतर उद्योगों को प्रमाणपत्र बन्द करने के बारे में आदेशों का पुनर्रक्षण

4929. **श्री भीकू राम जैन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल डोरा के भीतर उद्योगों को प्रमाण पत्र बन्द करने तथा प्रमाण पत्र रद्द करने के बारे में आदेशों को पुनरीक्षित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैद्यलिंगम आयोग का प्रतिवेदन

4930. **श्री मुन्दर शर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या वैद्यलिंगम आयोग के प्रतिवेदन में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अब कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) से (ग) सरकार ने न्यायमूर्ति सी० ए० वैद्यलिंगम की रिपोर्ट पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

रक्षा मन्त्रालय में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4931. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के नई दिल्ली कार्यालय में कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या क्या है तथा उनकी क्रमशः श्रेणी-वार प्रतिशतता क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) के बारे में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित हैं :-

(1) समूह "क"	148
(2) समूह "ख" (राजपत्रित)	138
(3) समूह "ख" (अराजपत्रित)	299
(4) समूह "ग"	441
(5) समूह "घ"	270

(ख)	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
(1) समूह "क"	18	12.2	1	0.67
(2) समूह "ख" (राजपत्रित)	15	10.8	1	0. 7
(3) समूह "ख" (अराजपत्रित)	24	8	3	1
(4) समूह "ग"	37	8.4	1	0. 2
(5) समूह "घ"	74	27.4	3	1. 1

छावनी बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे स्कूल

4932. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न छावनी बोर्ड अपने करदाताओं के बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक माध्यमिक और अन्य स्कूल चला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्कूलों को विभिन्न राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक राज्य सरकारों को सौंपे गए स्कूलों का विवरण क्या है ; और

(घ) इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। अधिकांश छावनी बोर्ड छावनी तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन स्कूलों को राज्य सरकार को अन्तरित करने के लिए कोई नीति सम्बन्धि निर्णय नहीं किया है। फिर भी कुछ विशेष मामलों में इन्हें राज्य सरकारों को अन्तरित किया गया है।

(ग) अम्बाला छावनी का एक हाईस्कूल और छः प्राईमरी स्कूल हरियाणा सरकार को 1977 में अन्तरित किए गए थे। 17-1-1981 को रामगढ़ छावनी के छः प्राइमरी स्कूल और एक मिडिल स्कूल बिहार सरकार को और 1-2-1981 को दानापुर छावनी के तीन मिडिल स्कूल बिहार सरकार को सौंप दिए थे।

(घ) 1977 में छावनी से कुछ क्षेत्रों के निकल जाने के फलस्वरूप अम्बाला छावनी के स्कूल अन्तरित किए गए थे। बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के फलस्वरूप रामगढ़ और दानापुर छावनियों के स्कूलों का अन्तरण किया गया था और इस नीति के कारण ही बिहार सरकार ने इन स्कूलों को अपने अधीन कर लिया।

पुलिस आयुक्त, दिल्ली के अधीन पुलिस के उपायुक्तों की संख्या

4933. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस आयुक्त दिल्ली के अधीन पुलिस के उपायुक्तों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से उन उपायुक्तों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रातः घर से उनके सामान्य कार्यालय तक आने और सायंकाल उन्हें कार्यालय से घर वापिस छोड़ने के लिए ड्राइवर द्वारा चलाई जाने वाली जीपें उपलब्ध की गई हैं ;

(ग) इन जीपों पर पी० ओ० एल० और ड्राइवरों के वेतन और भत्तों सहित औसतन कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ;

(घ) इन गाड़ियों का निजी कार्य के लिए दुरुपयोग न किया जा सके, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते हुए मूल्यों के सन्दर्भ में इस मामले में मितव्ययता बरतने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 101.

(ख) और (ग) इन अधिकारियों को प्रातः घर से उनके सामान्य कार्यालय तक ले जाने और सायंकाल उन्हें कार्यालय से घर वापिस छोड़ने के लिए कोई वाहन नहीं दिए जाते हैं। अतः इस संबंध में किए जा रहे किसी प्रकार के व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस संबंध में निदेश मौजूद हैं कि सरकारी वाहन निजी कार्य के लिए प्रयोग किए नहीं जाये और साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों में मितव्ययता बरती जाए। दिल्ली पुलिस सतर्कता शाखा द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए अचानक निरीक्षण किया जाता है।

सातवें वित्त आयोग द्वारा होमगार्ड के लिए मन्जूर धनराशि

4934. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें वित्त आयोग ने राज्यों में होमगार्डों को मजबूत करने के लिए धनराशि मंजूर की है ;

(ख) क्या सातवें वित्त आयोग ने हाल ही में इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा को कुछ धनराशि मंजूर की है ; और

(ग) यदि हां, तो सातवें वित्त आयोग द्वारा हाल में मंजूर की गई धनराशि का उपयोग करके उड़ीसा राज्य द्वारा क्या विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। सातवें वित्त आयोग ने होमगार्डों समेत पुलिस प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उड़ीसा सहित नौ राज्यों को राजस्व व्यय के संबंध में वित्तीय परिव्यय की सिफारिश की है। किन्तु

आयोग ने उनके होम गार्ड्स संगठनों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्यों को अलग से कोई आवंटन नहीं किया है।

(ख) भारत सरकार ने 1979-84 की अवधि के लिए 26.82 लाख रुपए की धन-राशि उड़ीसा होम गार्डस् संगठन को मजबूत करने के लिए आठ योजनाओं को अनुमोदित किया है। 1980-81 तक इन योजनाओं के लिए 8.92 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने हाल ही में होम गार्ड्स संगठन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ और योजनायें भेजी हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(ग) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनायें स्टाफ सुधार परिवहन और होम गार्ड्स के लिए वर्दी के संबंध में हैं।

दिल्ली में मकानों में कर योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्टाम्प शुल्क मूल्य शामिल किया जाना

4935. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री दिल्ली में गृह कर के निर्धारण के बारे में 25 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1206 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान/फ्लेट के कर योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए कुल मूल्य में स्टाम्प शुल्क मूल्य को शामिल करने के बारे में क्या-क्या अनुदेश और कब-कब तथा किस स्तर पर जारी किए गए और क्या सरकार का विचार उन अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ;

(ख) दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट, 1957 के किन उपबन्धों के अन्तर्गत यह अनुदेश जारी किए गए थे ;

(ग) क्या इन अनुदेशों को केन्द्रीय सरकार को मंजूरी प्राप्त है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो दिल्ली नगर निगम के अधिकारी अपने आप ही ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं जो वित्तीय पहलू से सम्बन्धित हों और जिनमें समूचा संघ राज्य क्षेत्र प्रभावित होता हो ; और

(च) यदि हां, तो घोषित नीति में ऐसे परिवर्तन करने का अधिकार किन नियमों के अन्तर्गत मिलता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कर निर्धारण और समाहर्ता विभाग ने, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 116 (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत कर योग्य मूल्य के निर्धारण

के लिए अनुमानित पूंजी मूल्य का पता लगाने के लिए भूमि की कीमत में पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प-ड्यूटी और सम्पत्ति के हस्तान्ततण पर ड्यूटी को सम्मिलित करने के लिए 1973 में निर्देश जारी किए थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(ङ) और (च) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कर निर्धारण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कुछ कानूनी मुद्दों और प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए दिल्ली नगर निगम के आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं।

डी० आई० जेड क्षेत्र, नई दिल्ली के निवासी कल्याण संगठन को वित्तीय सहायता

4936. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में सरकारी कर्मचारियों के कितने निवासी कल्याण संगठनों/सुधार समितियों को सरकारी सहायता दी जाती है;

(ख) डी० आई० जेड० क्षेत्र नई दिल्ली में सेक्टर-वार ऐसे कितने संगठन हैं जिन्हें वर्ष 1980-81 के दौरान सहायता नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन संगठनों के पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकारी सहायता के दुरुपयोग तथा संगठनों के कुप्रबन्ध की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन संगठनों के उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की ऐसे 11 निवासी कल्याण संगठन/सुधार समितियां हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है।

(ख) डी० आई० जैड० क्षेत्र में निम्नलिखित संगठनों को अभी तक सहायता नहीं दी गई है :

क्षेत्र	संगठनों की संख्या	कारण
एलबर्ट स्क्वेयर	एक	चुनाव विवाद
क्लाइव स्क्वेयर	एक	औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई

(ग) से (ङ) सरकारी सहायता के दुरुपयोग तथा संगठनों के कुप्रबंध की ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत नहीं है किन्तु एलबर्ट स्क्वेयर एसोसिएशन की प्रबन्ध समिति के लिए हुए चुनाव में अनौचित्य के आरोपों की एक शिकायत मिली है। इस एसोसिएशन को नए चुनाव कराने की सलाह दी गई है और क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी को कहा गया है कि वह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसोसिएशन की सहायता करें।

कलपक्कम परमाणु बिजलीघर में सरकारी आदेश का कार्यान्वयन

4937. **श्री थाभाई एम० करुणानिधि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौकरी में आरम्भिक भर्ती, स्थायी किए जाने एवं पदोन्नति के समय पर आरक्षण की व्यवस्था करने के बारे में सरकारी आदेशों का, उनके जारी किए जाने की तारीख से, कलपक्कम परमाणु बिजली घर, मद्रास में पालन नहीं किया जा रहा है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि कार्यान्वयन किया गया है तो आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से वर्ष-वार, कैडर-वार, विभाग-वार ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकारी-वर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का कोई भी अधिकारी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राजस्थान तथा अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति

4938. **श्री चतुर्भुज** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, सड़कें सिंचाई, बिजली, कारखाने, केन्द्रीय वित्तीय सहायता और रेलवे सुविधाओं में पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मदों पर प्रति व्यक्ति व्यय के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जनसंख्या और क्षेत्र के मामलों में दूसरे नम्बर के राज्य राजस्थान के विकास के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में दूसरे नम्बर पर लाने की

दृष्टि से सहायता करने का है और यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक और तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। तथापि विकास के विभिन्न मदों पर प्रति व्यक्ति व्यय, अलग-अलग क्षेत्रकों में प्राप्त हुए विकास के चरण और राज्य सरकार द्वारा उनमें से हरेक क्षेत्रक को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है। इसलिए विकास के विभिन्न मदों पर प्रति व्यक्ति व्यय विभिन्न राज्यों के लिए तुलनीय नहीं है।

(ग) योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है क्षेत्रीय असमानताओं में उत्तरोत्तर कमी करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिकल्पित उपायों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

1. आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत पिछड़ेपन के कारण दी जाने वाली अधिमानता 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है।

2. जनसंख्या के लिए अधिमानता पहले की तरह ही 60 प्रतिशत है।

3. आय समायोजित कुल जनसंख्या के फार्मूले के आधार पर भी विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है जिससे पिछड़े राज्यों को सहायता मिलती है।

4. इसी प्रकार से अतिरिक्त बाजार ऋणों को भी पिछड़े राज्यों के पक्ष में अधिमानता दी गई है।

5. विशेष समस्याओं के लिए भी अधिमानता दी जाती है जिसके अंतर्गत राजस्थान को पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है।

6. जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास और रेगिस्तान विकास के कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

7. राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को किसी भी राज्य के मामले में अभिमानता नहीं दी गई है।

8. राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इस प्रकार से तैयार किया गया है जिससे कि व्यक्तियों के बीच की और क्षेत्रों के बीच की असमानताओं को दूर किया जा सके।

सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों (टेक्नोक्रेट) की नियुक्ति

4939. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचिवालय विशेषकर मन्त्रालय में, जो प्रमुख रूप से तकनीकी स्वरूप के हैं, अधिक सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों को लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) प्रमुख रूप से तकनीकी स्वरूप के कार्यों में लगे हुए सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग की इन सिफारिशों को लागू करने में यदि कोई बाधाएं अथवा अड़चनें हैं तो वे क्या हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) भारत सरकार के सचिवालय के पदों पर नियुक्तियां सामान्यतया अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं जैसी विभिन्न संगठित सेवाओं से की जाती हैं। परन्तु, वरिष्ठ स्तरों के पदों के लिए, संगठित सेवाओं के अधिकारियों के अलावा, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/तकनीकी विशेषज्ञों/अर्थशास्त्रियों पर भी प्रत्येक पद की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है। इस समय, ऐसे अधिकांश मंत्रालयों/विभागों में, जो प्रमुख रूप से तकनीकी स्वरूप के हैं, तकनीकी विशेषज्ञ सचिव/अपर सचिव के पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने समुचित रूप से विचार करने के पश्चात सार्वजनिक उपक्रमों में उनके अध्यक्षों के पदों सहित सर्वोच्च स्तर के पदों पर चयनों हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की है। इस प्रक्रिया के विस्तृत ब्यौरे भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के दिनांक 30 अगस्त, 1974 के संकल्प में जो उसी तारीख के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1 के खण्ड-1 में प्रकाशित हुआ था, दिए गए हैं।

भूतपूर्व सुकेत राज्य के कर्मचारियों को पेन्शन और उपदान

4940. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री भूतपूर्व सुकेत स्टेट सेना सैनिकों को पेंशन और उपदान के बारे में दिनांक 23 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सुकेत राज्य की सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों (आई० एस० एफ० यूनिट) के सेवा रिकार्डों सहित उनके अभ्यावेदन प्राप्त हो गये हैं;

(ख) क्या उनको पता है कि ये व्यक्ति राज्य सशस्त्र सेनाएं पेन्शन नियमों अथवा भारतीय सेना नियमों के अधीन पेंशन और उपदान पाने के हकदार हैं;

(ग) क्या उनको पता है कि उपरोक्त दोनों मामलों में उनकी सेवा के रिकार्ड और उनके द्वारा विजित अलंकरणों को देखते हुए उनको पेंशन/उपदान दिया जा सकता है;

(घ) उनके सेवा रिकार्ड जिला सिविल अधिकारियों के पास ढूंढने के स्थान पर सम्बद्ध रेजिमेन्टल केन्द्रों में ढूंढने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) उनकी दिक्कतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भूतपूर्व सुकेत राज्य सेना के सैनिकों की ओर से उन्हें पेंशन मंजूर करने के बारे में अभ्यावेदन उनके सेवा विवरणों के साथ प्राप्त हुए थे।

(ख) तथा (ग) भूतपूर्व राज्यों के जिन सैनिकों को भारतीय सेना के साथ विलय होने से पूर्व सेवा मुक्त कर दिया गया था, उनके मामले में राज्य सेना नियमावली लागू होती है। इन नियमों के अनुसार पेंशन देय नहीं थी किन्तु यह राज्य अधिकारियों पर निर्भर करता था कि वह विशेष मामलों में पेंशन मंजूर करें। जिन सैनिकों ने 15 वर्ष से कम सेवा की थी वे उपदान पाने के हकदार नहीं थे।

जिन व्यक्तियों ने इस बारे में अभ्यावेदन दिया है उनके लिए इन नियमों में संशोधन करने का कोई वैध आधार नहीं है।

(घ) केवल एक मामले में जहां कार्मिक गैर आई० एस० एफ० यूनिट का था, जिला अधिकारियों के पास उसके सेवा सम्बन्धी कागजातों का पता नहीं चल रहा है। रिकार्ड आफिस (न कि रेजिमेन्टल सेंटर) जिसे रिकार्ड रखना चाहिए था, उसने भी पुष्टि कर दी है कि इस कार्मिक के रिकार्ड उसके पास नहीं हैं।

(ङ) इन कार्मिकों में से कुछ व्यक्तियों को फरवरी और सितम्बर, 1980 में जिला झण्डा दिवस निधि में से 1550 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।

पहाड़ी क्षेत्र के रूप में घोषित जिले एवं पहाड़ी स्थल

4941. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कौन-कौन से जिलों एवं पहाड़ी स्थलों को पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) उड़ीसा में किन-किन जिलों तथा क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है और ऐसा घोषित किए जाने हेतु विचार के लिए उनके नाम उनके मन्त्रालय को भेजे गए हैं;

(ग) देश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं योजना की वार्षिक योजना में किन-किन योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तार किया गया और छठी योजना के लिए योजनाएं क्या हैं; और

(घ) पांचवीं योजना में उनके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई तथा छठी योजना के लिए क्या प्रस्ताव है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से निम्नलिखित क्षेत्रों में चल रहा है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले/तालुके
उत्तर प्रदेश	देहरादून, पौढ़ी गड़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तर काशी, अलमोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले ।
असम	उत्तरी कछार और कार्बो आंगलांग जिले ।
तमिलनाडु	नीलगिरि जिला ।
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग जिले के सदर कालिमपोंग और कुर्स्यांग नामक 3 उप मंडल ।
महाराष्ट्र केरल कर्नाटक तमिलनाडु गोवा, दमन और दीव	पश्चिमी घाट क्षेत्र में 132 तालुके ।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार चाहती थी कि निम्नलिखित दस जिलों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जाए :—

बोलांगीर, धेनकनाल, गंजाम, कलहंडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज फूलबनी, संबलपुर और सुन्दरगढ़ ।

(ग) पहाड़ी क्षेत्र योजनाएं किसी एक समान योजनाबद्ध नीति पर आधारित नहीं है । उनमें उपयोजना नीति का अनुसरण किया जाता है । राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य योजना और केन्द्रीय योजना निधि से धनराशि की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उप योजनाएं तैयार करती है ।

(घ) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए पांचवीं योजना में 170 करोड़ रु० की व्यवस्था के मुकाबले छठी योजना में 560 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा नयी पूंजी निवेश की स्थापना

4942. **श्री बाई० एस० महाजन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की नीति है कि बड़ी तथा विदेशी कम्पनियां नये पूंजी निवेश के लिए यथा संभव अपने ही संसाधन उत्पन्न करें;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त नीति के अनुरूप हिन्दुस्तान लीवर ने बहुत से नये पूंजी निवेशों की पेशकश की है; और

(ग) क्या ये पूंजी निवेश निगमित क्षेत्र में हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों के प्रस्तावों के मामले में परियोजना लागत वहन करने के लिए वित्त की किसी भी योजना पर विचार करने में सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करने का होता है कि :—

(1) इस प्रकार की कंपनियां आन्तरिक रूप से उत्पन्न साधनों का अधिकाधिक उपयोग करके परियोजना लागत के लिए धन जुटाए। इस उद्देश्य के लिए परियोजना लागत में प्रवर्तकों के अंशदान को अधिकतम रखने पर जोर दिया जाता है;

(2) परियोजना की लागत को वहन करने के लिए वित्तीय संस्थानों से कम से कम उधार लिया जाना चाहिए; और

(3) प्रवर्तकों को इक्विटी/ऋणपत्रों को सार्वजनिक रूप से जारी करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) और (ग) मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने सिंथेटिक डिटरजेंटों, कम्पलेक्स उर्वरकों, गंधक के तेजाब फास्फोरिक एसिड और वनस्पति तेलों के निर्माण के लिए अपने आन्तरिक साधनों में से नये निवेधों का प्रस्ताव किया है। अंतिम वस्तु के अलावा बाकी सभी वस्तुएं मूल क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

छपरा और सिवान जिलों में उद्योगों की स्थापना करना

4943. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता से बिहार के छपरा और सिवान जिलों में कुछ रोजगार प्रधान उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अलावा, बिहार राज्य वस्त्र निगम का प्रस्ताव सिवान में एक कताई मिल की स्थापना करने का है जिसमें 25009 तकुएं होंगे तथा करीब 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल छपरा में बड़े और सझौले क्षेत्र में किसी भी उद्योग की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान को दिये गए लाइसेंस

4944. **श्री राजेश पायलट** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विगत तीन वर्षों में कितने लाइसेंस दिए गए तथा सरकारी, निजी एवं संयुक्त क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनको कितना ऋण मंजूर किया गया एवं कितना वस्तुतः दिया गया और कितने उद्योग लाभ एवं अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राजस्थान में उद्योगों के लिए वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 में निम्नलिखित संख्या में औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे :—

	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस की संख्या		
	1978	1979	1980
कुल :	10	8	15
सरकारी क्षेत्र			
(केन्द्र+राज्य)	—	—	—
राज्य औद्योगिक विकास निगम	1	—	1
गैर-सरकारी क्षेत्र	9	8	14

उपर्युक्त लाइसेंसों का विस्तृत विवरण बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) औद्योगिक एककों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ऋण स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा औद्योगिक एककों को दिए गए अग्रिमों, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी को बैंकों में प्रचलित प्रक्रियाओं और प्रयुक्त परम्परा के अनुसरण में अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अधिशासित करने वाले कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रकट नहीं

किया जा सकता है । लाभ आदि के बारे में जानकारी औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग में नहीं रखी जाती है ।

विवरण

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र, राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 1978 से 1980 तक के वर्षों में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के विस्तृत विवरण को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	पार्टी/उपक्रम का नाम	स्थापना-स्थल	उत्पादन की वस्तु तथा क्षमता
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र (केन्द्र तथा राज्य)			
	1978 1979 1980	कुछ नहीं	
राज्य औद्योगिक विकास निगम			
	1978		
1.	मै० राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल्स डवलमेंट कारपोरेशन लि०, जयपुर	उदयपुर राजस्थान	दो धातुओं की स्ट्रिपे =50 टी० पी० ए०
	1979 1980	कुछ नहीं	
2.	राजस्थान एक्सप्लोसिव्ज एण्ड केमिकल्स लि०, द्वारा : राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०, जयपुर	भरतपुर राजस्थान	(1) इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्ज =10,000 मी० टन (2) डिनोटर्स=150 लाख सं० आदि, आदि

1	2	3	4
गैर सरकारी क्षेत्र			
	1978		
3.	मै० जे० के० सिंथेटिक लि०, नई दिल्ली	कोटा राजस्थान	डी० एम० टी० =4000 मी० टन (सह-उत्पाद) =1000 मी० टन
4.	मै० मंगलम सीमेंट लि०, नई दिल्ली	कोटा राजस्थान	पोर्टलैण्ड सीमेंट =4,00,000 मी० टन
5.	मै० अलकोबेक्स मैटल प्रा० लि०, जोधपुर	जोधपुर राजस्थान	अलौह उत्सारण (एक्स्ट्रूसंस) =1,500 मी० टन (विद्यमान) =2,000 मी० टन (विस्तार के बाद) तांबा तथा तांबे पर आधारित धातु के पाइप तथा ट्यूबें =1,200 मी० टन
6.	मै० जे० के० सिंथेटिक लि०, कानपुर	कोटा राजस्थान	पोलिएस्टर स्टेपल फाईबर =900 मी० टन (विद्यमान) =3,000 मी० टन (विस्तार के बाद)
7.	मै० पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि०, जोधपुर	जोधपुर राजस्थान	1. टेबल बटर=1500 मी० टन 2. घी=750 मी टन 3. केसिन=75 मी० टन 4. स्कीम्ड मिल्क पाउडर/ समस्त दुग्ध पाउडर=2700 मी० टन आदि, आदि

1	2	3	4
8.	मै० ईचर ट्रैक्टर इंडिया लि०, नई दिल्ली	अलवर राजस्थान	3 से 12 एच०पी० के० रेंज में 2000 आर० पी० एम० और इससे भी अधिक का डीजल इंजन=3,000 संख्या
9.	मै० दिल्ली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स कंपनी लि०, नई दिल्ली	कोटा राजस्थान	रेयन चेफर फेबरिच =300 मी० टन रेयन टायर डिपेड फेबरिक =360 मी० टन
10.	मै० सुनील सायनचेम लि०, नई दिल्ली	अलवर राजस्थान	हाईसबेल एम्पटी ग्लेटिन केपसूल =2000 लाख केपसूल =4000 लाख केपसूल (विस्तार के बाद)
11.	मै० उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०, राजस्थान	बीकानेर राजस्थान	1. टेबल बटर=1500 टन 2. घी=750 मी० टन 3. केसिन=75 मी० टन आदि, आदि
1979			
12.	मै० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि० नई दिल्ली	कोटा राजस्थान	विस्कोस रेयन टायर कोर्ड =5000 मी० टन (विद्यमान) 7000 मी० टन (विस्तार के बाद)
13.	मै० जे० के० सिंथेटिक लि०, कानपुर	कोटा राजस्थान	पोलिएस्टर स्टेपल फाईबर=3000 मी० टन प्रति वर्ष (विद्यमान) =6000 मी० टन प्रति वर्ष (विस्तार के बाद)
14.	मै० विशाल केमिकल्स इंडिया लि०, नई दिल्ली	अलवर राजस्थान	संशोधित तथा रिफाइन्ड ग्वार गम और ड्राइवेटीज जैसे

1	2	3	4
			आक्सीडाइज्ड ग्वार गम कारबोडी-मेटेलेटेड ग्वार गम, हाईड्रोक्सलकीलेटेड, ग्वार गम तथा इसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट माडीफिकेशन =27000 लाख मी० टन
15.	मै० चेतना पोलीकोट्स प्रा० लि०, दिल्ली	तहसील भिवाड़ी जिला अलवर, राजस्थान	पोलियूरेथीन और कोटिड़ फैब्रिक्स=30 ला० वर्ग मी०
16.	मै० इंडिया फाइबर लि०, कलकत्ता	तहसील संगानोर (दुर्गापुरा क्षेत्र) जयपुर-राजस्थान	ग्वार गम पाऊडर =1800 लाख मी० टन ग्रेन्यूअल्स=5400 मी० टन
17.	राठी गैसिस लि०, नई दिल्ली	अलवर राजस्थान	नाइट्रोजन गैस 5 लाख म्यूनिक मीटर
18.	अनसात प्लास्टिक्स प्रा० लि०, जयपुर	भिवाड़ी (अलवर) राजस्थान	एल० डी० पी० ई० को-एक्सटेडिड फिल्म=600 मी० टन
19.	भारत एलम्स एंड केमिकल लि० एम० सी० डी० बिल्डिंग, नई दिल्ली	मतस्य इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर राजस्थान	सिंगल सुपरफासफेट 66000 मी० टन
1980			
20.	श्रीराम न्याल एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	कोटा राजस्थान	1. कास्टिक सोडा=33000 मी० टन० (विद्यमान) =66000 मी० टन (विस्तार के बाद)

1	2	3	4
21.	भारत अल्यूम्स एण्ड केमिकल लि•	तहसील तथा जिला अलवर, राजस्थान	सल्फरिक एसिड=16500 मी० टन (विद्यमान) =39,600 मी० टन० (विस्तार के पश्चात)
22.	सुनील साइन्कैम लि० नई दिल्ली	जिला अलवर, राजस्थान	एल-मैथाइल डोपा= 20 मी० टन
23.	सुनील साइन्कैम लि०, अलवर	जिला अलवर, राजस्थान	आटोमैटिक हाई जिलेटिन केपसूल मशीन 8 नग
24.	इण्डाग रबर लि०, नई दिल्ली	अलवर राजस्थान	1. प्री-क्योरडट्रोड रबर =6000 मी० टन 2. बॉडिंग, रिपेयर तथा एक्स्ट्रशन गोंद =1500 मी० टन 3. रबर सीमेंट 300 किलो लीटर
25.	तोश्नीवाल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० अजमेर	अजमेर राजस्थान	टू-पोजिशन, कन्ट्रोल, के लिए इलेक्ट्रानिक कन्ट्रोलर
26.	अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, अलवर	अलवर राजस्थान	1. मलाई निकले दूध का पाउडर 2100 मी० टन 2. केसिन=35 मी• टन 3. मक्खन (उप-उत्पाद)= 1500 मी० टन 4. घी=80 मी० टन
27.	अजमेर जिले दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, अजमेर	अजमेर राजस्थान	1. स्कीम्ड मिल्क पाउडर =17000 मी० टन 2. केसिन=350 मी० टन 3. बटर (सह-उत्पाद) =13000 मी• टन 4. घी (सह-उत्पाद)=500 मी० टन

1	2	3	4
28.	जयपुर जिले दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जयपुर	जयपुर राजस्थान	1. मिल्क पाउडर 21000 मी० टन 2. केसिन=70 मी० टन 3. बटर (सह उत्पाद) =1400 मी० टन 4. घी (सह उत्पाद)= 130 मी० टन आदि
29.	पी० जी० फोयलस लि० जिला पाली मारवाड़, राजस्थान	रायपुर, पाली राजस्थान	अल्यूमीनियम फोयल्स =1500 मी० टन
30.	श्री ओम प्रकाश राजगरहिया, दिल्ली	अलवर राजस्थान	इंजीनियरी प्लास्टिक से रोड्स, ब्लाक तथा शीटें =150 मी० टन
31.	सुनील टेक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०	हमीरगढ़ रोड भीलवाड़ा राजस्थान	शाडी यार्न=600 तकुवे
32.	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, बम्बई	बजाज नगर, मावेली उदयपुर, राजस्थान	पोर्टलैंड सीमेंट= 2,00,000 मी० टन (विद्यमान) 4,00,000 मी० टन (विस्तार के बाद)
33.	नेशनल्स एयर प्रोडक्ट्स लि० एम० जी० एफ० हाऊस, नई दिल्ली	तहसील तथा जिला अलवर राजस्थान	स्टील के सभी अनुमत ग्रेडों में लाईट एण्ड मीडियम स्ट्रक्चर्ल्स=20,000 मी० टन

हरिजनों पर अत्याचारों को रोकने के लिए संस्वर्ग हिन्दुओं से शस्त्र बरामद करना

4945. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों पर अत्याचारों को रोकने के अभियान के रूप में देश में विभिन्न राज्यों में गैर अनुसूचित जातियों से अनधिकृत राईफलें, बन्दूकें, तेज धार वाले हथियार आदि बरामद किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) किसी विशेष समुदाय से अवैध हथियारों की बरामदगी के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजे गए अपने तारीख 10 मार्च, 1980 के अर्ध शासकीय पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए थे :

"राज्यों में दिए गए शस्त्र लाइसेंसों का पुनरीक्षण करना और जिन क्षेत्रों में अत्याचार हुए हैं या अत्याचार के लिए सम्भाव्य क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार के लाइसेंसों को रद्द करना आवश्यक है। साथ ही अवैध हथियारों के निर्माण के लिए कुख्यात क्षेत्रों की छानबीन की जानी चाहिए और अत्याचार करने के इस स्रोत को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए।"

दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के कर-निर्धारण योग्य मूल्य आंकने का तरीका

4946. **श्री केशो राम पारधी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा फ्लैटों का कर-निर्धारण मूल्य कुल लागत पर आंकने के क्या कारण हैं जब कि यह स्वीकार किया जा चुका है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्य में निर्माण की लागत और भूमि की लागत के अतिरिक्त अन्य शीर्षों के अन्तर्गत खर्चे भी शामिल हैं;

(ख) दिल्ली नगर निगम के सम्पत्ति शुल्क सम्बन्धी पर्चे में यह व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मामले में कर-निर्धारण मूल्य कुल लागत के आधार पर आंका जायगा; और

(ग) क्या उन कालोनियों में फ्लैटों के मामले में गृह-कर का निर्धारण सम्पत्ति शुल्क पर्चे में दिये गए नियमों के अनुसार किया जाता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि स्व अधिकृत डी० डी० ए० फ्लैटों के कर निर्धारण मूल्य को, डी० डी० ए० द्वारा फ्लैट के आवंटी से ली गयी कुछ लागत के आधार पर, जैसा कि आवंटन पत्र पट्टे में दिखाया गया है, निर्धारित किया जाता है। निगम द्वारा सम्पत्ति कर पर कोई पुस्तिका जारी नहीं की है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के पास लम्बित मांगें

4947. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा श्रमिकों की कम से कम सात मांगें संयुक्त परामर्श-दात्री तन्त्र के पास सरकारी कार्रवाई के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मांगों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) संयुक्त परामर्श तंत्र, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी पक्ष की मांगों को बातचीत के आधार पर तय करने के लिए एक साधन है, एक तीन टीयर मशीनरी है, जिसमें (i) शीर्षस्थ स्तर पर राष्ट्रीय परिषद (ii) मंत्रालयों/विभागों के स्तर पर विभागीय परिषदें और (iii) अलग-अलग कार्यालयों के स्तर पर कार्यालय परिषदें हैं। अनुमानतः माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय परिषद में लम्बित कुछ मांगों से है। ये मांगें या तो परिषद ही के पास लम्बित हैं अथवा परिषद द्वारा गठित समितियों के पास। संयुक्त परिषदों तथा उनके द्वारा गठित समितियों के विभिन्न स्तरों पर मांगों के विचार-विमर्श के दौरान, वे आवश्यक रूप से लम्बित रहती हैं। किन्तु ऐसी लम्बित मदों पर स्थायी समिति, विशिष्ट उप-समितियों और पूर्ण परिषदों में भी कर्मचारी पक्ष के साथ औपचारिकता तथा अनौपचारिक रूप से निरंतर पुनरीक्षा तथा विचार-विमर्श किया जाता है। समितियों के क्रियाशीलन, बातचीत के अनौपचारिक माध्यमों का खोला जाना, संयुक्त परामर्श तंत्र के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर निर्णय लिया जाना आदि जैसे उपयुक्त उपायों को अपनाकर कर्मचारी पक्ष के साथ रचनात्मक बातचीत के जरिए मामलों को निपटाने के लगातार प्रयत्न किए जाते हैं।

शास्त्री नगर, दिल्ली में महिला का लूटा जाना

4948. **श्री सूरज भान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'सण्डे स्टैण्डर्ड' दिनांक 15 फरवरी, 1981 में 'वूमेन रॉबड आफ जवेलरी बाई टू पुलिस मैन' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नुकसान का ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सोने के एक नेकलेस और कानों की एक जोड़ी बालियां जिनका वजन लगभग 5 तोला है और 20,000 रु० नकद के नुकसान की सूचना है। जांच पड़ताल से पता चला है कि पंजाब के संतोख सिंह और नारायण सिंह लूटपाट के लिए उत्तरदायी हैं। अभियुक्त संतोख सिंह को गंगा नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और शिकायतकर्ता द्वारा उसकी शिनाख्त कर ली गई है। दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार करने और गुम हुई सम्पत्ति को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चतुर्थ भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले का आयोजन

4949. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ भारतीय इन्जीनियरी व्यापार मेला नई दिल्ली में हाल में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार मेले के परिणामस्वरूप किस-किस देश में किस-किस वस्तु की खरीद के लिए क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार विदेशों में इस प्रकार के मेले आयोजित करके देश में निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनियां आयोजित करने की योजना तैयार कर रही है जिससे कि निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) चतुर्थ भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेला नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ द्वारा आयोजित किया गया था।

(ख) जानकारी नीचे दी जाती है :—

देश का नाम	वस्तुएं जिसके लिए क्रयादेश दिए गए हैं
1. नाइजीरिया	कैलकूलेटर
2. युगांडा	साइकिलें, साबुन बनाने की मशीनें, आटा मिलें और रोटरी तेल मिलें
3. जैरे	आटा मिलें और रोटरी तेल मिलें।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका	मशीनी औजार

(ग) तथा (घ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण लिमिटेड और व्यापार प्राधिकरण जो दोनों सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, ने संलग्न विवरण के अनुसार 1981-82 में विदेशों में भारतीय सामान की प्रदर्शनी के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1981-82 में विदेशों में आयोजित किए जाने वाले मेलों/प्रदर्शनियों का अस्थायी कार्यक्रम

1. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण लि०,

1. मिलन अन्तर्राष्ट्रीय मेला मिलन (इटली)	14-23 अप्रैल, 1981
2. भारतीय वस्त्र और परिधान मेला, हांगकांग	18-22 मई, 1981
3. न्यूजीलैंड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, आकलैण्ड (न्यूजीलैण्ड)	29 जुलाई से 5 अगस्त, 1981 एवं 29 अगस्त से 5 सितम्बर, 1981
4. बुडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय वसन्त मेला, (उपभोक्ता सामान) बुडापेस्ट (हंगरी)	18-27 सितम्बर, 1981
5. बुचारेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बुचारेस्ट (रूमानिया)	15-23 अक्तूबर, 1981
6. अल्जियर्स अन्तर्राष्ट्रीय मेला, (अल्जियर्स) अल्जीरिया	सितम्बर, 1981
7. तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, तेहरान (इरान)	19 सितम्बर-10 अक्तूबर, 1981
8. घांट अन्तर्राष्ट्रीय मेला, घांट, बेल्जियम	12-27 सितम्बर, 1981
9. बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बगदाद (ईराक)	1-15 अक्तूबर, 1981

10.	चिलियन वार्षिक व्यापार मेला, एफ० आई० एस० ए० 1981, सेन्टियागी (चिली)	29 अक्तूबर, 1981 से 15 नवम्बर, 1981
11.	प्रैट-ए-पोर्टर फैमीनीन इण्टरनेशनल एक्जीबिशन फार लेडीज रेडी-टू-वीयर क्लाथिंग, पेरिस (फ्रांस)	17-21 अक्तूबर, 1981
12.	नेरोबी में भारतीय प्रदर्शनी (केन्या)	जनवरी, 1982
13.	बहरीन में भारतीय प्रदर्शनी	फरवरी/मार्च, 1982
14.	मैक्सिको में भारतीय प्रदर्शनी, मैक्सिको	तिथि निर्धारित की जानी है
15.	काहिरा अन्तर्राष्ट्रीय मेला काहिरा (मिश्र का अरब गणराज्य)	मार्च, 1982

2. व्यापार विकास प्राधिकरण

16.	भारतीय परिधान मेला, टोकियो (जापान)	जुलाई 20-24, 1981
17.	बायर-सेलर-मीट्स	
	1. टोरोन्टो (कनाडा)	28 सितम्बर—2 अक्तूबर, 1981
	2. अटलांटा (संयुक्त राज्य अमेरिका)	अक्तूबर 12—16, 1981

टायर और ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि

4950. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों के प्रमुख निर्माताओं ने इनके मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कब की गई थी और इन निर्माताओं में से प्रत्येक निर्माता द्वारा प्रत्येक मद के लिए कितनी वृद्धि की गई थी; और

(ग) क्या सरकार ने इस नई मूल्य वृद्धि के लिए अनुमोदन कर दिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी हां, फरवरी 1981 में कुछ टायर निर्माता कम्पनियों ने मोटरगाड़ी के टायर और ट्यूबों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। पिछले छह महीनों में टायर और ट्यूबों के थोक मूल्यों में हुई बढ़ोतरी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) टायर और ट्यूबों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है अतएव कीमत बढ़ाते समय टायर उत्पादकों को सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं है।

क्रमांक	वस्तु विशिष्ट सहित	विवरण					
		सितम्बर 1980	अक्टूबर 1980	नवम्बर 1980	दिसम्बर 1980	जनवरी 1981	फरवरी 1981
1	2	3	4	5	6	7	8
	टायर						
	कार टायर स्टैंडर्ड रेयन बी० एस० डब्ल्यू						
1.	6.70-15 6 प्लाई रेटिंग सी 49	515.00	कोई अन्तर नहीं	कोई अन्तर नहीं	कोई अन्तर नहीं	कोई अन्तर नहीं	540.00
2.	5.90-15	402.00	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	119.00
3.	5.20-14	338.00	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	359.00
4.	5.60-13	402.00	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	420.00
	ट्रक टायर						
5.	8.26-20 12 पी० आर० एच० डब्ल्यू० 105 रेयन	1600.00	-वही-	-वही-	1690.00	-वही-	1750.00
6.	9.00-20 12 पी० आर० एच० डब्ल्यू० एम० के० 11	1960.00	-वही-	-वही-	2000.00 कोई अन्तर	-वही-	2041.00
	मोटर टायर						
7.	3.25-19 4 प्लाई	170.00	-वहीं-	-वही-	-वही-	-वही-	174.00

1	2	3	4	5	6	7	8
स्कूटर टायर							
8.	3.50-10 प्लाई	103.00	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	105.00
ट्रैक्टर टायर							
9.	12.3-28 (11-28) सी० जी०-4 प्लाई रियर	1300.00	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	कोई अन्तर नहीं
10.	12.4-36 (11-36) 6 प्लाई रियर	1600.00	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
आफ दी हाई वे नाइलोन टायर्स							
11.	12.00-24/25 16 प्लाई नाइलोन	5774.00	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
12.	18.00-24/25 12 प्लाई नाइलोन	16147.00	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
साईकल टायर्स							
13.	28½ डब्ल्यू० ओ०	14.65	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

स्वयं को नागरिकों के रूप में दिखाने वाले विदेशी

4951. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए, जो भारतीय नागरिक नहीं है किन्तु आसाम सहित विभिन्न राज्यों में अपने को भारतीय नागरिक के रूप में दिखा रहे हैं, क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार उन लोगों, जिन्हें भारतीय नागरिकता पुनः प्रदान कर दी गई थी, के अतिरिक्त ऐसे लोगों की राज्यवार अनुमानित संख्या क्या है जिन्होंने उन क्षेत्रों से जो पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान बन गए, ने 19 जुलाई, 1948 के बाद भारत में प्रवेश किया था;

(ग) ऐसे लोगों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्हें उनके उत्प्रवास अथवा किसी प्रकार भारत में दाखिल होने के बाद भारतीय नागरिकता दी गई तथा ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने सम्बन्धित प्राधिकारियों से भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन किया है;

(घ) क्या कोई करार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ है जो भारत सरकार को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह किसी भी वर्ग के लोगों को, जिन्होंने 19 जुलाई, 1948 के बाद भारत में उत्प्रवास किया था, को भारतीय नागरिकता दे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) असम समेत देश में कहीं भी अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारत में घुसपैठियों अथवा प्रवासियों के मामले में ऐसा कोई समझौता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सहमति नहीं हुई थीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार उन क्षेत्रों से जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बन गये हैं। भारत में प्रविष्ट हुए व्यक्तियों की अनुमानः संख्या इस प्रकार है :

1. 1946-31-3-1958 के दौरान

पश्चिम बंगाल	31.47 लाख

अन्य राज्य	9.70 लाख

2. 1-4-1958 से 31-12-1963 के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से

पश्चिम बंगाल	0.55 लाख
अन्य राज्य	0.06 लाख

3. 1-1-1964 से 25-3-1971 के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से

पश्चिम बंगाल	7.57 लाख
असम	2.14 लाख
त्रिपुरा	1.43 लाख

4. 25-3-71 से 15-12-71 तक तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी

पश्चिम बंगाल	74.93 लाख
त्रिपुरा	14.16 लाख
मेघालय	6.68 लाख
असम	3.13 लाख
बिहार	0.09 लाख

5. 1971 के भारत पाक युद्ध के तुरन्त पश्चात और 1971 के दौरान सिंध (पाकिस्तान) से

गुजरात और राजस्थान	0.58 लाख

जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि

4952. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में जनसंख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि होती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जैसाकि 1981 की जनगणना के अस्थायी जनसंख्या योग से प्रकट होता है, 1971-81 के दशक में देश में जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि 13.7 लाख है ।

गुजरात द्वारा सीमेंट का आयात

4953. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सीमेंट का आयात करने की अनुमति मांगी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुजरात सरकार को सीमेंट का आयात करने की अनुमति कब दी जाएगी और उन्हें अनुमति देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। एक लाख मी० टन सीमेंट का सीधे आयात करने के लिए अनुमति मांगते हुए गुजरात सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) चूंकि सीमेंट के आयात को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रणालीबद्ध किया जाता है इसलिए देश में अन्य अभिकरणों द्वारा सीधे ही आयात करने के लिए अनुमति देना संभव नहीं है।

कारों का वार्षिक उत्पादन

4954. **श्री गदाधर साहा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कारों के वार्षिक उत्पादन के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा युरोपीय और जापानी के लिए राज्य आटोमोबाइल निर्माताओं से कहा जा रहा है कि वे भारत में कारें बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित मारुति उद्यम में सहयोग करें; और

(ग) यदि हां, तो इस पर आटोमोबाइल कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पिछले तीन वर्षों का यात्री कारों का उत्पादन इस प्रकार है :—

1977-78	34,438 नग
1978-79	33,567 नग
1979-80	33,074 नग

(ख) जी, हां।

(ग) विश्व के विभिन्न मोटरगाड़ी निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों का सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है;

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

4955. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े हुए समुदायों के लिए कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) क्या उन पदों को गत दो वर्षों में भर लिया गया है अथवा उनमें से कोई पद रिक्त पड़ा है;

(ग) क्या आरक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किन्ही पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण समय-समय पर होने वाली रिक्तियों में किए जाते हैं न कि पदों में। इस समय केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अलावा पिछड़े समुदायों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में आरक्षणों के बारे में राज्यवार तथा जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4956. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मामले में क्या कार्यक्रम है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों सहित राज्य स्तर के क्षेत्रों और राज्य स्तर से नीचे के क्षेत्रों का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तुपरक फार्मूले के अन्तर्गत दी जाती है और इसमें पिछड़ेपन को पर्याप्त अधिमानता दी जाती है। यह सहायता सामान्य अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती है जिससे कि राज्यों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों/अंचलों को उनको विशिष्ट समस्याओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटनों का निर्णय करने में आवश्यक लचीलापन बना रहे।

राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के अलावा, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के जरिए भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों, सुखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मामले हैं, इसके अलावा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में साफ पीने के पानी की पूर्ति, स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी विशिष्ट सुविधाओं में कमियों के लिए व्यवस्था की जाती है और यह क्षेत्रों और आय-समूहों के बीच असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से संबद्ध है।

मंत्रालय द्वारा समयोपरि भत्ते का भुगतान

4957. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय द्वारा कितनी-कितनी राशि का समयोपरि-भत्ता अदा किया गया ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : समयोपरि भत्ते के सम्बन्ध में सूचना वित्तीय वर्षों के लिए एकत्रित की जाती है । केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान समयोपरि भत्ते पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा अपने कर्मचारियों पर समयोपरि भत्ते के रूप में किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रु०—000 में)

क्र०सं०	मंत्रालय	1977-78	1978-79	1979-80
1.	कृषि	3056	2613	2487
2.	परमाणु ऊर्जा	5972	6814	8483
3.	नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक	1031	1094	1155
4.	पर्यटन तथा सिविल विमानन	13332	17152	20010
5.	वाणिज्य	390	470	545
6.	सिविल पूर्ति	79	89	73
7.	मंत्रिमंडल कार्य	46	41	56
8.	संचार	140971	213787	282463
9.	रक्षा (सिविलियन)	158870	179682	145701
10.	वित्त	75645	71982	66998*
11.	विदेश मंत्रालय	859	756	835
12.	शिक्षा तथा संस्कृति	876	1315	1447*
13.	इलैक्ट्रानिक्स	30	42	40
14.	ऊर्जा	408	509	558

1	2	3	4	5
15.	गृह मंत्रालय	1977	2156	2837
16.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	528	539	676*
17.	उद्योग	600	895	835
18.	सूचना तथा प्रसारण	6290	7260	10419
19.	सिंचाई	242	246	306
20.	विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य	489	576	610
21.	श्रम	511	690	722
22.	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक	176	237	216
23.	योजना	120	181	215
24.	संसदीय कार्य	44	74	50
25.	राष्ट्रपति सचिवालय	35	30	28
26.	प्रधान मंत्री कार्यालय	126	121	142
27.	रेलवे	142127	203133	244610
28.	ग्रामीण पुनर्निर्माण	73	98	131
29.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	462	608	792
30.	पूर्ति तथा पुर्नवास	543	632	597
31.	समाज कल्याण	29	55	48
32.	नौवहन और परिवहन	661	705	1231
33.	इस्पात तथा खान	1421	1660	1849
34.	सांख्यिकी	64	125	161
25.	अंतरिक्ष	2494	2110	3006
36.	उपराष्ट्रपति सचिवालय	0006	0004	0006
37.	संघ लोक सेवा आयोग	187	264	361
38.	निर्माण तथा आवास	1358	2132	1948
	कुल	562128	720877	802647

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

रावत भाटा परमाणु बिजलीघर में ट्रिटियम का फैलना

4958. **श्री अशोक गहलोत :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रावत भाटा परमाणु बिजलीघर के प्रथम यूनिट में ट्रिटियम फैलने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का खतरा दूर करने में इस बिजलीघर के इंजीनियरों की असमर्थता अथवा असफलता के बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) रावतभाटा स्थित रिएक्टर जैसे रिएक्टरों के चालू रहने के दौरान ट्रिटियम निरपवाद रूप से पैदा होता है । फिर भी, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ऐसे दूषण को अनुमेय सीमा के भीतर ही रखा जाए ।

स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी" की संभावनाएं

4959. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में ब्रिगेडियर और समकक्षी पदों के सभी निदेशकों को सीनियर पर्सोनेल एसिस्टेंट उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और इससे स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी" की विद्यमान असंतोषजनक, कम पदोन्नति की संभावनायें भी धूमिल हो गई हैं;

(ख) क्या ग्रेड "सी" के बहुत से स्टेनोग्राफर बहुत लम्बी सेवावधि के बाद भी इसी ग्रेड में सेवा-निवृत्त हो जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निदेशकों की संख्या बताने का है जिन्हें सीनियर पर्सोनेल एसिस्टेंट उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और इसके क्या कारण हैं और इस त्रुटि को ठीक करने के लिए क्या कार्रवाही करने का विचार है और सीनियर पर्सोनेल एसिस्टेंट कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह बताने का है कि क्या वह पदनामों पर ध्यान न देते हुए सभी ब्रिगेडियरों और समकक्षी पदों के साथ सीनियर पर्सोनेल एसिस्टेंट नियुक्त करने पर विचार करे; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां । यह सच है कि ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष बैंक के सभी निदेशकों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष रैंक के सभी अधिकारियों या सभी निदेशकों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

निर्धारित मानदण्ड के अनुसार केवल मेजर जनरल और उसके समकक्ष रैंक के अफसरों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (अशुलिपिक ग्रेड "ख") उपलब्ध कराये जाते हैं । ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष रैंक के अफसरों की वैयक्तिक सहायक (अशुलिपिक ग्रेड "ग") उपलब्ध कराए जाते हैं । लेकिन अशुलिपिक ग्रेड "ग" की पदोन्नत्ति अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से निदेशक पद पर नियुक्त ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष रैंक के अफसरों के साफ कार्यरत वैयक्तिक सहायकों के कुछ पदों का अति विशिष्ट मामलों के रूप में, दर्जा बढ़ाया गया था । इस कार्रवाई से आशुलिपिक ग्रेड "ग" के पदोन्नति अवसरों में काफी सुधार हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना

4960. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 को प्रत्येक राज्य में कितने तथा किस-किस प्रकार के बड़े भारी औद्योगिक एकक चल रहे थे;

(ख) देश में ऐसे उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी मार्गदर्शी निदेश क्या हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी/भारी उद्योग परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ;

(ङ) क्या योजना आयोग तथा सरकार ने इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) चूंकि बड़े/भार औद्योगिक एककों की कोई परिभाषा नहीं है, अतः ऐसे एककों की गणना करना संभव नहीं है । किन्तु, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ए० एस० आई०) में ए० एस० आई० की परिधि में आने वाले उद्योगों सम्बन्धी आंकड़े दिए जाते हैं। यह एक सार्वजनिक प्रलेख है ।

(ख) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 तथा समय-समय पर की जाने वाली नीति संबंधी घोषणाओं में बड़े, मझौले लघु, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों की क्षेत्र-वार भूमिका निर्धारितकी गई है । जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण को पहले ही संसद पटल पर रख दिया

गया है तथा इस पर दोनों सदनों में विचार-विमर्श किया जा चुका है।

(ग) से (च) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा राज्य सरकार के अन्य संगठन भी औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु एक आवेदक की भांति आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदकों को जारी किए गए सभी आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का संक्षिप्त विवरण भारतीय निवेश बोर्ड के मासिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विचारार्थ अनिर्णित पड़े हुए आवेदन-पत्रों का ब्यौरा जब तक सरकार उन पर विचार नहीं करती है तब तक नहीं बताया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूरा करना

4961. **श्री रामनाथ सोनकर**
श्री भीला भाई } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन सभी कार्यालयों में आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इस कोटे को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय कार्यालयों में आरक्षित कोटे के अनुसार कर्मचारियों को कब तक नियुक्त और पदोन्नत किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1-1-1979 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों की कमी मुख्यत: समूह क तथा ख में है और अनुसूचित जनजातियों की सभी ग्रुपों में है यद्यपि अनुसूचित जातियों का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस कमी के कारण ये हैं कि सभी समूहों में पदोन्नति में आरक्षण पहली बार केवल 1972 में लागू किया गया था (और वह भी वरिष्ठता-सह-योग्यता के मामले में) और वर्ष 1974 में इसे समूह क को निम्नतम सोढ़ी तक चयन द्वारा पदोन्नति में भी लागू कर दिया गया था।

(ग) तथा (घ) मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे आरक्षण आदेशों और उनमें निर्धारित क्रियाविधियों का कड़ाई से अनुपालन करें और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न करें। भर्ती तथा पदोन्नतियों के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दी गई व्यापक प्रसुविधाओं तथा रियायतों के अतिरिक्त, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार तैयार करने हेतु शिक्षण केन्द्र भी आरम्भ किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की घनी आबादी है उनमें परीक्षा केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। कुछ मामलों में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिऐ विशेष विभागीय परीक्षा भी ली गई है। यह आशा की जाती है कि प्रतिनिधित्व का स्तर अल्पावधि में ही निर्धारित प्रतिशतता तक पहुँच जाएगा।

विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1-1-1979 की स्थिति के अनुसार			
क (श्रेणी 1)	46,434	2,204	4.75	435	0.94
ख (श्रेणी 2)	56,287	4,150	7.37	579	1.03
ग (श्रेणी 3)	17,18,576	2,15,762	12.55	53,460	3.11
घ (श्रेणी 4) (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	12,71,254	2,45,596	19.32	65,975	5.19
योग :	30,92,551	4,67,712	15 12	120.449	3.89

लघु उद्योगों में एककों को पुनर्जीवित करने के लिए योजनायें

4962. **श्री कमल नाथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग को शीघ्र ही पुनर्जीवित करने के लिए कोई नई योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ख) यह सुनिश्चय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन योजनाओं के अधीन दी जाने वाली सुविधाओं को असफल रहने वाले उद्यमियों द्वारा दुरुपयोग न किया जाये अथवा उन्हें व्यर्थ न किया जाये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) एक सीमान्त धन योजना, जिसके अन्तर्गत एक रुग्ण लघु एकक के उद्यमी द्वारा लगाई जाने वाली आवश्यक धनराशि का अंश आसान ऋण के रूप में दिया जायेगा ताकि वह स्वीकृत पुनरुज्जीवन कार्यक्रम के लिए आवश्यक संस्थागत वित्त का लाभ उठा सके, निर्माणाधीन है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पुनरुज्जीवन की जीव्यक्षमता रखने वाले वास्तविक रुग्ण एकक ही इन लाभों का फायदा उठाते हैं, इस योजना में अनेक सुरक्षित उपायों की व्यवस्था की जाने की आशा है।

अल्पसंख्यक आयोग

4963. **श्री पी० नामग्याल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी और इस आयोग की मुख्य बातें और निदेश पद क्या हैं ;

(ख) देश में "अल्पसंख्यक" के रूप में किन-किन समुदायों को वर्गीकृत किया गया है ;

(ग) जम्मू और काश्मीर जैसे राज्य में मुसलमान जैसे अखिल भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय, जो वहां बहुमत में हैं और हिन्दू जैसे बहुमत समुदाय जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, की स्थिति क्या होगी ; और

(घ) जम्मू और काश्मीर राज्य द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्राधिकार को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं और इस बारे में तथा हिन्दू, सिख, इसाई तथा बौद्धों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यक आयोग की परिधि में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित करने और इसकी मुख्य बातों तथा विचारार्थ विषयों के भारत सरकार के दिनांक 12 जनवरी, 1978 के संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2218/81]।

(ख) तथा (ग) शब्द "अल्पसंख्यक" की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। फिर भी अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन हेतु कुछ मानदण्ड अपनाए गए है। जो अल्पसंख्यक आयोग और भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के प्रतिवेदनों में दिए गए हैं। ये प्रतिवेदन समय-समय पर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए हैं।

(घ) संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार अल्पसंख्यक आयोग का क्षेत्राधिकार जम्मू तथा कश्मीर तक बढ़ाना सम्भव नहीं है जो संविधान के विशेष उपबन्ध अर्थात अनुच्छेद 370 के द्वारा प्रशासित होता है।

उड़ीसा में आदिवासियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां

4964. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने आदिवासी और हरिजन छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने सिफारिश की है कि मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दरों में चालू शैक्षिक सत्र से प्रति मास प्रति छात्र 50 रुपए की समान दर से वृद्धि की जाय । मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की वर्तमान दरों में वृद्धि के सम्बन्ध सामान्य प्रश्न पहले ही भारत के विचाराधीन हैं और राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया था ।

गृह कल्याण केन्द्र, आर० के० पुरम, नई दिल्ली का समाज सदन

4965. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैक्टर-एक, आर० के० पुरम में गृह कल्याण केन्द्र का समाज सदन इतना छोटा और अपर्याप्त है कि उससे तीनों रेजीडेन्ट्स वैल्फेलर एसोसिएशनों की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनडोर खेल तथा अन्य गतिविधियां आयोजित करने की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है ;

(ख) क्या आर० के० पुरम, नई दिल्ली में कोई बारात घर नहीं है जिससे निवासियों को सामाजिक मिलन और विवाहों आदि जैसे धार्मिक कार्यों का आयोजन करने में बहुत सी समस्याएं हो रही हैं ;

(ग) क्या सरोजनी नगर, लोदी रोड, एन्ड्रूज गंज आदि में बड़े समाज सदन बने हुए हैं परन्तु आर० के० पुरम में ऐसा कोई समाज सदन नहीं है और इस मामले की जांच करने के लिए विगत में कोई समिति नियुक्त की गई थी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निवासियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए सैक्टर-एक, आर० के० पुरम में बड़ा समाज सदन बनाने और बारात घर की व्यवस्था करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आर० के० पुरम में कोई बारात घर नहीं है। किन्तु सम्पदा निदेशालय को जब सरकारी कर्मचारियों से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो वह खाली पड़े क्वाटरों को शादियों का आयोजन करने के लिए अबंटित कर देता है। अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक समारोहों को समाज भवनों में आयोजित करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) सरोजनी नगर, लोधी रोड तथा एन्ड्रूज गंज स्थित समाज सदन आर० के० पुरम के समाज सदनों से बड़े हैं। समाज सदनों के निर्माण से सम्बन्धित समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(घ) सैक्टर-1, आर० के० पुरम में और बड़े समाज सदन का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसमें एक बारात घर भी शामिल होगा।

सीमान्तिक किसानों और कृषि श्रमिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाना

4966. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निश्चित सहायता दे कर सीमान्तिक किसानों और कृषि श्रमिकों के एक तिहाई परिवारों को आगामी पांच वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना की रूप रेखा और विवरण क्या हैं और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) छठी पंच-वर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 150 लांख ग्रामीण परिवारों को सहायता देने की परिकल्पना है जिससे कि उन्हें योजना की अवधि में गरीबी के स्तर से ऊपर लाया जा सके। इस कार्यक्रम के लिए लक्षित समूह में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले किसान तथा न केवल भूमिहीन मजदूर और मझौले किसान, बल्कि छोटे किसान, ग्रामीण कारीगर और अन्य ग्रामीण कामगार भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर से नीचे की जनसंख्या के सबसे नीचे के दशमक में से लाभग्राहियों का पता लगाया जाना है। इन परिवारों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा समर्थित आर्थिक सहायताओं के जरिए उत्पादक परिसंपत्तियां और आय तथा रोजगार सृजन करने वाले कार्य-कलाप उपलब्ध कराए जायेंगे।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे अभिकरण देश में अधिकांश जिलों में पहले से विद्यमान हैं। अन्य जिलों में नए अभिकरण स्थापित किये जाएंगे।

मृत्यु दंड को समाप्त किया जाना

4967. डा० वसन्त कुमार पंडित
श्री अमर राय प्रधान
श्री पीयूष तिरकी
श्री के० टी० कोसलराम
श्री शान्ता राम पोटवुखे } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितने-कितने व्यक्तियों को मृत्यु दंड के अधीन फांसी पर चढ़ाया गया ; और

(ग) क्या सरकार "मृत्यु दंड समाप्त किए जाने के बारे में हुए सम्मेलन" में "एमनेस्टी-इण्टरनेशनल, स्टाकहोम" द्वारा की गई दिनांक दिसम्बर, 1977 की घोषणा को स्वीकार करेंगी ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1978-79 के दौरान फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 21 और 9 थी । वर्ष 1980 के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है किन्तु शेष राज्यों में उस वर्ष के दौरान फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्तियों की संख्या 2 थी ।

(ग) सरकार मृत्यु दण्ड को पूर्ण रूप से समाप्त करने पर विचार नहीं कर रही है । क्या मृत्यु दण्ड को कायम रखा जाना चाहिए अथवा नहीं इस प्रश्न की विधि आयोग द्वारा जांच की गई थी जिसने इसको समाप्त करने की सिफारिश नहीं की थी । भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के बारे में जनता के विचार आमंत्रित किये थे जिसमें हत्या के कुछ गंभीर मामलों के लिए धारा 302 में मृत्यु दण्ड को कायम रखने के सम्बन्ध में उपबन्ध शामिल हैं । विधेयक को जैसा कि संयुक्त समिति ने सूचित किया था, नवम्बर, 1978 में सदन द्वारा कुछ संशोधन के साथ पारित कर दिया गया था किन्तु छठी लोक सभा के भंग होने पर यह व्यपगत हो गया था । व्यपगत विधेयक की धारा 302 में व्यवस्था थी कि हत्या के लिए सामान्य दण्ड आजीवन कारावास होगा और उसमें विनिर्दिष्ट केवल कुछ गंभीर परिस्थितियों में न्यायालय अपने स्वविवेक से मृत्यु दण्ड दे सकता है । व्यपगत विधेयक के उपबन्ध पुनः सरकार के विचाराधीन हैं।

बाटा-जूतों के अधिक मूल्य

4968. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाटा शू कम्पनी अपने विभिन्न प्रकार के जूतों को बहुत अधिक मूल्य पर बेच रही है जो आम जनता की पहुँच से बाहर है ; और

(ख) मूल्यों को उचित स्तर तक लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मै० बाटा इण्डिया लिमिटेड विभिन्न प्रकार के आकारों, डिजाइनों और विशिष्टयों के जूतों की बिक्री करते हैं। कम्पनी के अनुसार, समाज के विभिन्न वर्गों के अनुकूल प्रयोग में लाये जाने वाले चमड़े, रबर और कैन्वेस आदि कच्चे माल के आधार पर इन जूतों की अलग-अलग कीमत रखी जाती है।

(ख) उद्योग राज्य मंत्री ने सितम्बर, 1980 में संगठित क्षेत्र के प्रमुख जूता निर्माताओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए जूतों की 10 रुपये 95 पैसे प्रति जोड़ी से 34.95 रुपये प्रति जोड़ी तक के क्रम में पूरी शृंखला शुरू कर दी है।

उत्तर अरब सागर में रोकी गई ताईवानी मत्स्य-नौकायें

4699. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा**
श्री एस० एम० कृष्ण
श्री रामचन्द्र रथ } : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसैनिक पोतों तथा समुद्रतटीय रक्षकों ने उत्तर अरबियन सागर में मछली पकड़ती हुई अनेक ताइवानी मत्स्य-नौकाओं को रोका है, जैसा कि 27 फरवरी, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में समाचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस देश के पोतों द्वारा इस प्रकार मछली पकड़ने को रोकने के बारे में ताईवान सरकार को सूचित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले सभी पोतों को अवरुद्ध करने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। 27 जनवरी, और 15 मार्च, 1981 के बीच तट रक्षक दल और नौसेना की नौकाओं द्वारा उत्तरी अरेबियन सागर में आठ ताइवान ट्रालर्स पकड़े गए थे।

(ख) मेरी टाइम जोन्स ऐक्ट, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत पकड़ी गई नौकाओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की गई है। जिस देश की ये नौकाएं (ट्रालर्स) थी उसके पास कोई औपचारिक विरोध प्रकट नहीं किया गया है।

(ग) पकड़ी गई नौकाओं के कर्मी दल पर किसी सक्षम न्यायालय में मेरी टाइम जोन्स ऐक्ट, 1976 के सुसंगत उपबंध के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4970. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 को आधार मान कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नई शृंखला बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित समिति ने क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समिति का विस्तार करने और समिति में काम के लिए केन्द्रीय व्यापार संघों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का है ; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी समिति की अब तक चार बैठकें हुई हैं और इसका कार्य चल रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) समिति का कार्यकाल 18-5-1981 तक बढ़ा दिया गया है।

बालासोर में राकेट छोड़ने का केन्द्र

4971. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उड़ीसा के बालासोर जिले में राकेट छोड़ने का केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) उड़ीसा के बालासोर जिले में पहले ही एक राकेट प्रमोचन केन्द्र है।

(ख) यह एक छोटा केन्द्र है, जो विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र द्वारा अभिकल्पित और निर्मित आर० एच०-200 नामक राहिणी मौसम-विज्ञानीय परिज्ञापी राकेटों के प्रमोचन के लिए सज्जित है। मानसून परीक्षण (मोनेक्स) के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिये इस केन्द्र को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्थापित किया गया था।

(ग) 1980-81 तक इस केन्द्र पर लगभग 211.08 लाख रुपये की कुल राशि खर्च की जायेगी।

आल इण्डिया ट्रेड फैडरेशन को मान्यता

4972. **श्री दया राम शाक्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभागीय कर्मचारियों की आल इण्डिया ट्रेड फैडरेशंस को मान्यता देने सम्बन्धी वर्तमान नियम क्या हैं ; और

(ख) यदि इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाए गये हैं तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने कर्मचारियों की एसोसिएशनों और फैडरेशनों को मान्यता देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा यह किस प्रकार निर्णय किया जाता है कि कुछ फैडरेशन मान्यता पाने की हकदार है तथा कुछ नहीं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) रक्षा, डाक-तार और रेलों के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा यूनियनों/फैडरेशनों को मान्यता देने सम्बन्धी नियम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रक्षा :

1. सामान्य सिद्धान्त के अनुसार, श्रमिक यूनियनों या ऐसी यूनियनों के महासंघ को मान्यता देना और इसे जारी रखना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। परन्तु एक बार दी गई मान्यता को पर्याप्त कारणों के बिना समाप्त नहीं किया जाता तथा प्रस्तावित समाप्ति के विरुद्ध सम्बन्धित यूनियन को अभ्यावेदन करने का अवसर समाप्ति से पूर्व ही दिया जाता है।

2. किसी यूनियन के आवेदन-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाता, जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है।

(क) इसके सदस्य उसी उद्योग या उद्योगों, जो निकट रूप से सम्बद्ध है या एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, में नियोजित श्रमिक होना चाहिए।

(ख) इसे उस उद्योग या उद्योगों में नियोजित सभी कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

(ग) इसके नियमों में खण्ड (ख) में निर्दिष्ट श्रमिकों के किसी वर्ग को सदस्यता से निकालने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

(घ) हड़तालों को घोषित करने की प्रक्रिया संबंधी उपयुक्त उपबन्ध को यूनियन के नियमों या संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।

(ङ) नियमों में इसके कार्यकारी समिति की कम से कम छः मास में एक बैठक आयोजित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(च) यह भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन पंजीकृत होनी चाहिए।

(छ) यूनियन को राजनैतिक निधि नहीं रखनी होगी, सिवाय भारत सरकार की सामान्य या विशेष मंजूरी के और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो सरकार लगाती है।

(ज) फोरमैन, सहायक फोरमैन तथा चार्जमैन यूनियन के सदस्य न हो।

(झ) यूनिट लाइनों/मैसों में कार्यरत रसोईया, जल वाहक तथा एन० सी० एस० यू०/सिविलियन के अन्य समान वर्ग के कर्मचारी यूनियन के सदस्य नहीं हों।

3. यूनियम के प्रतिनिधित्व स्वरूप का पता लगाने के लिए यह देखना पर्याप्त होगा कि क्या इसके कम से कम 15 प्रतिशत श्रमिक, जिनका यूनियन प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, सदस्य हैं।

4. श्रमिकों के विभिन्न वर्गों अर्थात् लिपिकों, पर्यवेक्षक और कर्मकार की मिश्रित यूनियनों के सम्बन्ध में, मान्यता पर रोक लगाई जा सकती है, जब तक कि उनकी यूनियन में तीन वर्गों नामत: पर्यवेक्षक और कर्मकार, और यूनियनों में सदस्यों के रूप में शामिल होने के पात्र हैं, प्रत्येक वर्ग के कम से कम 15 प्रतिशत कर्मचारी उनके सदस्य नहीं बनते।

5. यूनियन के संघ को मान्यता देने से पूर्व, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य नहीं है कि संघ द्वारा प्रतिनिधित्व सभी यूनियनों को भी मान्यता प्राप्त हो।

6. संघ को सभी यूनियनों का प्रतिधित्व करता हुआ समझा जाएगा, यदि उसके रजिस्टर में श्रमिकों की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत हो।

7. इसी प्रकार, एक से अधिक प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के मामले में, मान्यता देने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक नहीं है कि इसके सदस्यता रजिस्टर में प्रत्येक प्रतिष्ठान के, जिनका वह प्रतिनिधित्व करना चाहती है, सदस्यों की निर्धारित प्रतिशतता होनी चाहिए। मान्यता उन प्रतिष्ठानों को, जिनका यूनियन प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, कुल संख्या के आधार पर दी जाएगी, बशर्ते कि अलग प्रतिष्ठानों की समस्याओं से संबंधित अभ्यावेदनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा, यदि यूनियन के रजिस्टर में अलग-अलग प्रतिष्ठानों के सदस्यों की निर्धारित प्रतिशतता है।

डाक और तार :

1. सामान्य सिद्धान्त के अनुसार, यह उल्लेखनीय है कि श्रमिक यूनियनों या ऐसी यूनियनों के महासंघ को मान्यता देना और इसे जारी रखना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। परन्तु एक बार दी गई मान्यता को पर्याप्त कारणों के बिना समाप्त नहीं किया जाता तथा प्रस्तावित समाप्ति के विरुद्ध सम्बन्धित यूनियन को कारण बताने का अवसर समाप्ति से पूर्व ही दिया जाता है।

2. यूनियन आवेदन पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाता जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है :—

(क) इसके सदस्य उसी उद्योग या उद्योगों, जो निकट रूप से सम्बद्ध है या एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, में नियोजित श्रमिक होने चाहिए।

(ख) इसे इस उद्योग या उद्योगों में नियोजित सभी कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

(ग) इसके नियमों में खंड (ख) में निर्दिष्ट श्रमिकों के किसी वर्ग को सदस्यत से निकालने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

(घ) हड़तालों को घोषित करने की प्रक्रिया सम्बन्धी उपयुक्त उपबन्ध को यूनियन के नियमों या संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।

(ङ) नियमों में इसके कार्यकारी समिति की कम से कम छः मास में एक बैठक आयोजित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(च) यह भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन पंजीकृत होनी चाहिए।

3. यूनियन के प्रतिनिधित्व स्वरूप का पता लगाने के लिए, यह देखना पर्याप्त होगा कि क्या इसके कम से कम 15 प्रतिशत श्रमिक, जिनका यूनियन प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, सदस्य हैं।

4. श्रमिकों के विभिन्न वर्गों अर्थात् लिपकों, पर्यवेक्षक और कर्मकार की मिश्रित यूनियनों के सम्बन्ध में मान्यता पर रोक लगाई जा सकती है, जब तक कि उनकी यूनियन में तीन वर्गों नामत: लिपिक, पर्यवेक्षक और कर्मकार, जो यूनियनों में सदस्यों के रूप में शामिल होने के पात्र हैं, प्रत्येक वर्ग के कम से कम 15 प्रतिशत कर्मचारी उनके सदस्य नहीं बनते।

5. यूनियन के संघ को मान्यता देने से पूर्व, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य नहीं है कि संघ द्वारा प्रतिनिधित्व सभी यूनियनों को भी मान्यता प्राप्त हो।

6. संघ को सभी यूनियनों का प्रतिनिधित्व करता हुआ समझा जाएगा, यदि उसके रजिस्टर में श्रमिकों की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत हो।

7. इसी प्रकार, एक से अधिक प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के मामले में, मान्यता देने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक नहीं हैं कि इसके सदस्यता रजिस्टर में प्रत्येक प्रतिष्ठान के, जिनका वह प्रतिनिधित्व करना चाहती है; सदस्यों की निर्धारित प्रतिशतता होनी चाहिए। मान्यता उन प्रतिष्ठानों की, जिनका यूनियन प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, कुल संख्या के आधार पर दी जाएगी। बशर्ते कि अलग-अलग प्रतिष्ठानों की समस्याओं से सम्बन्धित अभ्यावेदनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा, यदि यूनियन के रजिस्टर में अलग-अलग प्रतिष्ठानों के सदस्यों की निर्धारित प्रतिशतता है।

रेलवे :

रेलवे कर्मचारियों के किसी एसोसिएशन/यूनियन को मान्यता देना निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्तों के अनुसार सरकार के विवेक पर निर्भर करता है :—

1. इसमें रेलवे कर्मचारियों का अलग-अलग वर्ग होना चाहिए और इसे किसी जाति, समुदाय या धार्मिक समुदाय या ऐसी जाति, समुदाय या धार्मिक सम्प्रदाय के भीतर किसी ग्रुप या वर्ग के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए।

2. उसी श्रेणी के सभी रेलवे कर्मचारी सदस्यता के पात्र होने चाहिए।

3. इसे भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए।

4. इसकी सदस्य संख्या सम्बन्धित रेलवे में नियोजित अराजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

5. यह प्रान्तीय नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों के एक वर्ग का सीमित वर्ग वाली यूनियनों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए; और

6. रेलवे प्रशासन के विचार में यूनियन विनाशक कार्यकलापों में स्वयं को नहीं लगाएगी।

चालू वर्ष के दौरान विमान दुर्घटनायें

4973. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय वायु सेना में कितनी दुर्घटनायें हुईं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी विवरण क्या है, किस प्रकार की दुर्घटनाएं हुईं और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कितना हर्जाना दिया गया ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारतीय वायु सेना में 1-1-1981 से 15-3-1981 तक के कैलेण्डर वर्ष के दौरान दुर्घटना की दर प्रति 10,000 उड़ान घंटों में 0.97 रही है ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं के बारे में जांच अदालतें काम कर रही हैं। इन दुर्घटनाओं में तीन सेना अफसरों, दो सिविलियन पाइलटों और एक सिविलियन महिला की मृत्यु हुई । अधिक ब्यौरे प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं होगा ।

दुर्घटनाओं में मारे गए सेना अफसरों के परिवार अनुग्रहपूर्वक एवार्ड के अलावा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, परिवार रूपदान, विशेष परिवार पेंशन, संतान शिक्षा, भत्ता, ग्रुप बीमा योजनाओं के भुगतान और अन्य मुआवजों के हकदार हैं। इन देयों की अदायगी का निर्णय विभिन्न स्तरों पर है ।

जहां तक सिविलियन पाइलटों का सम्बन्ध है, इस बारे में मामला पंजाब सरकार, जो कि इनमें से एक दुर्घटना से संबद्ध विमान की मालिक और संचालक है, के पास है ।

इनमें से एक दुर्घटना में मारी गई सिविलियन महिला के निकटतम सम्बन्धी को प्रतिपूर्व समय-समय पर यथा संशोधित कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1962 के अनुसार की जायेगी ।

मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही

4974. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई प्रमुख अर्थ शास्त्रियों ने जिन्होंने 22 सितम्बर, 1980 को योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया था, यह आशंका व्यक्त की है कि छठी योजना के ढांचे में निर्धारित पांच प्रतिशत वृद्धि दर को मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि की वर्तमान दर से प्राप्त करना क्या संभव है ; और

(ख) यदि हां, तो मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित उपायों में, अन्य उपायों के साथ-साथ, उपयुक्त राजकोषीय और मुद्रा संबंधी नीतियों का अपनाना, कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, जहां कहीं आवश्यक हो वहां आवश्यक वस्तुओं का समय पर आयात करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, उसका विस्तार करना और उसे पुनः व्यवस्थित करना शामिल है।

अराकन पहाड़ियों में मिजो नेशनल फ्रन्ट के प्रशिक्षण केन्द्र

4975. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि मिजो नेशनल फ्रन्ट ने अराकन पहाड़ियों में अपना सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समाचारों में कोई सच्चाई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विद्रोहियों के साथ राजनीतिक समझौते के आधार पर मिजोरम में पुनः शांति स्थापित करने के लिए मिजो नेशनल फ्रन्ट के साथ बातचीत आरम्भ करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं। श्री लालडेंगा को उनके अनुरोध पर उनके साथियों से विचार-विमर्श करने के लिए मिजोरम की यात्रा करने की सुविधा दी गई थी। वे अभी तक वापिस नहीं आए हैं और इस विचार-विमर्श का परिणाम अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है।

उनके वापिस आने पर वार्ता जारी रहेगी।

सैनिक स्कूल और उनमें प्रवेश

4976. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, सैनिक स्कूलों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन स्कूलों में प्रवेश के लिए शैक्षिक योग्यताएं और शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या इन स्कूलों में प्रवेश के मामलों में बहुत बड़ा भाग शहरी क्षेत्रों के छात्रों का रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्रों को अधिक संख्या में प्रवेश देने के लिए उपाय निकालने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सैनिक स्कूलों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल कक्षा 6 से दिया जाता है और प्रवेश के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है तथा निम्नलिखित रूप से गठित बोर्ड द्वारा लिए गए साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिया जाता है :—

(1) प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल	—	अध्यक्ष
(2) जिलाधीश/उप आयुक्त का नामिति	—	सदस्य
(3) राज्य शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि	—	सदस्य

इसके अलावा उम्मीदवार स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त हों। 10 से 12 साल के बीच की आयु के लड़के इनमें प्रवेश पाने के पात्र हैं। इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक बार प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रवेश योग्यता क्रम के आधार पर ही दिया जाता है। फिर भी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। इसके अलावा 33 प्रतिशत स्थान रक्षा सेना कर्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध आंकड़ों से प्रकट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में सैनिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों में गांव के बच्चों का बाहुल्य रहा है।

विवरण

सैनिक स्कूलों की सूची

1. सैनिक स्कूल, सतारा (महाराष्ट्र)
2. सैनिक स्कूल, कुंजपुरा (हरियाणा)
3. सैनिक स्कूल, कपूरथला (पंजाब)
4. सैनिक स्कूल, बालाछड़ी (गुजरात)
5. सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
6. सैनिक स्कूल, कोरूकोंडा (आन्ध्र प्रदेश)
7. सैनिक स्कूल, कजाकूटम (केरल)
8. सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
9. सैनिक स्कूल, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)
10. सैनिक स्कूल, अमरावती नगर (तमिलनाडु)
11. सैनिक स्कूल, रीवा (मध्य प्रदेश)
12. सैनिक स्कूल, तिलैया (बिहार)

13. सैनिक स्कूल, बीजापुर (कर्नाटक)

14. सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा (असम)

15. सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल (उत्तर प्रदेश)

16. सैनिक स्कूल, नगरोटा (जम्मू व कश्मीर)

17. सैनिक स्कूल, इम्फाल (मणीपुर)

18. सैनिक स्कूल, सुजानपुर तीरा (हिमाचल प्रदेश)

तट रक्षक ड्यूटी के लिए हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि० की विमान की पेशकश

4977. **श्री नरेन घोष :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि० ने तट रक्षक ड्यूटी के लिए विमान की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपयुक्तता की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त पेशकश पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस बारे में सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

जन गणना कार्य

4978. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे भारत में समूचा जनगणना कार्य पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन क्षेत्रों में लोगों की गिनती नहीं की जा सकी और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इनकी गिनती कब तक की जायेगी ;

(घ) अब तक दिये गये मुख्य गणना (हेड-काउन्ट) के अस्थायी आंकड़े क्या हैं ; और

(ङ) जनगणना के अन्तिम आंकड़े कब तक तैयार हो जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जनसंख्या की गणना जम्मू तथा कश्मीर में मौसम स्थितियों के कारण और असम में गड़बड़ की स्थितियों के कारण नहीं की जा सकी।

(ग) जम्मू तथा कश्मीर में जनसंख्या की गणना 20-4-1981 से आरम्भ होगी और 10-5-1981 तक जारी रहेगी। असम में जनसंख्या की गणना यथासम्भव शीघ्रता से की जाएगी।

(घ) 18-3-1981 को जारी किये गये अस्थाई आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

जनसंख्या	68,38,10,051
पुरुष	35,33,47,249
महिलाएं	33.04,62,802

इन आंकड़ों में जम्मू तथा कश्मीर और असम के मामले में प्रक्षिप्त जनसंख्या शामिल है।

साक्षर :

कुल	23,79,91,932
पुरुष	15,88,37,215
महिलाएं	7,91,54,717

(ङ) जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े लगभग एक वर्ष पश्चात् तैयार होंगे और अन्य सारणियों का कार्य 1986 तक जारी रहेगा।

न्यूक्लियर तकनीक सप्लाई के लिए बड़ौदा में संयंत्र की स्थापना

4979. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ौदा में मलमूत्र से खाद आदि बनाने के लिए न्यूक्लियर तकनीक के लिए संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। बड़ौदा में गन्दे नालों के अवपंक को कोबाल्ट-60 स्रोत की सहायता से ऐसा बनाने के लिए कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद न रहे, 75.00 लाख रुपये की लागत से एक विकिरण संयंत्र लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। साफ किया गया अवपंक रोगजनक नहीं होगा तथा वह एक निरापद और उपयोगी उर्वरक रहेगा।

तालचेर भारी जल परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब

4981. **श्री के० प्रधानी**
श्री चन्द्रजीत यादव } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50 करोड़ रुपये की लागत वाली तालचेर भारी जल परियोजना की क्रियान्विति में यहां ही पांच वर्ष का विलम्ब हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव की शीघ्र क्रियान्विति के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) (i) तेल संकट के कारण कच्चा माल देने की अवधि के बढ़ा दिए जाने और यूरोपीय बाजारों में कच्चे माल की जबर्दस्त मांग के कारण हुआ विलम्ब; (ii) जो दो टावर समुद्र में गिर गए थे, उनके बदले नए टावर मंगाने के लिए आर्डर देना; (iii) भारतीय निर्माताओं द्वारा काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने में विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण हुआ बिलम्ब; और (iv) विदेशी सहयोगियों के साथ की गई संविदा-1 में संशोधन को अन्तिम रूप देने में हुआ बिलम्ब ।

(ग) वर्ष 1980 में संयंत्र की जांच करने और उसे चालू करने के काम किए जाते रहे । विभिन्न तंत्रों की जांच दाब की स्थिति में की जा चुकी है । तरल अमोनिया के पम्प, एकमात्र ऐसे उपस्कर है जिनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है । उन पम्पों की जांच की जा रही है । यदि उर्वरक संयंत्र से सिंथेसिस गैस अपेक्षित मात्रा में प्राप्त हुई तो संयंत्र अगस्त, 1981 के अंत तक काम करने लगेगा ।

सीमेंट अनुसन्धान विधि

4982. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही**
श्री जनार्दन पुजारी } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट अनुसंधान के लिए निदेश देने वाली सीमेंट अनुसंधान योजनाओं को निदेश देने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 1981 को समिति के पास कितनी धनराशि थी और तत्सम्बन्धी क्या कारण थे;

(ग) इस लेखे में से सीमेंट और सम्बन्ध उद्योगों से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थानों के लिए गत चार वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि रखी गई थी; और

(घ) सीमेंट अनुसंधान विधि से लाभ प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/संगठनों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। सीमेंट रिसर्च निर्देशन समिति ने सीमेंट रिसर्च योजना की शुरूआत की थी तथा उसने अभी तक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की 72 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। उसी के मार्गदर्शन में सीमेंट रिसर्च संस्थान द्वारा एक संयुक्त अनुसंधान और विकास (कारपोरेशन रिसर्च डवलपमेंट) योजना भी तैयार कर ली गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सीमेंट रिसर्च संस्थान को दिये गए आधारिक अशदान के अलावा सीमेंट रिसर्च निधि के लिए, क्षेत्रवार अथवा रिसर्च संस्थानवार अलग से कोई भी सीमेंट रिसर्च निधि पूर्व निश्चित नहीं की गई है। सीमेंट रिसर्च के लिए बनाई गई निर्देशन समिति द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान योजनाओं के लिए निम्नलिखित धनराशि को स्वीकृति की गई है :—

	(रुपये लाखों में)
1976-77	150.54
1977-78	115.05
1978-79	6.27
1979-80	132.55

सीमेंट रिसर्च संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के अलावा, इन स्वीकृतियों के अन्तर्गत सीमेंट सर्विस ब्यूरो मद्रास, इण्डियन सुगर एण्ड जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन यमुनानगर तथा वर्टिकल शेफ्ट विलन प्रौद्योगिकी के आधार पर मिली सीमेंट संयंत्रों का विकास करने के लिए श्री दुर्गा सीमेंट कम्पनी लि०, भारेछनगर तथा लोकपुर सीमेंट्स, लोकपुर को दी जाने वाली सहायता भी जाती है।

भास्कर-2 छोड़ा जाना

4983. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे भारतीय उपग्रह भास्कर-2 को चालू वर्ष के मध्य में कब छोड़े जाने का विचार है;

(ख) यह उपग्रह अन्तरिक्ष में कितने समय तक रहेगा तथा वहां कार्य करेगा; और

(ग) इस उपग्रह पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है तथा क्या पूर्व उपग्रह पर हुए व्यय की तुलना में यह व्यय कम होगा अथवा अधिक ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) दूसरे भारतीय उपग्रह भास्कर-II की इस वर्ष के उत्तरार्ध में छोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसके छोड़े जाने की सही तारीख अभी तय नहीं की गई है।

(ख) उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह का निर्धारित जीवन लगभग एक वर्ष का है।

(ग) उपग्रह पर 140 लाख रुपये की राशि के खर्च होने की संभावना है और यह राशि पिछले उपग्रह पर खर्च की गई राशि से कम है।

लघु उद्योगों के लिए राष्ट्रीय आयोग की मांग

4984. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों के लिए राष्ट्रीय आयोग हेतु कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) अगस्त, 1980 में सरकार को प्रस्तुत किये गए एक ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की तरह का एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का भी सुझाव दिया गया था। आयोग के स्वरूप तथा कार्यों का ब्यौरा नहीं बताया गया था। फिर भी ऐसा कोई आयोग नियुक्त करने के बारे में फिलहाल कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्यों में पुलिस द्वारा एसोसिएशन यूनियन बनाना

4985. **श्री वी० एस० विजयराघवन**
श्री एन० डेनिस } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में पुलिस ने एसोसिएशन/यूनियन बनाई है;

(ख) क्या एसोसिएशन की स्थापना का पुलिस बल में अनुशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या केन्द्र ने इस मामले पर राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अब तक 18 राज्यों में पुलिस कार्मिकों की ऐसोसिएशनें बनाए जाने की सूचना मिली है।

(ख) जी हां, श्रीमान। हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि ऐसोसिएशन की स्थापना ने पुलिस बल के अनुशासन को प्रभावित किया है।

(ग) तथा (घ) पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम 1966 और इसके अधीन बनाए गए नियमों में पुलिस कार्मिक की ऐसोसिएशनों को मान्यता देने और ऐसी ऐसोसिएशनों को प्रदान की गई मान्यता को निलम्बित करने की भी पहले से ही व्यवस्था है। ऐसोसिएशन बनाने के बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर 6 जून, 1979 को हुए पुलिस सुधारों सम्बन्धी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। इस सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि निम्नलिखित मार्ग दर्शी निदेशों के अधीन पुलिस एसोसिएशन को मान्यता दी जा सकती है।

(1) सदस्यता केवल सेवा कर रहे पुलिस कर्मचारियों तक सीमित होगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो अथवा नहीं, सदस्यता अथवा ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने अथवा इसके साथ सलाह मशविरा अथवा क्षमता से सहबद्ध होने का पात्र नहीं होगा।

(2) सदस्यों को कार्य रोकने अथवा अपनी सेवाओं को ठप्प करने अथवा किसी भी ढंग से अपने कार्यों को पूरा करने, अन्यथा विलम्ब करने का अधिकार नहीं होगा।

(3) एसोसिएशन अपनी शिकायतों के निवारण के लिए किसी अवपीड़क पद्धति अथवा आन्दोलन का सहारा नहीं लेगी।

(4) एसोसिएशन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे बल की कार्यकुशलता पर असर पड़े अथवा इसके अनुशासन में कमी आये।

(5) एसोसिएशन पुर्णतः गैर-राजनैतिक होगी और किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं होगी।

जैसी कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सिफारिश की है, राज्य सरकारों ने पुलिस कर्मचारियों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों की ऐसोसिएशनें बनाने की भी अनुमति दी है।

मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को सोयाबीन परियोजना स्थापित करने के लिए लाइसेंस

4986. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को मध्य प्रदेश के विदिशा वामक स्थान पर एक सोयाबीन परियोजना स्थापित करने के लिए लाइसेंस मिला है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस का ब्यौरा क्या है, क्या वस्तुएं बनाने का प्रस्ताव है तथा उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(ग) उस एकक ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(घ) उस परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां। 16-5-79 को एक आशय पत्र जारी किया गया था।

(ख) संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

विनिर्माण की वस्तु	वार्षिक क्षमता (मी० टन)
1. सोया आहार (मील)	36,000
2. सोया (फ्लोर)	25,000
3. प्रोटीन सान्द्रण	10,000
उपोत्पाद	
4. लेसिथिन (फूड़ ग्रेड और वाणिज्यिक ग्रेड)	1,000
5. सोयाबीन तेल	6,000

(ग) और (घ) उपर्युक्त आशय पत्र 1 वर्ष अर्थात 15-5-80 तक वैध था। 6 महीने समय बढ़ाने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। पार्टी को समय बढ़ाने की आगे अनुमति नहीं दी गई है।

आठवीं में नेपाली भाषा को शामिल किया जाना

4987. **श्री आनन्द पाठक**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या गृह मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राजनीतिक दलों, साहित्यिक, सामाजिक और जन संगठनों ने नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने के लिए गत वर्ष सरकार को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांग सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर ली थी और उन्हे विश्वास दिलाया था कि उनकी मांग पूरी करने के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का संविधान में उचित प्रकार से संशोधन कब करने और उक्त संविधान को अष्टम सूची में नेपाली भाषा को शामिल करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां श्रीमान । समय-समय पर इस आशय की मांग की जाती रही है ।

(ख) और (ग) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय भविष्य निधि स्टाफ एसोसिएशन द्वारा मांग पत्र

4988. **श्री रास बिहारी बहरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि स्टाफ ऐसोसिएशन ने कुछ मांगे मनवाने के बारे में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एक मांग पत्र दिया गया है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा मांगों के बारे में समझौता करने के लिए कोई प्रयास किए गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने निम्नलिखित सूचित किया है :—

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त एसोसिएशन का पत्र, जिसमें मांगों की सूची दी गई है, हाल ही में प्राप्त हुआ है । उस पर विचार किया जा रहा है ।

अखबारी कागज का आयात

4989. **श्री हरि नाथ मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितना अखबारी कागज आयात किए जाने की संभावना है ।

(ख) वर्ष 1980-81 सौर 1981-82 के दौरान देश में अखबारी कागज का कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) क्या अखबारी कागज की कुल मांग को पूरा करने के लिए देश में ही उतना उत्पादन नहीं किया जा सकता; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) यदि हां, तो कैसे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान अखबारी कागज के प्रस्तावित आयात का परिणाम क्रमश: लगभग 3.10 लाख मी० टन तथा 3.50 लाख मी० टन है ।

(ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में देश का प्रत्याशित अखबारी कागज के उत्पादन का परिमाप क्रमश: लगभग 50,000 मी० टन तथा 60,000 मीटर टन है।

(ग) और (घ) चालू योजनाओं को क्रियान्वित करने से भी देशों में मांग के अनुरूप अखबारी कागज का उत्पादन होने की संभावना नहीं है। अखबारी कागज के अपर्याप्त उत्पादन होने का मुख्य कारण उपयुक्त कच्चे माल की कमी हैं जिसके कारण अधिकता यांत्रिकीय लुगदी परिष्करण प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

साम्प्रदायिक दंगे

4990. **श्री रसीद मसूद**
श्री ए० के० राय } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978 से दिसम्बर, 1980 के अन्त तक देश में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) उन राज्य (क्षेत्रों सहित) के नाम क्या है जहां से साम्यप्रदायिक दंगे हुए;

(ग) कितने आदमी मारे गए/घायल हुए; और

(घ) दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो उसकी राशि कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि की सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राज्य सरकारें पात्र मामलों में पीड़ितों को उनकी तत्काल आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत के रूप में अनुग्रहपूर्वक अनुदान देती है। सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की अदायगी का कोई प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में रोजगार के अवसर

4991. **श्री घिरदा राम फुलवारिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति क्या है; और

(ख) राज्य में अधिकाधिक रोजगार के अवसर बनाने के लिए विचाराधीन याजनाओं के नाम क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 31-12-1980 को नौकरी चाहने वालों की संख्या (उनमें से अनिवार्यत: सभी बेरोजगार नहीं है) इसे सम्बन्धित उपलब्ध सूचना संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ख) आई० आर० डी० पी०, ग्रामीण एवं लघु उद्योग कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्व: रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना, जैसी बहुसंख्यक योजनाएं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न आय-अर्जक व्यवसाय राजस्थान राज्य में कार्यान्वित किये जा रहे हैं ; आपरेशन फ्लड-II डेरी विकास परियोजना को, जिसकी योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए परिकल्पना की गई है, राजस्थान राज्य में भी कार्यान्वित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए अन्तोदय योजना कार्यान्वित कर रही है ।

विवरण

(हजारों में)

	राज्य	31-12-1980 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1442.2
2.	असम	314.7
3.	बिहार	2298.0
4.	गुजरात	469.9
5.	हरियाणा	357.1
6.	हिमाचल प्रदेश	141.0
7.	जम्मू व कश्मीर	51.4
8.	कर्नाटक	597.1
9.	केरल	1579.1
10.	मध्य प्रदेश	826.7
11.	महाराष्ट्र	1229.8
12.	मणिपुर	102.5
13.	मेघालय	9.8
14.	नागालैंड	5.1
15.	उड़ीसा	441.2
16.	पंजाब	452.6
17.	राजस्थान	361.7
18.	सिक्किम*	*
19.	तमिलनाडु	1092.2
20.	त्रिपुरा	70.9
21.	उत्तर प्रदेश	1357.5
22.	पश्चिम बंगाल	2536.4

	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबर दीप समूह	9.5
2.	अरुणाचल प्रदेश*	*
3.	चंडीगढ़	62.6
4.	दादरा और नगर हवेली*	*
5.	दिल्ली	307.0
6.	गोवा	29.2
7.	लक्षद्वीप	4.2
8.	मिजोरम	16.8
9.	पांडिचेरी	38.0
	अखिल भारतीय योग	16200.3

नोट : *(1) इन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

(2) इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात को छोड़कर, विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों से सम्बन्धित आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(3) यह जरूरी नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं।

(4) पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण, यह जरूरी नहीं है कि सभी बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवाएं।

(5) पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल नहीं खाते हैं।

कोयला खानों में होने वाली मौतों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की रिपोर्ट

4992. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1978 में सरकार द्वारा आमंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के विशेषज्ञ दल ने कोयला खानों में होने वाली मौतों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) क्या उन्होंने बताया है कि खान में छत और दीवार का ढहना खान दुर्घटनाओं का मुख्य कारण रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस आपदा को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कार्य दशाओं और पर्यावरण में सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पी० आई० ए० सी० टी० के अन्तर्गत नियुक्त सलाहकारों ने खान सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने और सलाह देने के लिए दिसम्बर, 1978 में भारत का दौरा किया। अध्ययन के लिए चुने गए कार्य क्षेत्रों में से एक कार्य क्षेत्र कोयला खानों में छत और दीवारों के होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना था।

(ग) छत और दीवारों के गिरने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है या करने का प्रस्ताव है :—

(1) पावर सपोर्ट के साथ लांगवाल खनन को प्रारम्भ करना;

(2) बोर्ड और पिल्लर खनन के स्थान पर यन्त्रीकरण;

(3) छत के गिरने को रोकने के लिए उपयुक्त सपोर्ट प्रणाली को आरम्भ करना;

(4) खनन कम्पनियों और खान सुरक्षा महानिदेशालय में स्ट्राटा कन्ट्रोल यूनिटों की स्थापना;

(5) बहु-कौशलों का विकास, ताकि प्रणाली एक्सपोज्ड छत के नीचे कम से कम श्रमिक सम्पर्क में आएं।

अनुभाग अधिकारियों की पात्रता सूची

4993. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 और 1980 के लिए अनुभाग अधिकारियों की पात्रता सूची अब तक तैयार नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) अनुभाग अधिकारियों की उस पात्रता सूची को उचित समय के भीतर प्रकाशित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) 1979 और 1980 के लिए अनुभाग अधिकारियों की पात्रता सूची किस तिथि तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुभाग अधिकारियों की प्रवर सूचियां जारी करने में कोई परिहार्य विलम्ब नहीं होता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में उद्योगों की स्थापना

4994. **श्री एडुआर्डो फलेरो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की स्थापना के लिए क्षेत्रों का चयन कर लिया है जिससे इसका आर्थिक विकास किया जा सके : और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना वार कितनी धनराशि नियत की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के स्थापनास्थल तकनीकी आर्थिक बातों पर निर्भर करते हैं। संघशासित क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संघ-शासित प्रशासन के परामर्शदात्री संगठन, औद्योगिक विकास निगम, आर्थिक विकास निगम जैसे विभिन्न निगम संगठन मौजूद हैं। गोआ, दमन और दिव का इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन संघ शासित क्षेत्र में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने का कार्य करता है। निगम द्वारा औद्योगिक बस्तियों में निर्मित अधिकांश शेडों का इस्तेमाल लघु एककों को स्थान देने के लिए किया जा रहा है। संघशासित प्रशासन का प्रस्ताव इस प्रकार की तीन और बस्तियों की स्थापना करने का है जिनकी 1984-85 तक कुल संख्या 11 हो जाएगी। ग्रामीण और लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों की स्थापना निजी और सहकारिता क्षेत्र में की जाती है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में सम्मिलित की गई परियोजनाएं मुख्य रूप से सम्वर्धनकारी होती हैं जैसे—प्रशिक्षण, विपणन सहायता, कच्चे माल का संभरण अनुसंधान तथा विकास इत्यादि।

गोआ, दमन और दिव में उद्योगों का विकास करने के लिए निम्नलिखित परिव्यय की स्वीकृति दी गई है :

क्षेत्र	परिव्यय (लाख रुपयों में)	
	छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	वार्षिक योजना (1981-82)
1, बड़े और मझोले उद्योग क्षेत्र	600.00	100.00
2. ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र	250.00	50.00

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

4995. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को 17 नवम्बर, 1973 से 31 जनवरी, 1978 की अवधि तक के लिये 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया या हालांकि यह सी० बी० आई० के कर्मचारियों को दिया गया था ;

(ख) दिल्ली के अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और दिल्ली में निर्वाह के बढ़ते हुए व्यय को देखते हुए उनके वेतन मानों में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वित्त मंत्रालय के 30-9-74 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रतिमाह 750/- रुपए तक वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी जो नि:शुल्क आवास के हकदार है, 25 प्रतिशत से अधिक किराया की अदायगी करने की किराया रसीद प्रस्तुत करने पर ही नि:शुल्क आवास के स्थान पर 15 प्रतिशत मकान किराये भत्ते और 10 प्रतिशत 7½ प्रतिशत प्रतिपूरक भत्ते के हकदार हैं, अन्यथा यह हकदारी अदा किये गये वास्तविक किराये अथवा 15 प्रतिशत मकान किराये भत्ते, जैसा अन्य कर्मचारियों को स्वीकार्य है के हकदार हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने सम्बधित कर्मचारियों के विषय में इस आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित कर दिया है। दिल्ली पुलिस/दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अभी तक किसी भी पात्र पुलिस कार्मिक ने अपने दावे के समर्थन में किराये की रसीद प्रस्तुत नहीं की है। अत: 1.11.1973 से 31.1.1978 तक बढ़ी हुई दरों पर मकान किराया, भत्त के भुगतान न करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) और (ग) पंजाब और हरियाणा के पुलिस कार्मिकों की परिलब्धियों दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कार्मिकों को ग्राहय परिलब्धियों की तुलना में थोड़ी अधिक हैं। पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का आम पुनरीक्षण किया गया है और न कि इन राज्यों में विशिष्ट रूप से पुलिस कार्मिकों के वेतन-मानों का जब तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनर्रीक्षण का कार्य शुरू नहीं किया जाता है, दिल्ली पुलिस कार्मिकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने पर विचार करना सम्भव नहीं है। जीवन यापन की वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिये समय-समय पर मंहगाई भत्ते की किश्तें दी जाती है।

थल सेना में मछेरे

4996. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मछेरों को भारतीय थल सेना में उतना स्थान नहीं दिया जा रहा है जितना उन्हें पहले मिलता था;

(ख) क्या थल सेना में भर्ती के लिए मछेरों को प्राथमिकता देने के लिए किसी व्यवस्था पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सेना में भरती सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है चाहे उनकी जाति, वंश, धर्म या व्यवसाय कुछ भी हो। सेना में जाति/समुदायवार आंकड़े नहीं रखे जाते है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरी व्यापार मेले में भाग लेने वाले सरकारी उपक्रम

4997. **श्री धर्मवास शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा प्रगति मैदान में हाल ही में आयोजित इंजीनियरी व्यापार मेले में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों ने भाग लिया ;

(ख) क्या इन उपक्रमों के मण्डपों के नाम, ब्यौरे आदि के बोर्ड हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थे ;

(ग) क्या उनके द्वारा दर्शकों को वितरित की गई पुस्तिकाएं आदि हिन्दी में थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या राजभाषा आयोग ने पहले आयोजित मेलों के लिए आदेश दिये थे कि इस प्रयोजन के लिए दोनों भाषाओं अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाये और यदि हां, तो स्पष्ट आदेशों के बावजूद हिन्दी की उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ द्वारा फरवरी 1981 में आयोजित इंजीनियरी व्यापार मेले में सरकारी क्षेत्र के 16 उपक्रमों ने भाग लिया।

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक विकास की दर

4998. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1978, 1979 और 1980 के दौरान औद्योगिक विकास की दर कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि 1980 के दौरान पिछले दो वर्षों की तुलना में विकास की दर विशेष रूप से कम थी; और

(ग) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में 1980 के दौरान पृथक-पृथक कितनी विकास दर थी और धीमें विकास के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त औद्योगिक उत्पादन के अनन्तिम सूचकांक के आधार पर 1977 की तुलना में 1978 में, 1978 की तुलना में 1979 में तथा 1979 की तुलना में 1980 में देश में औद्योगिक विकास की दर क्रमशः 6.9, 1.2 तथा 0.6 प्रतिशत होने का हिसाब लगाया गया है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक एक मिली-जुली तस्वीर प्रस्तुत करता है।

1980 का वर्ष पिछली अवस्थापना सम्बन्धी कमियों, औद्योगिक अशान्ति तथा कुछ अन्य अड़चनों के साथ शुरू हुआ। औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालने वाले कारणों पर उच्चतम स्तर पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और विभिन्न अड़चनों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

मुख्य अनुसूचित जनजातियां

4999. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुख्य अनुसूचित जनजातियों के नाम तथा उनकी जनसंख्या उनके विकास की अवस्थाओं, (एक) खेती करने वाली (दो) शिफ्ट में खेती कर रहे, (तीन) जो खेती करना नहीं जानते, के अनुसार वर्गीकृत संख्या क्या है तथा वे देश में कहां रहते हैं और उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो दशकों में, उनके विकास की अवस्थाओं के विशेष सन्दर्भ में ऐसी प्रत्येक जनजाति की जनसंख्या के विकास की दर क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ जनजातियों की जन संख्या में कमी हो रही है और वे प्रायः समाप्त होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी जनजातियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है और उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजातियों के विकास की अवस्थाओं के अनुसार सूचना संकलित नहीं की गई है। परन्तु प्रत्येक जनजाति में किसानों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना मजदूरों के औद्योगिक वर्गीकरण सम्बन्धी सारणी में प्रकाशित की जाती हैं, जो छप रही हैं, जहां तक 1971 की जनगणना का सम्बन्ध है। चूंकि अनुसूचित जनजातियों के विकास की अवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना संकलित नहीं की गई है, इसलिए उनकी जनसंख्या की वृद्धि दरें भी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि क्या कुछ अनुसूचित जनजातियों की स्थायी कमी हो रही है अथवा वे समाप्त हो रही है। परन्तु अलग-अलग अनुसूचित जनजातियों की वृद्धि भी नहीं हुई है। क्या किसी समुदाय की जनसंख्या में कमी हो रही है और वह समाप्त होती जा रही है, यह लम्बी अवधि की जनसंख्या विवरणियों के वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है, जो इस समय उपलब्ध नहीं है। किसी ऐसी जनजाति का मामला हो सकता है, जिसकी संख्या कम हो गई है, परन्तु अनेक अन्य तत्व भी हो सकते हैं, जैसे बाद की जनगणना में कोई भिन्न नाम लिखाने वाला कोई समुदाय, व्यावसायिक गतिशीलता, अन्य कारणों से आप्रवास इत्यादि। कुल मिलाकर देश में अनुसूचित जनजातियों के वर्ग में 1961-71 के दशक में लगभग 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो सामान्य जनसंख्या की वृद्धि, जिसमें इसी अवधि के दौरान लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, की तुलना में थोड़ी अधिक है।

राष्ट्रीय कैडिट कोर के 'बी' और 'सी' प्रमाणपत्र धारियों को रोजगार के अवसर

5000. **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय राष्ट्रीय कैडिट कोर के 'बी' और 'सी' प्रमाणपत्र धारियों को रोजगार के अवसर देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या सरकार राज्य पुलिस सेवा अथवा सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस और सी० डी०, अग्नि शमन सेवाओं आदि में प्रवेश के लिए कैडिटों के चयन के लिए निदेशालय में विशेष सैल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एन० सी० सी० कैडेट जिनके पास 'बी' और 'सी' प्रणामपत्र हैं, रोजगार के मामले में उन्हें पहले से ही कुछ रियायतें प्राप्त हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

'बी' और 'सी' प्रमाण पत्र रखने वाले एन० सी० सी० कैडेटों को रोजगार के मामले में मिलने वाली रियायतें

(क) **थल सेना**—संघ लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षा पास कर लेने के बाद नियमित सेना में कमीशन देने के लिए आई० एम० ए० के प्रत्येक कोर्स में एन० सी० सी० 'सी' प्रमाण-पत्र रखने वालों के लिए 32 रिक्त स्थान आरक्षित रखे जाते हैं।

(ख) **नौ सेना**—नौ सेना में सीधे कमीशन मंजूर किए जाने के लिए 'सी' प्रमाणपत्र रखने वालों को स्पेशल इन्टरी कैडेट के रूप में चयन के लिए हर कोर्स में 6 रिक्त स्थान आरक्षित रखे जाते हैं और इन कैडेटों को संघ लोक सेवा आयोग प्रवेश परीक्षा में बैठने से भी छूट दी गई है।

(ग) **वायु सेना**—एन० सी० सी० एयर विंग कैडेटों को जिनके पास 'सी' प्रमाण-पत्र हैं पायलट प्रशिक्षण कोर्स के लिए हर कोर्स में 10 रिक्त स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। इन कैडेटों को संघ लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है।

(घ) **थल सेना और नौ सेना के अन्य रैंकों में भरती के लिए**—एन० सी० सी० के जिन कैडेटों ने 'बी'/'सी' प्रमाण-पत्र परीक्षा पास की है, उन्हें थल सेना और नौसेना में भरती के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) **तट रक्षक संगठन**—एन० सी० सी० कैडेटों को तट रक्षक संगठन में भरती के लिए अर्हता परीक्षा में 10 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं।

(च) **सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स**—एन० सी० सी० के 'बी' प्रमाणपत्र और 'सी' प्रमाणपत्र रखने वालों को जो तृतीय श्रेणी में स्नातक हैं उन्हें कम्पनी कमाण्डरों और उप अधीक्षक पुलिस के पद के लिए पात्र माना जाता हैं। जब कि दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी में डिग्री निर्धारित की गई है।

(छ) **सीमा सुरक्षा बल**—सीमा सुरक्षा बल में भरती के लिए अन्य उम्मीदवारों की तुलना में एन० सी० सी० कैडेटों को प्राथमिकता देने के लिए कुछ कृपांक दिए जाते हैं।

(ज) **भारत तिब्बत सीमा पुलिस**—भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुछ अफसर, संवर्ग के पदों के लिए और अन्य रैंकों में भरती के सम्बन्ध में अन्य उम्मीदवारों की तुलना में एन० सी० सी० के 'सी' प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

(झ) **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल**—सहायक कमाण्डेंट के पद पर सीधी भरती के लिए 'बी' और 'सी' प्रमाणपत्र रखने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ञ) एन० सी० सी० के 'बी' और 'सी' प्रमाणपत्र रखने वाले कैडेटों को राज्य पुलिस दल में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्राथमिकता देते हैं :—

1. जम्मू व कश्मीर
2. बिहार
3. हरियाणा
4. मध्य प्रदेश
5. उड़ीसा
6. हिमाचल प्रदेश
7. केरल
8. तमिलनाडु
9. गुजरात
10. कर्नाटक
11. नागालैंड
12. दादरा और नागर हवेली

13. पांडीचेरी

14. त्रिपुरा

15. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

16. अरुणाचल प्रदेश

इण्डियन रेयर अर्थ फैक्टरी, चावडा में नियमित स्वरूप का कार्य ठेके पर दिया जाना

5001. **श्री बी० के० नायर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावडा में इंडियन रेयर अर्थ फैक्टरी में, खनन, परिवहन और नौवहन जैसे नियमित कार्य ठेके पर दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में ठेका किन-किन ठेकेदारों को दिया गया और यदि ठेका संगठनों द्वारा लिया गया, तो उनके नाम क्या हैं और उनकी सदस्यता और उनके मुख्य पदाधिकारियों के बारे में अन्य ब्योरा क्या है;

(ग) प्रति कार्य-यूनिट दर क्या है और इस अवधि में, प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और श्रमिकों को कितनी मजूरी दी गई;

(घ) क्या सरकार का इस प्रथा को समाप्त करने और श्रमिकों को नियमित रूप से खपाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों मे राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) खनन-कार्य, जो मानसून के दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में लगभग 180 से 200 दिन तक किया जाता है, और नौवहन तथा परिवहन का काम, जो कि वर्ष में लगभग 90 से 100 दिन तक चलता है, ठेके पर कराए जाते हैं।

(ख) नीचे यह बताया जा रहा है कि किस-किस ठेकेदार को किस-किस वर्ष में काम दिया गया :—

वर्ष	खनन-कार्य	नौवहन
1977-78	श्री एम० एस० पणिक्कर	पोर्ट वर्कमैन्स कोआपरेटिव सोसायटी, क्यू-134, चवारा
1978-79	श्री एम० एस० पणिक्कर श्री हिलाल मोहम्मद	-वही-
1979-80	श्री हिलाल मोहम्मद श्री वी० जी० जार्ज	-वही-

कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, पोर्ट वर्कमैन्स कोआपरेटिव सोसायटी के मुख्य पदाधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1.	श्री एस० जान	अध्यक्ष
2.	श्री वसु पिल्लै	सचिव
3.	श्री पी० के० दिवाकरन	निदेशक
4.	श्री एम० पुरुषोत्तम नायर	निदेशक
5.	श्री ऐडिविन सुराव	निदेशक
6.	श्री के० चन्द्रशेखरन पिल्लै	निदेशक
7.	श्री वी० भास्करन पिल्लै	निदेशक

सोसयटी को सदस्यता का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए काम की प्रति यूनिट दरें और ठेकेदारों को दी गई राशि नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	अवधि	ठेकेदार का नाम	दर प्रति मीटरिक टन	दी गई कुल राशि (रुपए)
खनन				
1977-78	1-4-77 से 31-5-77	श्री एम० एस० पणिक्कर	15.00	23,86,703.41
	1-6-77 से 31-3-78	-वही-	15.51	
1978-79	1-4-78 से 31-5-78	-वही-	15.51	21,89,105.31
	1-7.78 से 31-10.78	-वही-	15.93	
	1-1-79 से 31-3-79	श्री हिलाल मोहम्मद	16.45	
		+पैकिंग और अग्रेषण	1.00	
1979-80	1-4-79 से 31-5-79	श्री हिलाल मोहम्मद	16.45	35,96,070.29
		+पैकिंग और अग्रेषण	1.00	
	1-6.79 से 31-3.80	श्री वी० जी० जार्ज	18.75	

1	2	3	4	5
नौवहन				
1977-78	1-4-77 से 31-5-77	पोर्ट वर्कमैन्स कोआपरेटिव सोसायटी, चवारा	31.00	22,84,840.00
	1-11-77 से 31-3-78	-वही-	31.00	
1978-79	1-4-78 से 31-5-78	-वही-	31.00	27,12,375.00
	1-11-78 से 31-3-79	-वही-	33.50	
1979-80	1-4-79 से 31-5-79	-वही-	33.50	33,87,964.00
	1-11-79 से 31-3-80	-वही	36.40	

चूंकि ठेकेदार को भुगतान प्रति टन के हिसाब से किया जाता है, इसलिए ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी के सही ब्यौरे की जानकारी सरकार को नहीं है।

(घ) सार्वजनिक खनन कार्य का सम्बन्ध है कम्पनी के प्रबन्धक ठेके की प्रथा को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

(ङ) यूनियनों से साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है कि ठेके कि प्रथा को किस ढंग से समाप्त किया जाए, काम के तरीकों में क्या सुधार किया जाए और श्रम-शक्ति को किस तरह विनियमित किया जाए।

(च) चूंकि परिवहन और नौवहन का काम पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है, इसलिए कम्पनी का विचार इसे विभागीय स्तर पर करने का नहीं है।

सेवा निवृत्त रिजर्व सैनिकों को उनके द्वारा धारण किए गए पदों से निम्न श्रेणी के पदों पर लगाया जाना

5002. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मन्त्रालय के सेवा निवृत्त रिजर्व सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों को बहुधा सिविल सेवा के उन पदों पर लगाया जाता है जो उनके द्वारा पहले से धारण किए गए पदों से निम्न श्रेणी के होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार होने वाले अपमान और वित्तीय हानि से बचाव के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) रक्षा सेवा के सेवा निवृत्त रिजर्विस्टों और अन्य भूतपूर्व सैनिकों को सिविल नौकरियों में पुनर्नियोजित करना मुख्यतः उनकी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताओं और सेवाओं के दौरान प्राप्त किए अनुभव पर आधारित है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को सिविल में नौकरियां देने की समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक अन्तर मन्त्रालय समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को सिविल नौकरियों में पुनर्नियोजित किए जाने के बारे में अनेक रियायतें दी हैं। इन रियायतों, आरक्षण और सिविल नौकरियों में पुनर्नियोजन के लिए दी गई छूट का ब्यौरा संक्षेप में संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की गई शिकायतें, आरक्षण और छूट का ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है :—

(1) सेना के शिक्षा सम्बन्ध प्रमाण-पत्र की सिविल परीक्षा के समकक्ष मान्यता।

(2) सेना के व्यवसायों को राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय प्रशिक्षु सेवा योजना के अन्तर्गत जिन व्यवसायों का अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जाता है उनके समकक्ष लाना।

(3) समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं में छूट।

(4) समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए आरक्षण।

(5) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित समूह 'ग' और 'ख' (अराजपत्रित) के लिए परीक्षा/आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट।

(6) युद्ध/शान्ति काल में निशक्त हुए रक्षा सेवा कार्मिकों को रोजगार देने के लिए प्राथमिकता देना।

(7) युद्ध/शान्तिकाल में वीरगति प्राप्त रक्षा सेवा कार्मिकों के परिवार के दो सदस्यों तक प्राथमिकता II मंजूर करना।

(8) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में पुनर्नियोजित सेना के पेंशनरों के वेतन का निर्धारण।

जनगणना कार्य पूरा किया जाना

5003. **श्री दौलत राम सारण**
श्री सन्तोष मोहन देव
श्री जगदीश टाईटलर
श्री अमर राय प्रधान
श्री चित्त महाटा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना कार्य किस तारीख को शुरू किया गया था और कब तक इसके पूरा हो जाने की आशा है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या-क्या सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी;

(ग) इस कार्य पर कुल कितना खर्च आएगा;

(घ) अन्य देशों में की जाने वाली जनगणना और हमारे देश में की जाने वाली जनगणना में मूल अन्तर क्या है; और

(ङ) प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के बाद जनगणना करने का क्या औचित्य है और 18 वर्ष (न्यूनतम व्यस्क वय सीमा) की अवधि के बाद ही इसे करने में क्या आपत्ति है और क्या इससे खर्च में कमी आएगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जनसंख्या की वास्तविक गणना 9 फरवरी, 1981 से शुरू हुई और 28 फरवरी, 1981 को पूरी हुई। इसके बाद गणना अवधि के दौरान परिगणित जनसंख्या में संभावित योग अथवा विलोपन के लिए और 1 मार्च, 1981, जो निर्देश तिथि थी, को सूर्योदय के समय तक अद्यतन आंकड़े निकालने के लिए संशोधन दौर शुरू किया गया था।

(ख) जनगणना के प्रारंभिक कार्य के रूप में 1980 के दौरान मकान-सूची तालिका तैयार की गई थी। निम्नलिखित मुख्य मदों के सम्बन्ध में मकान-सूची के जरिये सूचना एकत्र की गई है :—

1. प्रयोजन जिसके लिए जनगणना मकान का प्रयोग किया जाता है।
2. तीन श्रेणियों, अर्थात्, पूर्ण रूप से अंधे, पूर्ण रूप से अपंग और गूंगे, में विभाजित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की ओर से मकान सूची फार्म के साथ उद्यम सूची की गई थी। जनसंख्या की गणना के दौरान दो तालिकाएं, अर्थात् मकान तालिका और व्यक्तिगत चर्चा तैयार की गई है।

निम्नलिखित मुख्य मदों पर मकान सूची के जरिये सूचना एकत्र की गई है :—

1. परिवार के प्रमुख का नाम।
2. क्या परिवार का प्रमुख अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का है।
3. परिवार में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा।
4. क्या परिवार अपने मकान में रहता है।
5. यदि नहीं, तो क्या परिवार के पास परिगणना के गांव अथवा शहर में अपना कोई मकान अथवा मकान स्थल है।
6. परिवार के कब्जे में मकान की प्रमुख निर्माण सामग्री, जो तीन श्रेणियों, अर्थात् दीवारों की सामग्री, छत की सामग्री और फर्श की सामग्री, में विभाजित की गई।

7. परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, जिन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों, अर्थात पेयजल की सप्लाई बिजली और शौच सुविधा (शहरी क्षेत्रों में) में विभाजित किया गया।
8. परिवार के कब्जे में रहने के कमरों की संख्या।
9. परिवार में सामान्य रूप से रह रहे विवाहित दम्पति की संख्या।
10. क्या परिवार खेती करता है ?
11. यदि हां, तो क्या भूमि अपनी है, किराये पर है अथवा अपनी और किराये पर है ?
12. यदि किराये पर है तो किरायेदार का स्थानीय नाम क्या है ?

जनसांख्यिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशिष्टताओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना व्यक्तिगत पर्ची के जरिये एकत्र की गई हैं। जन-सांख्यिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्नों का सम्बन्ध प्रमुख व्यक्ति के साथ रिश्ते, आयु, दाम्पत्य, मातृ भाषा, अन्य दो ज्ञात भाषाओं धर्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति साक्षरता/असाक्षरता, शिक्षा और स्कूल/कालेज जाने से है।

आर्थिक प्रश्नों को इस ढंग से विभाजित किया गया है, जिससे मुख्य धन्धा, पार्श्व धन्धा, गौण-धन्धा और गैर-धन्धा के बारे में सूचना एकत्र की जा सके। इसके अतिरिक्त, काम की तलाश करने वाले व्यक्तियों अथवा काम के लिए उपलब्ध व्यक्तियों के बारे में भी सूचना एकत्र की जाती है।

आप्रवास के ब्यौरे जन्म-स्थान और अंतिम निवास स्थान के संदर्भ में एकत्र किये गए हैं। परिगणना के गांव अथवा शहर में अंतिम निवास की अवधि के बारे में भी पता किया गया है और दर्ज किया गया है। वर्तमान में विवाहित महिलाओं से ही नहीं बल्कि पहले से विवाहित सभी महिलाओं से भी प्रजनन-शक्ति के बारे में सूचना प्राप्त को गई है।

आप्रवास और प्रजनन शक्ति से संबंधित सूचना बारह राज्यों में नमूना आधार पर एकत्र की गई है, परन्तु शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह सूचना शतप्रतिशत आधार पर एकत्र की गई है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ओर से डिग्रोधारक तथा तकनीकी कार्मिक अनुसूची वितरित की गई।

(ग) 1978-79 से 1981-82 तक की अवधि के लिए लगभग 49 करोड़ रुपए।

(घ) वास्तव में अन्य देशों और हमारे देश में की गई जनगणना के बीच कोई मूलभूत अन्तर नहीं है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य योजना के प्रयोजन के लिए किसी देश के सभी व्यक्तियों के लिए किसी विशिष्ट समय पर अथवा उसके किसी सुपरिभाषित भाग के जन-सांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने, उनके विश्लेषण करने और प्रकाशित करने की पूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक देश इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से जनगणना कर रहा है हालांकि परिगणना और आंकड़ा प्रक्रिया का तरीका अलग-अलग देश का

अलग-अलग है। भारत सहित कुछ देशों में निवेदक (कनवेसर) तरीका, परिगणक द्वारा प्रत्येक परिवार में जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह सूचना एकत्र की जाती है, अपनाया जाता है। दूसरे देशों में परिवारों को तालिकाएं व्यक्ति द्वारा अथवा डाक द्वारा वितरित की जाती हैं और इन तालिकाओं को पूरे करने का उत्तरदायित्व परिवार के किसी सदस्य, प्राय: प्रमुख अथवा किसी अन्य जिम्मेदार सदस्य का है। यह तरीका गृहस्वामी (हाउस होल्डर) तरीके के नाम से जाता है। इस प्रकार आंकड़ा प्रक्रिया का तरीका भी अलग-अलग देश में अलग-अलग है। परन्तु अधिकांश मामलों में इलेक्ट्रानिक साधन का अधिक प्रयोग किया जा रहा है।

(ङ) संयुक्त राष्ट्रकों की यह सिफारिश रही है कि जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जानी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार विभिन्न देश अब जनगणना हर 10 वर्ष बाद कर रहे हैं। भारत में भी 1881 के बाद से हर 10 वर्ष बाद जनगणना की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के प्रयोजन के लिए और आंकड़ा उपयोगिता की दृष्टि से 10 वर्ष की अवधि न्यायसंगत है। प्रति 18 वर्ष बाद जनगणना करना एक लम्बी अवधि होगी और आंकड़ों की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी हालांकि इससे खर्च में कमी हो सकती है।

'सी' ग्रेड के आशुलिपिकों में गतिरोध

5004. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में 'सी' ग्रेड के आशुलिपिकों को पदोन्नति के अवसरों में गतिरोध है;

(क) क्या यह भी सच है कि जिस प्रकार अनुभागाधिकारी और समतुल्य पदों के लिए केन्द्रीय सचिवालय में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा होती है उस प्रकार की कोई परीक्षा सहायक असैनिक अधिकारियों के लिए नहीं ली जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को इतने लम्बे समय तक चालू रहने देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार की परीक्षा 1981 से शुरू की जाएगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। किन्तु यह सशस्त्र सेना मुख्यालय के लिए ही विशेष रूप से नहीं है।

(ख) जी हां, यह सही है।

(ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा जब 1968 में गठित की गई थी तब उसमें सीमित विभागीय परीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यह समझा गया था कि योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर सहायकों की पदोन्नति करने से सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर का पद भरने की पद्धति से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन हो सकेगा और परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने समय-समय पर सीमित विभागीय परीक्षा शुरू करने की वांछनीयता पर

विचार किया और सहायकों और आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के हितों को समान रूप से ध्यान में रखने के बाद परीक्षा न लेने का निर्णय किया।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कच्चे माल का रक्षित भंडार बनाया जाना

5005. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चे माल का रक्षित भंडार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) सरकार का इस मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र से सहयोग मांगने का क्या प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र के लिए कुछ कच्चे माल का बफर स्टार बनाने सम्बन्धी योजना को विवरण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। किन्तु गैर सरकारी क्षेत्र को इस प्रकार का स्टाफ रखने के लिए आमंत्रित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास पर व्यय

5006. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान कुल कितना व्यय किया जायेगा; और

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1980-81 के चालू वर्ष के लिए छोटी सिंचाई से सम्बन्धित राज्यवार परिव्यय का विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1981-82 में अतिरिक्त क्षमता को उत्पन्न करने के लिए 15.50 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

(लाख रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	900
असम	1130
बिहार	2540

1	2
गुजरात	1450
हरियाणा	343
हिमाचल प्रदेश	375
जम्मू और कश्मीर	680
कर्नाटक	1702
केरल	665
मध्य प्रदेश	4000
महाराष्ट्र	2120
मणिपुर	150
मेघालय	115
नागालैंड	160
उड़ीसा	1700
पंजाब	186
राजस्थान	641
सिक्किम	110
तमिलनाडु	400
त्रिपुरा	205
उत्तर प्रदेश	5300
पश्चिम बंगाल	2121
जोड़—राज्य	26993
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7
अरुणाचल प्रदेश	175
चण्डीगढ़	10.26
दादरा और नगर हवेली	11.05
दिल्ली	43.50
गोवा, दमण और दीव	110
लक्षद्वीप	—
मिजोरम	25
पांडिचेरी	66
जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	447.81
जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	27440.81

टिप्पणी : इसके अलावा, वर्ष 1980-81 में छोटी सिंचाई के कार्यक्रम के लिए 295 करोड़ रु० का संस्थागत वित्त (जुलाई, 1980 से जून, 1981 तक) और निजी निवेश भी उपलब्ध होगा।

विभागों/कार्यालयों द्वारा आरक्षण आदेशों का क्रियान्वयन

5007. **श्री नाथू राम शाक्यवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायतशासी निकायों और संस्थाओं को भी, जिनमें सरकार द्वारा आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूप से वित्तपोषण किया गया है और जिनका खर्चा सरकारी निधि से किया जाता है, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सरकारी आदेशों को कियान्वित करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये विभाग/कार्यालय न तो भर्ती/पदोन्नति स्तर पर आरक्षण सम्बन्धी सरकारी आदेशों का पालन करते हैं और न ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयुक्त को इस बारे में कोई जानकारी भेजते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विभागों/कार्यालयों की स्वतन्त्रता के बारे में निर्णय करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में अनुमोदित किए गए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का इन विभागों/कार्यालयों में कड़ाई से पालन हो ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सितम्बर, 1969, दिसम्बर, 1970 तथा मई, 1974 में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों से शासित होते हैं। स्वायत्तशासी निकायों तथा सरकारी निधियों से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के मामले में गृह मन्त्रालय द्वारा सितम्बर, 1974 में ये अनुदेश जारी किए गए थे कि एसोसिएशन के संगत कानूनों अथवा अनुच्छेदों में उपयुक्त उपबन्ध किए जाने चाहिए। सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही स्वैच्छिक एजेन्सियों के मामले में अक्तूबर, 1974 में कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उन शर्तों में जिनके अधीन ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करने के लिए एक उपबन्ध शामिल किया जाना अपेक्षित है।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त द्वारा जब भी कभी पूछ-ताछ की जाती है तो इस मामलों के तथ्यों को उन्हें भेज दिया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन्होंने जो कुछ भी वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है के अलावा विभागों/कार्यालयों द्वारा उन्हें सूचना न भेजे जाने के मामलों का उल्लेख नहीं किया है। सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों द्वारा आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करना अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) 14-11-1980 को रेल मन्त्रालय के मामले में दिए गए फैसले में उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों की पुष्टि की है। आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभागों तथा सम्बन्धित कार्यालयों को आरक्षण आदेशों और उनमें निर्धारित पद्धतियों का कड़ाई से अनुपालन करने के अनुदेश जारी किए हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया जाना

5008. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में विशेषत: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों को नजरबन्द किया गया है ; और

(ग) क्या शान्तिपूर्ण आन्दोलन और नजरबन्दी के अधिकारों के दुरुपयोग को देखते हुए नजरबन्दी समाप्त करने के लिए कार्यवाही की गई और यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों की नजरबन्दी समाप्त की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केवल एक छात्र को नजरबन्द किया गया है। उसके नजरबन्दी के आदेशों को समाप्त नहीं किया गया है।

शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अणु विस्फोट का रोका जाना

5009. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु के शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिए विस्फोट, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के अमरीका में किसी भी स्थिति में ऐसा न करने के बारे में दिये गये सार्वजनिक आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए रोक दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य में आगे न बढ़ने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या 'न्यूक्लीयर पार्टिकल्स और एन्टी पार्टीकल्स' के सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रयोग के अग्रेतर विकास के लिये उनके तत्कालिक और सक्षम महत्व के समनुरूप धन, काडर और संसाधनों के नियतन समेत उस पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता हो नहीं।

(ग) यदि ऐसे परीक्षण की आवश्यकता अनुभव हुई, तो हम उसे करेंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) उच्च ऊर्जा-युक्त कणों से सम्बन्धित परिघटनाओं के बारे में सैद्धांतिक अध्ययन अनेक संस्थानों में किए जा रहे हैं।

(च) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

अमरीका द्वारा ईंधन के पुनः प्रयोग के बारे में सन्धि के दायित्वों का पूरा न किया जाना

5010. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है अमरीका के तारापुर पावर एण्ड फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट की औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में अपनी सन्धि के दायित्वों को अभी तक पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो पूरा न किये जाने के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसके आर्थिक परिणाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तारापुर स्थित पुनः संसाधन संयंत्र पर 'सुरक्षोपायों के लागू होने' संबंधी जिस 'संयुक्त संकल्प' की परिकल्पना 1963 के सहकार करार में की गई थी, वह हमारे अनुरोध के बावजूद नहीं हो पाया है। भारत सरकार को इस विलम्ब से बाध्य होकर भण्डार-सुविधा का विस्तार ऐसे व्यय तथा प्रयास से करना पड़ा है जिससे बचा जा सकता था। दूसरे, और, तारापुर स्थित पुनःसंसाधन संयंत्र को उस प्रयोजन लिए अब तक काम में नहीं लाया जा सका है, जिसके लिए इसे बनाया गया था। भारत सरकार ने अमरीका की सरकार से यह बात जोर डालते हुए कही है कि वह 1963 के सहकार करार के अंतर्गत की गई अपनी वचनबद्धता पर कायम रहे।

पायनियर प्रेस, शिवाकाशी द्वारा मशीनों का आयात

5011. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत सामान समिति ने पायनियर प्रेस, शिवाकाशी द्वारा लगभग एक करोड़ रुपए की लागत को एक आधुनिक मशीन के आयात की अनुमति दी है, हालांकि मन्त्री

महोदय ने मद्रास में आयोजित किये गए मुद्रकों के सम्मेलन में यह आश्वासन दिया था कि सरकार कभी भी ऐसी मशीनों के आयात की अनुमति देकर ऐसी मशीनों के निर्माण के लिए देश में उपलब्ध प्रतिभा को बिगाड़ने नहीं देगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) 59.63 लाख रु० मूल्य की विशेष आफ सेट छपाई मशीन के आयात के लिए मेसर्स पायनियर प्रेस, शिवकाशी के अनुरोध पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि इस मशीन की देश में उपलब्धता के बारे में स्थिति की अभी जांच की जा रही है।

तमिलनाडु को दिए गए आशय-पत्र

5012. **श्री के० टी० कोसलराम** : : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के गत तीन वर्षों में इस्तेमाल किए गए आशय-पत्रों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1980 के प्रथम दस महीनों में तमिलनाडु को दिए 33 आशय पत्रों के संबंध में ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तमिलनाडु में वर्ष 1977 से 1980 तक उद्योगों के लिए जारी किए गए कुल आशय-पत्रों में से जैसा कि संलग्न **विवरण** में दिखाया गया है, केवल चार आशय-पत्र समाप्त हो गए थे या उन्हें रद्द कर दिया गया था।

(ख) जारी किए जाने वाले सभी आशय-पत्रों के ब्योरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित 'मंथली न्यूज लैटर' में प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 1977-80, के दौरान तमिलनाडु राज्य को जारी किए गए कुल आशय-पत्रों में से इस अवधि में समाप्त/रद्द/बन्द किए गए आशय-पत्रों के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम और स्थापना-स्थल	निर्माण की जाने वाली वस्तु और क्षमता	टिप्पणी
1.	श्री अनिल कुमार आर-62, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली। (मद्रास तमिलनाडु)	चमड़ा बोर्ड शीटें (1800 मी० टन)	समाप्त हुआ

1	2	3	4
2.	श्री ए० सेतु बी 510, फेयरलैन्ड्स सलेम-4 (धर्मपुरी-तमिलनाडु)	1. ग्रौसीन 2000 मी०टन 2. डी०-केल्सियम फोस्फेट (सहोत्पाद) 3500 मी०टन	रद्द किया
3.	मै० दी सुगना मिल्स प्रा० लि०, कोयम्बटूर (कोयम्बटूर, तमिलनाडु)	स्टेपल फाइबर यार्न (15000 तकुये)	बन्द हुआ
4.	श्री जी०बी०भाष्यम, मार्फत स्टेट इलैक्ट्रिक 14-1, कपालीनगर माइलापोर, मद्रास (होसुर, जिला धर्मपुर) तमिलनाडु	1600 अम्पायर तक मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स 10,000 संख्या	समाप्त हुआ

आर्थिक नीतियों से कमजोर वर्गों को लाभ

5013. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह जांच करने तथा पता लगाने के लिए कि क्या आर्थिक नीतियों के लाभ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को मिलते हैं या नहीं, सरकार ने क्या कार्यवाही जी है ;

(ख) सरकार या अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के इस बारे में निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) भारत सरकार (गृह मंत्रालय) ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों से सम्बन्धित एक उच्चाधिकार नामिका गठित की है जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न राजकोषीय नीतियों से समाज के इन वर्गों को पहुँचने वाले लाभों के प्रश्न पर विचार करना है। इस उच्चाधिकार नामिका ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

उत्तम समस्या

5014. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह कहा है कि असम में विदेशियों के संबंध में हो रहा आन्दोलन "समाप्त हो गया है" ;

(ख) यदि हां, तो किस ठोस आधार पर यह बात कही गई ; और

(ग) इस विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) असम में विदेशी नागरिकों की समस्या का समाधान खोजने के प्रयत्न जारी हैं ।

परमाणु ऊर्जा के स्वदेशी स्रोत

5015. **श्री सत्य नारायण जाटिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु उर्जा के लिए स्वदेशी कच्चा माल उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो किन रूपों में और ग्रेडों में ;

(ग) देश में स्थापित परमाणु बिजली घरों, उनकी उत्पादन क्षमता और उनमें तैयार की जा रही बिजली के संबंध में विवरण क्या है ; और

(घ) उनकी उर्जा उत्पादन की भारी वहनता क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) देश में यूरेनियम के पर्याप्त और थोरियम के विशाल भण्डार मौजूद हैं ।

(ग) तथा (घ) देश में इस समय दो परमाणु बिजलीघर अर्थात तारापुर परमाणु बिजलीघर और राजस्थान परमाणु बिजलीघर, वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे हैं । इनके बारे में वर्ष 1980 के लिए अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

बिजलीघर का नाम	स्थापित क्षमता	क्षमता गुणांक	प्रचालन गुणांक
तारापुर परमाणु बिजलीघर	420 मेगावाट	48.6 प्रतिशत	पहला यूनिट— 68% दूसरा यूनिट— 78%
राजस्थान परमाणु बिजलीघर			
पहला यूनिट	220 मेगावाट	54.4 प्रतिशत	72%
दूसरा यूनिट	220 मेगावाट	इसे चला कर इसकी जांच की जा रही है ।	

गुजरात द्वारा जनित्रों तथा बायलरों के आयात के लिए अनुरोध

5016. **श्री डी० पी० जडेजा**
श्री छोटू भाई गामित } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए टर्बो-जनरेटरों और बायलरों का आयात करने की अनुमति दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्र द्वारा उक्त प्रस्ताव नामंजूर कर दिया

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा बनाए गए जनरेटिंग सेट उपयुक्त नहीं है तथा विद्युत उत्पादन को बढ़ाने में वे काफी कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए गुजरात सरकार को टर्बो-जनरेटर और बायलर आयात करने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां

(ग) विश्वव्यापी टेंडरों से पूंजीगत माल के आयात की योजना के अन्तर्गत जांच के लिए सरकार द्वारा बनाई गई अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा, देश विदेश से प्राप्त प्रस्तावों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद गुजरात बिजली बोर्ड के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए थे। देश की निर्माण सक्षमता व क्षमता उपयोग और यह तथ्य कि परियोजना के प्रथम चरण के लिए इसी क्षमता के देशी उपकरणों की सप्लाई की जा रही है, सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा गया था ।

(घ) जी, नहीं गुजरात बिजली बोर्ड के उकई तथा गांधी नगर तापीय बिजलीघर के लिए बी० एच० ई० एल० द्वारा सप्लाई किए गए जनरेटिंग यूनिटों में स्थिरीकरण की अवधि में प्रारम्भ से ही कठिनाई महसूस की गई जो कि नए जनित्रण संयंत्र में असामान्य बात नहीं है और जिसे दूर किया जा रहा है ।

(ङ) जी, नहीं ।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण

5017. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त भारत-सोवियत रूस अन्तरिक्ष उड़ान के लिए अन्तरिक्ष यात्रियों के कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संयुक्त भारत-सोवियत रूस अन्तरिक्ष उड़ान कब होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

(ग) इस संबंध में अभी तक ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं ।

इलेक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी का विकास

5018. **श्री गुफरान आजम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्जा संकट का सामना करने के लिए इलेक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए कदम उठा रही है ;

(ख) यदि हां, तो आवंटन सुविधाओं, की गई प्रगति का विवरण क्या है ;

(ग) क्या इलेक्ट्रोनिक कार के सम्बन्ध में अनुसंधान जारी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी , नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्दलीय झगड़ों में मारे गए व्यक्ति

5019. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1981 से 22 जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान अन्तर्दलीय झगड़ों के कारण, राज्यवार, कितने व्यक्ति मारे गए हैं ; और

(ख) इन झगड़ों में कौन सा दल अथवा कौन से दल शामिल थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के अतिरिक्त राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अन्तर्दलीय झगड़ों के कारण कोई मौत सूचित नहीं की गई है । आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से रिपोर्टों की प्रतीक्षा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैक्टर उत्पादक एकक और ट्रैक्टरों के वितरण पर प्रतिबन्ध

5020. **अरविन्द नेताम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रैक्टर उत्पादक एककों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत वर्ष देश में कुल कितनी संख्या में ट्रैक्टर बने ;

(ग) क्या सरकार ने देश के किसी भाग में इनके वितरण पर हाल ही में कोई प्रतिबंध लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कृषि ट्रैक्टर बनाने वाले संगठित क्षेत्र में 14 एकक हैं।

(ख) 1980 में इन एककों का कुल उत्पादन 67627 नग था।

(ग) तथा (घ) ट्रैक्टरों के वितरण पर हाल ही में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। फिर भी चार माडलों के ट्रैक्टर अर्थात मैं० ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि०, मद्रास द्वारा निर्मित एम एफ-1035, टी ए एफ ई-504, एम एफ-245 तथा मैं० एस्कार्टस् ट्रैक्टर लि० फरीदाबाद द्वारा निर्मित फोर्ड-3600 ट्रैक्टर (विवरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश 1971 के अन्तर्गत आते हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कारखानों में उत्पादन योजना

5021. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कारखानों में भारी सामग्री का उत्पादन करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस उत्पादन के एक भाग को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बैरकपुर स्थित कारखाने में उत्पादन करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड विभिन्न प्रकार के विमानों और हेलीकाप्टरों का निर्माण कर रहा है और रक्षा योजना में दर्शायी गई आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों को लागू करना है। ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) जी नहीं। बैरकपुर यूनिट का डिजाइन और उसकी स्थापना कुछ प्रकार के विमानों का ओवर-हाल करने के लिए की गई। 1981-82 से हेलीकाप्टरों के ओवर-हाल का काम भी इस यूनिट को अन्तरित किया जाएगा। इस यूनिट को उत्पादन करने वाली यूनिट के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाना

5022. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में, साउथ अन्दमान को छोड़कर, सभी द्वीप समूहों में सरकारी कर्मचारियों को अन्दमान विशेष भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या साउथ अन्दमान में वन और वृक्षरोपण विकास निगम आदि जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी अन्दमान विशेष भत्ता ले रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो साउथ अन्दमान में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारियों को अन्दमान विशेष भत्ते से वंचित किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) साउथ अन्दमान में सभी सरकारी कर्मचारियों को अन्दमान विशेष भत्ता दिए जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अभी अंदमान और निकोबार प्रशासन के अधिकारियों की नीचे दिखाई गई श्रेणियों को निम्नलिखित दरों पर अंदमान विशेष भत्ता ग्राह्य हैं ।

कर्मचारियों की श्रेणियां	तैनाती का स्थान	भत्ते की दरें
1. मुख्य भूमि से भर्ती किए गए/प्रतिनियुक्ति	दक्षिणी अन्दमान	मूल वेतन का 20% अधिकतम 300 रु० प्रतिमाह
2. घानी सिविल/पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी	उत्तरी और मध्य अन्दमान	मूल वेतन का 25% अधिकतम 350 रु० प्रतिमाह
3. अखिल भारतीय सेवाओं के संघ शासित क्षेत्र संवर्ग के संवर्ग अधिकारी	लिटिल अन्दमान निकोबार द्वीप, निकोदम द्वीप	मूल वेतन का 30% अधिकतम 400 रु० प्रतिमाह
4. स्थानीय भर्ती किए गए अन्दमान और निकोबार के एक क्षेत्र, नामतः दक्षिणी अंदमान उत्तरी अंदमान, मध्य अंदमान, लिटिल अंदमान बोरकोडम अंदमान और निकोबार द्वीप में भर्ती किए गए और अंदमान और निकोबार के अन्य क्षेत्रों में तैनात किए गए ।		

अंदमान विशेष भत्ते को प्राप्त करने की अनुमति बिना किसी प्रतिबन्ध के, निदेशकों के बोर्ड द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत अनुमोदित वार्षिक मेनुअल के आधार पर, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अनुमोदन से 1-4-80 से वन और वृक्षारोपण निगम के कर्मचारियों को भी दी गई है। इस क्षेत्र के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इन्डिया और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की तरह स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों को इस प्रकार की रियायतें प्राप्त नहीं हैं।

अंदमान और निकोबार प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा अभी ली जा रही विभिन्न सुविधाओं और जीवन यापन के मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अंदमान विशेष भत्ता और क्षतिपूर्ति भत्ते के स्थान पर उचित क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करने का निर्णय किया गया है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी में संस्थानों द्वारा किया जा रहा कार्य बन्द करना

5023. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्य बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री पी० सी० एन० सिंह) (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ग्रामीण प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित योजनाओं को हाथ में लेने वाले कई संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रख रहा है। 1980-85 योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन श्रमिक-कारीगरों, लघु/सीमान्त काश्तकारों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विशिष्ट योजनाओं को, जो प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगी, हाथ में लिया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में आस्थिकीय अपंग व्यक्ति

5024. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा, (2) भारतीय विदेश सेवा और (3) भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत आस्थिकीय अपंग व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) राज्यवार और केन्द्रीय शासित क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) वे किन पदों पर नियुक्त हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) एकत्रित की गई सूचना के अनुसार संलग्न विवरण में उल्लिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में इन सेवाओं का कोई भी आस्थिकीय अपंग अधिकारी नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश संवर्गों के ऐसे अधिकारियों तथा भारतीय पुलिस सेवा के बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश संवर्गों के अधिकारियों और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक	भारतीय पुलिस सेवा
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
असम-मेघालय	असम-मेघालय
बिहार	गुजरात
गुजरात	हरियाणा
हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर
जम्मू एवं कश्मीर	केरल
केरल	महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश	मणिपुर-त्रिपुरा
महाराष्ट्र	पंजाब
मणिपुर-त्रिपुरा	राजस्थान
नागालैण्ड	सिक्किम
उड़ीसा	तमिलनाडु
पंजाब	पश्चिम बंगाल
राजस्थान	संघ राज्य क्षेत्र
सिक्किम	
तमिल नाडु	टिप्पणी : नागालैण्ड का भारतीय पुलिस सेवा
पश्चिम बंगाल	संवर्ग नहीं है।
संघ राज्य क्षेत्र	

सदर बाजार, दिल्ली में मौतें

5025. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सदर बाजार में 23 फरवरी, 1981 को पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जबकि इन मौतों का कारण समाचार-पत्रों में अवैध शराब पीने से होना बताया गया है, पुलिस ने दावा किया है कि मौत के कारण लम्बी बीमारी से लेकर पुराना दमा तथा न्यूमोनिया थे; और

(ग) यदि हां, तो इन मोतों के बारे में सही स्थिति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि समाचार पत्रों में सूचित-जहरीली शराब के पीने के संदेह में मृत पांच व्यक्तियों में से चार व्यक्ति 23-2-1981 को मरे और एक व्यक्ति को मृत अवस्था में 22-2-81 को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लाया गया। इन व्यक्तियों में से तीन के बारे में उनके दाह संस्कार के बाद तक पुलिस को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु के कारण जैसा कि पुलिस ने बताया है इस प्रकार है; एक के मामले में निमोनिया, दूसरे के मामले में अस्थमा और तीसरे के विषय में लम्बी बीमारी है। मृतकों के रिश्तेदारों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार किए गए शमशान घाट के रिकार्ड के अनुसार उनकी मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उनकी शव परीक्षा नहीं की जा सकी थी। शेष दो व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना पुलिस को समय से मिल गई थी और उनकी शव परीक्षा की गई थी और मृतकों की आतंड़ियों के घोल को जांच के लिए केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था। उनकी मृत्यु के कारणों का पता केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही चलेगा।

बंगलौर में कच्ची सामग्री बैंक की स्थापना

5026. **श्री वी० बी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बंगलौर में कच्ची सामग्री बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस कच्चे माल के बैंक की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा गया है कि वे इस बैंक को वित्तीय सहायता दें ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार के पास बंगलौर में कच्चा माल बैंक को स्थापना करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है किंतु समझा जाता है कि कर्नाटक स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन का एक डिपो नगर में काम कर ही रहा है।

नई दिल्ली में सिनेमा-टिकटों की कालाबाजारी

5027. **श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ समाज-विरोधी व्यक्ति नई दिल्ली के विभिन्न सिनेमा-हालों के निकट सिनेमा-टिकटों की काला-बाजारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपराध में हाथ होने के कारण गत छह-महीनों के दौरान पुलिस ने कितने व्यक्तियों को पकड़ा था;

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में कितने मामले दर्ज किराये गए;

(घ) क्या यह सच है कि सिनेमा-हालों के कुछ कर्मचारियों का भी ऐसे अपराध में हाथ है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी आरम्भ की गई है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न सिनेमा हालों के नजदीक सिनेमा टिकटों की कालाबाजारी के अभियोग में उत्तर प्रदेश मनोरंजन अधिनियम की धारा 9-ख, जिसे दिल्ली में भी लागू किया गया है, के अधीन 207 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और पिछले 6 महीनों अर्थात् 1-9-80 से 28-2-81 के दौरान उनके विरुद्ध 159 कलन्दराए तैयार की गयी हैं।

(घ) और (ङ) एक सिनेमा घर का एक कर्मचारी सिनेमा टिकटों की कालाबाजारी करता पाया गया था । उसे नारायणा पुलिस स्टेशन द्वारा 18-10-80 को उत्तर प्रदेश मनोरंजन अधिनियम की धारा 9-ख, जिसे दिल्ली में लागू किया गया है, के अधीन गिरफ्तार किया गया था । न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध पाया और उस पर जुर्माना किया गया ।

उत्तर प्रदेश का जर्मन गणराज्य के साथ सहयोग

5028. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने औजार, जिग्स, और डाइयों की सप्लाई के लिए तथा तकनीकी मामलों में प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ में एक टूल रूम स्थापित करने के बारे में जर्मन संघीय गणराज्य के साथ सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की उस फर्म का नाम क्या है जिसके साथ सहयोग करार किया गया है तथा करार की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) भारत सरकार ने जर्मन संघीय गणराज्य के साथ एक औजार कक्ष प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 5 मार्च, 1981

को लखनऊ में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं इस संस्थान को चलाने का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश की सरकार पर होगा।

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य सरकार की ओर से करार का कार्यान्वयन ड्रूशे गेसेलेशैफ्ट फ्यूअर टेकनीक जूसेमेनारबीट (जी० टी० जैड०) कैम्ब, 6236 एस्कबोर्न नामक एक जर्मन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। करार के अधीन जर्मन संघीय गणराज्य औजार कक्ष के लिए मशीनें और उपकरण, जर्मन तकनीकी विशेषज्ञ, संस्थान में नियुक्त किए जाने वाले कुछ भारतीय व्यक्तियों को आधारभूत या अग्रेतर प्रशिक्षण और 4,538,000 ओ० एम० के० कुल मूल्य की शिक्षण और प्रदर्शन सामग्री आदि प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार मूल उपकरण और साज-सज्जा (फर्निशिंग सहित भूमि तथा भवन की व्यवस्था करेगी और आशातित उपकरणों पर आयात शुल्क अदा करने के साथ-साथ संस्थान के रखरखाव और संचालन के लिए अन्य आवर्ती व्यय भी वहन करेगा।

कच्चे माल के डिपो

5029. **श्री निहाल सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग निगम द्वारा लघु एककों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए किन-किन राज्यों में कच्चे सामान के डिपो खोले गए हैं और राज्यवार उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कच्चे सामान के कितने डिपो खोले जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के नामों को जिनमें लघु उद्योगों को कच्चे माल का संभरण करने के लिए लघु उद्योग निगम द्वारा डिपो स्थापित किए गए हैं, तथा डिपुओं की राज्यवार संख्या को संलग्न विवरण में बताया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन और डिपो खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

लघु उद्योग निगम द्वारा स्थापित कच्चे माल के डिपुओं की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1.	दिल्ली	2
2.	जम्मू व कश्मीर	9
3.	पंजाब	13

1	2	3
4.	चण्डीगढ़	1
5.	हरियाणा	15
6.	उत्तर प्रदेश	11
7.	बिहार	10
8.	पश्चिम बंगाल	7
9.	आसाम	8
10.	उड़ीसा	5
11.	आन्ध्र प्रदेश	12
12.	तमिलनाडु	4
13.	कर्नाटक	6
14.	केरल	11
15.	महाराष्ट्र	12
16.	गुजरात	6
17.	मध्य प्रदेश	7
18.	हिमाचल प्रदेश	6
19.	राजस्थान	26
20.	नागालैंड	1
21.	मिजोरम	1
22.	मणिपुर	1
23.	मेघालय	2

गणतन्त्र दिवस के लिये निःशुल्क पास तथा उनके बारे में मानदंड

5030. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतन्त्र दिवस की परेड के लिए इस वर्ष कितने निःशुल्क पास जारी किए गए और उसके बारे में क्या मानदंड अपनाया गया; और

(ख) टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई और समारोह पर कुल कितना व्यय हुआ ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए 43,501 पास दिए गए थे।

2. गणतंत्र दिवस परेड के लिए निमंत्रण पत्र जारी करने के लिए पिछले कई वर्षों से अपनाई गई प्रणाली ही इस वर्ष भी अपनाई गई हैं। लेकिन इस वर्ष केवल इतना ही अपवाद रहा

है कि प्रत्येक माननीय संसद सदस्य को अपने छः अतिथियों को आमंत्रित करने की अनुमति दी गई थी। पहले निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को निमन्त्रण पत्र दिए जाते थे :—

(क) प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें वरिष्ठता क्रम में शामिल किया गया है (संसद सदस्यों सहित)।

(ख) सरकारी मेहमान और अन्य विदेशी मेहमान।

(ग) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केन्द्रीय मंत्रियों के अतिथि।

(घ) दिल्ली में रह रहे भूतपूर्व प्रधान मंत्री, संसद में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व राज्यपाल, परम वीर चक्र, अशोक चक्र, पी० वी० एस० एम०, एम० वी० सी० और कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति, दिल्ली में रह रहे भूततूर्व सेनाध्यक्ष।

(ङ) विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों को इसके लिए अनुरोध किए जाने पर।

(च) स्वतंत्र सेनानी, जो दिल्ली में रह रहे हैं।

(छ) समाचार पत्रों के प्रतिनिधि।

(ज) राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, अनुरोध पर।

(झ) खेल-कूद और समाज सेवा में प्रमुख व्यक्तियों को।

(ञ) दिल्ली में स्थित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और सम्बन्धित तथा अधीनस्थ कार्यालयों के जिन अधिकारियों का वेतन 1600 रुपये या इससे अधिक है उनमें से 50 प्रतिशत अनिश्चित कार्याविधि वाले और 100 प्रतिशत निश्चित कार्याविधि वाले अधिकारियों को।

(ट) डिल्ली में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों को जिनका मूल वेतन प्रतिमाह 2250 रुपये या इससे अधिक है।

(ठ) गणतन्त्र दिवस परेड प्रबन्ध में भाग लेने वाले और उससे निकट रूप से संबंधित अधिकारी।

(ड) ऐसे राजनयिक जो वरिष्ठता क्रम में शामिल नहीं है।

(ढ) स्कूली बच्चों के संगठित समूह।

(ण) सेना कार्मिक।

(त) अर्ध-सैनिक तथा सहायक बलों और दिल्ली पुलिस के कनिष्ठ अधिकारी।

2. इनके अलावा राजपथ पर बनाए गए वार्डों में हजारों लोगों के लिए गणतंत्र दिवस परेड देखने की सुविधा प्रदान की गई थी।

3. गणतंत्र दिवस परेड, 1981 के टिकटों की बिक्री से 2,70,775 रुपये प्राप्त हुए हैं। टिकट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के थे।

4. गणतंत्र दिवस समारोहों की व्यवस्था अनेक अभिकरण जैसे केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों के द्वारा की जाती है। ऐसी प्रथा रही है कि विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय एजेंसियों द्वारा किया जाता है जहां इन मदों से संबंधित विशेष कार्य होते हैं। इसका लेखा एक जगह नहीं रखा जाता है। विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए व्यय का पूरा हिसाब प्राप्त करना और उसे गणतंत्र दिवस से सम्बन्धित व्यय के एक ही शीर्ष में डालने की कोई प्रक्रिया नहीं रही है। अतः व्यय के ठीक-ठीक आंकड़े बता सकना सम्भव नहीं है।

आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में पता लगाये गये अवैध शस्त्र

5031. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 में आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में बहुत से क्षेत्रों से बन्दूकें, स्टेनगनें, हथगोले आदि जैसे बहुत से हथियार बरामद किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार/नजरबंद किया गया था और कितनों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया गया तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अभी भी मुकदमें चल रहे हैं;

(ग) क्या पश्चिम दिल्ली में अशोक नगर (तिलक नगर) में एक स्थान की तलाशी ली गई तथा वहां से एक स्टेनगन भी बरामद की गई थी परन्तु पुलिस द्वारा मामला दबा दिया गया था और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) शस्त्र अधिनियम, 1959 के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और उनके विरुद्ध मामलों के निपटान की संख्या का विवरण संलग्न है। आसुका के अधीन नजरबन्द किए गए एक व्यक्ति के मामले की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) अशोक नगर (तिलक नगर) में एक व्यक्ति से अप्रैल, 1976 में एक स्टेनगन और 231 कारतूस बरामद किए गए थे। 18-2-77 को उसके विरुद्ध मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और अभी निर्णयाधीन है।

विवरण

शस्त्र अधिनियम के अधीन आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों का निपटान

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चालान	दोषसिद्ध	दोषमुक्त	विचारणाधीन	जांच पड़ताल की जा रही है।	रिहा किए गए
2843	2823	1390	850	583	5	15

बंगलौर में स्कूल आफ मिलिंग टेक्नालाजी की स्थापना

5032. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में 25 फरवरी 1981 को एशिया का पहला 'इंटरनेशनल स्कूल आफ मिलिंग टेक्नालाजी' स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इंटरनेशनल स्कूल आफ मिलिंग टेक्नालाजी कार्यकारी तथा पर्यवेक्षण पदों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भारत सरकार और स्विटजरलैंड सरकार के बीच अक्तूबर 1977 में हुए समझौते के अनुसरण में है;

(घ) यदि हां, तो यह भारत के लिए कहां तक लाभकारी होगा;

(ङ) क्या इस स्कूल में विदेशी छात्रों के प्रतिनिधियों को भी प्रवेश दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो विदेशियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गयी हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) इंटरनेशनल स्कूल आफ मिलिंग टेक्नालाजी (आई० एस० एम० टी०), सेंट्रल फूड टेक्नालाजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी० एफ० टी० आर० आई०), मैसूर के प्रांगण में 25 फरवरी 1981 को स्थापित किया गया।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) आशा की जाती है कि भारत में निम्न प्रकार से लाभ पहुँचेगा :

1. हमारे कार्यकारी व्यक्तियों को पिसाई (फ्लोर मिलिंग) में प्रशिक्षित करने के लिए विदेश नहीं भेजना पड़ेगा और मिल्स की पिसाई (मिलिंग) प्रौद्योगिकी के जानकार लोग देश में ही मिल सकेंगे।
2. प्रशिक्षण काल में कच्चे माल की गुणता और कार्यात्मक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाएगा जिससे सूजी, रवा और आटा जैसे उत्पाद उसी अवस्था में मिलें जिसकी आवश्यकता होती है।
3. व्यावसायिक उत्पादन इकाई में संयंत्र पर प्रशिक्षण देने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी जिससे प्रशिक्षित व्यक्ति उद्योग में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी सम्भाल सके।

(ङ) तथा (च) कुल बीस सीटें हैं जिनमें से एक तिहाई विकासशील देशों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

बर्मा-नागालैंड सीमा पर नागा विद्रोहियों पर निगरानी

5033. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले और बर्मा-नागालैंड सीमा पर भूमिगत नागा विद्रोही तत्वों की गतिविधियों पर सुरक्षा बलों द्वारा दिन-रात निगरानी रखी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य चीनी प्रशिशिक्षित नागा भूमिगत विद्रोहियों की गतिविधियों पर निगरानी रखना था ; और

(ग) क्या सरकार इनके प्रवेश को रोकने के लिए सीमा के लोगों को परिचय देने पर भी विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले की सीमा सहित भारत बर्मा के प्रभावित क्षेत्र पर सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

(ग) सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मतदाताओं को चरणबद्ध तरीके से फोटो तथा पहचानपत्र देने की योजना आरम्भ का सिद्धान्त रुप से निर्णय किया है । भारत के निर्वाचन आयोग ने पहले मेघालय और नागालैंड में योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दे दिये हैं ।

महेन्द्रगढ़ और भिवानी का औद्योगिकीकरण

5034. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में महेन्द्र गढ़ और भिवानी जिले औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के औद्योगिक विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या इन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करने की कोई योजना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) हरियाणा में महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिलों को पहले से ही औद्योगिक दृष्टि से समझा गया है । अतः सांवधिक ऋण देने वाले अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाओं के पात्र माना जा चुका है । इन दो जिलों के निम्नलिखित क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता की पात्रता के लिये पात्र समझा जा चुका है ।

पुनर्गठित महेन्द्रगढ़ जिला (महेन्द्र गढ़ और रेवाड़ी उप क्षेत्रों से युक्त) भिवानी जिला (भिवानी और दादरी (अ)* उपक्षेत्रों से युक्त)

उपर्युक्त दो प्रोत्साहनों के अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सहायता और सुविधाएं प्रदान करती है :—

1. कर में छूट
2. लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद ।
3. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श
4. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं ।
5. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम ।
6. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।
7. जिला उद्योग केन्द्र ।
8. सीड/सीमांत (मार्जिन) धनराशि सहायता ।

(अ)* यह 10.7.1972 के बाद चुने हुए जिला/उप केन्द्रों/तालुकों/ब्लाकों तहसीलों को दर्शाता है ।

*यह जिलों के हाल ही में हुए पुनर्गठन से पहले जिलों को दर्शाता है ।

हरियाणा में उद्योगों की स्थापना

5035. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इनके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना-स्थल तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं । हरियाणा राज्य में सरकारी क्षेत्र की एक केन्द्रीय परियोजना स्थापित करने का इस समय कोई विचार नहीं है । फिर भी, हरियाणा के केन्द्रीय क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख उपक्रम निम्न प्रकार हैं :—

(1) एच०एम०टी०—ट्रैक्टर फैक्टरी, पिंजौर ।

(2) मारुति लि० (हाल ही में सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है ।)

(3) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, पानीपत फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट ।

(4) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०—गुड़गांव में फार्मूलेशन एकक ।

पेट्रोलियम उत्पादन तथा रिफाइनिंग के क्षेत्र में कुछ योजनाएं चलती आ रही है, जैसे उत्पाद पाइप लाइन का बिछाना (मथुरा से जलन्धर हरियाणा होकर) तथा उत्पाद शुरू करने की स्थापना करना जो कार्यान्वित की जा रही हैं। शराब, इस्पात के बिलेट, टेनरी टेलीविजन सेट, सिथेटिक डिटरजेन्टों आदि के उत्पादन के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने राज्य क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं स्थापित की है। निगम के पास नाइलोन, चावल की भूसी बोर्ड, सेल्युलोस नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट/गंधक का तेजाब, पोर्टलैण्ड सीमेन्ट, एलिमेन्टल फास्फोरस, एसिटोन, इलेक्ट्रानिक मिल्क एनालाइजर आदि के लिए परियोजनाएं स्थापित करने के भी प्रस्ताव है। छठी योजना के लिए राज्य क्षेत्र में बड़े और मझोले उद्योगों तथा खनिज क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय की राशि 11.40 करोड़ रु० है।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना निजी तथा सहकारिता क्षेत्रों में की गई है। इस क्षेत्र में शामिल की गई योजनागत योजनाएं मुख्य रूप से वे संवर्द्धनात्मक प्रकार की है, जैसे प्रशिक्षण, विस्तार तथा अनुसंधान, कच्चे माल की पूर्ति, सामान्य सुविधा सेवा केन्द्र, औद्योगिक शेडों की व्यवस्था, सीमान्त धन सहित वित्तीय सहायता, तकनीकी तथा विपणन सहायता आदि।

असम से इमारती लकड़ी और प्लाईवुड की ढुलाई न होने से सरकार को हुई हानि

5036. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्दोलन के कारण असम से इमारती लकड़ी और प्लाईवुड की ढुलाई न होने से सरकार को 1980 के दौरान अनुमानित कितनी हानि हुई है ; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी० एस० ए० डी० बम्बई से अभ्यावेदन

5037. **श्री० आर० के महालगी** : क्या श्रम मन्त्री सी० एस० ए० डी० बम्बई की ओर से अभ्यावेदन के बारे में 17 दिसम्बर, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवंटन सम्बन्धी नियम संशोधित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त संशोधन को कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) मकान आवंटन सम्बन्धी नियमों को अभी संशोधित नहीं किया गया है। निर्माण और आवास मन्त्रालय के परामर्श से शीघ्र ही इन्हें अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

डिफेन्स कैन्टीन कर्मचारियों को डिफेन्स असैनिक कर्मचारियों के समान भुगतान न किया जाना

5038. **श्री चिन्तामणि जेना**: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 22 अक्तूबर, 1980 को दिए गए निर्णय को देखते हुए डिफेन्स कैन्टीन कर्मचारियों को डिफेन्स असैनिक कर्मचारियों के समान भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराल पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय के 22-10-1980 के आदेश के निहितार्थों पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किए जाने की आशा है।

रीवा, सिधी तथा शहडोल (मध्य प्रदेश) में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों और स्व-नियोजित स्नातकों को प्रोत्साहन

5039. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के रीवा, सिधी तथा शहडोल आदि में युवा उद्यमियों तथा स्व-नियोजित स्नातकों आदि को, हाथ से बने गलीचों के निर्यातकों के समान ही प्रोत्साहन देने पर विचार करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के रीवा और सिधी जिले रियायती वित्त सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं तथा रीवा जिले के दो ब्लाक अर्थात रीवा और रायपुर (गढ़) तथा सिधी जिले के चार ब्लाक अर्थात मझौली, सीधी, दूसर एवं वधान केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के पात्र हैं। शहडोल जिला उपर्युक्त दोनों प्रोत्साहनों में से एक का पात्र नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों के सभी उद्यमी पिछड़े क्षेत्रों में निम्नलिखितत केन्द्रीय प्रोत्साहन और सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं :—

1. कर रियायत
2. लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद
3. तकनीकी सेवा परामर्श
4. कच्चे माल का आयात रखने के लिए विशेष सुविधाएं

5. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम

6. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम

7. जिला उद्योग केन्द्र

8. मूल (सीड) सीमांत (मार्जिन) धन सहायता

नागालैण्ड में एच० एम० टी० घड़ियों के कारखाने की स्थापना

5040. **श्री चिंग बांग कोनयक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में एच० एम० टी० घड़ियों के एक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेल लाइनों के लिए परिव्यय को अन्तिम रूप देना

5041. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाइनों पर कुल परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) क्या योजना आयोग ने पश्चिम तट आष्टा-मंगलौर रेल परियोजना को स्वीकृति दे दी है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां । रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए योजनागत शीर्षवार वितरण के अनुसार, छठी पंच वर्षीय योजना में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए 380 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है ।

(ख) आष्टा से रोहा तक नई रेल लाइन के निर्माण को योजना आयोग द्वारा 1978-79 की वार्षिक योजना में अनुमोदित किया गया था । इस रेल लाइन के विस्तार को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है । दासगांव तक इस रेल लाइन के विस्तार की स्कीम को 1980-85 के लिए रेलवे से सम्बन्धित कार्यकारी दल की सिफारिशों में शामिल किया गया था, परन्तु इसे 1980-85 के लिए रेल मंत्रालय के कुल योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उनसे प्राप्त अन्तिम प्रस्तावों में रेल मंत्रालय ने शामिल नहीं किया था ।

नेपा नगर अखबारी कागज कारखाने में रोजगार

5042. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नेपा नगर अखबारी कागज के कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम विकसित राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता

5043. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश जैसे कम विकसित राज्यों को अधिक केन्द्रीय संसाधनों का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) फरवरी, 1981 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आशोधित गाडगिल फार्मूले और बाजार ऋणों के अधिक आवंटन, आदि के जरिए मध्य प्रदेश जैसे अन्य विकसित राज्यों को अधिक संसाधनों के अंतरण की व्यवस्था है। इसके अलावा, ऐसे राज्यों को अधिक केन्द्रीय संसाधन आबंटित करने के लिए और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण को प्रतिशतता

5044. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों में आरक्षण हेतु एक निश्चित प्रतिशतता सुनिश्चित की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा प्रत्येक राज्य द्वारा सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्र में सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्यों में निर्धारित किए गये आरक्षण का हिस्सा मिल रहा है, सरकार के पास कोई तन्त्र है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ प्रतिशत पद आरक्षित किये हैं।

(ख) आरक्षण का ठीक-ठीक प्रतिशत इस प्रकार है :—

	समूह 'ग'	समूह 'घ'
(1) केन्द्र सरकार	10%	20%
(2) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	14½%	24½%
(3) राष्ट्रीयकृत बैंक	10%	20%
(4) परा सैनिक बल	सहायक कमांडेंट के	10% पद
(5) राज्य सरकारें	संलग्न विवरण के अनुसार हैं।	

(ग) और (घ) आरक्षणों को पूरी तरह से लागू करने के लिये एक प्रबोधन प्रणाली तैयार की गई है और इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक मन्त्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे भी इसी प्रकार की प्रबोधन प्रणाली तैयार करें।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरक्षित किए गए श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिशत पद		अभ्युक्ति
		श्रेणी-3	श्रेणी-4	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2%	2%	
2.	अण्डमान और निकोबार	10%	20%	
3.	अरुणाचल प्रदेश	10%	20%	
4.	आसाम	—	—	
5.	बिहार	—	—	
6.	चण्डीगढ़	10%	20%	
7.	दादरा नगर हवेली	10%	20%	
8.	दिल्ली	10%	20%	
9.	गोआ, दमन और दिव	10%	20%	
10.	गुजरात	10%	20%	
11.	हरियाणा	20%	20%	

1	2	3	4	5
12.	हिमाचल प्रदेश	20%	20%	केवल गैर-तकनीकी पदों में
13.	जम्मू और कश्मीर	5%	10%	
14.	कर्नाटक	10%	10%	
15.	केरल	—	—	
16.	लक्षद्वीप	10%	20%	
17.	मध्य प्रदेश	9%	14%	
18.	महाराष्ट्र	15%	15%	
19.	मणिपुर	10%	20%	
20.	मेघालय	—	—	
21.	मिजारम	10%	20%	
22.	नागालैण्ड	—	—	
23.	उड़ीसा	—	—	
24.	पाण्डिचेरी	10%	20%	
25.	पंजाब	20%	20%	
26.	राजस्थान	12½%	12½%	राज्य की सशस्त्र पुलिस में भी 60% पद आरक्षित हैं।
27.	सिक्किम	15%	15%	
28.	तमिल नाडु	—	10%	
29.	त्रिपुरा	2%	2%	
30.	उत्तर प्रदेश	3%	3%	
31.	पश्चिमी बंगाल	10%	20%	

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के श्रेणी 1 और श्रेणी 2 पदों में आरक्षण

1.	आन्ध्र प्रदेश	गैर-तकनीकी	—	2%
		मैडिकल	—	6%
		इंजीनियरिंग	—	32%
2.	हरियाणा	सभी पदों में	—	5%
3.	हिमाचल प्रदेश	गैर-तकनीकी	श्रेणी-1	— 25%
			श्रेणी-2	— 30%
4.	कर्नाटक	सभी पदों में	—	10%

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ प्रतिशत पद आरक्षित किये हैं।

(ख) आरक्षण का ठीक-ठीक प्रतिशत इस प्रकार है :—

	समूह 'ग'	समूह 'घ'
(1) केन्द्र सरकार	10%	20%
(2) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	14½%	24½%
(3) राष्ट्रीयकृत बैंक	10%	20%
(4) परा सैनिक बल	सहायक कमांडेंट के	10% पद
(5) राज्य सरकारें	संलग्न विवरण के अनुसार हैं।	

(ग) और (घ) आरक्षणों को पूरी तरह से लागू करने के लिये एक प्रबोधन प्रणाली तैयार की गई है और इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक मन्त्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे भी इसी प्रकार की प्रबोधन प्रणाली तैयार करें।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरक्षित किए गए श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिशत पद		अभ्युक्ति
		श्रेणी-3	श्रेणी-4	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2%	2%	
2.	अण्डमान और निकोबार	10%	20%	
3.	अरुणाचल प्रदेश	10%	20%	
4.	आसाम	—	—	
5.	बिहार	—	—	
6.	चण्डीगढ़	10%	20%	
7.	दादरा नगर हवेली	10%	20%	
8.	दिल्ली	10%	20%	
9.	गोआ, दमन और दिव	10%	20%	
10.	गुजरात	10%	20%	
11.	हरियाणा	20%	20%	

1	2	3	4	5
12.	हिमाचल प्रदेश	20%	20%	केवल गैर-तकनीकी पदों में
13.	जम्मू और कश्मीर	5%	10%	
14.	कर्नाटक	10%	10%	
15.	केरल	—	—	
16.	लक्षद्वीप	10%	20%	
17.	मध्य प्रदेश	9%	14%	
18.	महाराष्ट्र	15%	15%	
19.	मणिपुर	10%	20%	
20.	मेघालय	—	—	
21.	मिजारम	10%	20%	
22.	नागालैण्ड	—	—	
23.	उड़ीसा	—	—	
24.	पाण्डिचेरी	10%	20%	
25.	पंजाब	20%	20%	
26.	राजस्थान	12½%	12½%	राज्य की सशस्त्र पुलिस में भी 60% पद आरक्षित हैं।
27.	सिक्किम	15%	15%	
28.	तमिल नाडु	—	10%	
29.	त्रिपुरा	2%	2%	
30.	उत्तर प्रदेश	3%	3%	
31.	पश्चिमी बंगाल	10%	20%	

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के श्रेणी 1 और श्रेणी 2 पदों में आरक्षण

1.	आन्ध्र प्रदेश	गैर-तकनीकी	—	2%
		मैडिकल	—	6%
		इंजीनियरिंग	—	32%
2.	हरियाणा	सभी पदों में	—	5%
3.	हिमाचल प्रदेश	गैर-तकनीकी	श्रेणी-1	— 25%
			श्रेणी-2	— 30%
4.	कर्नाटक	सभी पदों में	—	10%

5.	मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य लोक निर्माण शिक्षा	— 50%	केवल आपातकालीन कमीशन अफसर और अल्प सेवा कमीशन अफसर ही आरक्षित पदों के पात्र हैं।
6.	पंजाब	पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी)	— 20%	
7.	उत्तर प्रदेश	सभी पदों में	— 8%	केवल अल्प सेवा कमीशन अफसर और निशक्त भूतपूर्व सैनिक की पात्र हैं।
8.	पश्चिमी बंगाल	श्रेणी-1	— 10%	
		श्रेणी-2	— 15%	

मुख्य श्रम आयोग संगठन के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा में वृद्धि

5045. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के दौरान मुख्य श्रम आयोग, संगठन के तीन अधिकारियों की सेवा में वृद्धि की गई थी;

(ख) क्या इन तीन अधिकारियों, जिनकी सेवाएं बढ़ाई गई हैं, में से एक अधिकारी को दो बार सेवा से बर्खास्त किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त मामलों में सेवा काल में वृद्धि करने के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1962 में एक अधिकारी को नौकरी से निकाला गया था। मार्च, 1964 में न्यायालय के आदेशों के अनुसार उ हें बहाल किया गया। जनवरी, 1976 में पचास वर्ष की आयु पर उन्हें समय से पूर्व सेवा-निवृत किया गया और तत्पश्चात पुनरीक्षा समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप उन्हें फरवरी, 1977 में बहाल किया गया।

(ग) और (घ) सेवा काल में वृद्धि देते समय, इस सम्बन्ध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया था।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिये योजनाएं

5046. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष "सोशल कोम्पोनेन्ट" योजनाओं में सम्मिलित की गई अनुसूचित जातियों के विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं;

(ख) "स्पेशल कोम्पोनेन्ट" योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार ने क्या योजना प्रस्तुत की हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कितनी योजनाओं पर मंजूरी दी जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों की पर्याप्त जनसंख्या वाले राज्य अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनाएं बनाते हैं। इस विशेष कम्पोनेंट योजना में स्वयं राज्य योजना से तैयार की गई बड़ी संख्या में स्कीमें तथा कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसलिए स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनाओं में शामिल करने के लिए संघ सरकार द्वारा योजनाओं की स्वीकृति का स्पष्टतः कोई प्रश्न नहीं है। स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में यह परिकल्पना है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के विकास से सम्बद्ध योजनाओं का पता लगाया जाए और उन्हें तैयार किया जाए धनराशि नियत की जाए और लाभ की मात्रा निर्धारित की जाए। अन्य राज्यों की तरह उडीसा सरकार ने भी अनुसूचित जातियों के लिए अपनी राज्य योजना से एक विशेष कम्पोनेंट योजना बनाई है इसमें सभी क्षेत्रों के कार्यक्रम शामिल हैं अर्थात लघु साज सामान प्रदर्शन भूखंड जैसे कृषि उत्पादन की एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाएं, चनड़ा उद्योग समेत हथकर्घा बुनकरों तथा अन्य कारीगरों और शिल्पकारों, कुटीर एवं ग्राम्य उद्योगों के लिए योजनाएं, पेयजल और आवास इत्यादि समेत अनुसूचित जातियों को सामाजिक तथा नागरिक सुख सुविधाओं के लिए योजनाएं और शिक्षा के लिए कार्यक्रम।

आर्थिक पुनर्वास योजना

5047. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पांच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों में से एक को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उड़ीसा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जिन, अति निर्धन परिवारों का पता लगाया गया है, उनकी संख्या कितनी हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक पांच परिवारों में से एक को वित्तीय सहायता देने के लिए आर्थिक पुनर्वास की कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अथवा केन्द्रीय योजना नहीं है। परन्तु उड़ीसा राज्य सरकार ने ग्रामीण गरीबों (ई० आर० आर० पी०) के आर्थिक पुनर्वास के लिए एक योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत छठी योजना की अवधि में 5 लाख अत्यन्त गरीब परिवारों की सहायता करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने बताया है कि इन परिवारों का पर्याप्त अनुपात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का होगा।

लाल डोरा क्षेत्र में स्थित उद्योगों का बन्द किया जाना

5048. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्र के अन्दर स्थिर लघु औद्योगिक एककों को प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर रोक लगाये जाने के कारण बन्द होना पड़ा; और

(ग) इस प्रकार से बन्द हुए उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और उससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन द्वारा कुटीर उद्योगों और नए औद्योगिक एस्टेट के विकास से सम्बन्धित योजना का परित्याग

5049. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने कुटीर उद्योगों और औद्योगिक/एस्टेटों का विकास करने सम्बन्धी अनेक योजनाओं को त्याग दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु योजना आयोग की सलाह पर दिल्ली प्रशासन ने सीमित संसाधनों और चालू योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने पर दिए जा रहे विशेष जोर के कारण छठी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास बस्तियों और लघु उद्योगों की कुछ नई योजनाओं को शामिल नहीं किया है।

उद्योग मंत्रालय में कर्मचारी

5050. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उद्योग मंत्रालय के नई दिल्ली कार्यालय में कर्मचारियों की वर्ग-वार कुल संख्या कितनी हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या कितनी है तथा वर्ग-वार उनकी क्रमशः प्रतिशतता कितनी है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु० जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनु० जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत	अनु० जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	अनु० जनजाति कर्मचारियों का प्रतिशत
		औद्योगिक विकास			
श्रेणी "क"	59	5	8.4	1	1.6
श्रेणी "ख"	211	26	12.3	—	—
श्रेणी "ग"	271	24	8.8	—	—
श्रेणी "घ"	214	73	34.1	8	3.7
		भारी उद्योग विभाग			
श्रेणी "क"	28	2	7.1	—	1
श्रेणी "ख"	79	7	8.8	—	1.2
श्रेणी "ग"	96	10	10.4	—	—
श्रेणी "घ"	55	11	20	1	1.8
		मंत्रालय के अधीन संबंध कार्यालय			
श्रेणी "क"	340	21	6.2	5	1.5
श्रेणी "ख"	431	32	7.4	2	.5
श्रेणी "ग"	846	95	11.2	3	.6
श्रेणी "घ"	279	84	30.1	10	3.6

केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड 1/सलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों का बारी-बारी से एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांन्तरण

5051. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड I और सलेक्शन ग्रेड अधिकारियों और निदेशक को एक मंत्रालय से दूसरे में स्थानान्तरित किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग में इन अधिकारियों के रुकने की कोई अवधि निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो उद्योग वाणिज्य और पेट्रोलियम, तथा रसायन मंत्रालयों में गत पांच वर्ष से भी अधिक समय से हैं और उनके वहां अब तक बने रहने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन्हें कब स्थानान्तरित किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I तथा उससे ऊपर के अधिकारियों का एक मंत्रालय/विभाग से दूसरे मंत्रालय/विभाग में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(ख) तथा (ग) किसी एक मंत्रालय/विभाग में रहने के लिए कोई कार्यकाल की अवधि निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी, उनके कैरियर, विकास तथा प्रशासनिक कार्य-कुशलता को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को एक मंत्रालय से दूसरे में अथवा एक डैस्क से दूसरे में स्थानान्तरित किया जाता है।

(घ) पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I/चयन ग्रेड के ऐसे 6 अधिकारी हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I/चयन ग्रेड 37 ऐसे अधिकारी हैं जो कि उस मंत्रालय में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। उद्योग मंत्रालय में के० स० से० ग्रेड-I/चयन ग्रेड के 37 ऐसे अधिकारी हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

(ङ) भाग (ख) में प्रतिपादित सिद्धांत उन पर भी लागू होता है।

व्यापारिक गृहों के सम्पर्क अधिकारियों को परिमिट जारी करना

5052 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे विभिन्न भवनों जिनमें विभिन्न मंत्रालय स्थित हैं, के स्वागतियों को ऐसे अधिकार देने के लिये आदेश जारी किये गये हैं कि वे इन भवनों में संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिये आने वाले व्यापारियों से प्रवेश के समय हस्ताक्षर करवा लें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि सामान्यत: व्यापारिक गृहों के सम्पर्क अधिकारी काफी पहले ही परमिट जारी करवा लेते हैं और सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं करने पडते और वे परमिट बार-बार इस्तेमाल किये जा सकते हैं ; और

(घ) औद्योगिक गृहों के सम्पर्क अधिकारियों द्वारा स्वागतियों के सहयोग से किये जाने वाले इस प्रकार के कदाचार को रोकने के व्यापार कार्यकारियों के साथ इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) यह निर्धारित किया गया है कि भेंटकर्ता द्वारा रजिस्टर में आवश्यक इंदराज करने के बाद और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद किसी भेंट करने वाले व्यक्ति को पास दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) सम्पर्क अधिकारियों को पहले ही पास जारी नहीं किए जाते हैं और पास लेने के इच्छुक प्रत्येक भेंटकर्ता को निर्धारित रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होते हैं ।

निर्देश हैं कि जिस अधिकारी से मुलाकात की गयी हो, उस अधिकारी को भेंटकर्ता से पास ले लेना चाहिए और इसे स्वागत अधिकारी को वापस कर देना चाहिए ताकि इसका दुरूपयोग न हो सके ।

राज्यों के उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विचाराधीन पड़े मामले

053. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामलों के बड़ी संख्या में विचाराधीन पड़े होने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उडीसा उच्च न्यायालय में ऐसे कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं और ये मामले कब से विचाराधीन पड़े हैं ;

(ग) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ऐसे मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

भू-भौतिकीय सर्वेक्षण तथा निकट तटीय क्षेत्रों के मात्स्यकी सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। नौसेना के जलराशिक जहाजों द्वारा जलराशिक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं को बढ़ाने तथा अनुसंधान और सर्वेक्षणों को सुदृढ़ करने के लिए, 1982 के अन्त तक एक समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान प्राप्त किया जाएगा और 1983 के अन्त तक एक मात्स्यकी तथा समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। एक भू-तकनीकी जहाज और अनुसंधान मोटर लाशें भी प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मोपेड और मोटर साइकिलों के लिये तकनीकी जानकारी का विदेशों से मंगाया जाना

5058. **श्री अरिफ मौहम्मद खान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो पहिए वाले मोपेड और छोटी मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए विदेशों से तकनीकी जानकारी मंगाए जाने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) निजी परिवहन के लिए एक वाहन के रूप में 100 सी सी तक की छोटी मोटर साइकिलों और दो पहिए वाले मोपेड़ों के बढ़ते हुए महत्व और मांग को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से ईंधन संकट के संदर्भ में, सरकार ने इन वाहनों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी के आयात को अनुमति दी है।

उड़ीसा में सीमेंट की कमी

5059. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा को सीमेंट की अपर्याप्त सप्लाई किये जाने के कारण इस राज्य में लघु उद्योग ठप्प हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य को सीमेंट की पर्याप्त सप्लाई करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) वर्ष 1978 से 1981 के दौरान उड़ीसा राज्य की सीमेंट की वार्षिक आवश्यकता कितनी थी और उसे वर्ष वार कितनी सीमेंट सप्लाई की गई ; और

(घ) राज्य को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सीमेंट की सप्लाई संभवत: कब तक मिल जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उड़ीसा सहित देश में सीमेंट की सामान्य कमी है तथा इससे यह संभव है कि राज्य में कुछ हद तक लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

(ख) देश में सीमेंट की कम उपलब्धता होने के कारण राज्य को सीमेंट का कम आवंटन किया जाता है। सरकार विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके, नयी क्षमता स्वीकृत करके तथा सीमेंट का आयात करके देश में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के हर सभव प्रयास कर रही है। उड़ीसा राज्य सहित राज्यों के आवंटन में वृद्धि करना देश में सीमेंट की उपलब्धता-स्थिति सुधर जाने पर ही संभव होगा। किन्तु, तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनवरी-मार्च, 1981 की तिमाही में उड़ीसा राज्य को 40,350 मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया था।

(ग) राज्य सरकारों से सीमेंट संबंधी मांगें इकट्ठा नहीं की जाती हैं। किन्तु, उड़ीसा सरकार ने हाल हीं में यह बताया है कि उनकी आवश्यकता प्रति तिमाही 2.5 लाख मी० टन होगी। वर्ष 1978 1979, 1980, तथा 1981 में उड़ीसा राज्य को सीमेंट का निम्न प्रकार संभरण किया गया :

1978	4,40,300 मी० टन
1979	3,45,000 मी० टन
1980	4,09,000 मी० टन
1981	50,200 मी० टन (जनवरी-फरवरी, 1981)

(घ) 1980-85 अवधि के लिए योजना आयोग द्वारा गठित सीमेंट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में वर्ष 1984-85 तक सुधार आ जाने की आशा है।

भारत स्थित संघों के लिये विदेशी अंशदान

5010. **श्री आर० के महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा कानून है जिसके अधीन भारत में निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक शैक्षणिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों वाले संगठनों को मिलने वाली विदेशी धनराशि पर नियन्त्रण और विनियमन किया सके ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन देशों से 1979-80 और 1980-81 की अवधि के दौरान भारत में ऐसी धनराशियाँ प्राप्त हुई ; और

(ग) उक्त अवधि में किन-किन देशों से धनराशियां प्राप्त कीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। सम्बद्ध

कानून विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके अधीन बनाए गए विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 1976 हैं,

(ख) विदेशी दानदाता देशों के नामों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

उन दानदाता देशों की सूची जिनसे विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ है।

क्रम सं०	देश का नाम	क्रम० सं०	देश का नाम
1.	अलजीरिया	26.	होंगकोग
2.	अफगानिस्तान	27.	हंगरी
3.	अरब मिश्र गणराज्य	28.	इन्डोनेशिया
4.	अर्जेन्टीना	29.	ईरान
5.	आस्ट्रेलिया	30.	आयरलैंड
6.	आस्ट्रिया	31.	इटली
7.	बहराइन	32.	कुवैत
8.	बंगलादेश	33.	जापान
9.	बेलजियम	34.	केन्या
10.	ब्राजील	35.	दक्षिण कोरिया
11.	कनाडा	36.	उत्तर कोरिया
12.	श्री लंका	37.	लेबनान
13.	दक्षिण अफीका	38.	लक्षम बर्ग
14.	क्यूबा	39.	मारीशस
15.	डेनमार्क	40.	मलेशिया
16.	दुबाई	41.	मस्काट
17.	इथोपिया	42.	मैक्सिको
18.	फिनलैंड	43.	नेपाल
19.	फिजी	44.	न्यूजीलैंड
20.	फ्रांस	45.	नाइजीरिया
21.	घाना	46.	नारवे
22.	यूनान	47.	पनामा
23.	गुयाना	48.	फिलीपीन
24.	गुदनियां	49.	पाकिस्तान
25.	हालैंड	50.	पोलैंड

क्र० सं०	देश का नाम	क्र० सं०	देश का नाम
51.	पुर्तगाल	64.	रूस
52.	साउदी अरब	65.	अमेरिका
53.	सिंगापुर	66.	दक्षिण वियतनाम
54.	दक्षिण अफ्रीका	67.	बीनजुला
55.	स्पेन	68.	वेस्ट इंडीज
56.	स्वीडन	69.	बारदादोस
57.	स्विटजरलैंड	70.	वेस्ट जर्मनी
58.	सीरिया	71.	ईस्ट जर्मनी
59.	थाईलैंड	72.	युगोस्लाविया
60.	तूनिशिया	73.	जाम्बिया
61.	टर्की	74.	यू० ए० ई०
62.	तनजानिया	75.	कानाडियन हाई कमीशन नई दिल्ली
63.	इंगलैंड		

लघु कागज संयंत्रों की स्थापना

5061. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखबारी कागज की बढती हुई मांग की पूर्ति के लिए देश में अनेक लघु कागज संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) इन संयंत्रों की स्थापना के लिए किन-किन राज्यों को चुना गया है ;

(ग) क्या सरकार का इस योजना में उड़ीसा को भी सम्मिलित करने का विचार है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

लिपिकीय कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

5062. **श्री बापू साहिब पारूलेकर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्लैग आफिसर कमान्डिंग इन-चीफ, दक्षिण नौसेना कमाण्ड, बम्बई और एडमिरल सुपरिन्टेंडेंट, नौसेना गोदी, बम्बई के कार्यालयों में सेवारत सभी कर्मचारियों को 1980 में बोनस दिया गया था जबकि दो से तीन हजार लिपिकीय कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि लिपिकीय और अलिपिकीय दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकारी एक ही है और कार्य का स्वरूप भी एक ही है ;

(ग) लिपिकीय कर्मचारियों को बोनस न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस भेद भाव को समाप्त करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं । नौसेना गोदी बम्बई और सहयोगी यूनिटों, जिनमें एडमिरल सुपरिन्टेंडेंट, नौसेना गोदी का भी कार्यालय शामिल है, के केवल सिविलियन कर्मचारियों तथा संचिवालयी कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस योजना के अन्तर्गत लाया गया है और अभी तक वर्ष 1979-80 के लिए तदर्थ आधार पर 15 दिनों का वेतन भुगतान किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) केवल उन्हीं संस्थाओं में कार्य कर रहे सचिवालयी कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस योजना के अन्तर्गत बोनस मंजूर करने के लिए विचारा जा रहा है जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से लाया गया है ।

(घ). प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये पदों का आरक्षण

:063 **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या गृह मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में, विशेषकर अमरावती जिले में, केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए कितने पद आरक्षित किये गये हैं ;

(ख) क्या गत दो वर्षों में वे पद भरे गये थे या क्या उनमें से कोई बिना भरा रहा गया ;

(ग) क्या आरक्षित उम्मीदवारों के लिये बने किसी पद को समान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया है ; और

(घ) यदि हां. तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण समय-समय पर होने वाली रिक्तियों में दी जाती हैं न

कि पदों में। इस समय केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अलावा पिछड़े समुदायों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षणों के संबंध में राज्यवार तथा जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

राज्यों में अपराध रोकने के लिये अपेक्षित पुलिस कर्मियों की संख्या

5064 **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र में अलग-अलग प्रति एक हजार व्यक्तियों के लिए कितने पुलिस कर्मी हैं ;

(ख) अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिए कितने पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अब तक पंजाब तथा अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर तथा नागर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना का एक विवरण संलग्न है। अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और इस प्रकार जितनी संख्या में वे आवश्यक समझें पुलिस कर्मचारी भर्ती करना उनका कार्य है। फिर भी सातवें वित्त आयोग ने वर्ष 1979-84 में उन नौ राज्यों में जो पुलिस प्रशासन के मामले में पिछड़े हुए हैं पुलिस प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिये कुल 168.73 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है। राज्य सरकारों द्वारा इस परिव्यय का उपयोग की जाने वाली मदों में से एक मद पुलिस की संख्या बढ़ाना है। वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर इन राज्यों को निधियां दी जा रही हैं।

जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का संबंध है, पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के उनसे प्राप्त प्रस्तावो की जांच की जा रही है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रति हजार व्यक्तियों पर पुलिस कार्मिक की संख्या	अपराधों पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिये अपेक्षित संख्या
1	2	3	4
1.	पंजाब	2·14	1000 की जन संख्या के लिये पुलिस बल बढ़ाने हेतु कोई अनुपात निश्चित नहीं किया गया है। फिर भी अपराधों पर प्रभावशाली नियंत्रण

1	2	3	4
			रखने के लिये थानों आदि में पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की स्वीकृति पंजाब पुलिस नियमों में निर्धारित मानक के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है ।
2.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	10·4	अपराधों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिये एक हजार व्यक्तियों के लिये 20 कार्यकारी पुलिस कर्मचारियों की आवश्यकता है ।
3.	चडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	589 निवासियों के लिये एक कांस्टेबल	पुलिस नियमों के अनुसार, प्रति 450 निवासियों के लिये एक कांस्टेबल दिये जाने की आवश्यकता है ।
4.	दादर तथा नगर हवेली	1.7	इस संघ शासित क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिये कोई कठिनाई महसूस नहीं की जाती है ।
5.	दिल्ली	1.33	जनसंख्या/पुलिस अनुपात 450 : 1 है ।
6.	लक्षद्वीप	7	वर्तमान संख्या पर्याप्त है ।
7.	पांडिचेरी	2.46	इस संघ शासित क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र का विकास

5065. **श्री जैनुल बशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ ;

(ख) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

न्यूक्लीयर सुरक्षा विनियमन बोर्ड की स्थापना

5066. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या प्रधान मत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा उपायों की देखभाल करने के लिए न्यूक्लीयर सुरक्षा विनियमन बोर्ड की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा नियन्त्रण के वर्तमान उपायों का क्या विवरण है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रोनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हाँ, सरकार इस बारे में सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नियामक तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए एक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड औपचारिक रूप से बनाया जाए।

(ख) सुरक्षा समीक्षा समिति, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के अन्तर्गत काम करती है, इस बात की जांच लगातार करती रहेगी कि परमाणु संयंत्र सुरक्षापूर्वक कार्य कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विकिरण सम्बन्धी तथा औद्योगिक सुरक्षा का अध्ययन करने का काम भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग द्वारा लगातार किया जाता है। इस प्रभाग पर संयंत्रों के प्रबन्धकों का कोई नियन्त्रण नहीं है। इसके अतिरिक्त, विभाग सुरक्षा-विशेषज्ञों की विशेष समितियां गठित करता है। इससे पहले की संयंत्रों को प्रचालन के लिए प्राधिकृत किया जाए, ये समितियां उन संयंत्रों के लगाने के स्थलों, डिजायनों, चालू किये गये तथा प्रचालन के सुरक्षा सम्बन्धी पक्षों का अध्ययन करती है।

भारतीय आर्थिक सेवा में श्रेणी एक के पदों के लिये पात्रता का मानदण्ड

5067. **श्री तारिक अनवर**
श्री राम विलास पासवान } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव और इससे ऊपर के पदों पर भारतीय आर्थिक सेवा के कितने अधिकारी हैं;

(ख) अवर सचिव और उप सचिव आदि के विभिन्न पदों के लिये नाम प्रस्तावित करने के मानदंड तथा निम्नतम अर्हताएं क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की सेवा के श्रेणी एक के विभिन्न पदों के लिये पात्रता की निम्नतम शर्तें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) भारत सरकार में कार्याविधि पद किसी विशिष्ट सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित नहीं हैं। ऐसे पदों को अखिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य संगठित केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं के उपलब्ध अधिकारियों में से प्रत्येक पद की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्तावित अधिकारियों की अर्हताओं तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है। इस समय भारतीय अर्थ सेवा के 12 अधिकारी, अवर सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के सचिवालयीन पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) अवर सचिव से संयुक्त सचिव तक के स्तर पर कार्यविधि पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों की सेवा अवधि के सम्बन्ध में पात्रता का न्यूनतम मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

(1)	अवर सचिव	5 वर्ष
(2)	उप सचिव	9 वर्ष
(3)	निदेशक	14 वर्ष
(4)	संयुक्त सचिव	17 वर्ष

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में ढील और स्वत. लाइसेंसिंग प्रणाली

168. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में प्रस्तावित ढील दिये जाने और बड़े व्यापारिक गृहों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली भूतपूर्व कम्पनियों के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई स्वतः लाइसेंसिंग देने की प्रणाली पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फेडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिसकी दिसम्बर, 1980 में वार्षिक बैठक हुई थी, ने बताया है कि स्वतः लाइसेंसिंग प्रणाली का बड़े व्यापारिक गृहों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली भूतपूर्व कम्पनियों द्वारा लाभ उठाया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह बताया है कि वे अब ऐसे क्षेत्रों में घुस जायेंगे जहां लघु उद्योग ने अपनी सक्षमता स्थापित कर रखी है;

(घ) यदि हां, तो क्या लघु क्षेत्र द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में प्रस्तावित ढील न देने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुसरण में सरकार ने अनेक विशिष्ट उद्योगों में स्वयंमेव क्षमता का विकास करने की अनुमति प्रदान की है किन्तु जहां केवल क्षेत्र में ही वस्तु का उत्पादन करना आरक्षित है उन वस्तुओं के लिए स्वयंमेव विकास करने की अनुमति नहीं है। एम०आर०टी०पी० अधिनियम के अन्तर्गत प्रभुत्व वाले एकक भी स्वयंमेव विकास करने के लिये पात्र नहीं हैं। अतः एम०आर०टी०पी० अधिनियम के उपबन्धों में ढील न देकर उनके प्रभुत्व से लघु क्षेत्र को पूर्ण सुरक्षा दी गई हैं।

भारत के पास परमाणु बम होने सम्बन्धी समाचार

5069. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "वालस्ट्रीट" पत्रिका में सेनेटर जेरेमिया डेन्टन के कथन के आधार पर छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के पास 600 परमाणु बम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस आधारहीन भारत-विरोधी प्रचार के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वाल स्ट्रीट जरनल के 4 दिसम्बर, 1980 के अंक में प्रकाशित सेनेटर जेरेमिया डेन्टन की टिप्पणी के बारे में सरकार को जानकारी है ।

(ख) इस टिप्पणी के विरोध में सरकार ने उक्त पत्रिका को लिखा है । वैसे भी इस बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट करने का प्रयास सभी माध्यमों द्वारा किया जाता है ।

सक्षम बनाए गए रुग्ण एककों की संख्या

5070 **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार कितने-कितने बड़े, मध्यम दर्जे के और छोटे औद्योगिक एकक रुग्ण हो गए थे; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार कितने-कितने रुग्ण एककों को सक्षम बनाया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) रुग्णता की मानी हुई परिभाषा के अनुसार, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया बड़े औद्योगिक एककों (अर्थात् 1 करोड़ या इससे अधिक ऋण सुविधा वाले) के बारे में राज्यवार आंकड़े नियमित रूप से संकलित करता है । रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने 1979 में लघु क्षेत्र के एककों के राज्यवार आंकड़े विशेष रूप से इकट्ठे किए थे । उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

रुग्ण एककों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	बड़े रुग्ण एकक		लघु रुग्ण एकक	
		31 दिसम्बर 1977	31 दिसम्बर 1978	31 दिसम्बर 1979	31 दिसम्बर 1980
1.	वैस्ट बंगाल	61	82	93	6,943
2.	महाराष्ट्र	63	74	74	2,763
3.	तमिलनाडु	35	35	32	955

1	2	3	4	5	6
4.	उत्तर प्रदेश	33	34	49	1,152
5.	गुजरात	3?	38	37	856
6.	करनाटक	11	13	17	1,039
7	आन्ध्र प्रदेश	8	12	14	1,323
8.	बिहार	8	12	12	802
9.	राजस्थान	6	5	5	323
10.	मध्य प्रदेश	5	13	15	525
11.	केरल	5	7	12	653
12.	हरियाणा	4	5	5	225
13.	उड़ीसा	3	4	3	772
14.	पंजाब	1	1	1	403
15.	असम	1	2	2	1,045
16.	दिल्ली	1	3	3	530
17.	पांडिचेरी	1	1	1	3
18.	गोआ	1	3	3	750
19.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	51
20.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	71
21.	मनीपुर	—	—	—	186
22.	नागालैंड	—	—	—	3
23.	मेघालय	—	—	—	25
24.	त्रिपुरा	—	—	—	70
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	43
	टोटल	289	344	378	20,841

2. ऐसे रुग्ण एककों की संख्या जो स्वस्थ हो गये हैं

क्रमांक	राज्य	1977 में बड़े एकक	1977 में अन्य एकक	1978 में बड़े एकक	1978 में अन्य एकक	1979 में बड़े एकक	1979 में मझोला एकक	1979 में लघु एकक
1.	महाराष्ट्र	3	अप्राप्त	3	अप्राप्त	7		
2.	वैस्ट बंगाल	—	वही	—	वही	3		
3.	तमिलनाडु	3	वही	4	वही	3		
4.	उत्तर प्रदेश	1	वही	1	वही	—	राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है	
5.	राजस्थान	—	वही	—	वही	1		
6.	उड़ीसा	—	वही	—	वही	1		
7.	गुजरात	—	वही	—	वही	3		
8.	अन्य राज्य	—	वही	—	वही	—		
	योग	7	अप्राप्त	8	अप्राप्त	18	336	1456

जे० सी० बी० में प्रशिक्षण अनुभाग

5071. **श्री केशोराव पारधी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे०सी०बी० में कोई प्रशिक्षण अनुभाग है;

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ किया गया था, इसके क्या कार्य हैं और जे०सी०बी० के लिए प्रशिक्षण अनुभाग की क्या उपयोगिता है;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से कितने लोग संयुक्त बीजांक ब्यूरो विभाग के कर्मचारी थे । जिन्हें इस अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है और कितने प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति संयुक्त बीजांक ब्यूरो से चले गए हैं और किस वर्ष में ;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त विभागीय कर्मचारी जो 15 वर्षों से अधिक समय से संयुक्त बीजांक ब्यूरो में काम कर रहे हैं इस अनुभाग द्वारा उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कारण है कि इस अनुभाग में विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) यह अनुभाग संयुक्त बीजांक ब्यूरो के सम्बन्धित अधिकारियों तथा बीजांक प्रयोग करने वाले विभागों के अन्य कर्मचारियों को बीजांक बनाने/बीजांक इस्तेमाल करने/बीजांक के कागजात और बीज-लेख सामग्री को सम्भालने/बीज-लेखन विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान आदि में प्रशिक्षण देने के लिए 1969 में गठित किया गया था ।

(ग) इससे सम्बन्धित जानकारी इस प्रकार है :—

(1) अब तक प्रशिक्षित किये गए व्यक्तियों की संख्या;	649
(2) संयुक्त बीजांक ब्यूरो के प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों की संख्या;	114
(3) संयुक्त बीजांक ब्यूरो में प्रशिक्षण प्राप्ति करने के बाद सेवा निवृत्ति/सेवा त्याग देने के कारण छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ;	40

(घ) सुरक्षा के हित में बीजांक ब्यूरो में कार्यरत कर्मचारियों को "जानकारी की जरूरत" के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है । ऐसे बहुत कम पात्र कर्मचारी हैं जिन्हे अभी प्रशिक्षण देना बाकी है । प्रशासन की जरूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है ।

जे०सी०बी फोटो लिथो प्रेस के लिये भर्ती नियम

5072. **श्री केशोराव पारधी :** क्या रक्षा मंत्री जे०सी०बी० फोटो लिथो प्रेस के लिये भर्ती नियमों के बारे में 17 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4157 के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभ्यावेदन की जांच कर ली है;

(ख) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के विस्तृत कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) अभ्यावेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन है । मामले के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया जाता है, इसलिए कुछ और समय लगने की संभावना है ।

जे०सी०बी० लैटर प्रेस और जे०सी०बी० फोटो लिथो प्रेस के रीडिंग कर्मचारियों का विलय

5073. **श्री केशोराव पारधी** : क्या रक्षा मन्त्री जे०सी०बी० लैटर प्रेस और जे०सी०बी०-फोटो लीथो प्रेस के रीडिंग कर्मचारियों के विलय के सम्बन्ध में 24 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1574 के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे. सी. बी. की दोनों प्रेसों के रीडिंग कर्मचारियों के भर्ती के नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन नियमों को अन्तिम रूप कब दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार कब इन नियमों को अन्तिम रूप दे देगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) दिनांक 7-3-81 को का० नि० आ० 56 के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है ।

(ग) लागू नहीं है ।

(घ) लागू नहीं है ।

बेरोजगारारी भत्ता

5074 **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) अन्य राज्यों में बेरोजगारी भत्ता न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदनों के साथ पोस्टल आर्डर आदि मांग कर केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा उन पर वित्तीय भार डाला जा रहा है ;

(घ) इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही बेरोजगारी लाभ भत्ता योजनाओं से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्यों को अपने स्रोतों से बेरोजगारी राहत योजनाएं तैयार करने की स्वतंत्रता है। सभी पहलुओं का ध्यान में रखते हुए सरकार यह महसूस करती है कि उपलब्ध स्रोतों का और बेहतर ढंग से उपयोग ऐसी योजनाओं के लिए किया जा सकता हैं, जो सतत आधार पर रोजगार सृजित करें।

(ग) से (ङ) भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रायः नाममात्र की फीस ली जाती है। यह निरर्थक आवेदन-पत्रों को निरुत्साहित करता है। अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति। के उम्मीदवारों को फीसों में पर्याप्त रियायतें दी जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग इसी प्रकार की रियायतें पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को भी देते है।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित बेरोजगारी लाभ/भत्ता योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :—

1. पंजाब : राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत और विशिष्ट पात्रता की शर्तों पूरी करने वाले स्नातकों और स्नातकोत्तरों को 50 रुपये प्रतिमाह और मैट्रिकुलेट को 40 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

2. केरल : रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत और विशिष्ट पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को 50 रुपये प्रति माह की 'बेरोजगारी सहायता' का भुगतान किया जाता है।

3. पश्चिम बंगाल : रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत और विशिष्ट पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले नेरोजगार व्यक्तियों को 50 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए गए किसी निर्माण कार्य/कार्यक्रम-योजना में काम करना अपेक्षित है, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में प्रति वर्ष 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

4. गुजरात : गुजरात सरकार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत एस० एस० सी०, स्नातकों और स्नातकोत्तरों और तकनीकी डिप्लोमा धारकों और पात्रता की विशिष्ट शर्तें पूरी करने वाले व्यक्तियों को 50 रुपये से 100 रुपये प्रति माह तक का 'अवरोधन भत्ता' प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को आशंकालिक कार्य/प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. **महाराष्ट्र** : (क) महाराष्ट्र सरकार 'शिक्षित बेरोजगारों को वित्तीय सहायता' संबंधी योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत :

(1) बेरोजगार स्नातक तथा स्नाकोतर व्यक्तियों को जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत है और पात्रता की विशिष्ट शर्तें पूरी करते हैं उतनी अवधि तथा तथा स्वरूप का अशंकालिक कार्य दिया जाता है जिससे वे 100 रुपये प्रति माह कमा सके तथा ।

(2) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत और पात्रता की विशिष्ट शर्तें पूरी करने वाले बेरोजगार एस० एफ० सी धारक व्यक्तियों को 100 रुपये प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है जिससे वे रोजगार प्राप्त करने में होने वाले खर्च का कुछ भाग वहन कर सके ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्तियों को अकुशल रोजगार की गारंटी देता है । ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अकुशल रोजगार की मांग करता है, ऐसी मांग प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर कार्य दिया जाता है । अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की व्यवस्था हैं जिन्हें 15 दिन की निर्दिष्ट अवधि के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता ।

6. **कर्नाटक** : कर्नाटक सरकार का बेरोजगार व्यक्तियों को किसी प्रकार का भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, वे एक 'वृत्तिक रोजगार योजना' कार्यान्वित कर रहे है जिसके अन्तर्गत ऐसे स्नातकों और स्नातकोत्तरों और डिप्लोमाधारियों को 150 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है जिनके परिवार की आय 3600 रुपये प्रति वर्ष से कम है तथा कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है । सरकार द्वारा वृत्तिका भोगियों की सेवाएं विकास कार्यक्रमों के कार्यन्वियन के लिए उपयोग की जाती हैं ।

7 **राजस्थान** : राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार स्नातको तथा स्नातकोत्तरों को तब तक वृत्तिका प्रदान करती है जब तक वे रोजगार नहीं पा लेते या स्वः नियोजित नहीं हो जाते । स्नातक 150 रुपये प्रतिमाह तथा स्नातकोतर 250 रुपये प्रतिमाह की दर से वृतिका प्राप्त करते है । 21-5-1980 से जो व्यक्ति तृतीय श्रेणी में परीक्षा पास करते है वे वृत्तिका पाने के हकदार नहीं है ।

8. **तामिलनाडु** सरकार तामिलनाडु राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत तथा पात्रता की विशिष्ट शर्तें पूरी करने वाले स्नातकों तथा स्नातकोतरों अर्हताप्राप्त

सेकेन्डरी ग्रेड अध्यापकों, हायर ग्रेड अध्यापकों, शारीरिक अध्यापकों, तामिल तथा अन्य भाषा पंडितों तथा शिल्प अनुदेशकों और इंजीनियरी के डिप्लोमाधारकों को 50 रुपये प्रति माह की बेरोजगारी राहत का भुगतान करती है।

(ख) 1979-80 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए एक विशेष ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी हृष्ट-पुष्ट अकुशल व्यक्तियों को रोजगार देने की परिकल्पना की गई है जो एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी० आदि जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं आते है। यदि पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के भीतर किसी व्यक्ति को रोजगार नही दिया जाता तो जब तक उसे रोजगार नहीं मिल जाता उसे एक रुपए के मूल्य का चावल प्रति दिन दिया जाएगा।

गुजरात में नमक उद्योग

5075 : **श्री हीरालाल आर० पारमार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में खारा गोंडा, झीझुवाड़ा, पटड़ी और वतगांव में चल रहे नमक-उद्योगों के मालिको का ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : केवल मेसर्स हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड खारागोड़ा को छोड़कर जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है अन्य एकक गैर सरकारी क्षेत्र में हैं। गैर सरकारी क्षेत्र के एकक राज्य सरकार प्राइवेट पार्टियों की भूमि पर स्थापित हैं उनके स्वामित्व सम्बन्धी विवरण केन्द्र सरकार में उपलब्ध नहीं है। किन्तु गुजरात के खारागोड़ा पतरी हारिज लोडिंग स्टेशनों के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त 97 नमक निर्माता एककों के नाम बताने वाला एक वितरण संलग्न है।

खारागोड़ा

1. हिन्दुस्तान साल्टस वर्क्स
2. मोसा राम शिवराम दास साल्ट वर्क्स
3. गोबिन्द लाल भगवान दास एण्ड कम्पनी
4. महेश वशिष्ट एण्ड कम्पनी
5. दीवीप भुपेन्द्र एण्ड कम्पनी
6. भवानी साल्ट वर्क्स
7. जय लक्ष्मी साल्ट वर्क्स
8. श्री सी० जे० पटेल साल्ट वर्क्स
9. मवाना साल्ट वर्क्स
10. धारिया चूनी लाल साल्ट वर्क्स
11. साल्ट एण्ड कैमीकल कारपोरेशन

12. अरविन्द साल्ट ट्रेडर्स
13. मुकेश चन्द्र एण्ड वासुदेव साल्ट वर्क्स
14. ललित साल्ट वर्क्स
15. बी० के० पटेल साल्ट वर्क्स
16. गजानन्द साल्ट वर्क्स
17. एच० बी० पारेख साल्ट वर्क्स
18. बी० के० मिस्त्री साल्ट वर्क्स
19. के० के० पटेल साल्ट वर्क्स
20. पराद्रमन साल्ट वर्क्स
21. दलीप साल्ट वर्क्स
22. कमला साल्ट वर्क्स
23. धर्मेन्द्र साल्ट वर्क्स
24. जयेन्द्र साल्ट वर्क्स
25. पटदी साल्ट वर्क्स
26. पटदी साल्ट एण्ड कैमीकल कारपोरेशन
27. भीमसेन साल्ट वर्क्स
28. वी० जे० ठाकुर साल्ट वर्क्स
29. एम० ए० दवे साल्ट वर्क्स
30. महेश चन्द्र साल्ट वर्क्स
31. हर्षाद साल्ट वर्क्स
32. पी० ए० वरोट साल्ट वर्क्स
33. सुपर साल्ट सप्लायर्स
34. स्वास्तिक कम्पनी
35. वाई० के० देसाई साल्ट वर्क्स
36. मनीश साल्ट वर्क्स
37. जलाली दास एम० पटेल साल्ट वर्क्स
38. प्रवीन साल्ट वर्क्स
39. अम्बालाल आत्मा राम पटेल साल्ट वर्क्स
40. जे० ए० पठान साल्ट वर्क्स
41. श्री देहमम सोसाइटी
42. श्री बजाना सोसाइटी
43. हिमातपुरा सोसाइटी
44. पी० ओ० स्वर्णकार सोसाइटी
45. स्वतास सोसाइटी

46. पासवन सोसाइटी
47. खरखोदा सोसाइटी
48. गणेश सोसाइटी
49. जनता सोसाइटी
50. सरस्वती सोसाइटी
51 नरायणपुरा सोसाइटी
52. अम्बीका सोसाइटी
53. राजेश्वरी सोसाइटी
54. राजागांव सोसाइटी
55. सुखेश्वर सोसाइटी
56. मासीभाजेठी सोसाइटी
57. पोरेदा सोसाइटी
58. श्रीराम मण्डली सोसाइटी
59. जयकृष्णा सोसाइटी
60. वचराजपुर सोसाइटी
61. जीनग्राडा सोसाइटी
62 भगवती सोसाइटी
63. सत्यनारायण सोसाइटी
64. खेरणा सोसाइटी
65. ओदु सोसाइटी
66. धरंगाधरा सोसाइटी
67. दादरा सोसाइटी
68. महेश्वर सोसाइटी
69. शक्ति सोसाइटी
70. भुटेश्वर सोसाइटी
71. गब्बरबाली सोसाइटी
72. अहमदगढ़ सोसाइटी
73. वीर मेघमाया सोसाइटी
74. जनीनाबाद एम० वी० सोसाइटी

पतरी

75. इण्डियन साल्ट वर्क्स
76. शक्तिजाला राम साल्ट वर्क्स
77. वी० एच० जाला साल्ट वर्क्स
78. बी० एन० देसाई साल्ट वर्क्स

79. गौतम साल्ट वर्क्स
80. एल० वी० ज़ाला साल्ट वर्क्स
81. दयालमीया सेदुमीयां साल्ट वर्क्स
82. रजनी साल्ट वर्क्स
83. जय शक्ति साल्ट वर्क्स
84. जगदीश साल्ट एण्ड कैमीकल बर्क्स
85. एल० एच० जाला साल्ट वर्क्स
86. सी० एम० शर्मा साल्ट वर्क्स
87. जी० एम० जैन साल्ट वर्क्स
88. एम० बी० वधेला साल्ट वर्क्स
89. एल० डी जाला साल्ट वर्क्स
90. के० आर० जाला साल्ट वर्क्स
91. के० एस० जाला साल्ट वर्क्स
92. विनोद साल्ट वर्क्स
93. के० के० जाला साल्ट वर्क्स
94. देसाई साल्ट वर्क्स
95. एम० जे० जाला साल्ट वर्क्स
96. डी० पी० देसाइ साल्ट वर्क्स

हरिश

97. कोदाधा सोसाइटी ।

नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना

5076. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जिले में नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) अब तक कितने नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है ; और

(घ) उनमें कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम दो पिछड़े जिलों को निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य मंत्रियों से किये गए उद्योग राज्य मंत्री के अनुरोध के उत्तर में 13 राज्यों से

प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। चुने हुए स्थापना स्थलों पर परियोजना संबंधी अवसरों तथा सम्बद्ध सहायक उद्योग क्षमता का पता लगाने का भी कार्य चल रहा है।

सीमा सुरक्षा बल में अधिक पदों का बनाया जाना

5077. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी कामान्डेंट, एडीशनल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और अन्य पुलिस अधिकारियों के अधिक पद बनाये जायें जिससे उन्हें भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमा पर तैनात किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पद बनाये गये हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) हाल ही में सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के संवर्ग पुनरीक्षण संबंध में प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। प्रस्तावों के अनुमोदन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप निम्न पदों को समाप्त/स्तर बढ़ा कर एडीशनल डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल के 18 पद, कमान्डेंट (चयन श्रेणी) 123 पद, डिप्टी कमान्डेंट (सेकेंड-इन-कमांड) के 77 पद और डिप्टी कमांडेंट के 154 पद बनाए गए हैं।

1981-82 में सीमेंट का उत्पादन

5078. **श्री मनमोहन टूडु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में सीमेंट की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का 1981-82 में देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की उपलब्धि कम है।

(ख) और (ग) नयी क्षमताओं के लिए स्वीकृति प्रदान कर तथा वर्तमान क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

त्रिपुरा को सीमेंट का आवंटन

5079. **श्री अजय बिश्वास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार त्रिपुरा को सीमेंट का कुल कितना-कितना कोटा आवंटित किया गया था ;

(ख) इसमें से, वर्ष-वार त्रिपुरा को वास्तव में कुल कितनी-कितनी मात्रा प्राप्त हुई; और

(ग) उपरोक्त अवधि में आवंटित कोटा त्रिपुरा नहीं पहुंच सका ; यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में त्रिपुरा राज्य के लिए सीमेंट का आवंटन तथा संभरण निम्न प्रकार है :—

(मी० टनों में)

वर्ष	आबंटन	संभरण
1978	31,300	20,800
1979	43,000	24,000
1980	49,000	18,000

(ग) जी हां, परिवहन संबंधी कठिनाई के परिणामस्वरूप त्रिपुरा राज्य को सीमेंट का का संभरण कम हुआ ।

लाइसेंसों का जारी किया जाना

5080. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में राज्यवार औद्योगिक लाइसेंस जारी करने संबंधी कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ; और

(ख) उनमें से कितने औद्योगिक लाइसेंस किस-किस स्थान के लिए राज्यवार प्रदान कर दिए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

वर्ष 1980 में विभिन्न राज्यों से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों और उन पर जारी किए गए गये औद्योगिक लाइसेंसों आशय पत्रों को दर्शाने के बारे विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंस/		
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	161	3	42	45
2.	आसाम	11	—	4	4
3.	बिहार	36	3	13	16
4.	गुजरात	249	1	83	84
5.	हरयाणा	107	—	32	32
6.	हिमाचल प्रदेश	33	—	9	9
7.	जम्मू और कश्मीर	16	—	7	7
8.	करनाटका	131	—	44	44
9.	केरल	57	—	15	15
10.	मध्य प्रदेश	112	26	26	26
11.	महाराष्ट्र	346	—	86	86
12.	उड़ीसा	37	1	9	10
13.	पंजाब	90	—	26	26
14.	राजस्थान	112	—	30	30
15.	तमिलनाडु	130	—	37	37
16.	उत्तर प्रदेश	158	1	47	48
17.	वैस्ट बंगाल	98	—	24	24
18.	चण्डीगढ़	5	—	—	—
19.	दिल्ली	12	—	1	1
20.	गोआ दमन और दीव	10	—	5	5
21.	पाण्डीचेरी	1	—	1	1

साम्प्रदायिक और पृथकतावादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कार्यवाही

5081. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1980 के पश्चात् देश में साम्प्रदायिक तथा पृथकतावादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : विवरण संलग्न है।

विवरण

साम्प्रदायिक और प्रथकतावादी तत्वों से निपटने के लिए उठाए गए कदम—साम्प्रदायिक और पृथकतावादी तत्वों से निपटने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1980 के बाद किए गए उपायों के संबंध में विवरण।

साम्प्रदायिक मेल-मिलाप बनाये रखने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गयी है। इस संबन्ध में उठाए गए उपाय निम्न प्रकार से हैं :—

1. अप्रैल, 1980 राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा साम्प्रदायिक मेल मिलाप और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई करने पर जोर दिया गया था।

2. राष्ट्रीय एकता परिषद को फिर से चालू किया है और पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक नवम्बर, 1980 में हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद ने तीन समितियां गठित की हैं :—

(1) राष्ट्रीय एकता परिषद को सिफारिशों का पुनरीक्षण और कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए राष्ट्रीय एकता पर स्थायी समिति।

(2) साम्प्रदायिक दंगों के कारणों का अध्ययन करने के लिए साम्प्रदायिक मेल मिलाप पर समिति।

(3) धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा को एक प्रभावकारी साधन बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा पर समिति।

3. 19 नवम्बर से 25 नवम्बर, 1980 तक "कोमी एकता सप्ताह" मनाया गया था।

4. (क) असामाजिक तत्वों से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980, अधिनियमित किया गया।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का अधिनियमन जिसमें उन व्यक्तियों की हिरासत में लेने की व्यवस्था की गई है, जो किसी भी रूप में राज्य आदि की सुरक्षा के प्रतिकूल कार्य करते हों।

5. दिसम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान बम्बई, बंगलौर, लखनऊ, कलकत्ता और अलीगढ़ में केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में साम्प्रदायिक मेलमिलाप पर राज्यों के साथ अधिकारी स्तर के क्षेत्रीय सम्मेलन किये गये।

6. आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से हैदराबाद, जमशेदपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, कल्याण और भिवन्डी शहरों का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और गहन अध्ययन करने के लिए और कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का अनुरोध ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया है।

7. साम्प्रदायिक मेल मिलाप और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों से राज्य समुदाय और स्थानीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यक कार्यक्रमों की योजना बनाने का अनुरोध भी किया गया है। सहनशीलता और प्यार की मूल भावना को बढ़ावा देने के लिए और इस प्रकार से साम्प्रदायिक मेल मिलाप और राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिए राज्य सरकारों से स्थानीय और राज्य स्तर पर एक त्यौहार समारोह समिति जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रमुख व्यक्ति हों, का गठन किया गया है।

8. साम्प्रदायिक मेल मिलाप के संदर्भ में प्रचार, शिक्षा और रोजगार पर केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर्मंत्रालय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है।

9. मणिपुर में हिंसक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त कुछ उग्रवादी संघों की गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत 26 अक्तूबर, 1979 को अवैध घोषित किया गया है। विद्रोह को कुचलने का कार्य सितम्बर 1980 के मध्य से सेना को सौंप दिया गया है।

10. सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक भाग के रूप में अल्प संख्यक समुदायों और अनु० जातियों और अनु० जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले एक संयुक्त शांति अनुरक्षण बल का गठन करने का निर्णय किया है। इस बल को, साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेषरूप सज्जित और प्रशिक्षित किया जाएगा।

चमड़ा और रबड़ के उत्पादन में गतिरोध

5082. **श्री रेणु पद दास**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या भारतीय अर्थ व्यवस्था के सुनियोजित विकास के पिछले पांच वर्षों के दौरान जूतों, चमड़े और रबड़ के उत्पादन में गतिरोध आया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के, वर्षवार उत्पादन आंकड़े क्या हैं; और

(ग) कितने प्रतिशत लोग नंगे पांव रहते हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) जी, नहीं। किन्तु, पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पादन में घटा-बढ़ी हुई है।

(ख)	वर्ष	चमड़े के जूते		रबड़ के जूते	
		संगठित क्षेत्र	लघु क्षेत्र	संगठित क्षेत्र	लघु क्षेत्र
		लाख जोड़ों में	लाख जोड़ों में	लाख जोड़ों में	लाख जोड़ों में
	1976	151.53	उपलब्ध नहीं	405.20	उपलब्ध नहीं
	1977	142.76	304.63	428.20	136.00
	1978	114.16	197.07	394.80	111.00
	1979	134.62	437.73	411.10	162.00
	1980	122.71	398.50 (अनन्तिम)	435.80	52.00 (जनवरी से जून तक)

(ग) उद्योग मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है

कर्मचारी भविष्य निधि पुनरीक्षण समिति

5083. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का समाप्त किया जाना

5084. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की श्रेणी समाप्त करने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा के अन्य विधानों के कार्यान्वयन के उपाय के रूप में कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा संगठनों के मामले में आयकर विभाग की तरह बकाया जमा न कराई गई राशियों सहित सभी देय राशियों को वसूल करने के लिये एक स्वतंत्र वसूली तंत्र आरम्भ करने के लिये कोई कदम उठा रही है ; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों और अन्य सरकारी उपक्रमों से ई० वी० एफ०, ई० डी० एल० आई० एस० तथा ई० एस० आई० की समस्त बकाया राशियां वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि पुनरीक्षा समिति ने ऐसी सिफारिश की है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पहले ही रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन संदाय आयुक्त के समक्ष दावे दायर किए हैं जो सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई रुग्ण कपड़ा मिलों की बकाया राशि के बारे में हैं। दोनों संगठन संबंधित राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों की सहायता से अन्य सरकारी उपक्रमों के बारे में बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा विधानों को संविधान की नवीं सूची में शामिल करना

5085. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकाया राशि की वसूली के मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए, सरकार सभी सामाजिक सुरक्षा विधानों को संविधान की नवीं सूची में शामिल करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह उपाय क्या हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भविष्य निधि की अंशदान की दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना

5086. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिना किसी अपवाद के पूरे देश में भविष्य निधि अंशदान की दर बढ़ा कर समान रूप से 10 प्रतिशत करने का है ; और

(ख) क्या प्रतिदिन 6.00 रुपये तक कमाने वाले श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान से छूट दी जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस संबंध में प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

भारत-लीबिया संयुक्त आयोग की बैठक

5087. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी
श्री एस० एम० कृष्ण } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की भारत-लीबिया संयुक्त आयोग की मार्च 1981 में बैठक हुई थीं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किस प्रकार का विचार-विमर्श किया गया ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान, जिन क्षेत्रों का पहले पता लगाया गया था उनकी प्रगति की समीक्षा की गई थी और नई सम्भावनाओं का पता लगाया गया था। रेलवे का निर्माण, दूर-संचार प्रणाली, बिल्डिंग परियोजनाओं, सड़कों, उपभोक्ता उद्योगों, आधारभूत और भारी उद्योग, प्रबन्ध तथा परामर्श और लीबियाई कार्मिकों को परिक्षण देने के क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) इन सम्भावनाओं पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

गलन (पयूजन) प्रौद्योगिकी के बारे में स्वदेशी जानकारी

5088. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गलन प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी उपलब्ध है ; और

(ख) यदि, हां, तो ऊर्जा का संकट दूर करने के लिए इस स्रोत का उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

होटलों द्वारा दिल्ली पुलिस अधिनियम (1978) के अधीन प्राप्त किए गए लाइसेंस

5089. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, जन-मनोरंजन, मनोविनोद और मनोविनोद के कार्यक्रम प्रदर्शन सम्बन्धी स्थलों की संख्या और नाम क्या-क्या हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 और जून 1980 में उसके अन्तर्गत बने विनियमों के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर रखे हैं ;

(ख) क्या पुलिस आयुक्त ने चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) जैसाकि विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, ऐसे कितने स्थलों का पंजीकरण किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ऐल्यूपी नियम-केबलों का उत्पादन

5090. **श्री राम विलास पासवान**
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में इस समय एल्यूमीनियम केबलों का अनुमानित कुल उत्पादन कितना होता है ;

(ख) क्या कुल उत्पादन का देश में ही उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान केबलों जिनमें एल्यूमिनियम को संवाहक सामग्री (कंडक्टर) के रूप में प्रयोग किया जाता है का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :—

क. संगठित क्षेत्र

1.	ए० ए० सी०/ए० सी० एस० आर० कन्डक्टर्स	70000 मी० टन
2.	पी० वी० सी०/वी० आई० आर० केबल्स	500 एम० सी० एम०
3.	पी० वी० सी०/पी० आई० एल० सी०/ एक्स० एल० पी० पावर केबल	24000 के एम०

ख. लघु क्षेत्र

1. ए० ए० सी०/ए० सी० एस० आर० कन्डक्टर्स 96094 मी० टन

2. पी० वी० सी०/वी० आई० आर० केबल्स 7210 मी० टन

(लघु क्षेत्र में उत्पादन के आंकड़े कच्ची सामग्री के आबन्टन पर आधारित होते हैं)

(ख) पी० आई० एल० सी० केबलों को छोड़कर जिनका कुछ मात्रा में निर्यात किया जा रहा है, समग्र उत्पादन का देश में ही उपयोग किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान की यंत्रचालित नौकाओं का भारतीय जल सीमा में प्रवेश

5091. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बतलाया गया है कि 1 जनवरी, 1981 को 31 पाकिस्तानी यंत्रचालित जहाज कच्छ में लखपत के निकट भारतीय जल सीमा में घुस आए और उन्होंने भारतीय मत्स्य-ग्रहण नौकाओं पर गोली चलाई तथा उन्हें लूट लिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध प्रकट किया गया है ; और

(ग) क्या उनसे कोई जवाब मिला है, और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) बताया गया है कि ओखा की मछली पकड़ने की एक भारतीय नौका के मालिक ने इस आशय की एक शिकायत की हुई है कि जब उनकी नौका 1-1-81 को जखाऊ के पास मछली पकड़ने में लगी हुई थी तो साय 4-30 बजे इसके मछुओं और एक पाकिस्तानी नौका, जो उसी इलाके में मछली पकड़ने आई हुई थी, के मछुओं के बीच झड़प हुई। पाकिस्तानी मछुओं का आरोप है कि भारतीय नौका अनधिकृत रूप से पाकिस्तानी इलाके में चली गई थी। कुछ पाकिस्तानी मछुओं पर भारतीय नौका में चढ़ने और भारतीय मछुए के सामान, मछली पकड़ने के जाल, बायज चेन और चीनी उठा ले जाने के अलावा उसके साथ मारपीट करने का आरोप है। छः-सात पाकिस्तानी नौकाओं ने इसको घेर लिया और चारों ओर से उसे तोड़ने लगे। इस घटना के बाद भारतीय नौका 2-1-81 को ओखा लौट आई।

(ख) जी हां।

(ग) पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र तट के हमारे अनन्य समुद्री आर्थिक क्षेत्र में गस्त बढ़ा दी गई है।

दफ्तरों, फैक्टरियों तथा कृषि में कार्यरत महिलायें

5092. **श्री आर० एन० अरोड़ा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैक्टरियों, दफ्तरों और कृषि में काम कर रही महिलाओं के बारे में आंकड़े एकत्रित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां। विवरण संलग्न हैं जिसमें कारखानों, कार्यालयों तथा कृषि में काम कर रही महिलाओं के आंकड़े दिए गए हैं।

विवरण

विवरण जिसमें कारखानों, कार्यालयों तथा कृषि में काम कर रही महिलाओं के आंकड़े दिए गए हैं।

महिला श्रमिक

राज्य	कारखाना 31-12-77 (अ)	कृषि 1974-75	कार्यालय और कारखाना मार्च, 1980
1. आन्ध्र प्रदेश	104,394	2,814	179,400
2. असम	6,023	206,193*	250,000
3. बिहार	9,672	2,622*	112,000
4. गुजरात	39,293	849	141,500
5. हरियाणा	3,427	36	42,000
6. हिमाचल प्रदेश	108	255*	21,800
7. जम्मू और कश्मीर	1,745	—	112,800
8. कर्नाटक	34,670	24,904*	142,800
9. केरल	107,510	75,517*	349,100
10. मध्य प्रदेश	6,123	12,445	109,800
11. महाराष्ट्र	633,836	2,417	505,500
12. मणिपुर	22 (अनु०)	2	2,600
13. मेघालय	39	25	7,000
14. उड़ीसा	982	919	36,800

1	2	3	4
15. पंजाब	2,336	105	76,600
16. सिक्कम	—	—	—
17. त्रिपुरा	367	2,141*	9,400
18. उत्तर प्रदेश	4,715	1,904*	150,300
19. पश्चिम बंगाल	17,953	91,819*	232,100
20. तमिलनाडु	85,342	39,269*	297,700
21. राजस्थान	3,525	150	85,700
22. नागालैंड	—	—	3,500

अ : अनन्तिम

अनु : अनुमानित

* : बागान उद्योग सहित

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय स्कूल

5093. **श्री अनाविचरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के कार्य हेतु आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत निधियों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आदिवासी उप-योजना शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आवासीय स्कूल खोलने के लिए निधियों का उपयोग करने हेतु कदम उठाये जायेंगे;

(ग) वर्ष 1981-82 में उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसे कितने स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वित सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) आदिवासी उप-योजनायें शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में जनजातीय बहुल क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए हैं। राज्य सरकारें उपयोजना ढांचे के अन्तर्गत संबद्ध क्षेत्र में आवासीय टाइप के स्कूलों को स्थापित करने समेत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आबंटित निधियों का उपयोग करती है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उपबन्ध

5094. **श्री अटलबिहारी वाजपेयी**
श्री सतीश अग्रवाल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष, श्री न्यायमूर्ति ग्रोवर ने इस बात को उठाया था कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम और अन्य अधिनियमों के परेशान कर देने वाले उपबन्ध अनुसंधानात्मक रिपोर्टिंग और प्रेस की स्वतन्त्रता के रास्ते में आते रहे हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । सरकार ने चेंगालापट्टु में "प्रेस तथा न्यायालय" संबंधी गोष्ठी के अवसर पर 27 अप्रैल, 1980 को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ए० एन० ग्रोवर द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण के मूल पाठ और 16 जनवरी, '98! को बंगलौर में हुई "न्यू चैलन्जिस इन रिपोर्टिंग" के सम्बन्ध में राष्ट्रीय गोष्ठी में उनके भाषण जिसमें उन्होंने शासकीय गुप्तबात अधिनियम का उल्लेख किया था को भी देखा है ।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद ने सरकार को इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है ।

उत्तर प्रदेश, विशेषकर बदायूं के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

5095. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के औद्योगिक विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कार्रवाई की है क्योंकि बदायूं उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पिछड़ा जिला है;

(ख) क्या सरकार ने इस जिले में केन्द्रीय तथा राज्य पूंजी निवेश जैसे सभी प्रोत्साहन दिए हैं;

(ग) किसी जिले के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त है;

(घ) उत्तर प्रदेश के कितने जिले पिछड़े जिले घोषित किए गए हैं और कब से; और

(ङ) इनका औद्योगिक दृष्टि से कितना विकास किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले को सावधि ऋणदायी संस्थानों से रियायती दर पर वित्त की सुविधा पाने का हकदार बना दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त उद्यमी भी निम्नलिखित रियायतों को पाने के हकदार हैं :—

(1) करों में रियायतें, (2) लघु उद्योगों द्वारा मशीनों का किराया-खरीद; (3) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श; (4) ब्याज राज सहायता; (5) कच्चे माल का आयात करने की विशेष सुविधाएं (6) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम (7) ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम (8) प्रारम्भिक/सीमान्त धनराशि सहायता, (9) जिला उद्योग केन्द्र ।

बदायूं जिला केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने का हकदार नहीं है ।

(ग) योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को सुझाये गये मार्गदर्शी सिद्धांत सम्बन्धी सिद्धांत ये हैं :—

(1) प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन,

(2) खेतिहर मजदूरों में जनसंख्या का अनुपात,

(3) प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल),

(4) एक लाख की जनसंख्या पर कारखाना कर्मचारियों की संख्या तथा इसके विकल्प में एक लाख की जनसंख्या पर गौणतः तथा अन्य गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

(5) बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत ।

(6) जनसंख्या के सम्बन्ध में समतल सड़कों की लम्बाई अथवा जनसंख्या के सम्बन्ध में रेल की मील दूरी ।

(घ) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 38 जिलों को रियायती दर पर वित्त की सुविधा पाने के लिए अर्ह बनाने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया गया है :—

अलमोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलंदशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टेहरी गढ़वाल, ऊन्नाव तथा उत्तरकाशी ।

इनमें से निम्नलिखित छः जिलों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना का हकदार भी बताया गया है ।

बलिया, झांसी, अलमोड़ा, बस्ती, फैजाबाद, रायबरेली ।

(ङ) 1978-80 के दौरान उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों को जारी किए गए आशय-पत्र तथा लाइसेंस इस प्रकार हैं :—

	1978	1979	1980
आशय पत्र	8	13	25
लाइसेंस	10	9	5

दिसम्बर, 1979 तक केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों ने 131.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की तथा रियायती वित्त योजना के अंतर्गत 69.85 करोड़ रुपये वितरित किए गए । बदायूं के

लिए क्रमश: 229.49 लाख रुपये तथा 159.33 लाख रुपये हैं तथा शुरू से लेकर मार्च, 1981 तक उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय निवेश योजना के रूप में 2.17 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें

5096. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग तथा मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में सवर्ण हिन्दू अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की कुल कितनी शिकायत प्राप्त हुई;

(ख) कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है तथा कितनी शिकायत अभी बाकी पड़ी हैं; और

(ग) ऐसे कितने अधिकारियों को नियमानुसार दण्ड दिया गया तथा उन्हे दिये गये दण्ड का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोटा परमाणु विद्युत संयत्र का बन्द होना

5097. **श्री के० पी० सिंह देव**
श्री सतीश अग्रवाल
श्री सुभाष यादव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा में परमाणु संयत्र ने एक बार फिर काम करना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या यह संयत्र 2 मार्च 1981 से बन्द पड़ा है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संयत्र ने लगातार एक महीने से ज्यादा काम नहीं किया है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का प्रस्ताव विदेशी विशेषज्ञों से इसकी खराबियों की जांच करवाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्यमंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) तथा (ङ) ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

असम आन्दोलन

5098. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक दल ने असम के विभिन्न स्थानों का दौरा करने के बाद यह सूचना दी है कि आन्दोलन कमजोर पड़ता जा रहा है;

(ख) क्या आन्दोलनकर्त्ताओं के अपने रवैये में कोई परिवर्तन आया है और वे इस मसले को हल करने के लिए नये सिरे से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का है और इस संबंध में राज्य सरकार को यदि कोई निर्देश दिए गए हैं तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्दोलन का मूल्यांकन करने के लिए असम को कोई दल नहीं भेजा गया था ।

(ख) और (ग) बताया गया है कि अखिल असम छात्र संघ ने पुनः विचार-विमर्श करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है । असम में विदेशी नागरिकों की समस्या का समाधान खोजने के प्रयत्न जारी हैं ।

अनुसूचित जाति कल्याण संघ से अभ्यावेदन

5099. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ (पंजीकृत) अम्बेदकर भवन, नई दिल्ली जैसे कुछ संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें दिल्ली हरियाणा और अन्य राज्यों में प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्रों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 (2) के उल्लंघन में, जाति से पूर्व/बाद में "हरिजन" शब्द के प्रयोग पर आपत्तियां उठाई गई हैं ;

(ख) क्या इसका प्रयोग किया जाना अपमान जनक नहीं है जबकि संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) "हरिजन" शब्द का प्रयोग किया जाना अपमानजनक नहीं है। सारे मामले की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उप-सचिवों के पदों का भरा जाना

5100. **श्री चन्द्रपाल सैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में कुल कितने उप-सचिव कार्य कर रहे हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उप सचिवों की संख्या कितनी है ;

(ख) 1977, 1978 और 1979 में, वर्षवार, उप-सचिव के ग्रेड में कितने पद भरे गये थे;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों पर विचार किया गया था और उनका अन्तिम रूप से चयन किया गया था ;

(घ) क्या इन समुदायों को इस ग्रेड में उनका देय हिस्सा दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह कमी पूरी करने के लिए निकट भविष्य में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) भारत सरकार में उप-सचिव तथा उसके समकक्ष पदों पर 496 अधिकारी हैं। इनमें से 347 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के हैं; उनमें से 26 अधिकारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं। अन्य सेवाओं के अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 के दौरान, केन्द्र में उपसचिव तथा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित अधिकारियों की संख्या क्रमशः 178, 211 तथा 250 थी।

(ग) भारत सरकार में उपसचिव तथा उसके समकक्ष रैंक के अधिकारियों का चयन उपयुक्त अधिकारियों के पैनल से किया जाता है जो प्रत्येक पद के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालय को दे दिया जाता है। प्रश्न के इस भाग में मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में सभी पैनलों की, जिनकी संख्या करीब 739 होगी संवीक्षा करनी आवश्यक होगी। यदि हम प्रत्येक पद के लिए कम से कम तीन अधिकारियों का पैनल मान लें तो इन पैनलों में अधिकारियों की वास्तविक संख्या 2000 से अधिक होगी। चूंकि इन पैनलों में सम्मिलित किए गए अधिकारियों को विभिन्न संवर्गों की सूचियों में से लिया जाता है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के वर्गों को हमेशा निर्दिष्ट नहीं किया जाता इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

अधिकारियों की संख्या का पता लगाने के लिए संवीक्षा में काफी समय लग जाएगा क्योंकि इसे विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों से संबंधित वर्षों में उनके द्वारा दिए गए अधिकारियों के संदर्भ में एकत्रित करना होगा।

(घ) तथा (ङ) केन्द्र में उप सचिवों तथा उसके समकक्ष पदों के लिए न तो किसी विशेष सेवा के लिए कोई कोटा निर्धारित है और न ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण की ही व्यवस्था है।

उड़ीसा में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावासों का निर्माण

5101. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार ने 2/3 वर्षों में लगभग 2 करोड़ रुपये अनुमानित परिव्यय से राज्य में 20 विकास केन्द्रों में 20 केन्द्रीय छात्रावास बनाने का एक प्रस्ताव भेजा था।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा निवासी कल्याण एसोसिएशनों का गठन

5102. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपनी-अपनी कालोनियों में निवासी कल्याण एसोसिएशनों का गठन करने के लिए कहता है और उन्हें वार्षिक वित्तीय सहायता देता है ताकि उन्हें सम्बन्धित प्राधिकारियों से अपने काम कराने में आसानी हो सके;

(ख) क्या यह सच है कि निवासियों के एसोसिएशनों से सम्बन्धित प्राधिकारियों जैसाकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालों, पुलिस आदि और एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के बीच कोई समन्वय नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम बठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : (क) सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याण के उपायों के एक अंग के रूप में किसी सघन क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक कार्य कलापों में वृद्धि करने की दृष्टि से उस क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, निवासी

सरकारी कर्मचारियों को एसोसिएशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी किसी एसोसिएशन का एक उद्देश्य यह है कि वह अपने सदस्यों के लिए सामान्य सुख सुविधाएं प्राप्त करने के सभी सम्भव प्रयत्न करे तथा इस प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारियों के समक्ष निवासियों के हितों को रखें। सरकार द्वारा एसोसिएशन को इसकी सदस्यता तथा अनुमोदित सूत्र के अनुसार उनके द्वारा एकत्रित किए गए चन्दों के आधार पर परिकलित धनराशि के तुल्य सहायता अनुदान दिया जाता है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली तथा नई दिल्ली में कुल मिलाकर 101 सरकारी कर्मचारी निवासी कल्याण एसोसिएशनें कार्य कर रही हैं। प्रत्येक ऐसी एसोसिएशन विशेषरूप से इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले निवासियों की नागरिक तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याओं से सम्बन्धित होंगी। ऐसी एसोसिएशनें सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ सीधे ही अपने मामले रखने के लिए स्वतन्त्र हैं। इस काम में सरकार द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी एसोसिएशनों को सलाह देते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, जब कभी, सरकार की जानकारी में समस्याएं लाई जाती हैं तो इन्हें सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ कार्मिक और प्रशासनिक में सुधार विभाग द्वारा समुचित स्तर पर उठाया जाता है। किन्तु, दिल्ली परिवहन निगम सलाहकार परिषद तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा सलाहकार परिषद में एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को भी नामित किया गया है। ये व्यवस्थाएं सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं तथा इस सम्बंध में और आगे कदम उठाने की न तो आवश्यकता महसूस की गई है और न ही ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड

5103. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० में इस समय लागू सहकारी समिति अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार कोई नियम नहीं है तथा कर्मचारियों के लिये भी सेवा के नियम नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस सोसाइटी को 65 लाख रुपयों से अधिक राशि का भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपनियमों तथा सेवा कानून के साथ इस समिति का सुचारू रूप से चलाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होती है। समिति के उपनियम वर्ष 1963 में बनाए गए थे जबकि बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उस समय लागू थे, के अधीन उक्त समिति का गठन किया गया था। ये उपनियम उस सीमा तक लागू रहेंगे, जब तक कि वे वर्ष 1972 के अधिनियम की धारा 92 के अधीन

दी गई व्यावृत्ति के कारण, 1972 के दिल्ली अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्धों के असंगत न हों। दिल्ली अधिनियम, 1972 के अधिनियम के बाद, रजिस्ट्रार सहकारी समिति, दिल्ली के अनुमोदन से उपनियमों में कुछ संशोधन भी किए गए हैं।

(2) वर्ष 1965 में समिति के कर्मचारियों के लिए नियम तैयार किए गए हैं और जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

(3) 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाले सहकारिता वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित लेखों के अनुसार कुल संचित हानि रु० 48,52 509.65 की रही है। इस हानि का कारण न तो उपनियमों में और न ही सेवा नियमों में किसी कमी का होना है।

(ख) समिति की सभी क्षेत्रों में सक्रियात्मक दक्षता में सुधार लाए जाने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन के परामर्शी तथा प्रमोशनल सैल को, जोकि उपभोक्ता सहकारी प्रबन्ध की एक व्यावसायिक परामर्शी एजेन्सी है, समिति के कार्यकरण का गहराई से अध्ययन प्रारम्भ करना आवश्यक था। परामर्शी एजेन्सी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसमें की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

5104. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट के उत्पादन में भारी कमी है;

(ख) क्या नए औद्योगिक एककों ने जिन्होंने सीमेंट यूनिटों के लिये आशय पत्र प्राप्त किये हैं, उनकी क्रियान्विति में अत्यन्त धीमी गति से कार्य किया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी यूनिटों के पास ऐसे आशय पत्र हैं तथा उनमें से कितनी यूनिटों ने अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्रिय कदम उठाये हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की कम उपलब्धता है।

(ख) से (घ) जी नहीं। योजना आयोग द्वारा 1980-85 की अवधि के लिए गठित किए गए कार्यकारी दल ने अपनी नवम्बर, 1980 की रिपोर्ट में अवधि के दौरान स्थापित की जाने वाली क्षमता को वास्तविक रूप देने का अनुभाग निम्न प्रकार लगाया है :—

वर्ष	मात्रा (दस लाख मी० टन)
1980-81	3.30
1981-82	3.59
1982-83	5.31
1983-84	4.55
1984-85	5.94
योग	22.69

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देना

5105. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए प्रर्याप्त व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधाएं मन्त्रियों, उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि के लिए भी उपलब्ध हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नही, मंत्री और उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

चांदनी चौक, दिल्ली में बीड़ी गोदाम पर छापा

5106. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चांदनी चौक, दिल्ली में बनाने वाले लोकप्रिय मार्क की नकली बीड़ियां बनाने वाले व्यक्ति के गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा और 2.5 लाख रुपये से अधिक की कीमत की बीड़ियों के पैकेट पकड़े; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) दक्षिण जिला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सेवा नगर के एक व्यक्ति रामधारी के पास "फव्वारा छाप" बीड़ी के छपे हुए जाली लेबल हैं । पूछताछ करने पर श्री रामधारी ने बताया कि वह हैदारपुर के एक छापेखाने जहां बीड़ियों के कुछ लोकप्रिय ब्राण्डों के लेबल छापे जाते हैं के मालिक एक व्यक्ति रणबीर प्रकाश का एक कर्मचारी है । उक्त छापाखाने पर छापा मारा गया और "फव्वारा छाप" के छपे हुए लेबल के 6 गट्ठे और बीड़ियों के अन्य लोकप्रिय ब्राण्डों की डाईयां बरामद की गईं । यह पता लगा कि श्री रणबीर प्रकाश का चांदनी चौक में एक गोदाम है । गोदाम पर छापा मारा गया और बीड़ियों के लोकप्रिय ब्राण्डों के जाली लेबल और खुली बीड़ियों के 10 गठ्ठे और 2 लाख रुपये से अधिक की मशीने बरामद की गईं ।

सशस्त्र सेनाओं पर चिकित्सा व्यय

5107. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विभाग में थल सेना के जवानों की चिकित्सा सहायता पर कितना व्यय किया गया और नौ सेना, वायु सेना और सशस्त्र सेनाओं में अलग-अलग इस शीर्ष के अन्तर्गत कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि खर्चे का आधा भाग उच्च अधिकारियों पर और आधा भाग थल सेना के जवानों पर व्यय किया गया जबकि थल सेना के जवानों की संख्या अधिकारियों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सशस्त्र सेनाओं में जवानों और अफसरों पर होने वाले चिकित्सा व्यय के बारे में अलग-अलग लेखा ब्यौरा नहीं रखा जाता है। फिर भी चालू वित्त वर्ष के दौरान अस्पतालों में अफसरों और जे०सी०ओ०/अन्य रैंकों के लिए निर्धारित पलंगों की संख्या और प्रति व्यक्ति एक पलंग रखने के खर्च के आधार पर कुल निम्न-लिखित खर्च होने का अनुमान है :—

	अफसर (परिवार समेत) रुपये	जे०सी०ओ० (परिवार समेत) रुपये
थलसेना	99,80,845	20,88,04,600
नौ सेना	13,03,050	1,07,84,655
वायु सेना	10,73,100	2,05,95,855
योग	1,22,86,995	24,01,85,110

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में आरक्षण-विरोधी आन्दोलन द्वारा प्रभावित औद्योगिक एकक

5108. **श्री आरिफ मोहम्द खां** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन द्वारा जितने औद्योगिक एकक प्रभावित हुए हैं; और

(ख) इन एककों में उत्पादन की अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) गुजरात सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 107 औद्योगिक एककों को जिनमें मुख्यतः वस्त्र एकक हैं राज्य में आरक्षण-विरोधी आदन्दोलन के कारण हानि हुई है जिसका अनुमान 6,05,57,509/- रुपये लगाया है। किन्तु औद्योगिक उत्पादन पर आन्दोलन से पड़े कुल प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया गया है।

ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर

5109. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रामीण निर्धन व्यक्ति दिन प्रति दिन और भी निर्धन होते जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन में विस्तार तथा गैर कृषि क्षेत्र में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कर सके ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए जाने का विचार है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं । उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट होगा कि ग्रामीण गरीबी में पिछले वर्षों में कमी हुई है । ग्रामीण परिवारों के सबसे नीचे के 30 प्रतिशत का भाग 1958-59 में कुल पारिवारिक उपभोक्ता व्यय में 13 1 प्रतिशत से बढ़कर 1977-78 में 15 प्रतिशत हो गया । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों का प्रतिशत 1972-73 में 54.09 प्रतिशत से कम होकर 1977-78 में 50.82 प्रतिशत हो गया जिनके लिए तुलनीय अनुमान उपलब्ध हैं । यह भी आशा है कि पीने का पानी, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, भूमिहीनों के लिए आवास स्थल, आदि जैसी धूल सुविधाओं की व्यवस्था पर योजनागत व्यय से गरीबों की जीवन दशाओं में सुधार होने में योगदान मिलेगा । तथापि गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों का औसत प्रति व्यक्ति उपभोग 1972-73 की तुलना में 1977-78 में प्रायः वही का वहीं बना रहा ।

(ख) यह हो सकता है कि उत्पादन और रोजगार में आनुपातिक संबद्धता न हो । तथापि ऐसा मालूल होता है कि निवेश और उत्पादन की विशिष्ट रचना के कारण, पहले ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप रोजगार या काम के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ग) 1980-85 की छठी पंच वर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में प्रमुख बल दिया गया है इसमें 5.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की उच्च संवृद्धि दर की परिकल्पना है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे रोजगार सृजन करने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों की व्यवस्था है। इसके अलावा, ऐसी अनेक अन्य सरकारी क्षेत्रक स्कीमें हैं जिनसे बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने में सहायता मिलेगी। इसमें अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना उल्लेखनीय है जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है । राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम का विस्तार और प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है । इससे गरीबों को मूल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे ।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी सम्बन्धी समिति द्वारा सम्मेलन का आयोजन

5110. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में विज्ञान और प्राद्योगिकी संबंधी समिति द्वारा किसी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक कब तक बुलाये जाने की संभावना है ; और

(ग) इसमें कितने देशों द्वारा भाग लिये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्राद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) जी, हां। विकासशील देशों में विज्ञान और प्रोद्योगिकी की समिति (सी० ओ० एस० टी० ई० डी०), जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है, जो सिंगापुर में उतक संबर्द्धन पर एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी।

यह पश्चिमी जर्मनी के नगर फ्रैंकफर्ट में विकास के लिए प्रोद्योगिकी पर एक अन्य सम्मेलन का भी आयोजन करेगी।

(ख) सिंगापुर में सम्मेलन 27-31 अगस्त, 1981 के दौरान होगा।

पश्चिमी जर्मनी के नगर, फ्रैंकफर्ट में सम्मेलन मई, 1981 में होगा।

(ग) प्रत्येक सम्मेलन में लगभग 10-15 देशों के भाग लेने की सम्भावना है।

नई दिल्ली में नकली शराब काण्ड पर प्रतिवेदन

5111. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री के० पी० सिंह देव } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1981 में नई दिल्ली में हुये नकली शराब काण्ड पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) क्या उक्त घटना के पश्चात दिल्ली में बहुत सी घटनाएं हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो मामलों की कुल संख्या कितनी है तथा कुल कितनी मौतें हुई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जनवरी, 1981 के अंधा मुगल नकली शराब काण्ड के बाद पुलिस आयुक्त द्वारा आदेशित जांच प्रगति पर है।

(ग) और (घ) जहरीली शराब के संदिग्ध उपभोग के पांच और मामलें उपर्युक्त घटना के बाद पुलिस को सूचित किए गए हैं। इन मामलों में 18 व्यक्तियों के पेट के धोवन रासायनिक विश्लेषण के लिए केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। इन व्यक्तियों में से 11 के संबंध में अब तक प्राप्त परिणाम से मथिल और एथिल की उपस्थिति की पुष्टि हुई है।

सरकारी उपक्रमों में भविष्य निधि योजना के सम्बन्ध में रामानुजम समिति की सिफारिशें

5112. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों में भविष्य निधि के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये रामानुजम समिति की नियुक्ति की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) : जी, नहीं ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यप्रणाली की, भविष्य निधि अंशदानों की बढ़ती हुई बकाया राशि की समस्याओं के विशेष सन्दर्भ में पुनरीक्षा करने और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं के वर्तमान व्यवस्थापकीय और दांडिक उपबंधों की पर्याप्तता की जांच करने तथा उनमें आवश्यक संशोधन का सुझाव देने के लिए श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एल समिति नियुक्त की गई ।

(ख) और (ग) : अतारांकित प्रश्न संख्या 4076, तारीख 18-3-1981 के उत्तर में समिति की सिफारिशों को पहले ही प्रस्तुत किया गया है । इन पर विचार किया जा रहा है ।

सुन्दर वन के डेल्टा क्षेत्रों में नमक बनाने के एकक की स्थापना

5113. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के डेल्टा क्षेत्रों में नमक बनाने की भारी क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षमता का कभी उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या सरकार इस पिछड़े क्षेत्र में नमक बनाने का एक एकक स्थापित करने की सम्भावना पर विचार करेगी, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 24 परगना के सुन्दर वन क्षेत्र में नमक निर्माण शालाओं की स्थापना करने की संभावनाओं की नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा जाँच की गई थी, किन्तु यह क्षेत्र आर्थिक रूप

से जीव्यक्षम नमक निर्माणशाला की स्थापना करने के लिए अनउपयुक्त पाया गया था, क्योंकि वहां खारे पानी का घनत्व अपर्याप्त हैं और काफी परिमाण में मीठा पानी आता रहता है।

(ग) और (घ) मिदनापुर जिले में कोंटई क्षेत्र में नमक निर्माणशाला की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव किया गया था, किन्तु इस बारे में जाँच नहीं की जा सकी थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इस कार्य के लिए भूमि देने की स्थिति में नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो पार्टिया उस जमीन पर काबिज हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

5114. **श्री के० ए० राजन**
श्री चित्त बसु } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 में 100 को आधार मानकर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नये आंकड़े तैयार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए डा० एस० सी० सील की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दो महीने की निर्धारित अवधि में पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1980-81=100 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई सीरीज संबंधी समिति का, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के महानिदेशक, डा० के० सी० सील हैं, कार्य अभी चल रहा है ; समिति के कार्यकाल को 18-5-1981 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनरी तथा छपाई के कागज की मार्किटिंग स्थिति

5115. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्टेशनरी एवं छपाई के कागज की मार्किटिंग स्थिति के बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम के वर्ष 1979-80 के प्रमाणित लेखे और कार्य की समीक्षा तथा नारियल जटा बोर्ड का अर्धवार्षिक (अप्रैल से सितम्बर, 1979) और वार्षिक (1979-80) प्रतिवेदन और समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम के वर्ष 1979-80 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम के वर्ष 1979-80 के लेखे की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 2182/81]

(3) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी *संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण पर 1 अप्रैल, 1979 से 30 सितम्बर, 1976 तक की अवधि का अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 के कार्यकरण पर वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(4) नारियल जटा बोर्ड के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी* संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 2183/81]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने की अनुमति देने का यह आधार नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है और

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अंग्रेजी संस्करण 11 मार्च, 1981 को सभा पटल पर रखा गया था।

[श्री मधु दण्डवते]

याचिका को अस्वीकार कर दिया है। जीवन बीमा निगम को बोनस देना चाहिए। वे असफल हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। सरकार की यह बड़ी असफलता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह सरकार के पास है।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : हजारों किसानों को गिरफ्तार किया गया···

अध्यक्ष महोदय : नहीं। (व्यवधान)** मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। आप सुनाइएगा ? सबकी बात तो मैं एक साथ सुन नहीं सकता हूँ। (व्यवधान)

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्य की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2184/81**]

नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1981, रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार और रक्षा सेवाओं सम्बन्धी प्राक्कलन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०नि०आ० 50 में प्रकाशित हुई थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2185/81**]

(2) वर्ष 1981-82 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2187/81**]

(3) रक्षा सेवाओं सम्बन्धी प्राक्कलन, 1981-82 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2187/81**)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का प्रतिवेदन और विलम्ब के कारणो का विवरण

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2188/81]**

संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) दूसरा संशोधन विनियम, 1981

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) दूसरा संशोधन विनियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 27 सितम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं०नि० 977 में में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2189/81]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मनन् (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

प्राक्कलन समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव (राजामुंद्री) : मैं विदेश मंत्रालय-भारतीय राजनयिक मिशनों के कार्यकरण से संबंधित प्राक्कलन समिति (छठी लोकसभा) के 29वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : नॉट अलाउड, नॉट अलाउड । अगर कोई बात अखबार में निकल जाए तो उससे क्या हो जाता है ? (**व्यवधान**)** क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ? आपको एक दफा बता दिया गया है कि इससे कोई फायदा नहीं है आप मेरी बात सुनिये । पहले आप बैठ जायें, मेरी बात सुनिये, मैं खडा हूँ । आप बैठ जाइये । यह हमारा एक गलत निर्णय है कि बोलना हमारा अधिकार है । नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री हरिकेश बहादुर : एक पत्रकार की हत्या कर दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर आप जानते हैं कि आज समाचार पत्रों के संबंध में वाद-विवाद होगा और फिर भी आप यह प्रस्ताव दे रहे हैं ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर आज चर्चा कर सकते हैं । आपको नियमों का ज्ञान है फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं । कृपया बैठ जाइये ।

एक माननीय सदस्य : हमारा अपना उत्तरदायित्व है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका अपना उत्तरदायित्व है परन्तु मुझे भी आपने नियमों के अनुसार सभा का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है । (**व्यवधान**) आप फिर इस प्रकार खड़े हो रहे हैं । कृपया बैठ जाइये । (**व्यवधान**)* मेरी अनुमति के बिना कहा जायेगा वह वृतांत का भाग नहीं बनेगा । (**व्यवधान**) यदि आपको कुछ कहना है, तो आप यह जानते हैं कि वह स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं हो सकता । आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं । मैं इस पर चर्चा कर सकता हूँ और इसकी अनुमति दे सकता हूँ । सभा में ऐसा प्रस्ताव पेश करने की कभी मनाही नहीं की गई । मैं फिर आपको सुझाव देता हूँ । (**व्यवधान**) आप एक प्रस्ताव दे सकते हैं । श्री गुप्त आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोगों·····

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे एक प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ·····रोका क्यों जा रहा है । उन पर लाठी चार्ज किया गया और उनका रास्ता रोका गया·····।

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रस्ताव की सूचना दीजिये । मैं आपको एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना देने को आमन्त्रित करता हूँ । इस पर मैं विचार करूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसानों को नजरबन्द किया गया है । उन्हें पीटा गया है तथा गिरफ्तार किया गया । (**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग क्यों बोल रहे हैं ? मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। इस एक विषय पर बोलने की अनुमति मैंने दी है। मुझे एक प्रस्ताव की सूचना दीजिए और मैं उस पर विचार करूँगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं स्थगन प्रस्ताव नहीं। गृह मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा होने वाली है। आप उस समय इसे उठा सकते हैं। आपको विषय के बारे में पता है। आप यह भली प्रकार जानते हैं कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आपको नियमों का भी ज्ञान है फिर आप इसे उठाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान***) फायदा नहीं है। (**व्यवधान**) मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। श्री गुप्त को जो कुछ कहने की अनुमति मैंने दी है वह ही कार्यवाही में शामिल होगा, अन्य कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं है ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। (**व्यवधान**) मेरे कक्ष में आइये। (**व्यवधान**) इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मेरा फैसला है। आप आपत्ति क्यों उठा रहे हैं ? आप विद्वान हैं। आप आपत्ति क्यों उठा रहे हैं। यह मेरा निर्णय है। मैं तथ्यों का पता लगाऊँगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं एक मामले के संबंध में क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। क्या आप भेद-भाव की नीति में विश्वास करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे विश्वास है कि आप उसमें विश्वास नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसमें विश्वास नहीं करता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक किसान रेली में तो समूचा सरकारी तंत्र लगाया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं भेदभाव नहीं करता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन पर लाठी-चार्ज किया गया है। आप यह क्यों नहीं मानते कि भेदभाव किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दीजिए। मुझे प्रस्ताव दीजिये। (**व्यवधान**) मैंने आपको कुछ करने के लिए कहा है। आप उसे क्यों नहीं करते ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह समझाया है···शांति, शांति। कृपया बैठ जाइये।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। थाल वेशेंट···।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आएं और हम डिसकस कर सकते हैं। मेरे पास ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आइये इस पर चर्चा करिये।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान : ज्वायंट सेक्रेटरी तक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ तथ्य हैं। आप मेरे पास आइये। (**व्यवधान**)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अखबार में आएगा तभी डिसकस किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाली सूचना—श्री राजेश कुमार सिंह।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप मुझे एक मिनट दीजिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपके दोस्त ही नहीं बोलने दे रहे हैं आपको।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती . महोदय आपका व्यवहार अब तक बहुत ही अच्छा रहा है। आज आपको क्या हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते क्या हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिये। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अन्य मित्र आपको बोलने ही नहीं देते हैं। (**व्यवधान**) समय मत नष्ट कीजिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको क्या हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपके दोस्तों को कुछ हुआ है। वे आपको बोलने नहीं दे रहे हैं (**व्यवधान**)। मेरी अनुज्ञा के बिना कुछ भी रिकार्ड न किया जाये····· (**व्यवधान**)।** इसलिये मैंने कहा था, श्री चित्त वसु कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा (**व्यवधान**)।** इस समय मैं बोल रहा हूं। आपको ध्यान से सुनना होगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, श्री चित्त बसु। (**व्यवधान**)** नहीं, पहले आप मुझे सुनिये, फिर मैं आपको सुनूंगा। कृपया बैठ जाइये। आप तो भले आदमी हैं। बैठिये न।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : भले आदमी हम सब हैं (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बार-बार आपको कहा है कि हमें नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है। मैं अपनी अनुज्ञा के बिना कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाने दूंगा। यह मेरा स्थायी आदेश है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है····· (**व्यवधान**) अब इधर देखिये, आप हर समय अन्तर्बाधा डालते हैं। जब दूसरे बोलते हैं तब आप भी बीच में बोलते हैं। जब आप बोलते हैं, तब दूसरे बीच में बोलते हैं। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होता है और न ही इससे आप को कोई फायदा होता है (**व्यवधान**)। जब मैं एक-एक करके बुलाने को तैयार हूं, तब भी आप बोलते हैं। मैं उस भले आदमी को बोलने के लिए कह रहा था। परन्तु उन्हें सदस्यों ने बोलने ही नहीं दिया। मैं क्या कर सकता हूं ? (**व्यवधान**) आप भी वही कर रहे हैं। मैं नहीं

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जानता कि आपको हर समय बोलने की क्यों आदत है। कृपया बैठिये (व्यवधान)। मैं अनुमति दूंगा, पर मैं कैसे ·····(व्यवधान) अब इधर देखिये, वह भला आदमी बोल रहा है। आप नियमों को नहीं जानते हैं। आप नियमों का अनुसरण नहीं करते हैं। मैं सभा में किसी चर्चा पर रोक नहीं लगाना चाहता, परन्तु यह नियमानुसार होनी चाहिए। मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा और देखना होगा कि वे समाचार पत्रों में दिये गये तथ्यों से मेल खाते हैं। मैं किसी भी समाचार पत्र को लेकर उसी के अनुसार कार्य नहीं कर सकता हूं। तब तो यहां पर स्थगन प्रस्ताव ही रह जायेंगे और कुछ नहीं होगा। अतः मुझ तथ्यों का पता लगाना है। मुझे विस्तार में जाना होगा और तब निर्णय करना होगा। इसीलिये तो आपने मुझे यहां बिठाया है। क्या यह सही नहीं है ? (व्यवधान) मैं दूसरे किसी की सलाह नहीं ले सकता। मुझे तो केवल अपनी सलाह ही लेनी होती है। अब प्रो० चक्रवर्ती, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप देखिए। मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हजारों व्यक्तियों को निरूद्ध कर लिया गया है। संसद सदस्य होने के नाते मेरी भी जिम्मेवारी है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैंने प्रस्ताव लाने को कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने स्थगन प्रस्ताव पहले ही दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है (व्यवधान)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप केवल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आप उस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना ठीक नहीं समझते हैं, तो आप मुझे बतायें कि मैं इसे सभा में कैसे उठा सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : उदाहरणार्थ, ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव हो सकता है। फिर गृह मंत्रालय की मांगें हैं और कई अन्य तरीके हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी, नहीं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। पहले आप ने इसकी अनुमति दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर नियम दिखायें और मैं उनका पालन करूंगा। आप किसी भी समय आ सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पहले अवसरों पर आपने अनुमति दे दी थी। आप मुझे यह कहने पर विवश कर रहे हैं कि आप पक्षपात करते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता। आप यह नहीं कर सकते हैं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको इस से संतोष होता है, तो आप कह सकते हैं। मैं केवल अपने आप के प्रति उत्तरदायी हूं और किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नहीं। मेरी अन्तरात्मा बिल्कुल

[अध्यक्ष महोदय]

पवित्र है । मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं और मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं (व्यवधान) । मेरी अनुज्ञा के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जायेगा । (व्यवधान)** मेरी अनुज्ञा के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं····· (व्यवधान)** श्री नारायण चौबे को मेरी अनुज्ञा है ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : (व्यवधान) कई किसान । आप स्वयं भी तो किसान हैं । पहले कांग्रेस (इ) दल ने भी किसान रैली की थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सलाह नहीं चाहता हूं ।

श्री नारायण चौबे : किसानों पर हमला किया गया । कांग्रेस (इ) दल के कुछ गुंडों का प्रभाव हो सकता है और पुलिस का भी प्रयोग···

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं । मुझे तथ्यों का पता लगाना पड़ता है अब और कुछ नहीं । मैं इस प्रकार नहीं चलने दे सकता । यही सब है जो मैं कर सकता हूं । श्री चौबे, आप मुझे भी तो सुनिये ।

श्री नारायण चौबे : रेल द्वारा आने वाले व्यक्तियों पर हमला हो रहा है । किसान आ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों का पता लगाना है । तथ्यों का बिना पता लगाये मैं आगे नहीं चल सकता हूं । यही प्रक्रिया है । मुझे प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है । मुझे तथ्यों का पता लगाना पड़ता है (व्यवधान) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कब तक पता लगाकर अनुमति दे सकेंगे, कम से कम कल तक (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दूंगा (व्यवधान) । मैं अपना काम जानता हूं । मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई अन्य प्रस्ताव लायें । मैं उस पर विचार करूंगा । मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और तदनुसार कार्य करूंगा (व्यवधान) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव अधिक अच्छा रहेगा (व्यवधान) यदि आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देते तो हमें ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव लाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई भी प्रस्ताव दीजिए··· (व्यवधान) ।

श्री राजेश कुमार सिंह : (व्यवधान) आप मुझे कोई अन्य प्रस्ताव दीजिए । मैं किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता हूं ।

श्री नीरेन घोष : आप कल स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होने दीजिए (व्यवधान) ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप बीच में न डालिये । मैं तो इस राष्ट्र का एक साधारण प्राणी हूं । यही हूं मैं । मुझे इस देश में हर एक के हित का ध्यान रखना पड़ता है । आप कोई भी प्रस्ताव ला सकते हैं (**व्यवधान**) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या आप का विचार यह नहीं है कि जीवन बीमा निगम के मामले के बारे में सरकार को अपने आप वक्तव्य देना चाहिए ? न्यायालय ने सरकार का अपमान किया है । हमने विधेयक पारित कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, स्वामीजी, मैंने वह रिकार्डिंग देखी है । वह अभी भी उच्चतम न्यायालय के पास है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने दो दिन पहले गृह मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी । आपने कहा कि आप तथ्यों का पता लगा रहे हैं । मुझे इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा है । स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वालों की पेंशन में वृद्धि की घोषणा की गई थी । घोषणा करनाल में की गई थी और न कि सभा में । संसद का सत्र चल रहा था । यहां अभी तक घोषणा नहीं की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं । पर इसमें कोई इतनी अधिक चीज नहीं है । तथ्य अभी मेरे पास नहीं है (**व्यवधान**) । माननीय घोष जी, आप क्यों बोलते हैं वगैर मेरी इजाजत के । आप तो बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ और संसद्विज्ञ हैं । आप मेरी इजाज़त लीजिए । क्या मैंने कभी आवश्यक होने पर इजाजत देने से इन्कार किया है ? (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : आपको मंत्री जी को ताड़ना देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आया नहीं हरिकेश जी । मेरे पास जब जबाब आयेगा तब देखूंगा । आप बैठ जाइए । श्री मनीराम बागड़ी (**व्यवधान**) ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहले महिला मेम्बर की बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बात सुन ली उनकी, आप कहें ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं एक बात आपसे कहता हूं, चाहे आप कायदे कुछ भी बनायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं बनाये हैं, गलत फहमी में मत रहिये । आपने ही कायदे बनाये हुए हैं, आपके ही कायदे हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : जब हिन्दुस्तान का किसान उठेगा, तो पुराने कायदे टूटेंगे····· (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कब चलाता हूं, मैं कहां चलाता हूं (**व्यवधान**) ।

मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है; कोई प्रश्न नहीं है । श्री राजेश कुमार सिंह ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह हिन्दुस्तान के किसानों का अपमान है; मैं सदन से वाक-आउट करता हूं ।**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ।

इसके पश्चात् श्री मनीराम बागड़ी सदन से उठकर चले गये ।

श्री देवी लाल : **(व्यवधान)

इसके पश्चात् श्री देवी लाल सदन से उठकर चले गये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा का साधारण अध्यक्ष हूं, इससे अधिक और कुछ नहीं । श्री राजेश कुमार सिंह ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को नये सिरे से शस्त्रास्त्र दिये जाने का समाचार

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"अमरीका द्वारा पाकिस्तान को नये सिरे से भारी मात्रा में आधुनिक शस्त्र दिये जाने के समाचार तथा उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया ।"

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को बराबर इस बात की जानकारी रही है कि संयुक्त राज्य का नया प्रशासन हिन्द महासागर और खाड़ी के क्षेत्र में अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है । अमरीकी विदेश मंत्री हैग ने भी 19 मार्च, 1981 को कांग्रेस के समक्ष कहा था कि संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान से मिस्र तक के देशों के बीच सामरिक मतैक्य कायम करने की कोशिश में है । इस क्षेत्र के पाकिस्तान से इतर बहुत से देशों के लिए अमरीकी आर्थिक तथा सैनिक सहायता के एक कार्यक्रम की घोषणा भी की गई है । सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि अमरीकी प्रशासन ने अपने यहां के कानून में कुछ संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया है ताकि पाकिस्तान की नाभिकीय गतिविधियों के कारण सैनिक सप्लाई के मार्ग में आने वाली उसकी मौजूदा रुकावटें दूर हो जायें । इन कार्रवाइयों का कथित प्रयोजन खाड़ी के क्षेत्र में "सोवियत महत्वाकांक्षाओं" को रोकना तथा पश्चिमी देशों के "महत्वपूर्ण" हितों की रक्षा करना है । हम समझते हैं कि इसी नीति के अनुसरण में ताजा सैनिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के बारे में पाकिस्तान और संयुक्त राज्य

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अमरीका की सरकारों के बीच इस समय विचार-विमर्श चल रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इस सहायता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम हथियार आ सकते हैं जिनमें विमान, टैंक, टैंक-भेदी मिसाइलें तथा हवाई सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल है। सरकार ने ऐसी खबरें भी देखी हैं जिनमें कहा गया है कि 1959 के अमरीकी-पाकिस्तान कार्यकारी करार को कांग्रेस की अनुमति से सुरक्षा संधि का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव है। जहां तक सरकार को मालूम है अभी तक यह विचार-विमर्श अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुचा है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात है, हाल ही में सम्पन्न गुट-निरपेश देशों के सम्मेलन में यह स्पष्ट आम राय थी कि बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा को रोकने के लिए, विशेषकर हिन्द महासागर को शांति-क्षेत्र घोषित करने से सम्बद्ध घोषणा को क्रियान्वित करने की आवश्यकता के संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए। सदन को यह भी ज्ञात है कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन में विश्व के अधिकतर देश और हिन्द महासागर के लगभग तभी तटवर्ती देश शामिल है। यह भी ध्यान देने की बात है कि हाल ही में इस्लामी सम्मेलन के शासनाध्यक्षों की तरफ में जो बैठक हुई थी उसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि खाड़ी क्षेत्र की शांति और स्थायित्व और समुद्री जल-मार्गों की सुरक्षा का दायित्व पूरी तरह खाड़ी के राज्यों पर है जिसमें किसी तरह का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होरा चाहिए। इसके भी बाद, ओमान, कातार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, खाड़ी के इन छह देशों के विदेश मंत्रियों ने खाड़ी के क्षेत्र में बाह्य-शक्तियों की उपस्थिति पर अपना विरोध प्रकट किया है क्योंकि ऐसी उपस्थिति से वैसा ही हस्तक्षेप हो सकता है जिसे रोकने की वे कोशिश कर रहे हैं। अन्य अनेक देशों के साथ अपने विचार-विमर्श, 'जिसमें इस उप-महाद्वीप के हमारे सभी पड़ोसी भी शामिल हैं, के दौरान हमने यह पाया है कि वे भी हिन्द महासागर से बड़ी शक्तियों की उपस्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता के पक्ष में हैं।

बड़ी शक्तियों की बढ़ती हुई सैनिक उपस्थिति के बारे में हमारी चिंता को इस सदन में तथा अन्यत्र बार-बार व्यक्त किया गया है। अगर एक पक्ष की ओर से इस प्रकार की वृद्धि होती है तो तत्काल ही दूसरे पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया होती है जिसके परिणामस्वरूप लड़ाई का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस बात का भी खतरा होता है कि तटवर्ती राज्य भी इस होड़ में खिच आयें और इसमें इस बात की भी आशंका है कि इस क्षेत्र में पहले ही से जो तनाव विद्यमान हैं वे और न भड़क जायें। यह बात बहुत पहले ही साफ हो चुकी है कि सैनिक शक्ति अपने-आप में शांति और स्थायित्व की रक्षा का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए मुझे हाल ही की घटनाओं का दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। हम एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र को शांति और सहयोग का ऐसा क्षेत्र बनाने की जरूरत है जो बड़ी शक्तियों की उपस्थिति से मुक्त हो। हमारा यह पक्का विश्वास है कि इस क्षेत्र के देश अपनी समस्याएं आपसी बातचीत द्वारा ज्यादा अच्छी तरह से हल कर सकते हैं।

अमरीकी प्रशासन के प्रवक्ताओं ने अफगानिस्तान में विद्रोहियों के समूहों को हथियार सप्लाई करने की सम्भावनाओं का जिक्र किया है लेकिन पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वे इस प्रयोजन के लिए अपने देश को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

नहीं देंगे । इस वक्तव्य पर गौर करते हुए भी हमें यह बात साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि अगर इसके विपरीत कोई कार्रवाई की जाती है और अगर बड़ी-शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता के संदर्भ में "सुरक्षा मतैक्य" कायम करने में कोई सक्रिय हिस्सा लिया जाता है तो वह पाकिस्तान की उस कथनी के विरुद्ध होगा जो कि उसने उस समय की थी जब वह हवाना में गुट-निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ था ।

मैं सदन को यह सूचना भी देना चाहूँगा कि खाड़ी के क्षेत्र में अपनी सैनिक उपस्थिति को बढ़ाने और पाकिस्तान में भारी मात्रा में हथियार पहुंचाने के कथित प्रस्तावों के संबंध में मैंने स्वयं अमरीकी सरकार के समक्ष अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है । विगत तीस वर्षों के अनुभव ने हमें यह दिखाया है कि इस प्रकार की सप्लाई के परिणामस्वरूप आमतौर से इस उप-महाद्वीप में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को धक्का ही पहुंचा है । हमने पाकिस्तान को यह जता दिया है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जो चिंता है उसके प्रति हम बेखबर नहीं हैं और साथ ही हमने उन्हें यह आश्वासन भी दिया है कि भारत से उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है । हमने उनके इन आश्वासनों का स्वागत किया कि वे शिमला समझौते की रूप-रेखा के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहते हैं । हम स्वयं इससे वचनबद्ध हैं और मुझे विश्वास है कि सदन भी इस बात से सहमत होगा कि अपने इस क्षेत्र को संघर्ष का मंच बनने से रोकने के उद्देश्य से सभी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए पाकिस्तान के साथ अपनी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ।

इस बारे में सरकार बहुत से देशों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और इस सिलसिले में अपने आपको अद्यतन घटनाओं से पूरी तरह अवगत रख रही है । अन्त में, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि देश की सुरक्षा के संबंध में उसे कहीं किसी तरह का कोई समझौता न करना पड़े ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष जो बयान दिया है, उसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है । आज हमारे पूरे रिजन में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है । मैं इस संदर्भ में मंत्री महोदय से कुछ तथ्यों की जानकारी चाहता हूं । हमने आज ही समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि अमरीका ने 500 मिलियन डालर्ज की सैनिक सहायता पाकिस्तान को दी है । इस मामले के दो पहलू हैं : एक तो हमारी सुरक्षा का प्रश्न है, और दूसरे, हमारी विदेश नीति का प्रश्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ है । अखबारों में कहा गया है—

> वाशिंगटन से मिली खबरों में कहा गया है कि पाकिस्तान को टैंक और बन्दूकों की ताजा सप्लाई के अलावा एफ.-16(79) लड़ाकू विमान एच० ए० डब्लू० के० मिसाइल्स, विकसित राडार, शीघ्र चेतावनी देने वाले यंत्र दिये जायेंगे ।"

माननीय अभी कुछ बाहर के देशों में जो रिपोर्टें छपी हैं उनमें भी कुछ उल्लेख आये हैं :

> "देश में, पाकिस्तान की प्रतिरक्षा व्यवस्था पूरी तेजी से चल रही है । 1971 से प्रति-

रक्षा व्यय दुगना हो गया है और युद्धनीति-अध्ययन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार पाकिस्तान ने पिछले दशक में अपनी सेना का 70 प्रतिशत विस्तार किया है।"

यह पाकिस्तान के डिवलपमेंट की बात है। मैं थोड़ी सी इन बातों की चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी हाल में सन्डे टाइम्स आफ लन्दन ने यह कोट किया है :

"पाकिस्तानी वार्ताकारों" के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान में हाइड्रोजन हथियार कार्यक्रम को वित्तपोषित करने के लिए 800 मिलियन डालर की साउदी मदद मिलेगी।

यहां एक जगह और उल्लेख है :

"क्राउन प्रिन्स फाहद की पिछले मास पाकिस्तान की सरकारी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी स्त्रोतों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र की राजनीति में इस्लामाबाद के लिए साउदी समर्थन एक महत्वपूर्ण तत्व है।"

यह तो हाइड्रोजन वाली बात है। एक तरफ तो सारी स्थिति यह है। अभी अमेरिका के बारे में चर्चा हो रही थी। कल परसों जो एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट छपी है उसमें साफ शब्दों में कहा गया है :

"वर्ग के दौरान एक समस्या जो निरन्तर चिन्ता का कारण बनी रही, तारापुर के लिए अमरीका से परमाणु ईन्धन की सप्लाई थी, भारत ने जहाज से पहली बार भेजे गये भारत का स्वागत किया गया किन्तु आगे माल की सप्लाई के लिए लगाई गई असंगत शर्तों पर खेद व्यक्त किया। अमरीकी बाजारों में भारतीय माल भेजने का प्रश्न भी बना रहा हालांकि उसे जल्दी हल करने के लिए प्रयास किये गये।"

एक तो यह स्थिति है कि हमारे अमेरिका के साथ सम्बन्ध किस तरह बनते जा रहे हैं, दूसरे, जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके सम्बन्ध में एक और न्यूज की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी अखबारों में भी यह बात आई :

"पाकिस्तान और चीन जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे वाले क्षेत्र में अग्रिम क्षेत्रों (फारवर्ड लाइन्स) को युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण काराकोरम राजपथ से जोड़ने के लिए संयुक्त रूप से एक सड़क परियोजना आरम्भ कर रहे हैं।"

इस बारे में भी सरकार का कोई रिएक्शन सुनने में नहीं आया जब कि हम ने इसे कांस्टीच्यूशन में इन्टर्नल पार्ट आफ इंडिया माना है और कांस्टीच्यूशन में इस का उल्लेख भी है। इस बात से माननीय मंत्री जी चिन्तित हैं और सदन भी चिन्तत है। इस में दो राय कहीं भी नहीं है कि पाकिस्तान हथियार तो खरीद ही सकता है, ले भी सकता है लेकिन जिस बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे गए और जिस बड़े पैमाने पर उसे हथियार दिए जा रहे हैं वह चिन्ता का विषय है। वह

[श्री राजेश कुमार सिंह]

एक ही मुल्क से नहीं, फ्रांस से मिराज आ रहा है, वह दो हजार मिराज है जिस की कैपेसिटी यह भी है कि वह हाइड्रोजन वेपन ले कर कहीं जा कर ड्राप कर सकता है। यह हालत डेवलप कर रही है। माननीय विदेश मंत्री फारेन अफेयर्स को देख रहे होंगे, इन सारी स्थितियों के बारे में भी उन्होंने चिन्ता की होगी कि ये क्यों डेवलप हो रही हैं ? पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उस की वजह से हमें यह बारी शक्ति जोड़नी है और वेस्टर्न पावर भी यही कहते हैं। यह बड़ा अहम मसला है देश के सामने और सारे क्षेत्र के सामने, सारे कंटिनेंट्स के सामने। पाकिस्तान का कहना तो जो भी हो, उस के ऊपर तो वह एक फिल्मी बात लागू होती है कि कहां पर निगाहें, कहां पर निशाना, मैं उस के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि हमारी विदेश नीति में भी कुछ त्रुटियां बना रही हैं, कुछ नही बहुत त्रुटियां बना रही हैं। हम जो नान-एलाइन्ड के फाउन्डर कहलाते हैं, लेकिन जिस आन्दोलन को ले कर हम दुनिया में चले, उसके विपरीत खुद अपने आप हम किसी न किसी ब्लाक से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते रहते हैं। इंक्विडिस्टेंस की थ्यौरी को हमें क्ली-अरली एडाप्ट करना चाहिए। चाहे कम्पूचिया का सवाल हो, चाहे अफगानिस्तान का सवाल हो, हमेशा हिन्दुस्तान की नीति रही है कि वह किसी विदेशी ताकत को किसी की भी टेरिटरी पर दखल न करने दे और यह नान-एलाइन्ड की पालिसी है। मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं, हम ने नान-एलाइन्ड कान्फरेंस में भी कोई साफ लाइन निर्धारित नहीं की और इसलिए दुनिया के अंदर चर्चा हुई। हमारे जो इम्बैसेडर हैं यू एन ओ में उन्होंने अली 1980 में··· (व्यवधान) अब डिएगो गार्शिया वाली जो बात है·····

अध्यक्ष महोदय : आप पाकिस्तान के सम्बन्ध में ही अपने को सीमित रखें।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आप नाराज न हों।

अध्यक्ष महोदय : नाराज होने की बात नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मेरा मतलब यह है कि इन डेवलपमेंट्स के कारण क्या हैं, उन कारणों की तरफ आप ने प्रकाश नहीं डाला।

अध्यक्ष महोदय : आप राजेश जी, छक्के मत लगाइए।

श्री राजेश कुमार सिंह : अब मैं प्रश्नों पर ही आ जाऊंगा। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय मंत्री जी से। आप प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो मैं प्रश्न ही कर देता हूं। मैंने इक्वीडिस्टेंस की बात कही है। डिएगो के बारे में भी हमारी पालिसी कोई इतनी जोरदार नहीं रही। अब मैं प्रश्न ही कर रहा हूं।

मै जानना चाहता हूं कि क्या यह बात हमारे हित में है कि पाकिस्तान की स्थिति मजबूत और सुदृढ़ हो। अमरीका चीन और साऊदी अरब के केसशियम के समर्थन से सैनिक दृष्टि से

मजबूत पाकिस्तान का हमारे लिए क्या तात्पर्य है ? क्या भारी सैनिक तैयारी से युक्त पाकिस्तान से हमें कोई खतरा हो सकता है ।

आपने साफ बात नहीं कही है । आपने कहा है कोई नयी थ्रेट नहीं दी जा रही है ।

मैं एक प्रश्न और कर रहा हूं ।

क्या सरकार की विदेश नीति भारत के नेतृत्व में दक्षिण एशिया का एकीकरण करने में असफल रही है तथा क्या सरकार उस क्षेत्र में तनाव को बढने से रोकने के लिए गुट निरपेक्ष देशों में राजनैतिक दबाव डाले जाने का प्रयास करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न परिधि से बाहर है । आप सिर्फ पाकिस्तान तक ही रखिए ।

राजेश कुमार सिंह : इसमें यह सारी परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को जो बिग पावर्स की तरफ से दिया जा रहा है उसके लिए जान-एलाइन्ड कन्ट्रीज का पावर ब्लाक बनाकर पाकिस्तान पर कोई प्रेशर डालर जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप को विदेश मंत्रालय पर होने वाले वाद-विवाद के समय इस विषय पर चर्चा करने के लिए काफी समय मिलेगा ।

राजेश कुमार सिंह : क्या भारत और पाकिस्तान के बीच शीत युद्ध रोकने तथा अफगानिस्तान की समस्या को मध्यस्थता किए जाने के बारे में बहुत से देशों में मतैक्य लाने के लिए क्या भारत को राजनयिक क्रियाकलाप आरम्भ करना चाहिए ।

लास्ट में एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ ।

क्या किसी भी दशा से खतरे का मुकाबला करने, के लिए भारत सरकार अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने और उसे सभी प्रकार से आधुनिक बनाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, माननीय सदस्य के जो प्रश्न इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत आते हैं, उन्हीं का मैं जवाब देना चाहता हूं । मैंने अपने अंतिम वाक्य में यह कहा है:

> अन्त में मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश की सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं होगी ।

यह अत्यन्त स्पष्ट जवाब है, आपके आखिरी सवाल का ।

जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारे पड़ोसी मुल्क का, हमने हमेशा यही कहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों को स्टैबल देखना चाहते हैं, उनमें स्थिरता देखना चाहते हैं लेकिन स्थिरता का अर्थ है कि हथियारों का बोझ उतना ही उसपर लादा जाए जितना कि उठाया जा सकता है, उससे अधिक बोझ लादने से स्थिरता नहीं जाती है, अस्थिरता आ जाती है । इसीलिए हम पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आपको हम से घबराने का कोई कारण नहीं है, आप अपने को हथियारों

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

से लादते न चले जाइये, हथियारों से इतना ज्यादा लैस मत कीजिए, इससे तनाव बढ़ता है और और जो आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं या रक्षा का प्रबंध करना चाहते हैं उस पर इसका उल्टा असर होता है। यह बात हम उनसे कह रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हम पाकिस्तान को कभी कमजोर देखना चाहते हों। बिल्कुल नहीं। हम पाकिस्तान को स्थिर देखना चाहते है। पाकिस्तान और हमारे बीच में जो भी प्रश्न हैं उनको शिमला एग्रीमेंट के अनुसार हम सुलझाना भी चाहते हैं। वह प्रक्रिया चल रही है। सदन को पता है कि पिछले साल कई बार हमारी तरफ से पहल हो चुकी है और यह जो प्रक्रिया है वह अभी तक जारी है।

दूसरी जो बातें हैं, उनपर कल से जो चर्चा शुरू होने वाली है, उसमें मैं जवाब दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, हमारे देश की नीति रही है कि हम तमाम मुल्कों के साथ समानता के आधार पर दोस्ती कायम करना चाहते हैं और उसको मजबूत भी करना चाहते हैं। उसी तरीके से शिमला समझौते के तहत हमारी नीति पाकिस्तान के साथ एक भाई की तरह, एक पड़ोसी की तरह से मेल जोल रखने की है। लेकिन इस दोस्तों, में खलल डालने वाली शक्ति है और उस शक्ति को हमें ठीक से पहचानना होगा और उनसे लड़ने के लिए अपनी तैयारी भी रखनी होगी। वह शक्ति है—अमरीकी साम्राज्यवाद। उनके पीछे चलने वाली चाहे अंग्रेजी सरकार हो या फ्रांस की सरकार हो या उनके लगुवे-भगुवे जो लोग हों···

अध्यक्ष महोदय : यह आज नया शब्द कायम किया है।

श्री रामावतार शास्त्री : ये सारे लोग हमारी इस नीति को पसन्द नहीं करते हैं और यही वजह है कि···

अध्यक्ष महोदय : आपने कभी लगुवा-भगुवा शब्द सुना है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह घटिया भाषा विहार की होगी।

श्री रामावतार शास्त्री : लगुवा-भगुवा हिन्दी भाषा है। आप हिन्दी नहीं समझते हैं।

उनके एजेंट, उनके चापलूस उनके पीछे चलने वाले उनके बड़े मतलब हो सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : रनिंग डाग।

श्री रामावतार शास्त्री : रनिंग-डाग आप अंग्रेजी में कहिए। पिट्ठू कहिए और भी बहुत तरह के शब्द हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक ही किश्ती में सफर करने वाले।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चमचे।

अध्यक्ष महोदय : कड़छे।

श्री रामावतार शास्त्री : अमरीकी साम्राज्यवाद की नीति आजाद मुल्कों को अपने पांवों पर खड़ा होने से रोकने की है। जो उनको "जी-हजूरी" करते हैं, वह तो ठीक है, लेकिन जो अपने आत्म-सम्मान की रक्षा करें, देश को मजबूत करें, वह उनके लिए बुरे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को हथियारबंद कर रहे हैं ? पाकिस्तान को भारत से क्या खतरा है ? किसी से क्या खतरा है ? लेकिन हथियारबंद कर रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं··· (व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : हथियार बन्द कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : हथियारबंद से मेरा मतलब है—आर्म करना। राव साहब हिन्दी जानते हैं। हथियारबंद एक शब्द है, अलग-अलग शब्द नहीं हैं—अस्त्र-शस्त्र की होड़। पाकिस्तान की खबर भी आ रही है कि अमरीका ने 500 मिलियन डालर पाकिस्तान को 81-82 में देने का फैसला किया है, जिसमें से 400 मिलियन डालर फौज पर खर्च होगा और 100 मिलियन डालर आर्थिक विकास पर खर्च होने की बात है। जो फौजी तैयारी पर खर्च होगा, उसमें से 60 लाख डालर फौजों की ट्रेनिंग पर खर्च होगा और 250 अरब डालर के आधुनिकतम हथियार खरीदे जायेंगे, बिल्कुल अटोमिक सामानों से सुसज्जित। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह आर्म करने की आवश्यकता क्या है ? हमारी सरकार की नीति जरूर है कि हम इसको पसन्द नहीं करते हैं, लेकिन दो-टुक शब्दों में अमरीकी साम्राज्य के इस दखलअन्दाजी, यह हमारे देश में इस तरह के आजाद देशों में मैं इसको दखलअन्दाजी मानता हूं, की निन्दा क्यों नहीं करते हैं ? क्या वजह है ? आपको निन्दा करनी चाहिए, जो हमारे देश पर इतना बड़ा खतरा पैदा कर रहा हो और उसके बारे में आप चुपचाप रोष जाहिर कर दें, अप्रसन्नता प्रकट कर दें – मैं समझता हूं कि यह काफी नहीं है।

अध्यक्ष जी, पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं, भले ही वह यह कहे कि हम उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में नहीं करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हो रहा है। अमरीका ने बहुत सफाई से बात कही है कि हमारा एक यह भी मकसद है कि वहां इसका कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये इस नीति के तहत चल रहे हैं। कई तरीके से हमारे प्रति पाकिस्तान को नीति दुश्मनी की रही है। अभी हमारे यहां जो दंगे हुए, न उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की। यह काम इनकी तरफ से हो रहा है। हम शिमला समझौते पर अमल करने की बात करते हैं, और ये गलत कदम उठाते हैं, तो यह हमारे देश के लिए खतरा है। काश्मीर का सवाल भी उठा देते हैं जब कि शिमला समझौते के मुताबिक उस को नहीं उठाया जाना चाहिए। कभी यू० एन० ओ० में उस की चर्चा कर देते है, कभी इस्लामिक कांफरेंस में कह देते हैं। इस लिए दो टूक शब्दों में इस का कोई रास्ता निकालना होगा। हम देख रहे हैं—अमरीकी साम्राज्यवाद को, यदि छिपा रहता तो निन्दा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो स्पष्ट रूप से हमारे सामने बैठे हुए हैं फिर भी निन्दा नहीं करते हैं—यह हमारी कमजोरी का द्योतक है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ठीक से निन्दा करे।

हमारे देश के एक नेता हैं—श्री मोरारजी देसाई। बड़े अच्छे नेता हैं, देश के प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं। उन का कहना है कि अगर पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हो, उस को अमरीका के पंजे से निकालना चाहते हो, तो हिन्दोस्तान ही पाकिस्तान को हथियार क्यों न दें ?···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी भी यही कहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : वह भी बोलने वाले हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस बारे में आप की प्रतिक्रिया क्या है ? क्या पाकिस्तान को हथियार देना चाहिए, क्या उसी से वह हमारे साथ आयेगा या कोई और बात है ?

अब मैं डिएगो-गार्शिया की थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आज इस को रहने दें, वह कल आ जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इस बात को इसलिये उठाना चाहता हूं कि मैं कल बोलने वाला नहीं है। यह सरकार अमरीका और सोवियत यूनियन को एक पलड़े में रखती है। आप ने इस बयान में भी कहा है—"बड़ी शक्तियां" "ग्रेट-पावर्स"। लेकिन दोनों की नीतियों में कोई मेल नहीं है, जमीन-आसमान का फर्क है। अमरीकी साम्राज्यवाद आप को घौंस-पट्टी दे रहा है, दुनिया के आजाद मुल्कों को गुलाम बनाना चाहता है, जबकि सोवियत यूनियन ने हिन्दुस्तान और दूसरे मुल्कों की मदद की है, जो आप के सामने है, फिर भी आप दोनों को एक ही पलड़े पर रखना चाहते हैं। मैं डियागो-गार्शिया के बारे में दो शब्द कह दूं···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : 24 घंटे की बात है।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, इसको यहीं तक रखिये। यह बात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की परिधि के भीतर नहीं आती।

श्री रामावतार शास्त्री : अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के कितने युद्धपोत हैं ? 42 हैं, जिनमें क्रूजर 3, विध्वंसक 2, लैंडिंग शिप्स 2, सब-मैरीन्ज 2, कमाण्ड-शिप्स 2, सब मिलाकर 42 हैं और सोवियत यूनियन के पास सिर्फ 11 हैं। फिर भी आपकी दृष्टि में दोनों बराबर हैं। यह बात समझ में नहीं आती है कि आप अपने दोस्तों को ठीक से कब समझियेगा ? अपने दिमाग को क्लिअर तो राखये। मैं जानना चाहता हूं इस तरह के देशों को आप एक ही पलड़े में रखकर अपनी साम्राज्यवाद विरोधी तस्वीर को धूमिल क्यों कर रहे हैं ? हिन्दुस्तान की जनता ने साम्राज्यवाद के खिलाफ जिस बहादुरी से लड़ाई की है उसको धूमिल न कीजिये, दोनों को डिफरेंशियेट करना होगा।

मैं एक बात और पूछ लूं—अमरीकी सरकार की अब तक की नीति यह रही है कि जो न्यूक्लिअर पावर्स हैं हम उनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान भी तो मई में न्यूक्लिअर-पावर बना रहा है, बम का धमाका करने वाला है जिससे और ज्यादा खतरा बढ़ेगा, उसके लिए रेगन साहब ने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा है कि पाकिस्तान के मामले में कुछ ढिलाई करनी चाहिए। यह और भी ज्यादा खतरनाक बात है—इसीलिये डिएगो गार्शिया का सवाल, हिन्द महासागर का सवाल, हमारे डिफेन्स का सवाल—बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल हैं। इस समय तीन शक्तियों का मिलन हो रहा है—अमरीका, पाकिस्तान और चीन। चीन की सड़क की चर्चा उन्होंने की है।

तीनों मिलकर इस क्षेत्र में खतरा पैदा कर हैं। इनसे बचाव का हमारा रास्ता क्या होगा ? क्या हम और नये-नये मित्र ढूंढेंगे पुरानी मैत्री को मजबूत करेंगे या उनको नाराज करेंगे ? इन सब बातों का जवाब मैं स्पष्ट शब्दों में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : यह तो कल का भाषण था जो इन्होंने आज ही कर दिया। मुझे इस समय इतना ही कहना है कि जो हम कहना चाहते हैं उसे कहने में हमने कोई आनाकानी नहीं की है, दो-दो टूक नहीं, चार-चार टूक हमने की है। इसमें कोई कमी नहीं की है। बाकी बातों पर जब कल चर्चा आयेगी तब उनके जवाब दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आप दोनों देशों को एक पलड़े में क्यों रख रहे हैं।

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : मैं कह चुका हूं वह प्रश्न यहां नहीं उठता है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मैंने यह बात स्वयं अमरीका की सरकार से कही है। यह नहीं कि किसी दूसरे लेबिल पर हुआ है। मैंने खुद यह बात कही है और नाराजगी जाहिर की है।

श्री रामावतार शास्त्री : उन को कन्डेम कीजिए।

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : आप की भाषा तो हम नहीं ले सकते। हम अपनी भाषा में ही बात करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार का विदेश मंत्री बोलता है, तो हम समझते हैं कि भारत सरकार बात कर रही है। वे बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से बातें करते हैं और काफी बड़ी चिन्ता प्रकट करते हैं हमारे इस देश के लिए। मैं भी उन की इस चिन्ता में अपने आप को सम्मिलित करता हूं लेकिन कृपा कर के यह बतलाइए और हिम्मत के साथ बतलाइए कि जब आप बार-बार कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं, हम उन में बड़ी रुचि लेते हैं, हम उन का विकास देखना चाहते हैं और उधर से श्री आगा शाही भी यही कहते हैं कि हमारे इरादे भारत के प्रति बड़े नेक हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों होती है। आप भी नेक हैं और वे भी नेक हैं, दोनों के नेक होने के बाद भी अगर दूसरी ओर अमेरिका लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला देश है और आप भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं तब ऐसी बातें क्यों होती है, और तानाशाही हुकूमत का यह जो डूबता हुआ सितारा है उस को बचाने के लिए जो मदद हो रहा है, उस अमेरिका ने कई बार आश्वासन दिया है और कई बार स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि पाकिस्तान को जो हथियार हम दे रहे हैं, वे किसी भी सूरत में हिन्दुस्तान के खिलाफ काम में नहीं लाए जाएंगे। क्या ऐसा हुआ है, हिम्मत के साथ कहिये विदेश मंत्री जी ? आप रक्षा मंत्री जी से पूछ लीजिए अगर आप को याद न हो, वे पीछे बेठे हुए हैं, कि पाकिस्तान को दिये गये वे हथियार क्या कई बार हिन्दुस्तान के खिलाफ काम में नहीं लाए गये ? आज कोई भी मुल्क, जो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, वह रूस की विस्तारवादी नीति का बहाना बना कर उस को हथियार दे रहा है। अफगानिस्तान के अन्दर संकट पैदा कर के पाकिस्तान अपनी गुट्टी बनाना चाहता है और उस ने अपनी दो-तिहाई सेना हमारे बार्डरों पर खड़ी कर दी है। जब ऐसी हालत है, तब आप यह कह रहे हैं कि कल चार घंटे की बहस होगी और उस समय हम अपनी बातें कहें और उन का जवाब आप देंगे। आप मुझे यह बताइए कि एक नीति बनी हुई है

[श्री मूलचन्द डागा]

और अमेरिका ने यह था कि हम उन मुल्कों को हथियार नहीं देंगे जो परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहा है और आज उस सीमा को लांघ कर उन्होंने उस को मदद देने के लिए पूरा इरादा कर लिया है। इस पर आप ने क्या कहा ? आप ने बताया कि हम ने विरोध पत्र लिखा है ब्रिटेन को और पश्चिम जर्मनी को। क्यों नहीं आप ने इस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। विश्व शान्ति का पैगाम दुनिया में लेकर चलने वाला हिन्दुस्तान, जो नेहरू की पालिसी को ले कर चलता है, उस की बातों का आज कहीं असर क्यों नहीं होता है। निर्गुट सम्मेलन हुआ। आज वे यह चाहते हैं और बिल्कुल चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में शान्ति रहे। खाड़ी के देशों का तो बहाना लिया है। आज वह यह सोचता है कि खाड़ी के क्षेत्र से और दक्षिण एशिया से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा। क्या यह सही बात हो सकती है ? रीगन साहब की जो आरक्षण की नई प्रणाली है, उस में रीगन साहब की पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कृपा है लेकिन उन रीगन साहब से पूछो कि पाकिस्तान को हथियार देने का जो आप का इरादा है, वह किस बात के लिए है। अमेरिका में जो पेपर्स निकलते हैं, उन अखबार वालों ने लिखा है। ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और उन्होंने रीगन साहब की नीति के विरोध में लिखा है और अपनी इच्छा का इजहार किया है। बार-बार उन्होंने कहा है लेकिन रीगन साहब ने कहा कि कांग्रेस के अन्दर इस पर डिस्कशन आने से पहले ही अगर पाकिस्तान पर हमला होगा, तो हम मदद देने के लिए तैयार हैं।

अमेरिका और हम दोनों लोकतंत्र में विश्वास करने वाले मुल्क हैं। दोनों मुल्कों के लोग इसमें विश्वास करते हैं। पाकिस्तान को सहायता देने के बारे में अमरीका के श्रेष्ठ पत्रकार जैक एण्डसन जो कि सनसनीपूर्ण रहस्योद्घाटन में काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, ने अमरीकी प्रशासन को पाकिस्तान के तानाशाही शासन को सैन्य सहायता देने के बारे में कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जिस पर भी हाथ रखा, वह गायब हुआ। पहले दक्षिण वियतनाम में जनरल थियू पर हाथ रखा तो वह गायब, ईरान के रजा शाह पहलवी को चुना तो वह गायब।

आप अपने दोस्तों को बुलाइये और बुलाकर के बात कीजिए। जो आपके दोस्त यह कहते हैं कि मेरे इरादे भी नेक हैं और आपके इरादे भी नेक हैं, उनसे मेहरबानी करके पूछिये कि यह बताइये तो फिर यह सब किसलिए हो रहा है। जब पाकिस्तान हमसे बार-बार कह रहा है कि हमारे प्रति उसकी कोई बुरी भावना नहीं है तो फिर यह अब मदद लेने का सवाल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सवाल क्यों पैदा किया जा रहा है ?

वह भाषा क्यों बोलते हैं और करते क्या हैं ? आज तक हमने उस पर हमला नहीं किया, हमने उसके साथ लड़ाई नहीं छेड़ी। आज दुनिया में प्रति मिनट एक करोड़ के हथियार बनते हैं। हमने किसी से ये नहीं मांगे हैं। हम हमेशा नेहरू की भाषा बोलते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी इस वक्त पर पाकिस्तान में जाकर कोई बात हुई है या नहीं ? क्या आपकी अमेरिका से जो कि आज पाकिस्तान को हथियार दे रहा है उससे कोई बात हुई है या नहीं ? आपके जो भाई लोग या नुमाइन्दे जो दूसरे मुल्कों में हैं उन्होंने उनमें क्या बात की है ? आपने बहुत से राष्ट्रों की बात की है। वहां जो हमारे आफिसर हैं उन्होंने इसके बारे में क्या काम

किया है ? यह कृपा करके बतलाइये क्योंकि आपने लिखा है कि आपको गम्भीर चिन्ता है। आपके साथ हम लोगों को भी गम्भीर चिन्ता है। आपको वहां से क्या आश्वासन मिले हैं ? आप केवल गम्भीर चिन्ता पर ही नहीं रुक जाइयेगा। वैसे हिन्दुस्तान डरने वाला मुल्क नहीं है। इन हथियारों से हम डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हिन्दुस्तान बहुत बहादुर मुल्क है। हम लोग उसूलों पर चलने वाले हैं। यह बताइये कि आपके आफिसर्स ने वहां क्या किया और समस्या को आप कैसे रोकने जा रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, श्री डागा जी ने इतनी हिम्मत दी है, अब मैं दुबला नहीं पड़ूंगा।

सवाल यह है कि हमें अपनी जो बात कहनी है वह स्पष्ट कह रहे हैं। जहां तक हमारी नीयत का सवाल है, हमारी नीयत, हमारी कथनी और करनी दोनों बराबर हैं। यही बात और लोग भी कहते होंगे और कहते भी हैं। ऐसा कोई देश नहीं होता जो अपने बारे में कुछ बुरा कहता हो या अपने मुखालिफ कुछ कहता हो। लेकिन यह दुनिया के लिए सोचने का विषय है, सदन के लिए सोचने का विषय है। कोई और कहता है कि उसकी नीयत अच्छी है, मैं जो कहता हूं कि मेरी नीयत अच्छी है, हम दोनों में से कौन सही कह रहा है, कौन जरा कम सही कह रहा है, या बिल्कुल गलत कह रहा है, यह तो आपके जजमेंट के लिए है।

श्री रामावतार शास्त्री : नेता कौन है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : साल भर से आप यह देख रहे हैं कि हमारी तरफ से क्या-क्या पहल हुई। वहां के विदेश मंत्री आगा शाही साहब आये, उनसे हमारी क्या-क्या बात हुई, कैसी-कैसी चर्चाएं हुई, उनके बारे में आप अखबारों में पढ़ते रहे हैं। उसके बाद हम मिलते रहे, वे यहां आये, फिर न्यूयार्क में जनरल असेम्बली में हम मिलते रहे। अक्सर हमारी बात होती रही। हमारा यही रवैया रहा कि हम शिमला समझौते के अनुसार, जितनी भी बातें हमारे बीच में हैं, उन पर किसी न किसी तरह से, चर्चा से, आपसी समझौते से एक निर्णय पर आयें। अब यह कोई इतना छोटा मामला तो है नहीं। इसके लिए समय लगता है। और लोगों से भी हम कह रहे हैं, युनाइटेड स्टेट्स से कह रहे हैं। अब आप आशा करें कि आज हम कहें और कल उनका जवाब आ जाए—'हां या 'न', ऐसा नहीं होता। हमारी बात सुनी जाती है, और लोग भी हमारी बात सुनते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं तो यह सारा जो इन्पुट होता है, कुल मिलाकर इसका असर होता है उनकी पालिसी पर, उनकी नीति पर। लेकिन इसमें समय लगता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है और जो-जो सिगनल्स हमें मिलते हैं, जो संकेत हमें मिलते हैं, उनसे भी पता लगाना पड़ता है। दो टूक बात से इसका फैसला नहीं होता। जो बात हम कहेंगे वह बराबर डटकर कहेंगे और इसका असर होता है या नहीं, इसका अध्ययन करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। यह एक लम्बा चलने वाला मामला है, एक प्रक्रिया है जो एकदम खत्म होने वाली नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम सतर्क हैं और सतर्क रहेंगे और किसी तरह भी हमारे हितों पर, देश के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : मैं सब से पहले यह कहना चाहूंगा कि ..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वापस आफ अमरीका।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सीनेटर पेट्रिक मोनीहन के अनुसार वापस आफ अमरीका श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। अतः आप सावधान रहें। यदि आपको लिखित प्रमाण की जरूरत है तो आप सीनेटर मोनीहन की पुस्तक पढ़िए। आप इस प्रकार आरोप मत लगाइए वरना आपको हमें भी वैसा ही करना होगा।

प्रथमतः मुझे संकोच और शिकायत के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस विवरण की शब्द-रचना बहुत अच्छी है (व्यवधान) प्रतिपक्ष में होने के कारण मेरा काम शिकायत करना है।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी तो विशालहृदय हो जाया करो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं विशालहृदय तो हू। किन्तु उदारता सामान्य रूप से आयेगी। मैं मन्त्री महोदय से पूर्णतः सहमत हू कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम दुनिया के रंग में रंग जाए और व्यवहारकुशल बन जाएं। आजकल किसी को सीधा कंडम करने से काम नहीं चलता। वास्तव में श्री शास्त्री चाहते थे कि कड़ा ध्यान दिया जाए। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने अफगानिस्तान पर रूस के कब्जे का वर्णन करते हुए हल्के शब्दों क्या प्रयोग किया था तो वह बहुत प्रसन्नचित्त थे। किन्तु अब मैं देख रहा हू कि

श्री पी० वी० नरसिंह राव : किन्तु उस समय आप बहुत खफ़ा थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आप से वैसे ही खफा था, आप के ध्यान के कारण ही नहीं। मैं समझता हूं कि आप को अपनी विदेश नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहिए। अतः मैं इस बात से सहमत हूं कि शब्दाडम्बर की बात अब पुरानी बात है और प्रश्न यह है कि आप दोनों क्या करते हैं। मैं यह बताना चाहता हू कि इस ध्यान में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अधिकांश वक्ताओं ने जिक्र नहीं किया है, केवल श्री शास्त्री ने पहली बात का शिकायत के साथ उल्लेख किया था।

इस बात को सभी मानते हैं कि महान शक्तियां एक सी हैं तथा हिन्द महासागर के मामले में, चाहे पोत हों अथवा अड्डे, दोनों कार्यरत हैं। दोनों एक दूसरे से बढ़ कर हैं—हम इस के विस्तार में नहीं जाएंगे। विदेश मंत्री भी यह मानते हैं (व्यवधान) अतः मंत्री तथा सरकार स्तर पर यह मान्यता एक निश्चित मान्यता है।

मेरी दूसरी बात यह है कि ध्यान में संभावनाओं और संभावनाओं का ही उल्लेख किया गया है तथा श्री शास्त्री चाहेंगे कि इनका वहां से लोप किया जाए।

श्री रामवतार शास्त्री : आप मुझे क्यों इस में घसीट रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : छोटे मोटे भेदों को दूर करना जरूरी होता हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री पर कोई कटाक्ष न किया जाए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बिहारियों को सामान्य रूप से छूट देनी होती है । मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण ब्यान है—"हमने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि हम उसकी सुरक्षा के मामले में संवेदनाशून्य नहीं हैं तथा मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि भारत की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं है और इसे प्रस्थापित किया जाना चाहिए, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि न केवल पाकिस्तान ही हथियार खरीदने में लगा हुआ है अपितु भारत भी हथियार खरीद रहा है । हम हथियार अपनी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीद रहे हैं । हमारी आवश्यकता जायज है । अतः हम हथियार सोवियत संघ से खरीद रहे हैं । भारत के रक्षा सचिव अमरीका गये थे तथा उन्होंने अमरीका के साथ हथियार खरीदने के बारे में बातचीत की थी । हथियार खरीदना कोई गलत काम नही है । प्रश्न यह है कि यदि कोई दूसरा खरीदे तो उस पर अन्य लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती है । महत्वपूर्ण बात यह है ।

मैं समझता हूं कि यह बहुत स्पष्ट ब्यान है । इस ब्यान में यह कहा गया है कि भारत को पाकिस्तान के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम अपने क्षेत्र को युद्ध का मैदान बनने से रोकने के लिए सभी संभव उपायों का पता लगा सकें । इस विषय के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी बयान हैं जो मेरे ख्याल से नोट किए जाने चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि अब क्या जरूरी है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह इस महत्वपूर्ण नीति निर्णय को सबल बनाने के लिए क्या करने जा रहे हैं ।

ऐसे भी अवसर आये हैं जब दोनों ओर से की गई टिप्पणियों से सम्बन्ध बिगड़े हैं । मुझे याद है कि साम्प्रदायिक दंगों के दौरान श्रीमती गान्धी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक को एक पत्र लिखा था । उस पत्र के उद्धरण 'दि इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित हुए थे । यह एक निश्चयात्मक पत्र दिखायी देता था । किन्तु जो उद्धरण यहां प्रकाशित नहीं हुए थे परन्तु पाकिस्तानी समाचार पत्रों से प्रकाशित हुए थे, वे मेरे ख्याल से कुछ उत्तेजक थे । हमें ऐसे स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए थी । अतः मैं समझता हूं कि इसी तरह के ऊपर के ब्यानों तथा भारत में मुसलमानों की स्थिति चिन्तित करने वाले व्यंगचित्र अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक नहीं हैं । अतः प्रश्न यह है कि जब वह बातचीत के बारे में बात करते हैं तो उस समय वह ठोस रूप से क्या सोचते हैं ? शायद माननीय मंत्री ने आज का समाचारपत्र तो देखा ही होगा जिसमें वाशिंगटन पोस्ट के साथ श्री आगा शाही के साथ हुए साक्षात्कार को प्रकाशित किया गया है जिसमें उन्हों स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान अमरीका की कठपुतली बनने के सिलसिले में बहुत सतर्क है । यह बात तो सच ही है कि श्री जिया-उल-हक ने एक बार पहले

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

20 करोड़ डालर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था चाहे उसके कुछ ही कारण रहे हों। उन्होंने यह नहीं कहा था कि मुझे 20 करोड़ डालर या उससे भी अधिक धनराशि दीजिए। उनका वह उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा था "यह प्रलोभन है। मैं इसे नहीं चाहता।" हमें इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था या नहीं। (व्यवधान) यह सही है। पाकिस्तान सरकार ने पहले अमरीकी सहायता को किसी न किसी आधार पर अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने न तो सहायता ली और न ही अधिक की मांग की। इस से, मेरे विचार से, एक निश्चित वातावरण बन गया। आज के समाचारपत्र में लिखा है कि श्री आगा शाही ने वाशिंगटन पोस्ट में एक साक्षात्कार में कहा है, "हम अमरीका के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते। हम गुटनिरपेक्ष रहना चाहते हैं।" ये कुछ निश्चित संकेत हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। वह इस बारे में पाकिस्तान के साथ क्या ठोस बात करने जा रहे हैं। क्या वह इस मामले के संबंध में पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे।

कई बार यह प्रस्ताव किया गया है कि नेपाल, बंगला देश, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत के प्रधान मंत्रियों, विदेश सचिवों, विदेश मंत्रियों आदि का एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन बुलाया जाए। ये देश इकट्ठे हों। मैं उन कठोर शब्दों का तो प्रयोग नहीं करूंगा जिनका प्रयोग श्री डागा ने हमारे लिए किया था। फ्रांस और जर्मनी हजारों वर्षों तक एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे। अब वे इकट्ठे हो गये हैं। उन्होंने एक साझा बाजार बनाया है तथा दोनों प्रगति कर रहे हैं। क्योंकि वे पहले लड़ते रहे। इसका यह मतलब नहीं कि हम यह सोच लें कि भविष्य में हम लड़ने जा रहे हैं। यह नेतृत्व का प्रश्न है। यह राजनीति में नेतृत्व का प्रश्न है। मैं जानना चाहूंगा कि उनकी इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है? क्या वे क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं? यह सारा क्षेत्र अन्तर्ग्रस्त है और इसलिए इन सभी लोगों को आना चाहिये और शिखर सम्मेलन में भाग लेना चाहिये। यदि अमरीकी आते हैं और रूसी लोग वहां पहले ही मौजूद हैं तो यह तनाव इन सभी देशों को प्रभावित करेगा। इसलिये भारत और पाकिस्तान के बीच एक अधिक बड़ा दृष्टिकोण अपनाना होगा।

श्री जिया-उल-हक कहते हैं "मेरी सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता है"। वह इससे इन्कार नहीं करते। मुझे इसकी खुशी है। यह एक सही कथन है। परन्तु उन्हें कितनी सुरक्षा चाहिए इस बात पर चर्चा करनी होगी। वह कहते हैं "मैं इस बात पर भारत से चर्चा करने में लिए तैयार हूं।" वास्तव में वे दोनों देशों के सेना-कमांडरों के साथ चर्चा करने के लिये राजी थे। मैं सेनाओं के अनुपातों पर चर्चा करने के पक्ष में नहीं हूं। यह एक बेहूदा बात है। परन्तु इस उपमहाद्वीप में सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं क्या हैं इस पर किसी मंच पर, संभवतः रक्षा मंत्रियों के बीच अथवा कमांडर-इन-चीफ के बीच, चर्चा की जानी चाहिये। इस पर चर्चा अवश्य की जानी चाहिये ताकि एक दूसरे के प्रति संदेह दूर हो सकें।

आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग यह सोच रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा के

लिये रूस और अमरीका से हथियार मिल रहें हैं ? उनका विचार है कि हम यह हथियार उन पर हमला करने के लिये और उनका विघटन करने के लिये ले रहे हैं और हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि पाकिस्तान में आज स्थिति पिछले दस वर्ष पहले की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। हम पाकिस्तान से दस गुना बड़े हैं और पाकिस्तान एक बफर राज्य है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 85000 रूसी सैनिकों और हमारे बीच बैठा है। यदि पाकिस्तान मजबूत है और स्थिर है तो हमारे लिये अच्छा है। हम लाहौर में रूसी सैनिकों को नहीं चाहते। मैं जानता हूं कि श्री शास्त्री इस बात पर ध्यान देगें परन्तु बाकी देश इस पर आपत्ति करेगा। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप अपने लिये ही बोलिये। दूसरे की बात मत कहिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप इस बात पर आपत्ति करते हैं तो आपकी तरफ भी इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित खलबली है। (व्यवधान) अत: पाकिस्तान एक बफर राज्य है। यह किसी भी विदेश नीति और रक्षा नीति का मूलभूत सिद्धान्त है कि आपको बफर राज्य को मजबूत करना चाहिये। हमें अपने पूर्वग्रहों को त्यागना होगा और पाकिस्तान की स्थिति को इस नजरिये से देखना होगा। हम जानते हैं कि किस तरह हमने तिब्बत को खो दिया था और आप जानते हैं कि आज हमें किस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये अन्त में मैं यह कहूंगा कि मंत्री महोदय को हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि वे क्या करने जा रहे हैं और मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि यह याद रखना जरूरी है कि अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की निरन्तर उपस्थिति के कारण अमरीका को संभवत: एक बहाना मिल गया है। सोवियत संघ ने शक्ति संतुलन में अपनी एक तरफा कार्यवाही के कारण परिवर्तन कर किया है और न जाने किसके कहने पर उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया है। इसके कारण अमरीका को एक बहाना मिल गया है (व्यवधान) इसलिये आपको सोवियत संघ से कहना चाहिये : "आपने हमारे लिये यह समस्या पैदा कर दी है। अब अमरीका को भी यहां आने का बहाना मिल गया है। आपको जल्दी से जल्दी यहां से हट जाना चाहिये।" आपको यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : हमारे मित्र ने उन्हें "वाइस आफ अमरीका" कहा है। यह गलत है। "वाइस आफ पाकिस्तान" कहना चाहिये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने डा० स्वामी की उदारता को नोट कर लिया है परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा कथन भी ठीक है। उन्होंने मेरे कथन की जो व्याख्या की है उसकी आवश्यकता नहीं है और इसलिये मैं उसे स्वीकार नहीं करता।

उन्होंने कहा है कि एक बड़ी शक्ति को दूसरी बड़ी शक्ति के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात उन्होंने उठायी है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस पर विचार करने का अवसर बाद में आयेगा परन्तु मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि वे भारत और पाकिस्तान को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह उचित है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने यह कहा है कि हम उनसे दस गुना बड़े हैं।

श्री वी० पी० नरसिंह राव : उनके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि वे भारत को पाकिस्तान के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह बात सही नहीं है तो मुझे इसकी खुशी है। परन्तु उनकी टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि वे ऐसा कर रहे हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर रहे तो इसका अर्थ यह है कि वे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसका अर्थ कुछ और है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने कहा "हम दस गुना बड़े हैं।" अब आप एक वकील की तरह बहस कर रहे हैं, एक विदेश मंत्री की तरह नहीं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं तो उनकी टिप्पणियों को उनके सही अर्थों में समझने की कोशिश कर रहा हूं।

उन्होंने केवल एक बात उठायी है, अर्थात् क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के बारे में। सभा को मालूम है कि एक प्रस्ताव था कि आर्थिक और अन्य मामलों में इस क्षेत्र के बीच एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाये और पारस्परिक सहयोग के लिये कोई रास्ता निकाला जाये। यह प्रस्ताव सभी सम्बन्धित देशों के पास भेजा गया था। इसकी शुरूआत बंगला देश से हुई थी और हमने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया था। मुझे बताया गया है कि अन्य देशों ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। हमने कहा है कि बिना किसी तैयारी के अथवा इस बात की जांच किये बिना कि वे क्या फैसले करेंगे, राज्य में प्रमुखों अथवा सरकार के प्रमुखों की एक बैठक बुलाने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे विश्व में और विशेष रूप से इस क्षेत्र में लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जायेंगी। यदि परिणाम उन महत्वाकांक्षाओं अथवा अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुए तो इससे नुकसान होगा। हमने उन्हें यही बात बतायी है। हमने बंगला देश की सरकार द्वारा भेजे गये पत्र पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और अब यह प्रस्ताव है कि एक शिखर सम्मेलन के बजाय हम विदेश सचिवों की एक प्रारंभिक बैठक बुलायेंगे। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है। परन्तु साथ ही हम इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं कि द्विपक्षीय स्तर पर हल किये जाने वाले मामलों को क्षेत्रीय मामले बनाना संभव नहीं है। इसलिये हमें यह जानने के लिये कि मामले क्या हैं और केवल क्षेत्रीय मामलों का ही पता लगाने के लिये बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमें यह काम सबसे पहले करना होगा। हम इसमें लगे हुए हैं। यद्यपि माननीय सदस्य द्वारा उठायी गई बात के लिये यह जानकारी देना जरूरी नहीं है, फिर भी यह जानकारी मैं अपनी ओर से ही दे रहा हूं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मौजूरम स्पीकर साहब, पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के मामले में पार्लियामैंट में आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पास्ट में इस सिलसिले में इस हाउस में मुतदिद बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बहस के बाद नतीजा क्या निकलता है, वही जो आज की बहस के बाद निकलेगा, इसका मुझे यकीन है। लेकिन अगर हम तारीख को देखें तो हमें मालूम होगा, जैसा शास्त्री जी ने कहा था, कि

पाकिस्तान को अमरीका ने हथियार सप्लाई किये हैं, माजी में, और वह हथियार हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमरीका हमेशा यह कहता रहा है कि ये हथियार इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन 1965 से 1971 के दौरान यह हथियार सप्लाई हुए, इस पर बहस हुई, बयानात आये, इसके बाद 1971 में बंगला देश बना, उसके बाद जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो तवक्को हुई थी कि हालात इन मुतालिक़ में नार्मल होंगे, हम एक-दूसरे के करीब आयेंगे, लेकिन न्यूक्लीयर बम, इस्लामिक बम की एक स्कीम बन गई और एक खतरा बराबर हमारे सिर पर मंडराता रहा।

मैं अपने फारेन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि 1971 से 1976 तक अखबारों में और हमारे नेताओं की तकरीरों में भी पाकिस्तान का खतरा हमें दिखाया जाता रहा और आर्म्स की सप्लाई होती रही ? लेकिन 3 साल के जनता और लोकदल का जो दौर गुजरा, इसमें पाकिस्तान को आर्म्स कीस प्लाई उतनी नहीं हुई जितनी कि अमरीका से उससे पहले हुई थी और अब फिर शुरू हुई है। इतनी एक दूसरे से दूरी नहीं रही इन तीन साल में जितनी सन् 1977 से पहले रही हैं और जितनी आज हम महसूस कर रहे हैं।

बहुत से लोग यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों का पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ ताल्लुक खराब होने पर फर्क पड़ता है, मैं इसको नहीं मानता हूं। चाहे पाकिस्तान हो या दूसरा मुल्क हो, जब हमारे मुल्क के मफाद का सवाल आयेगा तो हम सब एक हैं और मैं इसमें शर्म महसूस ही करता हूं कि अगर हमारी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ या दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी बात हो रही है, जिसको हम अपने मुल्क के इन्टरेस्ट में नहीं समझते तो उसको हम बेखौफ होकर न कहें।

अभी स्वामी जी ने शायद इस तरफ इशारा किया था कि मुसलमानों पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, हमारी बेसिक जो जिम्मेदारी है वह अपने मुल्क के मफाद की है।

अभी होम मिनिस्टर ने कहा कि हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। मैं उनसे यह भी मालूम करना चाहता हूं कि वह पाकिस्तान को कितना मजबूत देखना चाहते हैं ? क्या इतना मज़बूत देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें शिकस्त दे दे ? वह हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हों ? या इतना मज़बूत देखना चाहते हैं कि.....

अध्यक्ष महोदय : स्टेबल कहा है।

विदेश मन्त्री : स्टेबल कहा था।

श्री रशीद मसूद : वह तो सही है। मेरा मतलब यह है कि यह बात सही है कि हमें पाकिस्तान को महफूज देखने में हमारी अपनी भी इफाज़त है। आपने जो देखा है, अमरीका

[श्री रशीद मसूद]

ने वायदा किया है, आज के अखबारों में भी है कि 500 मिलियन डालर, इसकी बैक ग्राउन्ड में हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ अखबारों में देखकर ही नहीं, बल्कि यह देखना चाहिए कि यह एड क्यों दी जा रही है और जिस तरह से यह एड दी जा रही है, उस सिलसिले में हमारा रोल क्या रहा है ?

आपने देखा है कि अफ़गानिस्तान में 80,000 सिपाही रूस के हैं और पाकिस्तान के बार्डर पर भी हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को अपनी हिफाज़त की जरूरत है। आप उसे महफूज़ देखना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी हिफ़ाज़त की गारण्टी नहीं देते। या तो आप गारण्टी दें कि हम आपकी हिफ़ाज़त करेंगे किसी के भी खिलाफ़। आप गारण्टी नहीं देते, तो हर मुल्क का यह का फ़र्ज़ है कि वह अपनी हिफाज़त के लिए कहीं न कहीं से कोई हथियार ले। अगर वह अमरीका से हथियार लेता है, तो आप अमरीका की ही बात क्यों करते हैं ? आप रूस की भी बात करें। रूस से भी उसका तहफ्फुज़ हो। यह एक प्राइमरी क्वेश्चन है। सवाल यह है कि हमारी हिफ़ाज़त हो। 1971 में जब बंगलादेश बना, तो हमारी फ़ौजें किस बजह से बंगलादेश बनाने के लिए गई थीं ?

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : पाकिस्तान को जो हथियार मिल रहे हैं, वह ठीक हो रहा है, क्या आप यही कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : जब तक उसकी हिफाज़त नहीं करते हैं, तब तक ठीक हो रहा है। उसकी हिफ़ाज़त की जानी चाहिए। पूरा सुना कीजिए।

1971 में जब हमने बंगलादेश में अपनी फ़ौजें भेजी थीं, तो उस वक्त इस लिए भेजी थीं कि हमारे ऊपर दो करोड़ आदमियों का भार पड़ गया था, यहां पर बंगलादेश की गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बन गई थी और बंगलादेश की उस गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : पश्चिम में हम पर हमला हुआ था, तब हम वहां गये थे।

श्री रशीद मसूद : हमें उसकी गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था और हम दो करोड़ आदमियों को खाना खिला रहे थे। आज बिल्कुल वही पोजीशन पाकिस्तान में हो रही है। अबसे तीन चार महीने पहले 70,000 रैफ़्यूजीज़ अफ़गानिस्तान से भाग कर पाकिस्तान में आ गये थे। मैं एक हाइपाथेटिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हू। अगर ऐसी सूरत में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देता है, और यकीनी तौर पर रूस उसकी मदद करेगा, और रूस आगे बढ़कर लाहौर तक उस पर कब्जा कर लेता है, और पाकिस्तान से भाग कर दो करोड़ आदमी हिन्दुस्तान में आ जायें, तो क्या उस सूरत में आप पाकिस्तान को लिबरेट करायेंगे, जिस तरह कि बंगलादेश को लिबरेट कराया था ? जब हम यह नहीं करेंगे, तो हमें पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की गारंटी देनी होगी।

इस लिए मेरी दरख्वास्त है कि आप पाकिस्तान से नो वार पैक्ट की बात कीजिए, ताकि वे हथियार हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल न हों, और यह देखिए कि दुनिया में कोई भी बड़ी ताकत किसी भी मुल्क पर कब्जा न कर सके और सब मुल्क महफूज रहें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जनाबे आली, मैं कह चुका हूं कि हमें इस बात का पूरा-पूरा एहसास है कि पाकिस्तान की अपने तहफ्फुज की जरूरियात हैं, और उनका जो तसव्वुर है, उससे हम शायद मुतिफ़िक न हों, लेकिन.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप सरल हिन्दी में नहीं बोल सकते ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : चूंकि वह उर्दू में बोले हैं, मैंने भी उर्दू में बोलना आरम्भ कर दिया।

हमें इसका पूरा-पूरा एहसास है कि पाकिस्तान भी महफूज रहे। मैं इससे पहले कह चुका हूं कि हिफ़ाज़त का यह मतलब नहीं है कि किसी मुल्क को हथियारों से इतना लाद दिया जाए कि हिफ़ाज़त के बजाए उसको खतरा बढ़ जाए। यह बात वहां के लीडर भी कह चुके हैं।

अब रही बात नो बार पैक्ट की। यह तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। इसका जवाब उधर से मिला है कि हमारा जो शिमला समझौता है, वह नो बार पैक्ट है। हाल में भी आगा शाही साहब ने यही कहा। कल परसों की बात है कि उन्होंने फिर से यह कहा कि नो बार पैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट ही नो वार पैक्ट है। तो आज हम उनपर कोई नो बार पैक्ट लाद तो नहीं सकते। अगर वे समझते हैं कि शिमला एग्रीमेंट ही नो बार पैक्ट हैं, तो हम भी वही समझने के लिए तैयार है, और उसी के तहत हमारी दोस्ती को आगें बढ़ाने के लिए मजबूत करने के लिए तैयार हैं।

श्री रशीद मसूद : क्या आप गारंटी नहीं दे सकते हें ? (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरी समझ में नहीं आता कि आनरेबल मेम्बर पाकिस्तान की तरफ से वकालत कर रहे हैं या.....(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब आप एक मन्त्री की तरह नहीं बल्कि वकील की तरह बात कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कौन किसकी गारंटी मांग रहा है।

कौन किस को गारंटी दे सकता है और किस को देना चाहिए, किन हालात में देना चाहिए किस कान्टेक्स्ट में देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए ये क्या ऐसी बातें हैं कि अभी सवाल उठाया गया और मैं कह दूं कि मैं गारन्टी देता हूं ऐसा कभी हो सकता है ?

———

सदस्य की रिहाई

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे द्वितीय श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नागपट्टिनम का दिनांक 23 मार्च, 1981 का निम्नलिखित तार 25 मार्च, 1981 को प्राप्त हुआ है :—

"मुझे आपको सूचित करना है कि श्री तजाई एम० करुणानिधि, सदस्य लोक सभा को, जिन्हें अग्नि शमन से संबधित अधिकारी द्वारा वैधानिक रूप से लागू किए गए आदेशों का उलंघन करने, जिससे लोगों का जीवन उस वस्तु के जलाने पर खतरे में न पड़े, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 143/188/285 और तमिलनाडु सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दंडनीय है, का उल्लंघन करने वाली अवैध रूप से इकठ्ठा भीड़ का अंग होने पर गिरफ्तार किया गया था, 23 मार्च, 1981 को रिहा कर दिया गया है क्योंकि पुलिस ने नागपट्टिनम पुलिस थाने के सी० आर० 89/81 में दर्ज मामले की केस डायरी फाइल पेश नहीं की और न ही वे रिमाण्ड की अवधि बढ़ाने के संबंध में न्यायालय को सन्तुष्ट कर सके।"

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 25 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।)

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 29 मिनट पर पुनः समवेत हुई)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति के गठन के बारे में वक्तव्य

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण की स्मृति को बनाए रखने तथा ऐसे कार्यकलापों का एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए जिससे उनके जीवन और कार्यों को और अधिक अच्छी तरह से समझा जा सके, भारत सरकार ने भारत के प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति गठित करने का निर्णय किया है। समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे :—

1. गृह मन्त्री
2. शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री
3. योजना तथा श्रम मन्त्री
4. बिहार के मुख्य मन्त्री

5. जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री
6. महाराष्ट्र के राज्यपाल
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष
8. श्री बी० डी० जत्ती
9. श्री राजेश्वर प्रसाद
10. श्री अच्युत पटवर्धन
11. श्री यशवन्त राव चव्हाण
12. श्री चन्द्र शेखर
13. प्रो० मधु दण्डवते
14. श्री नवल टाटा
15. डा० शान्ति लाल मेहता

नियम 377 के अधीन मामले में

(एक) बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : नियम 377 के अधीन में एक वतव्य दे रहा हूं।

यह सरकार का घोषित उद्देश्य के कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए। सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात को दी जानी चाहिए कि विषमताओं का मुकाबला करने और निरक्षरता को दूर करने के लिए सब स्तरों पर शिक्षा का प्रसार किया जाए, क्योंकि विषमता और निरक्षरता ही क्षेत्रों के के पिछड़ेपन लिए जिम्मेदार हैं। परन्तु होता यह है कि विकसित क्षेत्रों को अधिक सुविधायें दी जाती हैं और पिछड़े क्षेत्रों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। बिहार का एक ऐसा ही मामला है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि बिहार सरकार, वहां के बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा पटना विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने की बार-बार मांग किए जाने पर भी केन्द्रीय सरकार ने इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय देश के सब से पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और इसे सौभाग्य प्राप्त है कि इसके शिक्षक बहुत अधिक प्रशिक्षित हैं, इस का पुस्तकालय बहुत बड़ा है और इसकी प्रयोगशालायें आधुनिकतम हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पटना के शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और छात्रों ने एक यह देश का दूसरा सब से घनी आबादी वाला राज्य है और इस में देश में सब से अधिक खनिज भंडार हैं। विभिन्न करों के माध्यम से राष्ट्रीय राजस्व में इस का बहुत बड़ा योगदान है।

[प्रो० के० के० तिवारी]

बिहार के आकार, इसकी सम्भाव्यताओं और पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, जो कि राज्य के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में काम कर सके। यह विशेषकर इस लिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे पड़ौसी देशों में पहले ही ऐसे विश्व-विद्यालय मौजूद है सयुक्त संघर्ष समिति बनाई है और वे इस बात के लिए आन्दोलन कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार बहुत समय से चली आ रही उनकी इस मांग को स्वीकार करे।

बिहार के साथ जो नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन सुविख्यात विश्वविद्यालयों का स्थान रहा है और सत्य और उच्च शिक्षा के जिज्ञासु न केवल देश के विभिन्न भागों से बल्कि विश्व के विभिन्न देशों से आते रहे हैं के साथ पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए और उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह बिहार के लोगों की इस मांग को तुरन्त स्वीकार करें।

(दो) छूट वापस किये जाने के कारण तामिलनाडू में हथकरघा उद्योग में संकट

श्री एम० एस० के० सत्येन्द्रन (रामनाथपुरम) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं। इस समय तमिलनाडु का हथकरघा उद्योग सहकारी क्षेत्र में भंडार जमा होने के कारण अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। अब हथकरघा कपड़े की बिक्री पर इस शर्त पर छूट दी जाती है कि एक समय रेशमी तथा सूती कपड़ों की बिक्री 500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रतिबन्ध के कारण जो उपभोक्ता 500 से अधिक का कपड़ा खरीदना चाहते हैं वे 20 प्रतिशत छूट का फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है। इसका प्रभाव मध्यम आय समूह पर जैसे अराजपत्रित कर्मचारी तथा कृषक जो शादी के उत्सवों तथा अवसरों पर बड़े पैमाने पर हथकरघा कपड़ा, विशेषकर रेशम के कपड़े खरीदकर उत्सव मनाते हैं बुरा प्रभाव पड़ता है तमिलनाडु में हथकरघा उद्योग के विकास का मुख्य कारण पिछले 30 वर्षों से थोक बिक्री पर छूट है। इस थोक बिक्री के द्वारा प्रारंभिक सहकारी समितियां बुनकरों को लगातार रोजगार देने की स्थिति में थी। इसे बन्द कर दिये जाने के कारण भारी मात्रा में भंडार जमा हो गये हैं और इस जमाव के कारण गरीब बुनकरों की हालत खराब हो गई है।

तमिलनाडु में अधिकांश सहकारी समितियां के पास अपने बिक्री डिपु नहीं है और वे अपने हितों की रक्षा के लिए को-ओपटेक्स पर निर्भर करते हैं। सीमित छूट की नीति से हथकरघा उद्योग में रोजगार की स्थिति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। सहकारिता में नियोजित हथकरघा बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर बनाये रखने की नैतिक तथा सामाजिक जिम्मेदारी सहकारिता क्षेत्र की है। जब तक थोक बिक्री पर छूट नहीं दी जाती सहकारी क्षेत्र में उद्योग की प्रतियोगिता स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। छूट पर प्रतिबन्ध से सहकारिता के प्रसार कार्यक्रम पर भी बुरा असर पड़ेगा। देश में तामिलनाडु में भारी संख्या में करघा बुनकर हैं और तमिलनाडु के रामनाथपुरम में उनकी संख्या सबसे अधिक है। भंडार के जमाव के कारण बुनकरों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे छूट पर प्रतिबन्ध को समाप्त करके गरीब बुनकरों की शिकायतों को दूर करने का कष्ट करें। यदि पूरे वर्ष बिना किसी प्रतिबन्ध के छूट की अनुमति रहेगी तो इससे मध्यम वर्ग के लोग फायदा उठा सकते हैं और पूरा फायदा वास्तविक बुनकरों को पहुंचेगा।

बुनकरों को लगातार तथा पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं पुनः वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हथकरघा कपड़े पर बिना किसी प्रतिबन्ध के छूट की अनुमति दें और हथकरघा उद्योग तथा गरीब बुनकरों को संकट से उबारें।

(तीन) सिरपुर-खगाजनगर को हैदराबाद से जोड़ने वाली रेलगाड़ी की आवश्यकता

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के ओद्योगिक रूप से सबसे विकसित ग्रामीण क्षेत्र सिरपुर-खगाजनगर बरास्ता बेलामपेली बरास्ता मनचेरियत बरास्ता रामगुडम पेडापेली तक है। यह सिरपुर-खगाजनगर से पेडापेली तक लगभग 100 किलोमीटर लम्बा है और आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद और करीम नगर जिलों में पड़ता है। और दक्षिण मध्य रेलवे के काजीपेट बलहर्ष सेक्शन की मुख्य ट्रंक लाईन पर स्थित है।

इस क्षेत्र में प्रमुख विद्यमान तथा निर्माणाधीन उद्योग निम्नलिखित हैं।—

(1) सिरपुर पेपर मिल (2) सिर-सिल्क फेक्ट्री (3) सिंगरेनी कोयलरी (एक डिवीजन) (4) तीन सीमेंट कारखाने (5) एक कताई मिल (9) एल० टी० मी० प्लांट (कोयला क्षेत्र) (7) ताप बिजली घर (ए० पी० एस० ई० बी०) (8) उर्वरक संयंत्र (भारतीय उर्वरक निगम) और (9) सुपर थर्मल प्लांट तथा एक सौ से अधिक लघु उद्योग। इस क्षेत्र में स्थित सभी उद्योगों का कुल पूंजी निवेश लगभग 1050 करोड़ रुपये है और इन कारखानों में लगभग 4 लाख व्यक्ति नियुक्त हैं।

अब इस क्षेत्र के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। यद्यपि यह क्षेत्र मुख्य लाईन पर स्थित है लेकिन दुर्भाग्यवश यह क्षेत्र राज्य की राजधानी हैदराबाद से सीधे रेल द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। स्थानीय विधायकों, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों द्वारा अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद दक्षिण मध्य रेलवे के प्राधिकारियों ने इस क्षेत्र को हैदराबाद से जोड़ने की व्यवस्था नहीं की है।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर अविलम्ब विचार करें और एक यात्री गाड़ी की व्यवस्था करें जो सिरपुर-खगाजनगर से हैदराबाद को जोड़े। यदि यह कर सकना अविलम्ब संभव नहीं है तो मेरा विचार है कि काकातीया एक्सप्रेस को, जो इस समय वारंगल से हैदराबाद तक चलती है, बढ़ाकर सिरपुर-खगाजनगर तक कर किया जाये।

(चार) एक हजार रुपये के उत्पादन कार्य पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने के कारण राजस्थान में लघु उद्योगों को कठिनाई

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मड) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने लघु उद्योगो पर उत्पाद-शुल्क की छूट देने की कृपा की है जिनकी पूंजी 30,00,000 रुपये से कम है लेकिन दूसरी ओर सरकार एक हजार रुपये के मूल्य के काम पर उत्पाद-शुल्क लगा रही है। यह अप्रत्यक्ष रूप से लघु यूनिटों को नकारात्मक छूट है। राजस्थान से मकराना मारवाड़, पाली, बलोत्रा, तथा देश के अन्य भागों में स्थित लघु उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनके बन्द हो जाने की संभावना हैं जिसके फलस्वरूप मजदूरों में काफी बेरोजगारी फ़ैलेगी और 31-3-1981 से लघु उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है अतः माननीय मंत्री महोदय अविलम्ब इस बात की जांच करें और मजदूरों में असंतोष, बेरोज़गारी तथा छोटों उद्योगों को बन्द होने देने से रोकने के लिए अविलम्ब कदम उठायें।

(पांच) जयपुर में उचित दर की दुकानों पर गेहूं, चीनी और चावल की कमी

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अब उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीनों से जयपुर के निवासी भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गेहूं, चीनी तथा चावल का कोटा उचित दर की दुकानों से नहीं मिल रहा है। परिणामस्वरूप, उन्हें खुले बाजार से ऊंची दर पर सामान खरीदना पड़ रहा है। इससे समाज के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब वर्ग के लोग जो दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमाते हैं, प्रभावित हुए हैं। एक सप्ताह में जो व्यक्ति इन वस्तुओं की सप्लाई नहीं ले पाते उन्हें उनकी सप्लाई बाद वाले सप्ताह में नहीं की जाती। लोगों में ऐसी भावना बढ़ रही है कि इन वस्तुओं को काले बाजार में गुप्त तरीके से भेजा जा रहा है। दुकानदारों के अनुसार, उन्हें भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अपनी सप्लाई का कोटा किश्तों में लेने बारबार जाना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ढुलाई पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और इससे उन्हें तथा उपभोक्ताओं, दोनों को असुविधा होती है। केन्द्र द्वारा चीनी के कोटे में कमी किये जाने की संभावना है। मिट्टी के तेल की भी उतनी ही कमी है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि —

(1) उचित दर की दुकानों के लिए निर्धारित वस्तुओं की सप्लाई भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को नियमित ढंग से करनी चाहिए।

(2) कार्डधारियों द्वारा न ली गई सप्लाई समाप्त नहीं होनी चाहिए तथा दुकानदारों को यह अनुमति होनी चाहिए कि वे कार्डधारियों को पिछला बकाया वितरित कर दें।

(3) केन्द्रीय सरकार को राजस्थान के लिए चीनी की सप्लाई में कमी नहीं करनी चाहिये और एक प्रेस वक्तव्य जारी करके जयपुर के लोगों में इस बारे में व्याप्त आशंका को दूर करना चाहिए। मुझे आशा तथा विश्वास है कि इस बारे में सरकार तुरन्त कार्यवाही करेगी।

(छः) बर्दवान-आसनसोल सैक्शन में उपनगरीय रेल सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : श्रीमन्, दुर्गापुर-आसनसोल औद्योगिक समूह के विकास से यात्रियों का आना जाना बढ़ गया है। अन्य यात्रियों के बजाय बर्दवान-आसनसोल क्षेत्र में हजारों कर्मचारी, रोजाना कारखानों और दफ्तरों अपने काम पर आते-जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के कार्य का समय एक नहीं है और अधिकतर कर्मचारियों को पालियों में काम करना पड़ता है।

पश्चिम बंगाल के लोगों की लम्बे समय से यह मांग है कि उप-नगरीय सुविधाओं को बर्दवान-आसनसोल तक बढ़ाया और ई० एम० यू० डिब्बे चलाए जाएं तथा नपनगरीय क्षेत्र आसनसोल तक बढ़ाया जाए।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बर्दवान आसनसोल क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करें।

मैं चाहता हूं कि संबंधित मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी दें।

(सात) खड़गपुर, दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेल भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के उपाय

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : खड़गपुर, दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेल भूमि पर अनिधकार कब्जा लम्बे समय से चला आ रहा है और उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डिब्बे तोड़कर माल चुराने और चोरी की गई रेल सम्पत्ति खरीदने वाले लोगों ने रेलवे की बहुत सी भूमि पर कब्जा कर लिया है और उसी स्थान से, चुराई गई रेल सम्पत्ति का व्यापार करते हैं। अन्य अनधिकृत लोग भी रेल की भूमि पर, विशेष कर बड़े रेल बाजार के पास, कब्जा करने जा रहे हैं। स्थानीय रेलवे अधिकारियों तथा महा प्रबन्धक का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया गया है। परन्तु इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अनधिकृत कब्जा धारी खुले घूम रहे हैं। यह सब जानते हैं कि ये अनधिकृत कब्जाधारी विशेषकर डिब्बे तोड़ कर चोरी करने वाले और चोरी की रेल सम्पत्ति खरीनने वाले हैं तथा उन्हें रेलवे सुरक्षा राज्य की पुलिस और रेल अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। मैं रेल मन्त्री का ध्यान इस दिशा में कारगर और तुरन्त कार्रवाई करने के लिए खींचना चाहता हूं अन्यथा खड़गपुर रेलवे कालोनी अनधिकृत कब्जाधारियों की कालोनी बन कर रह जाएगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब नियम 377 के अधीन वक्तव्य दिये जायें तो संसदीय कार्य मन्त्री या सम्बन्धित मन्त्री को सभा में मौजूद होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सूचना और प्रसारण मन्त्री मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री आते ही होंगे।

(आठ) नागालैंड राज्य में कृषि कालेज के कार्यकरण में सुधार करने के उपाय

श्री चिगंवांग कोनयक (नागालैंड) : नागालैंड में कृषि का विकास योजनाबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक आधार पर नहीं हो पाया है। राज्य में कृषि कालेज मिडजीफिमा ही केवल एकमात्र संस्थान है, जहां राज्य और पड़ौसी क्षेत्रों के कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के अधीन है। इस कालेज को बड़ी आशाओं के साथ स्थापित किया गया था। नागालैंड के लोगों को इस से बड़ी-बड़ी आशायें थी। यह आशा की जाती थी कि इस कालेज की स्थापना से नागालैंड और समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों की चिर प्रतिक्षित अभिलाषायें पूरी होंगी और इससे खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होगा। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कृषि विश्वविद्यालय राज्य की आवश्यकतायें पूरी नहीं कर पाया है। इस के समक्ष अनेक कठिनाइयां हैं। कालेज में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं। कालेज के अनेक विभागों में शिक्षक नहीं है। विस्तार, समाजविज्ञान, सांख्यकी तथा कई अन्य विभागों में शिक्षक नहीं हैं। अध्यापकों के न होने से छात्रों की पढ़ाई पर कुप्रभाव पड़ रहा है। होस्टल की दयनीय स्थिति है। कालेज के पास कोई भूमि नहीं है। इससे भारी रुकावट पेश आ रही है, क्योंकि छात्र प्रयोगात्मक कार्य या व्यवहारिक कार्य नहीं कर पाते। बिजली और पानी की सप्लाई संतोषजनक नहीं है तथा इस से भी प्रयोगात्मक कार्य में रुकावट पेश आ रही है। केवल एक ट्रैक्टर है, अध्यापक उपकरणों की कमी है तथा अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं है। इस से छात्रों में निराशा और असन्तोष व्याप्त हो गया है। अधिकारी सस्थान की आवश्यकताओं के प्रति सजग नहीं हैं। छात्रों द्वारा आये दिन हड़तालें की जाती रहती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस कालेज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या किसी कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के बारे में विचार किया जाये। मैं मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि नये स्थान पर कार्य पूरा करने और वहां तक सड़क बनाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये। नागालैंड के लोगों में नई चेतना जागृत हो रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि नागालैंड में कृषि के विकास की आवश्यकता को समझा जाये।

नागालैंड और देश के अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि के विकास के हित में यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इस कालेज के कार्यों की जांच करे और इसे वित्तीय सहायता दे, ताकि कृषि वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण में सुधार किया जा सके जिस से नागालैंड और समीपवर्ती क्षेत्र में समुचित रूप से कृषि का विकास हो सके।

———

अनुदानों की मांगें—1981-82

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या-10—अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा।

अब सभा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 61 से 63 पर चर्चा होगी और फिर मतदान होगा। इस के लिए छः घण्टे का समय नियत किया गया है।

माननीय सदस्य, जिन के इन मांगों से संबंधित कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, यदि चाहें तो अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, वे कटौती प्रस्तावों को क्रम संख्या लिखकर पर्चियां 15 मिन्ट के अन्दर सभा पटल पर भेज दें। उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ समझा जायेगा।

थोड़ी देर बाद सूचना बोर्ड पर एक सूची लगा दी जायेगी, जिस में उन कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या उल्लिखित होगी, जिन्हें पेश किया गया समझा गया है। यदि किसी माननीय सदस्य को कोई त्रुटि दिखाई दे, तो वह तुरन्त इस ओर सभा पटल अधिकारी का ध्यान दिलाने की कृपा करें।

श्री रूप चन्दपाल। आपकी पार्टी को 25 मिनट का समय दिया गया है।

प्रो० रूप चन्दपाल (हुगली) उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यकारण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे ज्ञात नहीं कि आप को पता है या नहीं कि आजकल लोग 'आकाशवाणी' और 'दूरदर्शन' को 'देवीदर्शन' कहने लगे हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन लोगों के लोकतंत्रात्मक हितों को बढ़ावा देने में बुरी तरह विफल रहे हैं। इनके प्रयोग सत्ताधारी दल के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए पक्षपात पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। इस के कई उदाहरण हैं। यदि हम संसद की कार्यवाही के प्रसारण को विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि विपक्ष के दृष्टिकोणों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कुछ नेताओं ने हाल में यह विश्लेषण किया है कि सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों को कितना-कितना समय दिया जाता है तथा यह ज्ञात हुआ कि 20 प्रतिशत समय केवल प्रधान मन्त्री को दिया जाता है तथा इस बात का खण्डन भी नहीं किया गया है। हमें इस में कोई आपत्ति नहीं है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण, विकास कार्यों और सरकारी नीतियों के बारे में प्रधान मन्त्री के कथनों का प्रसारण किया जाये। परन्तु प्रधान मन्त्री के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी और एक दल की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी के भावों को प्रसारित करने में बहुत कम अन्तर है और इस अन्तर की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। हमें ज्ञात हुआ है कि विपक्ष को केवल 5

प्रतिशत या इस से भी कम समय दिया जाता है। इस समय देश में बहुत के गैर-कांग्रेस (इ०) सरकारें हैं। आप को ज्ञात होगा कि गैर-कांग्रेस (इ०) राज्य सरकारों और विपक्षी दलों को वल 2 प्रतिशत समय दिया जाता है। यही नहीं सरकार का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर पूर्ण नियंत्रण है और वह इन का प्रयोग अपने हितों के लिए कर रही है। कुछ दिन पहले माननीय उपमन्त्री ने कहा था कि आकाशवाणी एक सरकारी विभाग से अधिक कुछ नहीं है। 33 वर्षों के बाद भी हम यह बात सुन रहे कि यह सरकारी विभाग से अधिक कुछ नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता देने के लिए चर्चाएं होती रही हैं और मांग की जाती रही है। हमें याद है कि एक बार पंडित नेहरू से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि ये दो माध्यम, उस समय एक ही माध्यमर्थ, ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के समान होने चाहिये। परन्तु उन्होंने कहा था कि इस समय इस प्रकार की स्वयन्ता देने में कठिनाइयां हैं। इस के बाद चन्दा समिति गठित की गई और हम सब को उसकी सिफारिशों के बारे में जानकारी है। उन्हें कभी लागू नहीं किया गया। फिर वरगिश समिति गठित की गई। मुझे यह कहने में बड़ा दुःख हो रहा है कि जनता सरकार भी, जिस ने इस बारे में बड़े-बड़े वायदे किए थे, इस सम्बन्ध में बहुत कम काम कर पाई है। उसने यह कुछ तो किया था कि सत्ताधारी दल के कथन के बाद, सत्ताधारी दल के नेताओं के कथन के बाद विपक्ष के दृष्टिकोणों को भी प्रसारित किया जायेगा तथा चुनावों के दौरान ऐसा किया जायेगा। परन्तु इस से पूर्व की वे अपनी बात को पूरा करने, उनकी सरकार गिर गई।

हमें इन सब बातों की जानकारी है। इन सब पिछले 33 वर्षों में से 30 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा है और 30 वर्ष के बाद अब उपमन्त्री महोदय कह रहे हैं कि आकाशवाणी सरकारी विभाग से अधिक कुछ नहीं है।

अब यदि सरकार का नियत्रण ऐसे ही बना रहा तो भविष्य में क्या होगा ? आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता खोनी आरम्भ कर दी है और यदि लोग इसे "ऑल इंडिया रेडियो" की बजाय "ऑल इन्दिरा रेडियो" कहने लगे हैं, तो इस में उनकी कोई गलती नहीं है।

चूंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं केवल दो या तीन उदारहण ही देना चाहता हूं। 24 जनवरी को केरल के मुख्य मन्त्री आकाश बाणी पर भाषण करना चाहते थे। वह अपने राज्य के आकाशवाणी केन्द्र का प्रयोग करना चाहते थे। परन्तु आप सब जानते हैं कि उन के साथ क्या व्यवहार किया गया ? फिर अपनी कार्यवाही को छिपाने के लिए सरकार ने कई बात कही-कहा गया तकनीकी खराबी थी कुछ अधिकारियों ने उचित ढग से काम नहीं किया आदि-आदि तथा यह भी कहा गया कि यदि किसी अधिकारी को दल का दोषी पाया गया तो उस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। परन्तु यह कोई इतनी सरल बात नहीं थी, परन्तु वास्तविकता तो यह थी कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार ने जानबूझकर यह काम किया था। इस प्रकार गैर सरकारी सरकारों को अपनी सफलतायें आदि बताने से वंचित रखा जाता है। यदि कभी किसी विपक्षी दल के नेता की कोई बात आकाशवाणी या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित भी की जाती है, तो उसकी बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया

जाता है। उस में यह पता ही नहीं चलता कि वह लोगों को क्या कहना चाहते हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि विपक्ष के दृष्टिकोण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। मैं इस के दो या तीन उदाहरण दे सकता हूं।

मैं उसका उल्लेख करने में खुश नहीं हूं क्योंकि हमारे अपने सहयोगी श्री संजय गांधी का स्वर्गवास हो चुका है। किन्तु जब भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरी का और श्री सजय गांधी, जो हमारे एक सहयोगी थे, का निधन हुआ हालांकि श्री संजय गांधी की मृत्यु पर हमें गहरा दुख है—उस समय भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति को कितना समय दिया गया था? एक भारत के लोगो को यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि सारा समय श्री संजय गांधी के बारे में ही दिया गया। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। घटना का उल्लेख किया जाना चाहिए था किन्तु इस तरह नहीं कि...

श्री एम० एम० ए० मलिक खां (एटा) : डिप्टी स्पीकर साहब बड़े दुख की बात है कि जो इन्सान आज हमारे बीच में नहीं है हमारे दोस्त उसको रेफर कर रहे हैं। एक ह्यूमन कसीडरेशन है कि हमको भूल जाना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कम से कम बोलते वक्त कुछ तो इन्सानियत और भलमनसाहत का तकाजा रखिये। बहुत कुछ है कहने के लिए। क्या है यह?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पाल साहब, कोई भावनात्मक मामला उठाइए।

श्री एम० एम० ए० मलिक खां : जो आदमी हमारे बीच में नहीं है, कुछ तो भलमनसाहत होनी चाहिए, इन्सानियत का तकाजा है।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब बर्तमान बजट सत्र शुरू हुआ तो उसके पहले दिन एक मेला लगा। इसका प्रचार पहले किया गया था किन्तु उसके बारे में प्रतिपक्ष के दृष्टिकोण से अवगत नहीं कराया गया। स्थिति ऐसी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता सकता हूं कि श्री गिरी को सम्मान देने के लिए भारत सरकार की ओर से श्री जैल सिंह एक विशेष विमान में गये। उनके साथ मैं भी गया। प्रो० मधुदंडवते भी गये। श्री गिरी को उन्होंने इतना सम्मान दिया।

प्रो० मधु दण्डवते : यह भिन्न बात है। हम वायुयान द्वारा वहां गए थे।

श्री रूप चन्द पाल : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक सरकारी गढ़ है, इसका प्रयोग पक्षपात पूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। यह झुकावपूर्ण तथा भेदमूलक है, अब हम सभी के लिए इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का समय आ गया है कि यदि हम इतनी देर बाद भी दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान नहीं करेंगे तो इन दो शक्तिशाली माध्यमों की विश्वसनीयता देश में पूरी तरह समाप्त हो जायेगी।

जहां तक कर्मचारियों की मांगों का सम्बन्ध है यह प्रश्न अनेक अवसरों पर सामने आया है और वायदे किए गए किन्तु कर्मचारियों की मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से जो उत्साही व्यक्ति हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : जो श्रम-समर्थक भी हैं ।

प्रो० रूप चन्द पाल : हालांकि कभी-कभी उनकी शक्ति तथा उत्साह विशेष रंग और कलर टी० वी० के लिए होता है फिर भी वह शक्ति सम्पन्न है । मैं उन्हें बहुत चाहता हूं । मैं उनसे कर्मचारियों अर्थात् इन्जीनियरों तथा अन्यों के हितों पर विचार करने का अनुरोध करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन को कमजोर वर्गों के हितों के लिए ताकि लोग दहेज तथा सती-प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों से पूरी तरह अवगत हो जायें और प्रगतिशील विचारों का प्रसार करने के लिए अधिक समय देना चाहिए ।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें वंचित रखा गया है, मांगें वहां स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों का विस्तार करके और दर्जा बढ़ाकर यथा संभव शीघ्र पूरी की जानी चाहिए ।

इसके बाद मैं पश्चिम बंगाल की कुछ मांगों का उल्लेख करूंगा । हमें इस बात की खुशी है कि आसनसोल और मुर्शिदाबाद के लिए रिले केन्द्रों की मांग पूरी कर दी गई है, किन्तु हमें बहुत दुख है मिदनापुर के लिए रिले केन्द्र की मांग पूरी नहीं की गई है । हमें यह पक्की आशा है कि मिदनापुर के मामले पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और इसे यथासम्भव शीघ्र पूरा कर दिया जायेगा ।

यहां मैं एक बात पर विशेष बल देना चाहूंगा । हाल ही में माननीय मन्त्री जी ने बताया था कि आसनसोल रिले केन्द्र पर 27.52 लाख रुपए व्यय किये जा चुके हैं । किन्तु मेरे पास यहां एक स्थानीय समाचार-पत्र है जिसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन को ऐसी किसी भी बात का पता नहीं है ; उन्हें भूमि अर्जन सम्बन्धी किसी कार्यवाही का पता नहीं है ; इस प्रकार इस बारे में किसी बात का पता नहीं है । इस वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस मामले का स्पष्टीकरण दें ।

चलचित्रों के प्रश्न के सम्बन्ध, में पश्चिम बंगाल में हमें एक बहुत असंगत प्रश्न के बारे में बहुत चोट पहुंची है, हमने ड्राफ्ट फिल्म बिल तैयार किया । कल माननीय उपमंत्री जी ने राज्य सभा में यह बताते हुए एक स्पष्ट वक्तव्य दिया कि विधि मंत्रालय ने कहा है कि यह असंवैधानिक है, इससे मूल अधिकारों का हनन होता है आदि-आदि । आपको विदित है कि पश्चिम बंगाल में चलचित्र उद्योग को बहुत हानि हो रही है हम किसी भाषा विशेष या क्षेत्र विशेष के खिलाफ नहीं हैं । हमारा दृष्टिकोण बहुत उदार है । पश्चिम बंगाल में चलचित्र उद्योग का विकास भारतीय संस्कृति के हित में है । यह इन कर्मचारियों के हित में है । यह समूचे चलचित्र उद्योग के हित में है । हम इस आशय के विकृत वक्तव्य सुन रहे हैं कि टैगोर की रचनाओं को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर समाप्त कर दिया गया है ऐसी बात

नहीं है। हाल ही में प्रधान मत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ बाम पथी सरकार जनता के लाभार्थ 'दि कलेक्टेड वर्क्स आफ टेगौर' के रूप में एक सस्ता सस्करण प्रकाशित कर रही है। हम भारत की महान संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। हम वर्ष मे 12 सप्ताह के लिए बगला चलचित्रों का अनिवार्य प्रदर्शन चाहते हैं। हाल ही में राज्य सूचना-मत्री सम्मेलन में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने ड्राफ्ट फिल्म बिल की काफी प्रशसा की थी लेकिन अन्ततोगत्वा क्या हुआ, क्या आपको मालूम है? सूचना मंत्री ने इस बिल की सराहना की और कहा कि इस विधेयक में उनकी बहुत दिलचस्पी है, यह विधेयक अन्य विभागों, मत्रालयों, गृह मंत्रालय आदि से गुजरा और उसके बाद विधि मंत्रालय में आया और विधि मत्रालय ने कहा यह असंवैधानिक है, इससे मूल अधिकारों का हनन होता है, आदि आदि। माननीय मंत्री जी स्वयं एक वकील है, हाल ही में उन्होंने इसकी तारीफ की थी और कहा था यह एक आदर्श विधेयक है। अब विधि मंत्रालय इसके रास्ते में रुकावटें डाल रहा है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इस स्थित से कैसे निपट रही है?

जहाँ तक फिल्म सेंसर-व्यवस्था कासम्बन्ध है, मुझे इस विषय में कुछ कहना है। माननीय मंत्री जी ने अनेक अवसरों पर कहा कि इस सम्बन्ध में कतिपय मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हैं। किन्तु हमें स्पष्ट रुप से इस बात का पता नहीं है कि ये मार्ग निर्देशक सिद्धान्त क्या हैं। हम इतना जरूर देखते हैं कि देश के एक क्षेत्र में जो पास नहीं हो सकता, वह देश के किसी अन्य भाग में पास हो जाता है। माननीय मंत्री ने यह माना था कि 1952 के चलचित्र अधिनियम में कुछ दोष हैं और सरकार विधेयक के रूप में एक नया प्रस्ताव ला रही है। विधेयक, आदि के बारे में हम सभी जानते हैं। परन्तु हमारा अनुभव किया हैं? चलचित्र अधिनियम का का लाभ उठाकर और ठोस मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अभाव का लाभ उठाकर कुछ क्षेत्रों में अश्लील फिल्मों की भरमार है और वे बाजार में उपलब्ध हैं। अश्लील फिल्में दिखाकर वे धन पैदा कर रहे हैं। मैं इस समय उन क्षेत्रों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैंने माननीय मंत्री से कई बार यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसी अश्लील फिल्मों को बाजारों से पूरी तरह से हटा लिया जाए। आठवें फिल्म उत्सव में माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह उन कला-फिल्मों, जिनमें लोगों की अधिक रुचि होती हैं, तथा कम खर्च वाली फिल्मों की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा। माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ ठोस प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया था।

महोदय, इस समय पश्चिम बंगाल सरकार को एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह एक गम्भीर समस्या का सामना कर रही है। यह छोटे और मध्यम वर्ग के समाचारपत्रों की समस्या है। बैंक केवल पुस्तकों का मुद्रण करने के लिए मुद्रणालय की स्थापना करने हेतु धनराशि देने के लिए तैयार है। परन्तु समाचारपत्रों के प्रकाशन के लिए वे धनराशि नहीं देंगे। माननीय मंत्री ने हाल ही में छोटे और मध्यम समाचारपत्रों में विज्ञान सम्बन्धी नीति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें विज्ञापनों का पूरा-पूरा हिस्सा मिलेगा। यह

[प्रो० रूपचन्द पाल]

घोषणा 1980 के मध्य में की गई थी। परन्तु उसको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। श्रीमान्, यह तो सभी जानते हैं कि अखबारी कागज में चोर बाजारी हो रही है। इसे तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। बड़े समाचारपत्रों की मलकियत में विस्तार हम अभी तक नहीं कर पाये हैं। विज्ञापनों के बारे में आवंटन नीति के पश्चात् भी आज छोटे और मध्यम वर्ग के समाचारपत्रों को विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय के माध्यम से दिये जाने वाले विज्ञापनों से वंचित रखा जाता है। उन्हें अखबारी कागज का कोटा भी नहीं मिल रहा है।

श्रीमन्, सरकार ने समाचारपत्र-कारबार में एकाधिकार के बारे में नीति की घोषणा की है। बड़े-बड़े कारबार गृहों का प्रेस पर एकाधिकार इतना अधिक है कि टाइम्स आफ इण्डिया जैसे बड़े-बड़े व्यवसायी इसे अलग-अलग यूनिटों में बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनका एक यूनिट बम्बई में, दूसरा दिल्ली में और एक और किसी अन्य स्थान पर है। इनका बटवारा इस प्रकार किया जाता है जिससे कर्मचारियों को हानि हो। यह कर्मचारियों को तैनात करने और उन्हें सामान्य फायदों से वंचित करने के प्रयोजन से किया जाता है। पालेकर पंचाट के पश्चात् हम देखते हैं, कि अल्पकालिक पत्रकारों को निकाला जा रहा है। फायदे मिलने की बजाये उन्हें उससे, जो उन्हें पहले मिल रहा था, वंचित कर दिया गया है।

इस सभा में समाचारों और विज्ञापनों के बीच अनुपात के बारे में प्रश्न कई बार उठाया गया। पश्चिम बंगाल में एक ही समाचारपत्र है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें 20 प्रतिशत से कम समाचार और कभी-कभी तो 80 प्रतिशत से भी अधिक विज्ञापन होते हैं। वे हमारे बहुत ही विरुद्ध हैं और सत्तारूढ़ दल के हित का ध्यान रखते हैं परन्तु सरकार को यह देखना चाहिए कि वे 60 प्रतिशत समाचार और 40 प्रतिशत विज्ञापन के अपेक्षित अनुपात को बनाए रखें। यह चीज है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और उसे कारगर ढंग से निश्चित किया जाना चाहिए। इसमें कोई रुकावट हो, तो उसे दूर किया जाना चाहिये।

अब मैं कुछ और बातें करना चाहता हूं। पहले चर्चा हुई थी कि आकाशवाणी का प्रत्येक जिले में संवाददाता होना चाहिये। परन्तु कई जिलों में अभी तक आकाशवाणी के संवाददाता नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, जिनके अन्तर्गत पिछड़े वर्ग वाले क्षेत्र भी हैं, से सही समाचार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में आकाशवाणी का संवाददाता होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, पहले यह वचन दिया गया था कि आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र के लिए एक-एक सलाहकार समिति होगी। यह भी अभी तक नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या कठिनाई है? यदि कोई कठिनाईयां हैं, तो माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

समय के अभाव के कारण पत्रकारों पर हमलों के प्रश्न पर कुछ नहीं कहना चाहता, तथापि वह एक ऐसा प्रश्न है जिसे ऐसे ही नहीं टाल देना चाहिए। भारत में आज प्रेस की स्वतन्त्रता

गम्भीर रूप से खतरे में है। एक ओर तो सरकार प्रेस पर अदृश्य रूप से सेंसर-व्यवस्था लागू कर रही है और दूसरी ओर, हालांकि मंत्री जी इसका यथासम्भव दृढ़ता से खण्डन करेंगे, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि सेंसर-व्यवस्था लागू है। फिर तुर्रा यह कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं। हाल ही में उड़ीसा में दो अवसरों पर पत्रकारों पर हमले की गम्भीर घटनायें हुई हैं। केवल उनके शरीर पर ही हमला नहीं किया जाता, कभी-कभी उन पर दूसरे तरीकों से भी हमला किया जाता है। कभी-कभी उनकी स्वतन्त्रता पर हमला किया जाता है, कभी-कभी उन्हें प्रलोभन दिया जाता है और इस प्रकार की चीजें की जाती हैं। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करें। भारत के लोगों को आपात काल का भी अनुभव है और अब अधिकारवाद की स्थापना की बात सुनाई पड़ रही है। हम सभी जानते हैं, कि आपातकाल में प्रेस, आकाशवाणी और टेलीविजन पर सेंसर-व्यवस्था लागू थी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : संसदीय कार्यवाहियों के बारे में भी।

प्रो० रूप चन्द पाल : हां, या तो इन्हें छापा नहीं जाता था या इन्हें कभी-कभी बिगाड़ कर छापा जाता था।

उपाध्यक्ष महोदय : और आपात काल के कारण ही प्रो० मधु दण्डवते सत्तारूढ़ हो सके।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप आपात काल की पुनः सिफारिश कर रहे हैं जिससे हम सत्तारूढ़ हो सकें ? ··· (व्यवधान)

प्रो० रूप चन्द पाल : यदि कोई लोगों को उनके न्यायोचित और लोकतंत्रात्मक अधिकारों से वंचित करने, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने और जनसंचार साधनों पर नियन्त्रण करने का प्रयास करेगा, तो लोग स्वतन्त्रता से लाभान्वित होने और ऐसी व्यवस्था करने, जिसमें उन्हें स्वतंत्रता मिल सके, के लिए उनके नियंत्रण को समाप्त कर देंगे।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका बख्शा कि यहां जो डिमांड्स पेश हैं उन की ताईद में खड़े होकर चन्द बातें कह सकूं। जहां तक हमारे इन्फार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर का ताल्लुक है उन्होंने पिछले दिनों में बहुत से काबिले फख्र इकदाम उठाए हैं, बहुत सी अच्छी बातें की है. उनके लिए में उनको मुबारकबाद देता हूं। मेरे फाजिल दोस्त जो अभी बोल रहे थे उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया स्मॉल ऐंड मीडियम न्यूजपेपर्स का। उनके लिए जो कुछ पहले कभी नहीं हुआ था वह हमारे मिनिस्टर साहब ने किया। उन्होंने उनको वही ऐडवरटाइजमेंट्स के रेट दिये जो बड़े बड़े अखबारों को मिलते थे जिनका कि गलबा बैठा हुआ था। मैं समझता हूं कि अगर स्माल ऐंड मीडियम और लेंग्वेज न्यूजपेपर्स जो हैं उनकी मदद हो सके तो प्रेस की मोनोपली है वह उसी से टूट सकती है।

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

बहुत से अखबारात फाइनेंसली साउन्ड नहीं होंगे, उनके पास इतने साधन नहीं होंगे कि वे दुनिया के मतालवात को सामने रख सकें, अवाम की वातों को सामने ला सकें और ज्यादा से ज्यादा बातें अवाम तक पहुंचा सकें। इसके लिए स्माल ऐंड मीडियम न्यूज पेपर्स को जिस तरह से से मदद की गई है वह एक सही कदम है और वह आज से पहले कभी उठाया नहीं गया था।

आप यह इलजाम लगाते हैं कि आल इन्डिया रेडियो और टी० वी० हमारी पार्टी के प्रोग्राम को चलाते हैं लेकिन ऐसा कहां होता है ? क्या आप यह चाहते हैं कि जब कक आप पावर में रहे तव तक आपके गुण गाए जाते रहें, अब भी जब आप पावर में नहीं हैं आपके ही गुण गाए जायें ? यह कैसे हो सकता है ? आपने जिन लोगों को वहां पर दाखिल कर दिया हैं क्या आप चाहते हैं कि उनको छुट्टी दे दी जाए कि वे जैसा भी चाहे वैसा करें ? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यहां पर जम्मू कश्मीर की वात कहना चाहता हूं जहाँ पर नान कांग्रेस (आई) गवर्नमेंट है। वहां पर भी उन्हीं की न्यूज दी जाती है। हमारे रेल मंत्री जी वहाँ पर गए लेकिन उनकी न्यूज दी जाती है। फिर भी आप कहते हैं कि हमारी पार्टी के प्रोग्राम दिए जाते हैं। रेडियो और टी० वी० पर इतनी कांस्ट्रक्टिव बातें कहने को रहती हैं कि पार्टी प्रोग्राम का प्रचार करने का सवाल ही नहीं उठता है। वहाँ पर कोई पोलिटिकल प्रोग्राम न तो आपको करने है और न ही अपने करने हैं क्योंकि वहां पर करने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, तमाम सोशल और प्रोडक्शन की बातें है, तमाम एग्रीकल्चर टैक्नीक्स हैं जिनको बढ़वा देने की जरूरत है। हां, अगर आपकी कोई खवर होती है तो वह न्यूज वुलेटिन्स में जरूर आती है। यह आप न्यूज वुलेटिन्स को उठाकर देख सकते हैं। आप कहते हैं कि इन्दिरा जी की न्यूज आती हैं लेकिन जब वे इस देश की प्रधान मत्री हैं और वे इस मुल्क के लिए काम करती हैं या जो और मिनिस्टर्स हैं, वे जो काम करते हैं क्या उनको न्यूज में नहीं दिया जाएगा ? जरूर दिया जायेगा। आप हमारी न्यूज बुलेटिन्स को और अखवारों को उठाकर देख लें, अगर उनमें कोई फर्क हो तो वतलायें।

आपने न्यूज प्रिंट की वात कही है। न्यूज प्रिन्ट मोहैया किया जा रहा है। स्माल ऐंड मीडियम न्यूज पेपर्स के लिए न्यूज प्रिन्ट पर ड्यूटी कम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टरी को मूव किया गया है यह सहूलियते हैं जो फराहम कराई जा रही है, । इसी तरह से और भी कांस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिस की गई हैं। रिआर्गेनाईजेशन के प्रेस कमीशन रिआर्गेनाईज किया गया है जिसके टर्म्स आफ रेफ्रेन्स में (Right of Privacy) रखा गया है जिससे प्रेस की ब्लैकमेलिंग रुक जाएगी। रेडियो और टी० वी० के एक्सपैंशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कमजोर वर्गों और देहाती भारत रूरल इण्डिया को प्रोग्राम्स में कवर किया जा रहा है लेकिन इन बातों की तरफ आपोजीशन का कोई ध्यान नहीं जाता है। आप कहते हैं कि आपके प्रोग्राम नहीं किए जाते। हम तो उन वातों को ही जिनका मैंने जिकर किया है सामने रखेंगे और काम करेंगे भले ही जनता हमें उठाकर बाहर फेंक दे।

इसी तरह से इस मीडिया में प्रोफेशनलाईजेशन को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म सेंसर बोर्ड में पहली दफा एक फिल्म प्रोड्यूसर को प्रधान बनाया गया है। नेशनल फिल्म्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन का चेयरमेंन एक फिल्म प्रोड्युसर को बनाया गया है। बच्चों के लिए जो फिल्म सोसाइटी है उसका चेयरमेंन एक एक्सपर्ट बनाया गया है। आखिर इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता हैं? फिल्म एंड टी० वी० इन्स्टीट्यूट, पूना का चेयरमेंन भी एक एक्सपर्ट बनाया गया है। फील्ड प्रोड्यूस करने में स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए एक फिल्म एक्सपर्ट को एडीशनस डायरेक्टर जनरल बनाया गया है हर जगह एक्सपर्ट रखे जा रहे हैं, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? लेकिन एक बात भी आपकी जबान से नहीं निकली। इसको मैलिशियस क्रिटीसिजम कहते हैं अण्डर लाइन। इसको अनफेयर क्रिटिसिजम कहते हैं आर्डिनरी पारलास में, इसका। हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आपको हक है आप कर सकते हैं। संजय गांधी की बदकिस्मती से डैथ हुई है है, अनफार्चूनेट घटना थी सारा हिंदुस्तान हिल गया, हिंदुस्तान का बेश्तर हिस्सा दिल्ली में आ गया, अगर न्यूज को न्यूज डायरेक्टर ने कवर किया तो यह उसकी जजमैंट थी। इससे कौन सा आसमान टूट पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका उल्लेख न कीजिए।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : जब गिरी साहब की डैथ हुई थी तो उसको भी तो कवर किया गया। इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह बैड (bad) टेस्ट है। बहुत सी और भी कस्ट्रक्टिव बातें हैं, जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो कि सोशियल इवील्स हैं उनकी और भी तवज्जह देने की जरूरत है। कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, म्युजिक, डांसेस, ड्रामा और स्क्रीनिंग आदि हैं, कोई आदमी इन्कार नहीं कर सकता है कि जबसे रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्राम चले हैं, इनके अंदर जान पड़ गई है। हमारे रेडियो आर्टिस्ट जो किसी सोसायटी में छोटे किसम के लोग समझे जाते थे, बेकार समझे जाते थे, उनकी इज्जत हो गई है। इस तरह से उनको बढ़ावा मिला है। इसलिए इस बात की तरफ और भी तवज्जह देने की जरूरत है।

हमारे और भी बहुत से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, छोटे हैण्डी-क्राफ्ट्स है, उनके सिलसिले में हमारा रेडियो और भी काफी काम कर सकता है। कुछ कर भी रहा है, मेरे स्टेट में जो कुछ हो भी रहा है, उसकी तरफ और भी तवज्जह देने की जरूरत है। अनएम्प्लायमेंट प्रोग्राम के सिलसिले में काम करना चाहिए। सैल्फ-एम्प्लायमेंट प्रोग्राम चलाने के बारे में रेडियो काफी काम दे सकता है। टेलीविजन बहुत प्रचार भी कर सकता है, जो कि उसको करना चाहिए।

सबसे बड़ी बात मैं मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहता हूं कि टेलीविजन से ज्यादा रेडियो हमारे देश के गरीब अनपढ़ आदमी का एक साधन है, जो उसकी खबर रखता है, नई टैक्नीक के बारे में, दुनिया के बारे में। इसलिए आपको चाहिए कि ज्यादा स्टेशन एक्सटेंड करें। रीलेंग (Relaying) स्टेशन ही नहीं प्रीड्यूसिंग स्टेशन भी खोलने चाहिए।

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

जो जबान जिस इलाके में बोली जाती है, उसी जबान में प्रोग्राम चलना चाहिए, ताकि उस इलाके के अनपढ़ लोग फायदा उठा सकें। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और दूसरी डेवलपमेंट की जानकारी ले सकें। पानी का आजकल नजायज इस्तेमाल होता है, ठीक इस्तेमाल नहीं होता है वेस्टेज ज्यादा होती है। उसके सही इस्तेमाल के लिए रेडियो से प्रचार किया जा सकता है।

लोकेशन आफ रेडियो स्टेशन के बारे में मैं अभी सुन रहा था। हरियाणा में रेडियो नहीं है। हरियाणा में कालका से लेकर पलवल तक शायद दिल्ली ही सैन्टर प्लेस है, स्टेशन कहीं भी हो मगर हरयाणी में प्रोग्राम होने जरूरी हैं। उन्हीं की जबान के रेडियो आर्टिस्ट आने चाहिए, और उनकी ही जबान में प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वहां के लोग इसका फायदा उठा सकें।

इसी तरह से मैं कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं। इसमें एन्टी-इरोजन है और फारैस्टरी प्रोग्राम हमारे रेडियो के जरिए और टेलीविजन के जरिए होने चाहिए, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गांधी जी का देश है, पंडित नेहरू का देश है, इसलिए पंडित जी और गांधी जी की फिलोस्फी को आगे ले जाने के लिए काम करना लाजिम है। इसी सदन में आज डिसकशन हुआ कि पाकिस्तान को आर्म दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान न्यूक्लियर वाम्ब ब्लास्ट करने जा रहा है। ये सब बातें कैसे रुक सकती है? उसका केवल एक ही इलाज है और वह इलाज यह है कि पाकिस्तान पैदा हुआ हैट्रड से और हम हैट्रड के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत से काम करना चाहते हैं, प्यार से माहोल बदलना चाहते हैं। गांधी जी उस वक्त पाकिस्तान गए थे, जब वैस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, उस सिलसिले में उन्होंने अपना आदर्श रखा, उस आदर्श का प्रचार करना चाहिए। न्यूक्लियर वैपन्स का इलाज काउन्टर वैपन्स नहीं है, उसके क्रोध के लिए हमें लोगों को तैयार करना है। भारत में भी और पाकिस्तान में भी। इस फिलास्फी को अगर हमने वहाँ पहुंचाना है तो हमारा आल-इण्डिया-रेडियो और टेलिविजन इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिये हमें अपने बार्डर्ज के रेडियो स्टेशन्ज को, चाहे राजस्थान के हों, गुजरात के हों, पंजाब के हों या जम्मू के हों, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहां के लोग हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और जहाँ तक मेरी इन्फर्मेशन है वे आपके रेडियो को ज्यादा सुनते हैं। खास कर हमारी उर्दू सर्विस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो जुबानें हमारे यहां बोली जाती हैं, वे ही हमारे पड़ौस में बोली जाती हैं। इसलिये उन जुबानों में अगर हम अपनी सर्विस को अच्छी तरह से पेश करें तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है।

आपको याद होगा, हमारे टेलीविजन पर "पाकीजा" फिल्म ने वहाँ हलचल मचा दी थी, उसकी वहां बहुत सी कापियां बनीं, लेकिन उस वक्त हम उसका फायदा नहीं उठा सके। हमें अपनी सर्विसिज में मोहब्बत और प्यार का दरस देना चाहिए और यह बात याद दिलानी चाहिये कि हम एक हैं, एक रहेंगे और एक रहने से ही हमारा भला हो सकता है।

एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप जलन्धर के टेलीविजन सेन्टर को

री-आरिएन्ट करें और जम्मू रीबेंग कम प्रोडक्शन (Rebeying cum Productions) बनाये हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जम्मू को भी प्रोड्यूसिंग सैन्टर बनाना चाहिये, क्योंकि जालन्धर उसको पूरी तरह से फीड नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की जुबान जरा अलग है पार पाकिस्तान में भी यही हाल है "जो इलाका जम्मू से फीड होगा वह जालन्धर से नहीं हो सकता"। पुन्छ और राजौरी में "पटवारी" या पहाड़ी जुबान बोली जाती है उसको पाकिस्तान के लोग भी बड़ी तादाद में बोलते हैं, जो जंगजू लोग हैं और वहां बार्डर के आस-पास बसते हैं वे उस जुबान को बोलते और समझते हैं। इसलिए उस जुबान में ब्राडकास्ट करना जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन पर छा जाना चाहते हैं या उनकी कल्चर पर हमला करना चाहते हैं। यह किसी भी तरह के हमले की बात नहीं है और हम ने इस बात को बार-बार साफ कर दिया है। हम अपने आदर्शों से नहीं हटेंगे, उनको अपना भाई समझते हैं। हमें प्रेम और अमन का माहौल पैदा करना होगा—और इस काम को डिफेन्स मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रीज तो कर ही सकती हैं, लेकिन आप की मिनिस्ट्री उन से भी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है।

इसलिये मैं आप से इस्तदुआ करता हूं कि जो बातें मैंने अर्ज की हैं—जैसे जालन्धर का रेडियो और टेलीविजन, जम्मू का रेडियो और टेलिविजन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जम्मू के लिए आपने सिर्फ 44 लाख रुपया रखा है, इससे कुछ नहीं होगा। वहां पर सरकारी जगह आपको मिल जायेगी उसमें अपने स्टेशन खोलिए और वहां जो जुबान बोली जाती है, जिसको पाकिस्तान में भी समझा जाता है उन जुबानों में प्रोग्राम्ज को ब्रडकास्ट कीजिये। यह काम जालन्धर से नहीं हो सकेगा। काश्मीर का रेडियो और टेलीविजन है—वह काश्मीर वैली के लिए ही काफी है, काश्मीरी बोलने वाले पाकिस्तान में बहुत कम है, काश्मीर रेडियो और टेलीविजन से हमारा मतलब भी हल नहीं होगा। इसलिये जो सुझाव मैंने रखे हैं उनके लिये अगर आपको प्लानिंग कमीशन से भी झगड़ा करना पड़े तो करना चाहिये। अगर इस सब-कान्टिनेन्ट में हम को शान्ति लानी है तो दूसरे विभागों को भी काम करना ही होगा, लेकिन आप का डिपार्टमेंट इसमें बहुत काम कर सकता है। इसके लिए हमें माहौल पैदा करना है जिसके लिए हमें वे प्रोग्राम्ज प्रौड्यूस करने चाहिए जिनसे वे लोग प्रभावित हो सकें।

आपके बहुत से आर्टिस्ट्स स्टेगनेशन प्वाइन्ट्स पर पड़े हुए हैं—न उनके लिए न पेन्शन है और न प्रमोशन है। अगर इस सिलसिले में आप कुछ करें तो उनके अन्दर जान पैदा हो सकती है और वे लोग जोश से काम करेंगे। एक वेलफेयर स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि अच्छे वक्त में तो किसी आदमी को इस्तेमाल किया जाय और जब बुढ़ापा आये तो उसे परमात्मा के सहारे छोड़ दिया जाय। आज के जमाने में तो बेटा बाप को नहीं पाल सकता, मां को नहीं पाल सकता, तो उनको कौन पालेगा। उनको कुछ-न-कुछ देना चाहिए, पेन्शन देनी चाहिये, प्रमोशन देनी चाहिये जिससे काम में उनकी दिलचस्पी बढ़े। इसकी डिटेल्ज क्या हों, उसको आप वर्क-आउट करें। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं—ये आपके नेशनल स्टेट्स हैं इनका सही स्तेमाल कीजिये। अपने स्टेशन्ज को एक्सपैंड कीजिये, नये स्टेशन खोलिये—वहां की जुबानों में प्रोग्राम दीजिये।

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

उसमें न कांग्रेस (आई) का प्रोपेण्डा होगा, और न किसी दूसरी पारटी का जो बेसिक बातें हैं उनका जिक्र होगा, डेवलपमेंट का जिक्र होगा, अन-वायस्ड न्यूज जानी चाहिये।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं यह मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने 14 एककों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा अन्य क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण सफलताओं से देश के लोगों को भली भांति अवगत कराना है।

चूंकि हमारी केवल 36·17 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है तथा ग्रामों को जाने वाली सड़कें बहुत खराब हैं या बिलकुल ही नहीं है, आकाशवाणी ही एक मात्र ऐसा साधन है, जो हर गांव तक और हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। सबसे सस्ता साधन भी यही है। मैं आकाशवाणी के कर्मचारियों को उनके सराहनीय काम के लिए बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री और उपमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि आकाशवाणी उनके मंत्रालय का आधार है तथा वह देश के सबसे बड़ा प्रचार माध्यम हैं। आकाशवाणी का कार्यक्रम जनसंख्या के हिसाब से 89·65 प्रतिशत जनसंख्या तथा क्षेत्र के हिसाब से 78·83 प्रतिशत क्षेत्र तक पहुंचाता है। इसके 85 प्रसारण केन्द्र हैं जिनमें 125 मिडियम वेव, 32 शोर्ट वेव और 3 एफ० एम० ट्रान्समिटर हैं। मैं यह आंकड़े मंत्रालय के प्रतिवेदन से उद्धृत कर रहा हूं।

मैं मंत्रालय को सूचित करना चाहता हूं कि ये आंकड़े एककों की क्षमता के आधार पर सही हो सकते हैं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां किसी भी प्रसारण केन्द्र से कोई कार्यक्रम नहीं पहुंचता। उदाहरण के तौर पर आदिलाबाद है। यह आन्ध्र प्रदेश का जिला मुख्यालय है, परन्तु यहां हैदराबाद से रिले होने वाले कार्यक्रमों को नहीं सुना जा सकता। माननीय मंत्री ने हाल में ही कहा था कि आदिलाबाद में नया प्रसारण केन्द्र खोला जायेगा। उन्होंने सभा में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है यह हो सकता है कि यह केन्द्र इस वर्ष स्थापित न किया जाना है और अगले वर्ष स्थापित किया किया जाना हो। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस वर्ष के बजट में इसे शामिल किया जाये। आदिलाबाद न केवल एक जिला मुख्यालय है, बल्कि यह राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ और आदिमजातीय जिला है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अपना वचन पूरा करें और आदिलाबाद में प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाये।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : यह एक और माननीय सदस्य हैं, जो आन्ध्र प्रदेश की वकालत कर रहे हैं (व्यवधान) इसी को अच्छी वकालत कहते है (व्यवधान) आप मंत्री महोदय के इतने निकट बैठे हैं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : जैसा कि हम जानते हैं ट्रान्जिस्टर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे है, क्योंकि यह मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारे जैसे विशाल देश में इन परिस्थितियों में जिनमें हम रह रहे हैं, आकाशवाणी ही लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से सूचित करने का सबसे सस्ता माध्यम हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए छठी योजना में नये प्रसारण एकक खोलने और पुराने एककों का सुधार करने का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि छठी योजना के अन्त तक आकाशवाणी का कार्यक्रम हर क्षेत्र और हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मैं माननीय मंत्री से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं।

इस वर्ष साम्प्रदायिक सौहार्द राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय एकता विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर खास तौर पर जोर दिया गया है ताकि देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का मनोबल ऊंचा रखा जा सके। वर्तमान परिथितियों को ध्यान में रखते हुए में यह सुझाव देना चाहता हूं कि 1981-82 में कई अन्य विषय भी शामिल किये जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सब क्षेत्रों में राजनीतिक जीवन, सरकारी तन्त्र तथा निजी जीवन शामिल है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस सम्बन्ध में, मैं आपका ध्यान प्रधान मंत्री की उस टिप्पणी की ओर दिलाना चाहता हूं उन्होने केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्यों के भ्रष्टाचार-निवारण अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए की थी। उन्होंने कहा था :

> "हमारे समूचे समाज को बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का घुन खा रहा है और इसे दूर करने की आवश्यकता है।"

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिसकी ओर आकाशवाणी के माध्यम से ध्यान दिलाया जाना चाहिये तथा लोगों को बताया जाना चाहिये कि आज हम कैसी स्थिति में रह रहे हैं।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में वनों के काटे जाने के सम्बन्ध में अनेक मंचों पर चर्चायें होती हैं, परन्तु आकाशवाणी इस विषय को कोई महत्व नहीं देता। यह एक ऐसा विषय है जिससे प्रधान मंत्री से लेकर देश के साधारण व्यक्ति तक हर व्यक्ति सम्बन्धित है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वनों के लगाये जाने के महत्व की ओर ध्यान दिलाना भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिये। वनरोपण न केवल वनों की रक्षा के लिए अनिवार्य है बल्कि नये प्रकार के पौधों को, जो शीघ्रता से बढ़ते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए भी जरूरी है।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है रंगीन टी० वी० के बारे में बहुत कुछ कहा गया है,

[श्री जी नरसिम्हा रेड्डी]

परन्तु बजट में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया वे बतायें कि क्या इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया गया है। मेरे विचार में देश में रंगीन टी० वी० आरम्भ करना गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा। हमें अपने लोगों के आर्थिक स्थिति का पता है। साधारण टी० वी० भी समाज के कुछ समृद्ध वर्गों तक ही सीमित है। इसलिए दूरदर्शन केन्द्रों में तब तक कोई वृद्धि करना वांछनीय नहीं है जब तक कि समूचा देश आकाशवाणी की परिधि में न आ जाये। स्थिति यह होनी चाहिये कि एक छोटे ट्रांजिस्टर वाला व्यक्ति भी अपने ट्रांजिस्टर को कान से लगाये बिना देश के विभिन्न प्रसारण केन्द्रों के कार्यक्रम सुन सके। क्योंकि हमारे प्रसारण केन्द्र शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए हम उनके कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते। अतः जब तक आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्रों की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक दूरदर्शन केन्द्रों के विस्तार का काम स्थगित किया जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय के लिए ग्रामीण जनता को, सरकार की नीतियों और खेती आदि के नये तरीकों से अवगत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण निरक्षर हैं, परन्तु फिर भी वे हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और लोकतंत्र के रक्षक हैं।

फिल्म डिवीजन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि फिल्में हमारे देश में मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है। मैं इस सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण उपमंत्री कुमारी कुमुद बैन जोशी को संसद सदस्यों के नाम उनके हाल के अर्द्ध सरकारी पत्र के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अपने पत्र में देश में सिनेमा घरों की कमी का उल्लेख किया है और उन लोगों को जो छविगृह बनाना चाहते हैं ऋण के माध्यम से नये सिनेमाघरों के निर्माण में प्रोत्साहन देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में कुल दस हजार सिनेमाघर हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के विश्व संचार अध्ययन के अनुसार हमारे देश में तीस हजार सिनेमाघर होने चाहियें। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिये कि सिनेमाघर क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं तथा उपचारात्मक उपाय किये जाने चाहियें ताकि देहाती क्षेत्र में लोगों को सिनेमाघर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह लोगों को सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन के बारे में सूचित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे समाचार अभिकरण भी प्रचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मैं नहीं जानता कि 34.54 लाख रुपये का सहायतानुदान, जोकि चार अभिकरणों के कर्मचारियों के वेतन में अन्तर के लिए है, पर्याप्त होगा अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिये कि क्या इन चार अभिकरणों के पास समूचे देश के समाचारों को

एकत्र करने आदि के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में बहुत से छोटे समाचार पत्र, विशेषकर भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं, जो इन अभिकरणों के समाचारों पर निर्भर हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाने का अनुरोध करूंगा। यदि उन्हें अधिक राशि की आवश्यकता है तो मंत्रालय को सहायता-अनुदान की राशि में वृद्धि करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए।

मैं पुनः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रहीद मंसूद (सहारनपुर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, डोगरा साहब तो तशरीफ ले गए, में उनके लिए एक शेर कहना चाहता था, अब साठे जी की खिदमत में पेश करता हूं—

बात हुस्न की कहते फिरे जमाने में,
आइना ले के दिखाया तो बुरा मान गए।

मोहतरम, एक दूसरा शेर भी याद आ रहा है, वह भी साठे जी की खिदमत में पेश कर रहा हूं—

तेरा जिक्र सुन के तड़प गया,
तेरा नाम सुन के मैं रो दिया,
मुझे एक निस्बते खास है,
तेरे जिक्र से, तेरे नाम से।

तड़प इसलिए गए कि आज मेरे दोस्त जिस तरीके से हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी को ले जा रहे हैं और जो तरीका आपके रेडियो और टेलिविजन ने अख्तियार किया हुआ है, उससे हमारे मुल्क को ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए तड़प गया। यह रवैया डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। रो इसलिए दिया कि हमारे वसंत साठे जैसे काबिल और बेहतर आदमी की मौजूदगी में, उनसे शिकायत करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं अपने दोस्त जो इधर से बोल रहे थे उनकी बात को सपोर्ट करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह सच बात है कि आपोजीशन के लोगों को कोई एवरेज नहीं मिल रहा है, उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है। और में इसकी मिसाल दूंगा, कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूं। मैं तारीख और वक्त दे रहा हूं। मैंने लाइब्रेरी से बुलेटिन निकलवाया था, प्रिवलेज मोशन भी मैंने इस पर दिया था लेकिन चूंकि में बाहर चला गया इसलिए कुछ नहीं हो सका। 23-12-1980 को मेरा डी० ई० एस० यू० पर आधे घन्टे का डिस्कशन था, और डिप्टी स्पीकर साहब, आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि यह

[श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी]

डिस्कशन अमूमन इम्पोर्टेन्ट होता है और उसकी एवरेज दी जाती हैं। लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर आपको पता हो कि उसको एवरेज मिली थी तो मुझे बता दीजिये, मैं माफी मांग लूंगा। रेडियो और टी० वी० में जो संसद समीक्षा होती है। दोनों में उसका कोई जिक्र नहीं था।

उसके बाद दो कालिंग अटेंशन आये मुझसे पहले, एक माननीय तारीफ अनवर के नाम से था और दूसरा माननीय जैनुल बशर के नाम से था। दोनों को बहुत हाई लाइट किया गया। शायद 17 या 18 दिसम्बर की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने अगले दिन टी० वी० देखा था ?

श्री रशीद मंसूद : जी नहीं, उसी दिन। मैंने अगली मद से इसकी पुष्टि की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि आधे घण्टे की चर्चा 6 म० प० के बाद है।

श्री रशीद मसूद : मैंने कार्यवाही वृतान्त से इसकी पुष्टि कर ली है तो दोनों में सर्वश्री तारीक अनवर और जैनुल बशर को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और मेरे काल अटेशन का मेंशन नहीं था। दूसरे दिन उसका मेंशन किया गया हो तो मुझे मालूम नहीं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : वह काल अटेंशन कौन सी तारीख को हुआ था ?

श्री रशीद मसूद : मुझे तारीख मालूम नहीं है। लेकिन दिसम्बर के लास्ट वीक में किसी दिन की बात हैं।

कल की ही बात ले लीजिए, माननीय रामविलास पासवान जी बैठे हुए हैं, नियत 377 के अधीन जो स्टेटमेंट माननीय सदस्य देते हैं उनका जिक्र संसद समीक्षा में किया जाता है। तो कांग्रेस (आइ०) के सदस्यों का नाम शेंसन किया गया, लेकिन माननीय रामविलास पासवान का नाम शेंसन नहीं दिया गया।

हमारे माननीय डोगरा जी ने कहा कि गाने बहुत अच्छे आते हैं। हाँ यह नहीं देखना है कि अच्छे हैं या बुरे। लेकिन यह देखना है कि गाने अच्छे लाने के लिए कौन लोग करप्सन में इनवाल्व्ड हैं ओर कौन गलती कर रहे हैं।

इसी तरह से अखबारों को इश्तहार देने का जिक्र किया गया। बहुत अच्छी बात है माननीय

साठे जी ने यह अनाउन्समेंट किया था कि छोटे-छोटे अखबारों की मदद की जायगी, और की भी जानी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि जितने भी रिक्वारमेंट्स किसी छोटे पेपर को ऐडवर्टाइजमेंट देने के लिए हैं, असली भारत जो एक पार्टी का अखबार है, वह सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है लेकिन पिछले तीन महीने से हमारी दर्खास्तें पड़ी हुई हैं, फिर भी उसको कुछ मदद नहीं दी जा रही है। क्या यह फेयर प्ले है? मैं मानता हूं कि अखबारों को आपने सहूलियतें दी हैं, लेकिन उन्हीं को जो आपकी पौलिसीज की प्रोजेक्ट करते हैं। और आपके वाफिक नहीं लिखते उनकी आप मदद नहीं करते हैं। एक अखबार बम्बई से निकलता है जिसमें आपकी पार्टी की पौलिसीज रहती है और ऐडवरटिजमेंट्स हैं। इनके अलावा और कुछ नहीं। उसको आप मदद दे रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि जो रेडियो पर प्रोग्राम दिए जाते है जिनको कहते हैं टी० वी० और रेडियो कम्बाइन्ड प्रोग्राम्स, जो काफी ऐजूकेटिव होते हैं जैसे मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम और इन्कमटैक्स के बारे में सूचनायें दी जाती हैं। लेकिन देखा यह गया है, मेरे पास कुछ लिस्ट्स भी हैं कि यह प्रोग्राम ऐसी एजेन्सीज को दिये जा रहे हैं, जिनके पास अपने स्टूडियोज भी नहीं हैं। मैं उनके नाम बता सकता हूं, क्योंकि उसमें कोई बात नहीं है। इसमें एजेन्सीज की कोई खता नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट के लोगों की खता है। मैं उनके नाम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है. हालांकि मैंने नोटिस दिया था, बहुत थोड़ा वक्त था, सफीशियेन्ट टाइम नहीं था, इजाजत नहीं दी गई। मैं बताना चाहता हूं कि अरोही एडवर्टाइजिंग एजेन्सी है, गुरु नानक एडवर्टाइजिंग एजेन्सी है, फीचर इण्डिया है। इनको उठाकर देखिये, कि पिछले एक साल के अन्दर इनको कितने प्रोग्राम दिये गए हैं जिनके पास अपने स्टूडियो नहीं हैं, और कितने प्रोग्राम उनको दिए गए हैं जिनके पास अपने स्टूडियोज हैं? फिर देखिए कि कौन लोग हैं जो इनको प्रोग्राम दे रहे हैं?

जिनके पास स्टूडियोज हैं और उनको प्रोग्राम नहीं दिये जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए? इसलिए आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि आप मिनिस्ट्री में हैं और हम अपोजिशन में हैं बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि आपका और हमारा दोनों का फर्ज है। हमारा क्रिटिसिज्म हमेशा तामीरी होना चाहिए और नजरिया यह होना चाहिये कि हम लोग मुल्क के तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। यह नहीं कि बिना वजह आये और क्रिटिसाइज कर दिया, न सबूत हो और न कोई चीज हो। मैं इसीलिए कंक्रीट मिसालें दे रहा हूं, आप इनका इन्वैस्टीगेशन करते रहिये।

यह भी देखिये कि एक पैनल होती है डी० ए० वी० पी० में जिसमें स्टडी ग्रुप में रिकग्नाइज होता है जिसमें एजेन्सीज को प्रोग्राम दिये जाते हैं। उस पैनल में जितनी भी एजेन्सीज रिकग्नाइज हैं, उन सब को बराबर टाइम दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि साठे साहब इस बात से मुत्तफिक होंगे। जब आपने एजेन्सीज का पैनल बना दिया है और मानते हैं कि उनको

[श्री रसीद मंसूद]

एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं तो सबको बराबर से देखना चाहिए, आशा है इसको आप देखेंगे। आप इसी बात को चैक करलें कि रेणुका स्टूडियो को औरों को निस्वत कितने ऐसे प्रोग्राम दिए गए हैं ? मुझे यकीन है कि आप मेरी बात को सही पायेंगे। अगर आप मेरी बात को सही पायेंगे तो एक्शन भी लेंगे। अगर आप एक्शन लेंगे तो इसमें आपकी भेहतराई है। आपसे ही हम लोग कुछ कह सकते हैं, दूसरों को नहीं कह सकते हैं।

मुझे इस बात पर एतराज है कि 3 करोड़ रुपयों हमारी मिनिस्ट्री ने गांधी जी की फिल्म बनाने के लिए बाहर के आदमियों को दे दिया। हमारी फिल्म इण्डस्ट्री दम तोड़ रही है। पिछले कई सालों में हमारे गांधी जी, जो हमारे बापू हैं, फादर आफ दी नेशन है, उनकी जिन्दगी पर उनकी फिल्म बनाने के लिए बहुत से लोगों ने कहा, अखबारों में भी आया जब कि यह रुपया दिया गया था। बेहतर यह होता कि यह रुपया आप अपने यहाँ की इण्डस्ट्री को देते जो कि यहाँ दम तोड़ रही हैं, उनको देते। लेकिन आपने एक करोड़ रुपया तो कर्ज में दिया है और 2 करोड़ रुपया ऐसे ही दिया है। यह 3 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी रकम होती है, यह आपने बहुत बड़ी गलती की है।

जो कुछ अखबारों में देखा है, उससे यह मालूम हुआ है कि फिल्म को इस काबिल बनाने के लिए कि लोग उसको देख सकें, उसको डैविएट किया जा रहा है। मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि अपने लोग सफर कर रहे हैं और बाहर वालों को छूट भी दी जा रही है कि वह उसको डैविएट भी कर रहे हैं। इसको आप देखिये। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

लैंगुएज के बारे में यह है कि हमारी चारों जो एजेन्सीज हैं, इनकी प्रावलभ भी सीरियस है और इसको देखना चाहिये। आप हिन्दी को ही ले लीजिये, औरों को छोड़ दीजिये, हिन्दी हमारी नेशनल लैंगुएज है और हम चाहते हैं कि इसको बढ़ावा मिले। लेकिन दूसरी एजेन्सीज के मुकाबले में इसको उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिये।

एक पालिसी बनाई गई थी, जिसके तहत कुछ एजेन्सीज को मदद दी गई थी। उस मदद का जो फार्मूला बनाया गया है, वह इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें ज्यादा फायदा अंग्रेजी की एजेन्सीज को हो रहा है, हिन्दी की एजेन्सीज को नहीं हो रहा है। फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, लेकिन दोनों में 10 लाख और 70 लाख का फर्क है। अगर अंग्रेजी को 70 लाख मिलता है तो हिन्दी को 10 लाख मिलता है। इस तरह से वह डैवलप नहीं कर पाएंगी।

इसी तरह से हिन्दुस्तान समाचार ने प्लानिंग कमीशन को एक सजैशन भेजा था कि को-आपरेटिव के बेसिस पर वह एजेन्सीज चलें और चलाई जायें। जो चल रही हैं, उनको मदद दीजिये, टैक्स में छूट दीजिये। मेरा यकीन है कि इस पर आपने ध्यान दिया होगा।

हिन्दी के टेलिप्रिंटर्ज़ नहीं हैं, और जहां कहीं जो हैं, वे बहुत डिफैक्टिव हैं, ज्यादातर खराब रहते हैं। इससे हिन्दी न्यूज एजेन्सीज और दूसरी लैंग्वेज की एजेन्सीज को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके बावजूद उनसे रेंट उतना ही लिया जाता है, जितना कि दूसरी एजेन्सीज से लिया जाता है। मिनिस्टर साहब इसको देखें और जिस कद्र कनसेशन मुमकिन हो—मैं यह नहीं कहता कि कितना दें—, वह देने की कोशिश करें।

सरकार को चारों न्यूज एजेन्सीज़ को बराबर ट्रीट करना चाहिए और बराबर समझना चाहिए, क्योंकि वह सब को अच्छा मानती है। लेकिन पिछले दिनों यह देखने में आया है कि पी० टी० आई० को तीन मुमालिक में अपने कारेसपांडेंट्स का तकर्रुर करने की इजाजत दी गई और उसके लिए इमदाद दी गई, जबकि बाकी तीन एजेन्सीज़ को सिर्फ एक एक मुल्क में अपने कारेसपांडेंट्स का एपायंटमेंट करने की इजाजत दी गई। मैं समझता हूं कि एजेन्सीज में इस तरह डिफरेंशिएट करने के बजाए दूसरी एजेन्सीज को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे सब बराबरी पर आ सकें, उनमें मुकाबला हो सके और हमें अच्छी और बेहतर न्यूज मिल सकें।

अभी दो तीन दिन पहलेहम गुजरात के सिलसिले में यह डिसकस कर चुके हैं कि हरिजनों पर कितना अत्याचार हो रहा है। वह मामला एक क्लासवार की शक्ल अख्त्यार करता जा रहा है। असल में कास्टवार और क्लासवार दोनों उसमें इनवाल्व्ड हैं। इससे हम सबको परेशानी हो रही है। मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए कि अव्वल तो सब जगह, लेकिन कम से कम उनके अपने डिपार्टमेंट में हरिजनों के साथ ज्यादती न हो। वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर की कुल 130 पोस्ट्स हैं, जिनमें से 82 खाली पड़ी हुई हैं। 10 नवम्बर को इस सिलसिले में एक इन्टरव्यू हुआ था, जिसके नतीजे के तौर पर 72 आदमी एपायंटमेंट के लिए चुने गये थे।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

लेकिन अभी तक किसी का एपायंटमेंट नहीं हो सका है, जिसकी वजह से खास तौर से हरिजन और आदिवासी लोगों का प्रोमोशन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से नीचे के लोगों में भी परेशानी है, क्योंकि ऊपर के आदमियों का प्रोमोशन होने से उनका भी प्रोमोशन होगा। यह काम तो मिनिस्टिर साहब के हाथ में है। इस लिए वह इस परेशानी की दूर करें।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री रशीद मसूद : मैं समझता हूं कि आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हैं। (व्यवधान) उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

मैंने एडवरटाईजिंग एजेन्सीज के बारे में श्री साठे को एक खत भी लिखा था। उनका जवाब आया है कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के उसूल को फालो करते हैं। अगर वह कागजात को मंगा कर देखें, तो उन्हें इसमें जरूर कुछ घपला मिलेगा। बल्कि इसमें एक घपला इससे भी बड़ा यह है कि किसी इनफ्लुएन्स की वजह से, या किसी दूसरी वजह से—आपने डिसएलाऊ कर दिया है, वर्ना मैं बताता—बड़ी एजेन्सीज को टाइम ज्यादा दिया जाता है, पीक टाइम ज्यादा दिया जाता है, सबसे कीमती और अच्छा टाइम दिया जाता है, और बाकी तो छोटे छोटे आब-

[श्री रसीद मसूद]

जेक्शन्ज लगा कर रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं आपके सामने दो तीन मिसालें पेश करना चाहता हूं। प्रोग्राम को पेश करने के टाइम की कैटेगरीज बनी हुई हैं। पंद्रह दिनों के बाद टाइम को चेंज किया जाता है, लेकिन वह सिर्फ पांच मिनट का चेंज होता है या एक पीक टाइम चेंज करके दूसरी इतनी ही इम्पोर्टेंट जगह उनको दे दी गई। जैसे ब्राइट वेज को 8-15 ए० एम०, 9-25 ए० एम० और 9-40 ए० एम० तीनों सुपर ए कैटेगरी दी गई, यह 14 नवम्बर 1980 का मैं बता रहा हूं।

श्री बसंत साठे : रेडियो पर।

श्री रशीद मसूद : जी हां, रेडियो पर।

साड़ी बेंलेस को 10.05 ए. एम., 12.50 दोपहर और 2-20 पी. एम. दिया गया। इसमें से एक सुपर ए कैटेगरी है और दो सी कैटेगरी है। यानी एक को तीनों सुपर ए कैटेगरी दी गई है। इसी तरह से बहुत लम्बी लिस्ट है, अगर उसी को पढ़ता रहूं तो 22 मिनट जो कुल मिला है वह सब उसी में खत्म हो जायगा। एक लम्बी लिस्ट है जिसमें से सुपर ए कैटगरी एक पर्टीकुलर एजेंसी या प्रोडक्ट को दी गई है और बाकी लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। मैंने आपको इसके बारे में चिट्ठी लिखी थी, आपका जवाब भी आया था, मैं चाहता था कि उसको आपसे डिस्कस करूं लेकिन आ नहीं पाया।

एक और तफरीह की बात बताता हूं। एक सी ही ऐडवरटाइजमेंट के लिए एक सी ही चीजें दी जाती हैं तो आपके डिपार्टमेंट के लोग आबजेक्शन लगा कर कुछ चीजों को वापस कर देते हैं कि यह रेलीवेंट नहीं है, यह इसमें से निकाल दो तब करेंगे। जैसे आपने यहां डी वैश ऐंड संस का ऐडवरटाइजमेंट होता है टेलरिंग और सूटिंग वगैरह के कपड़े के लिए, बिलकुल वैसा ही ऐडवर्टाइजमेंट एम्बेसी क्लाथ एम्पोरियम की तरफ से भी आता है, लेकिन उसमें आपकी तरफ से यह शर्त लगाई गई है कि टेलरिंग का वर्ड निकाल दो, सिर्फ सूटिंग रखो जब कि डी वैश एण्ड सन्स और गोपाल एण्ड सन्स को स्पाट किया है, उनको एनाउंस किया है।

दूसरी इससे भी बेहतर बात सुनिए। डोरा बनियाइन, जांघिये और मौजे को आप ने स्पाट दिया, वह ऐडवर्टाइजमेंट आपके यहां से हो गया। लेकिन जब विकास अन्डर-वीयर वालों ने अन्डर वीयर और मौजे का दिया तो कहा कि मौजा इर्रेलिवेंट है लिहाजा मोजा निकाल दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि जब डोरा वालों का मसला आएगा तब तो बनियाइन, अंडरवियर और मोजे तीनों रेलिवेंट हो जाएंगे और जब विकास एम्पोरियम का नम्बर आएगा तो वह रेलिवेंट नहीं रहेगा। वजह क्या है ? वजह यह नहीं है कि मोजे से उनको नफरत है बल्कि वजह यह कि पर्टिकुलर एजेंसी को देना है इसलिए देंगे, बाकी को नहीं देना है और नहीं देंगे। यही नहीं, सीजनल ऐडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जैसे रूह अफजा का शर्बत है, वह गर्मी में पिया जायगा। आपको दिया, पैसा भी जमा कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आप ऐडवर्टाइजमेंट उसका कर रहे हैं दिसम्बर में। दिसम्बर में रुह अफजा का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो जिसने पैसा दिया था वह गया, कोई सर्विस तो उसकी हुई नहीं, लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ।...(व्यवधान) इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है बल्कि नुकसान होगा

क्योंकि आइन्दा वह देगा नहीं। लेकिन यहां तो सवाल यह नहीं है। यहां तो सवाल है, डिपार्टमेंट को फायदा हो या न हो, पर्टिकुलर एजेंसी या आदमी को फायदा होना चाहिए। मैं आप को वह नाम भी दूंगा जो आपके यहां मुलाजिम हैं और छः छः नाम ऐसे हैं कि जिनमें हज्बैंड और वाइफ यहां एजेंसी चला रहे हैं। इसकी वजह है। मैंने एक बार आप से अर्ज किया था कि आप ट्रांसफर पालिसी को रेगुलराइज कीजिए, बिलकुल सैट रूल्स बनाइए। आज लोगों को यह मालूम है कि दस-दस, बारह बारह साल से यहां लोग पड़े हुए हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, और एक तो मेरे पास ऐसा केस भी है कि जिनका ट्रांसफर हुआ 9-8-73 को और 22-12-69 को लेकिन वह अभी तक अपनी जगह पर हैं। एक बार पहले कैंसिल हुआ, दोबारा फिर हुआ। ऐसे लोग यह समझते हैं कि उन्हें यही रहना है और उनको यहां रह कर बिजनेस करना है, पर्टिकुलर लोगों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए वे यह सब काम करते हैं।

दूसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं। जितना आपका टोटल ऐडवर्टाइजमेंट होता है उसका 80 परसेंट तो एलाट करते हैं आपके हेड आफिस बाम्बे से और 20 परसेंट लोकल तरीके से करते हैं जैसे लखनऊ, दिल्ली या और जगहों से, तो इस 20 परसेंट में कोई ऐसा रूल बनाइए कि जो छोटे उद्योग हैं उनको मौका मिले, जैसे मैं आपको बताऊं, टायर ऐंड ट्यूब्स और टाटा बिरला के जितने ऐड़वटांइजमेंट्स हैं उनको सुपर ए कैटेगरी कितनी दफा दी गई है और उनको कितना वक्त दिया गया है और जो छोटे लोग हैं उनको वक्त नहीं दिया गया है, वह मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। मेरा मतलब है कि पालिसी इस तरह की होनी चाहिए जिस से फायदा छोटे लोगों को पहुंचे बचाय इसके कि बड़े बड़े लोग पैसा दें और काम करा लें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ट 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[सत्ताधारी दल को अधिक समय देकर आकाशवाणी और दूरदर्शन का पक्षपातपूर्ण रवैया (12)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[राष्ट्रीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों तथा वास्तविक समाचारों का सेंसर कर सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक हितों के लिए जनसंचार के साधनों का दुरुपयोग (13)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11)को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[बी० बी० सी० और वी० ओ० ए० के समान आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्ता प्रदान करने में असफलता (14)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11)को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मन्त्रियों का अत्यधिक प्रचार (15)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[वृत्त चित्रों के निर्यात की गलत नीति (16)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भारतीय फिल्मों में हिंसा को रोकने में असफलता जिसके फलस्वरूप युवकों के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ता है (17)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[स्वतंत्र ओर निर्भीक पत्रकारिता सुनिश्चित कर ने असफलता (18)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[समाचार एजेंसियों को प्रोत्साहन देने में असफलता (19)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[अधिक क्षेत्र में प्रसारण के लिए टेलिविजन रिले स्टेशन स्थापित करने में असफलता (20)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[प्रड़ौसी देशों के प्रचार का मुकाबला करने के लिए आकाशवाणी के उच्चशक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर लगाने में असफलता (21)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आकाशवाणी की विदेश सेवा के स्तर में सुधार करने में असफलता (22)]

"कि सूचना और और प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नीरस कार्यक्रम प्रसारित करना (23)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[अखबारी कागज और विज्ञापनों के आवंटन के द्वारा समाचार पत्रों पर नियन्त्रण करने की निति (24)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[सत्ताधारी दल की नीति से मतभेद रखने वाले लोगों के विचारों को आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित न करने नीति (26)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[विदेशी फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देना और भारतीय निर्माताओं को हतोत्साह करने की नीति (25)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अतंर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा में कुछ उत्पादकों और उनके उत्पादों को प्रश्रय देना (27)]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि सूचना और प्रसार शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 12-18) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[समाचार पत्र उद्योग पर बड़े व्यापारिक घराने के नियंन्त्रण को रोकने में असफलता (28)]

"कि सूचना और प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 12-18) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने में असफलता (29)]

"कि सूचना और प्रसार शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 12-18) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[छोटे और मझोले समाचार पत्रों को सहायता पहुँचाने के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञापन नीति तैयार करने में असफलता (30)]

"कि सूचना और प्रसार शीर्षक के अतर्गत मांग (पृष्ठ 12-18) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[छोटे और मझौले समाचार पत्रों को सहायता पहुँचाने के लिए एक युक्तसंगत अखबारी कागज नीति तैयार करने में असफलता। (31)]

"कि सूचना और प्रसार शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठें 12-18) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[गुट निरपेक्ष समाचार पत्रों को एजेंसी पूल का उपयोग करने में असफलता (32)]

"कि सूचना और प्रसार शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 12-18) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[बड़े समाचार पत्रों के मालिकों को समाचार एजेंसियों को उनकी आय के अनुपात में भुगतान करने के लिए बाध्य करने में असफलता और इसके स्थान पर समाचार एजेंसियों को भारी आर्थिक सहायता जारी रखना। (33)]

"कि सूचना और प्रसार शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 12-18) में 100 रुपए कम किये जायें।"

[बहुराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर निर्भरता कम कर की आवश्यता। (34)]

"कि सूचना और प्रसार शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 12-18) से 100 रुपए कम किये जायें।"

[समाचार पत्रों तथा आकाशवाणी व दूरदर्शन जैसे जन प्रचार माध्यमों से दहेज प्रथा की बुराईयों का पर्दाफाश करते हुए एक जोरदार प्रचार अभियान चलाने की आवश्यकता। (35)]

"कि सूचना और प्रसार शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 12-18) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[अश्लील विज्ञापनों और औरतों के मान और सम्मान को आहत करने वाले विज्ञापनों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकना। (36)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[लोकप्रिय जन आन्दोलनों के समाचारों का प्रचार करने में आकाशवाणी की असफलता। (37)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पडोसी देशों में आकाशवाणी के संवाददाताओं को तैनात करने में असफलता और बहुराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर निर्भरता। (38)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[विरोधी दलों के दृष्टिकोण और क्रियाकलापों के बारे में पर्याप्त और उचित समाचार देने में आकाशवाणी की असफलता। (39)]

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी के कार्यक्रमों में प्रतिभासंपन्न कलाकारों को प्रोत्साहन देने में असफलता। (40)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी के प्रशासन को चुस्त करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने में असफलता। (41)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बंगलौर में दूरदर्शन की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करने में विफलया। (42)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कम लागत पर स्तरीय फिल्में बनाने के लिए सुविधायें प्रदान करने में असफलता। (43)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दिल्ली में हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को बेहतर आयोजन और व्यवस्था द्वारा अधिक उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने में असफलता। (44)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत में निर्मित फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए बेहतर मापदण्ड निश्चित करने में असफलता। (45)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी का निष्पक्ष रूप में कार्य सुनिश्चित करने के लिए उसे स्वायतता प्रदान करने में असफलता। (46)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[राष्ट्रीय एकता और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय प्रचार को बेहतर माध्यम बनाने के लिए कोई योजना तैयार न करना। (47)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[समाचारों-पत्रोंको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने में असफलता। (48)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के शीर्षक अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जाये।"

[पत्रकारिता को ठीक और वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाने और सिखाने के लिए और अधिक संस्थाएं खोलने के लिए कदम उठाने में असफलता। (49)]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आकाशवाणी पर ग्रामीण समाचारों के बारे में पर्याप्त समय देने में असफलता। (50)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आकाशवाणी पर लोक गीतों तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने में असफलता। (51)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) में 100 रुपये कम किये जाय।"

[उज्जैन में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। (52)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) में 100 रुपये कम किये जायें।

[दूरदर्शन और आकाशवाणी से दहेज की बुराईयों के विरुद्ध प्रचार करने का आवश्यकता। (53)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दहेज की बुराईयां दर्शाने वाली फिल्में बनाने और प्रदर्शित करने की आवश्यकता। (54)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बजट सत्र के दौरान राजनैनिक नेताओं तथा अन्य अर्थशास्त्रियों के विचार प्रसारित करने की आवश्यकता। (55)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[प्रभावी प्रसारण के लिए 500 किलोवाट क्षमता वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता। (56)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी प्रसारणों में स्थानीय कलाकारों एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (57)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[समाचार प्रसारणों में विरोधी दलों को पर्याप्त समय देने में असफलता। (65)]

"कि प्रसारण शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 19-26) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[यह सुनिश्चित करने में असफलता कि आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। (70)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जायें।"

[आकाशवाणी द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों को लागू करने में असफलता। (59)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आकाशवाणी से साम्प्रदायिक तत्वों को बाहर करने में असफलता। (60)]

"कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आकाशवाणी प्रसारणों में विरोधी दलों के साथ भेद-भाव। (61)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आकाशवाणी में विरोधी दलों को पर्याप्त समय देने में असफलता। (62)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपये किया जाये।"

[आकाशवाणी को सरकारी प्रभाव से मुक्त करके इसे स्वायत निगम बनाने में असफलता। (63)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि आकाशवाणी सरकारी प्रचार का माध्यम न बने। (64)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने में विफलता। (71)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी के पटना केन्द्र में व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता। (72)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में विफलता। (73)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जाये।"

[आकाशवाणी के कलाकारों को स्थायी बनाने में असफलता। (74)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी के संचालन में जनतांत्रिक तौर तरीकों का अभाव। (75)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आकाशवाणी के केन्द्रों से विभिन्न विषयों पर होने वाली वार्ताओं में एक दल विशेष के व्यक्तियों को तरजीह देना। (76)]

प्रो० अजित कुमार मेहत्ता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[इस तथ्य को देखते हुए कि दिल्ली की 90 प्रतिशत जनसंख्या पंजाबी बोलती/समझती है, दिल्ली दूरदर्शन पर पंजाबी कार्यक्रमों को अधिक समय देने में असफलता। (77)]

श्री ए० के० राय (धनबाद) मैं प्रस्तुत करता हूँ :

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[धनबाद के हिन्दी दैनिक "आवाज" के पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में हाल ही वेतन के बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में असफलता। (78)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[धनबाद बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में समाचारों को तत्काल एकत्र करने के लिए आकाशवाणी के प्रतिनिधि को वहां रखने में असफलता। (79)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा निर्दलीय संसद सदस्यों के विचारों को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों में अधिक स्थान देने की आवश्यकता (80)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[यौन और अपराध प्रधान चलचित्रों के माध्यम से संस्कृति भ्रष्ट किये जाने के प्रयासों को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से सेंसरशिप लागू करने की आवश्यकता। (81)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[खनिकों के जीवन और कोयला क्षेत्रों में गतिविधियों सम्बन्धी विशेषरूप से समाचार प्रकाशित करने के लिए धनबाद में रेडियो स्टेशन स्थापित करने में असफलता। (82)]

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[राची (बिहार) में रेडियो स्टेशन में संथाली, हो तथा अन्य आदिवासी भाषाओं में समाचार और आदिवासी संस्कृति के गीत प्रसारित करने की आवश्यकता। (83)]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं नहीं जानती कि माननीय मन्त्री विपक्ष को आकाशवाणी टेलीविजन आदि में समय देने और उनके प्रचार के सम्बन्ध में श्री डोगरा द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हैं अथवा नहीं।

मैं तो इस सम्बन्ध में केवल यही कहूंगी कि यदि माननीय मन्त्री सभा की उस समय की कार्यवाही को देखें जब इस मद पर सभा में चर्चा हुई थी और जब वे केवल एक सदस्य थे तो पायेंगे कि उस समय आकाशवाणी द्वारा विपक्ष के साथ किए जा रहे व्यवहार के प्रति उनकी भावनाएं कितनी तीव्र थी यद्यपि उस समय उन्होंने तत्कालीन सरकार के इस दावे को चुनौती नहीं दी थी कि प्रचार माध्यमों में विपक्ष का हिस्सा 49 प्रतिशत है। मैं आशा करती हूं कि आपको वह सब याद होगा।

जो बात उठायी गई है वह विपक्ष के साथ किये जाने वाले भेदभाव के बारे में है। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहती हूँ। राज्य सभा में प्रश्न संख्या 2280 के उत्तर में सरकार ने उन संसद सदस्यों के बारे में आंकड़े दिये हैं जिन्हें फरवरी से दिसम्बर 1980 तक साक्षात्कार अथवा वार्ता के लिये बुलाया गया था। यह सरकार के ही आंकड़े हैं। 62 संसद सदस्यों में से जिनके नाम दिये गये हैं और उनके साथ एक भूतपूर्व संसद सदस्य भी हैं, विपक्ष के सदस्यों की संख्या केवल 11 थी और शेष सदस्य सत्तारूढ़ दल के थे। स्पष्ट है कि यह 49:51 प्रतिशत भाग जो उनकी सरकार ने बताया था के अनुरूप नहीं है।

यद्यपि मुझे पिछली सरकार से कोई विशेष लगाव नहीं है परन्तु मैं कहना चाहती हूं कि सरकार को उचित श्रेय दिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

यह स्थिति है। मेरे विचार में यह एकदम स्पष्ट है। मेरा आरोप यह है कि विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि जन-प्रचार साधन के बारे में सरकार की एक मुख्य जिम्मेदारी सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी देना भी है। परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने तो इस सम्बन्ध में अपना एकाधिकार भी बना लिया है।

परन्तु मेरा मुख्य आरोप यह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को सुनकर आप यह नहीं जान सकते कि देश में क्या हो रहा हैं। विभिन्न मामलों को लेकर हुए बहुत से जन आन्दोलनों को वहां कोई स्थान नहीं मिलता।

यदि आप किसी माध्यम पर निर्भर करते हैं तो आपको सही तथ्य नहीं मिल सकते।

हमारी प्रधान मन्त्री ने पिछले दिनों कोई बात कही थी ; यदि वे इस सरकारी माध्यम पर ही निर्भर रहती तो उन्हें अपनी पहले कही गई बात में संशोधन करना पड़ता। परन्तु मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने पुलिस की बैठक में कहा कि अब महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और कम दहेज के कारण होने वाली मृत्यु आदि की खबरें समाचारपत्रों में आ रही हैं। इसलिये उन्होंने पुलिस को अपना कर्त्तव्य सही ढंग से निभाने के लिये कहा। परन्तु मुझे संदेह है कि इस तरीके से पुलिस को ठीक नही किया जा सकता। जब तक निजी स्वार्थों वाले लोगों के विरुद्ध उपयुक्त उपाय नहीं किये जायेंगे तब तक पुलिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। परन्तु यहां मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

यदि आप आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन को ही सुनते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं और हरिजनों पर प्रतिदिन पुलिस द्वारा क्या-क्या अत्याचार किये जा रहे हैं ?

क्या आपको मालूम हो सकेगा कि लगभग प्रतिदिन दहेज को लेकर मृत्यु हो रही है ? मैं इस बात की चुनौती देती हूं कि यह जानकारी आपको सरकारी माध्यम से नहीं मिल सकती। मैं मंत्री महोदय पर यह सबसे बड़ा आरोप लगाती हूं।

मैंने अनेकों जन-आन्दोलनों का उल्लेख किया है। समय की कमी के कारण मैं सबके बारे में नहीं बता सकती, परन्तु एक का विशेष उल्लेख करूंगी जिसमें मैंने एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ के अन्तर्गत इस मास की 9 तारीख को 10,000 महिलाओं ने दिल्ली की सड़कों पर एक जुलूस निकाला जिसमें उन्होंने मूल्यों को कम करने के लिए कारगर कदम उठाने की बहुत ही उचित मांग की थी। क्या आकाशवाणी ने उसका समाचार देने के लिए एक मिनट या सेकन्ड का समय दिया ? क्या यह राष्ट्रीय महत्व का समाचार नहीं था। टेलीविजन ने इसके लिए आधा मिनट का समय दिया पर उसमें संगठन के नाम को तोड़ मरोड़ कर दिया गया। सबसे गलत बात तो यह कही गई कि यह संगठन सरकार का उसके द्वारा उठाए जाने वाले कदम में सहयोग देने को तैयार है। जी हां, हम सहयोग देने को तैयार है, पर क्या उस प्रदर्शन का यही मुख्य उद्देश्य था ? क्या उसके द्वारा वर्तमान नीति की निन्दा नहीं की गई थी ? क्या यह आज की मांग नहीं है कि वर्तमान आवश्यक वस्तु वितरण सम्बन्धों नीति में परिवर्तन किया जाए ? इस सबको टेलीविजन में कोई स्थान नहीं दिया गया। इसलिए मेरा सबसे बड़ा आरोप यह है कि समाचार माध्यमों में लोगों की तकलीफों, उनकी शिकायतों और आकांक्षाओं को परिलक्षित नहीं किया जाता।

अब मैं भेदभाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इस सम्बन्ध में मेरा कोई झगड़ा नहीं। परन्तु अब निष्पक्ष होने की जांच करने के लिए एक अवसर आने वाला है। कल एक

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

किसान रैली होगी। मैं श्री साठे से कहती हूं कि वे अपने विभाग से इस रेली की फिल्म इस प्रकार लेने को कहें जिससे भेदभाव का प्रश्न न उठे तथा उसे उस प्रकार न फिल्माएं जिस प्रकार राष्ट्रीय महिला संघ के जुलूस के साथ किया था। कल भी वाद-विवाद होगा। उस समय तक हम देखते हैं कि क्या होता है।

सभापति महोदय : हम मंत्री महोदय से रैली को सम्बोधित करने को कह रही है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं नहीं समझती कि वहां बोल सकेंगे। यदि वे कर सके तो बोलें। मैं संयोजक नहीं हूं। मैंने मात्र उसके समाचार सम्बन्धी महत्व के बारे में कहा है। यह एक ठोस मामला है जहां हम उनको परखेंगे।

श्री वसन्त साठे : इसका समाचार इसके महत्व के अनुरूप दिया जाएगा। कृपया चिन्तित न हों।

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय मंत्री श्री वसंत साठे द्वारा समझे गए समाचार सम्बन्धी महत्व के अनुरूप।

श्री वसन्त साठे : मेरे नहीं वरन् टेलीविजन अधिकारियों द्वारा समझे गए महत्व के अनुरूप।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप दहेज विरोधी प्रचार के बारे में बहुत कुछ कहते है। क्या श्री साठे को इसकी जानकारी है ? टेलीविजन पर दो व्यापारिक विज्ञापनों के बीच में एक छोटा-सा विज्ञापन आता है "दहेज न दें" और वह इतने छोटे अक्षरों में होता है कि उसे पढ़ने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी शीशे का उपयोग करना होगा। यदि ऐसा एक ऐसे विवाद रहित विषय के सम्बन्ध में किया जाता है तब आप स्वयं ही समझ सकते है कि वास्तविक प्रचार के बारे में क्या हो रहा होगा।

मैं समाचार पत्र आदि के बारे में और समय नष्ट किए बिना दो-तीन बातें कहना चाहूंगी। श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में मेरे साथी प्रो० रूप चन्द पाल ने उल्लेख किया है। मैं उस बारे में दो बातें कहना चाहूंगी। मैं यह जानना चाहती हूं कि किन-किन समाचार समूहों ने पालकर पंचाट को लागू किया है, क्योंकि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने इसे लागू नहीं किया है। ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ है वरन् पिछले वेतन बोर्ड में भी उनके प्रतिनिधि श्री तनेजा उठ कर चले गए थे। 1967 से ये लोग हानि उठा रहे हैं। तब उनके वेतनों का पुनःरीक्षण नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करें और उन समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन न दिए जाएं जो इसे लागू नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या वे ऐसा करेंगे।

मैं छोटे समाचार पत्रों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। यहां अखबारी कागज पर 15% लेवी लगाए जाने का जिक्र किया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि छोटे पत्रो को इससे बरी रखा जाय और सरकार इस पर विचार कर रही है। छोटे पत्रों को हानि बड़े पत्रों की मूल्य निर्धारण

नीति के कारण हो रही है। आज मैंने एक पत्र देखा जिसमें 22 पृष्ठों में 16½ पृष्ठों में विज्ञापन थे। बंगाल के एक अंग्रेजी पत्र, जिसका उल्लेख मेरे मित्र ने किया, 75 प्रतिशत स्थान में विज्ञापन देता है और भी कम करके है तथा दोनों का ही मूल्य 50 पैसे है। ऐसी स्थिति में छोटे और मध्य दर्जे के पत्र उनकी प्रति योगिता कैसे कर सकते हैं ? बिक्री मूल्य प्रति पृष्ठ के आधार पर निश्चित किया जाए। छोटे और बड़े पत्रों के बीच इस प्रकार की असमान प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिए कानून बनाए जाएं तथा इन कानूनों को संरक्षण प्रदान किया जाए जिससे न्यायालय इन्हें रद्द न कर सकें।

दो-एक छोटी-छोटी बातें और हैं। आकाशवाणी में सब जगह तदर्थ नियुक्ति और पदोन्नति की जाती हैं। यह कहना सही नहीं है कि कार्यक्रम संयोजकों की पदोन्नति सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर करने के प्रस्ताव को जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अन्य लोगों को कुछ और मांगें होने के कारण रोक रखा गया है। जिन लोगों की कुछ और मांगें है जो भी उचित होगीं, और उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता निकाला जाए। परन्तु उन लोगों को दण्डित करने का कोई आधार नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए जाएं।

आखिर में मैं गुट-निरपेक्ष समाचार एजेन्सी के बारे में···

सभापति महोदय : आशा है यह आखरी बात होगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : साठे साहब ने कहा था कि हम गुट निरपेक्ष समाचार एजेन्सियों को अधिक प्रोत्साहन देंगे। इन्टरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट नामक समाचार एजेंसियों की सबसे बड़ी शत्रु रही है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या इस एजेंसी ने नैरोबी में एक सम्मेलन किया था ? उस सम्मेलन में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने क्यों भाग लिया। वे उस सम्मेलन में क्यों शामिल हुए और उन्होंने उस संगठन को क्यों मान्यता दी।

अन्त में मैं श्री साठे से यह पूछना चाहती हूँ कि कलकत्ता स्थित आकाशवाणी केन्द्र देश भर में क्यों नहीं सुना जा सकता। श्री साठे को इस स्टेशन को अधिक शक्ति सम्पन्न बनाने का प्रयत्न करना चाहिये, जो कि एक महत्वपूर्ण केन्द्र है, जिससे कि हम यहां दिल्ली में बैठे कलकत्ता का प्रसारण सुन सकें। मैं विश्वास करती हूँ कि समूचा राष्ट्र उसके प्रसारण सुनना चाहता है।

धन्यवाद।

श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुट) : मंत्रालय को मांगों का समर्थन करते हुए में एक बात कहना चाहता हूँ जिसका जिक्र मंत्रालय के प्रतिवेदन में किया गया है, अर्थात आदिवासी क्षेत्र का विकास मंत्रालय ने आरक्षण के सम्बन्ध में उल्लेख किया है।

श्रीमन् मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं विपक्ष के सदस्यों द्वारा हमारे नेता के बारे में की गई कतिपय टिप्पणियों के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा।

[श्री गिरधर गोमांगो]

जब हम विपक्ष में थे तब सत्ताधारी दल ने हमारेनेता की छवि को बिगाड़ने में समूची शक्ति लगा दी थी। जो सदस्य यहां बोले हैं उन्होंने सरकार के उस समय टेलीविजन और रेडियों पर समय के वितरण के संबंध में अपनाये गये रवैये का जिक्र नहीं किया। उस समय हमने भी यह मामला उठाया था। मैं समझता हूं कि यह वितरण उपलब्ध समय और समाचार के महत्व के अनुसार किया जाता है। परन्तु उन्होंने हमारे नेता की छवि को बिगाड़ने का प्रयत्न किया। यह रवैया अपनाकर बाहर नहीं अपनाया जाना चाहिये। विपक्ष के सदस्य अपना योगदान देने के लिये बड़े उत्सुक रहते हैं और जब टेलीविजन और रेडियो पर उनका और उनके नेता का और उनके दल का उल्लेख होता है तो वे प्रसन्न होते हैं और जब हमारे नेता के नाम का उल्लेख होता है तो अप्रसन्न।

समाचार पत्रों में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों, अधिकारों और उन्मुक्तियों के सम्बन्ध में एक समाचार था, तथा साथ ही साथ समाचार पत्रों की भूमिका और समाचार पत्रों तथा राजनितिज्ञों के संबंध का भी उल्लेख था। हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य केवल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ही नहीं हैं वरन वे बहुत जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं हम बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं तथा समाचार पत्रों को भी बड़ी उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है और यदि ये दोनों बातें साथ-साथ चलती है तो मैं समझता हूं कि दोनों के बीच कोई संदेह पैदा नहीं हो सकता। परंतु होता यह है कि हम कोई भी कार्य अपने दिमाग में कोई विशेष बात लेकर करते हैं और समाचार पत्र में कोई बात किसी व्यक्ति विशेष, अथवा किसी दल की विशेषता का उल्लेख करते हुए छापते हैं। यह चरित्र का हनन है। जब कोई यह कहता है कि यह क्यों छापा गया तो वे कहते हैं कि सच लिखा गया है। अब चाहें वह सत्य हो अथवा असत्य पर संबंधित व्यक्ति की छवि तो बिगड़ हो जाती है और इस प्रकार संदेह पैदा होता है और यदि यह संदेह बना रहता है तो मैं समझता हूं कि समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों के संबंध के आधार अलग-अलग होने चाहियें।

श्रीमान् मैं समाचार पत्रों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे विचार से समाचार पत्रों को विचारों का प्रकटीकरण अथवा उनको दबाना पड़ता है। समाचार पत्रों को देश की छवि को व्यक्त करना चाहिये उसको बिगाड़ना नहीं। उन्हें समाज की बुराइयों को दबाना चाहिये। ये दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं।

तीसरे वे लोग लोगों में देश की छवि के बारे में अत्यधिक गलत प्रभाव पैदा कर रहे हैं। वे केवल एक विशेष वर्ग श्रेय क्षेत्र के लोगों के बारे में ही कुछ कहते हैं जबकि समाचार समूचे देश के संबंध में होने चाहिये। उन्हें उत्तर-पूर्व, पश्चिम और दक्षिण सब ओर के समाचार देने चाहिये।

इस समय प्रचार कार्य गिने चुने शहरों तक ही है। उन हें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचार करना चाहिये। सरकार को देश के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार पत्रों को यथासम्भव अधिक रिहायत देनी चाहिये। मेरा कहना है कि समाचार पत्रों का एक नैतिक दायित्व है। राजनीतिज्ञों के विचारों को जन-साधारण तक पहुँचाया जाना चाहिये। समाचार पत्र लोगो को वैचारिक भोजन प्रदान करते हैं। लोग विश्व, किये जा

रहे कार्यों, विचारों, चरित्रों और लोगों के हृदयों की ओर बड़े ध्यान से देखते हैं। लोगों को सरकार के रूख का पता चलना चाहिये। उन्हें यह पता चलना चाहिये कि प्रशासनिक संगठन किस प्रकार का है, तथा कितना रुपया किस काम के लिये दिया गया है। लोगों को यह भी पता लगना चाहिये कि सरकार की क्या उपलब्धि रही है।

दूरदर्शन और रेडियों के संबंध में मंत्रालय ने विभिन्न कदम उठाये हैं। मेरा सुझाव है कि दूरदर्शन और रेडियो केन्द्रों का एक व्यापक जाल बिछाया जाये। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र, जहां रेडियो अथवा दूरदर्शन नहीं हैं। वहां उनकी स्थापना की जाये। साहित्य और परम्परायें लिखित और मौखिक दो प्रकार की होती हैं। हम आदिवासियों में लिखित साहित्य नहीं है। इसलिये हम मौखिक साहित्य अर्थात दूरदर्शन और रेडियो पर निर्भर हैं। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि आदिवासियों के संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के सम्बन्ध में वृत चित्र बनाने के लिए एक निर्माण एकक की स्थापना की जायेगी। सभापति महोदय आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा की इन एककों को अधिक शक्ति सम्पन्न बनायें। ये लोगों के शोषण, अस्पृश्यता तथा आदिवासियों की परम्पराओं और संस्कृति के संबंध में चित्र बनायें। इनका निर्माण उनकी अपनी भाषा में ही किया जायें न कि किसी अन्य भाषा में तभी आदिवासी क्षेत्र की सही तस्वीर पेश की जा सकेगी।

मैंने विभिन्न विकास योजनाओं संबंध के प्रतिवेदन देखा है। उसके बारे में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। उन्होंने उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में कितने आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव था कि दो अथवा तीन नये केन्द्र उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे, परन्तु इस प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आपने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया है इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी शुरू किया जाना चाहिये। आपको विस्तार कार्यक्रमों के संबंध में फिल्मों के माध्यम से प्रचार करना चाहिये। आपको चाहिये कि आदिवासी विकास कार्यक्रमों के प्रचार के लिये पर्याप्त मात्रा में वृत चित्र बनें।

श्रीमान् आदिवासी भाषाओं के समाचार पत्रों को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उन्हें विज्ञापन आदि के द्वारा मदद दी जाये। अभी तक आदिवासी जीवन और संस्कृति पर केवल दो अथवा तीन पुस्तकें प्रकाशित की गई है। मैं समझता हूं इस विषय पर और अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा सकती हैं।

अब जनजाती क्षेत्रों के लिए क्षेत्र प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकारों के पास भी अपने अपने अलग क्षेत्रीय प्रचार विभाग हैं। लेकिन इस प्रयोजन के लिए निधियों का आवंटन हुआ है ? प्रचार एवं दृश्य प्रचार निदेशक इन जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

अब, फोंटो प्रभाग पर चर्चा करता हूं। आप जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में लोगों के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाने के लिए फोटो लिए जाते हैं। सरकार को उन्हें कतिपय क्षेत्रों में

[श्री गिरधर गोमांगो]

नंगा फोटो लेने और पैसा कमाने के लिए उन्हें बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नग्न फोटोग्राफ लेने तथा उन्हें बेचने पर प्रतिबंध होना चाहिए। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि फीटोग्राफ का मुख्य उद्देश्य लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन तथा उनके नृत्य-गान को उजागर करना है।

यहां प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का उल्लेख किया गया है। इन आरक्षणों को लागू करते समय लोगों के दिमाग में आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्हें इस संबंध में इमानदार होना चाहिए और इसमें कोई विवाद नहीं होना होना चाहिए और इन लोगों के लिए बनाए गए आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। यदि उनके दिमाग में किसी तरह का पक्षपात है, तो कागजों पर दिखाए गए आरक्षण को पूरा नहीं किया जाता सकता।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन क्षेत्रों के बारे में सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ऐसा कहा जाता है कि आप सीमावर्ती क्षेत्रों को ले रहे हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वस्तुत: वे सीमावर्ती क्षेत्र नहीं हैं। वे जनजातीय क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन का सरकार को खूब प्रचार करना चाहिए और इन लोगों को प्रसारण सुविधा दी जानी चाहिए। प्रचार के क्षेत्र में सरकार उतना सक्रिय नहीं है।

महोदय, आपके गीत तथा नाटक विभाग के पास अनेक योजनायें हैं। आप गीत तथा नाटक विभाग द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए कतिपत निधियों का आवंटन कर सकते हैं ताकि इन क्षेत्रों के लोग गीत तथा नाटक गतिविधियों में भाग ले सकें। रिपोर्ट में उल्लेख करके आप विचार कर सकते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के लिए आपने क्या किया है और अगली योजना में उस क्षेत्र में क्या करने का प्रस्ताव है। मात्र 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण' का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं तथा अपने चुनाव क्षेत्र के जनजाती लोगों से अवगत हैं वे उनके बारे में सब कुछ जानने हैं। अत: इन क्षेत्रों के लिए वे विशेष कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय सरकार ने जनजाती क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ नही किया है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कतिपय कार्य किए हैं और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हू। जनजातीय क्षेत्रों पें अभी वहुत काम करना है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, जिस मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है वह वहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। सभा में कोरम नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम से कम माननीय सदस्यों को इस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया जाए।

सभापति महोदय : क्या आप इस प्रश्न को उठा रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : महोदय, श्री मनो राम बागड़ी अब बोलने जा रहे हैं और माननीय सदस्य आकर उन्हें सुनें ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, दुनियां की पहली आकाशवाणी, मथुरा की आकाशवाणी—"कृष्ण जन्म" । दुनियां का पहला दूर-दर्शन, कुरुक्षेत्र का दूर-दर्शन—"संजय-उवाच" । परिणाम यह कि मथुरा में आकाशवाणी केन्द्र के नाम पर एक पीपा छोड़ रखा है, जिसमें बृज भाषा को नाम मात्र का स्थान मिला हुआ हैं । जहां पर दुनियां की पहली आकाश-वाणी हुई कि "पाप का नाश हो" वहां पर एक पीपा छोड़ रखा है, जैसे तेल का खाली पीपा छोड़ दिया जाता है, इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं है । इसी प्रकार दुनियां का पहला दूर-दर्शन कुरुक्षेत्र में संजय-उवाच, वहां पर आपने अपनी पंचवर्षीय योजना में एक पैसा भी हरियाणा और पंजाब के लिए नहीं दिया है ।

वैसे बुरा न मानना और ज्यादा खुश भी न होना, बहुत सुन्दर है जोड़ी आपकी । ऐसी जोड़ी हर जगह हो । और जब नजर आती है तो खुश होता हूं । लेकिन कुछ काम भी सुन्दरता के किया करो । शक्ल देखकर बेशक अच्छी बात कह दूं, लेकिन कर्म देखकर मन यही कहता है कि एक भी पैसे की मंजूरी इस मंत्रालय को नहीं मिलनी चाहिए । यह मंत्रालय विशुद्ध वर्णाश्रम का जन्मदाता है । आकाश दिल्ली वाली का और वाणी लन्दन वाली की । आकाश इंदिरा का और वाणी थैचर की । यहां पर इससे ज्यादा कुकर्म क्या हो सकता है कि स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगर फिल्म बनायी जाय तो कौन बनायें ? विदेशी, और वह भी जिनसे लड़ कर हमने आजादी हासिल की । गुलामाना दिमाग आज भी हिन्दुस्तान का आजाद नहीं हुआ । साठे जो यह कोई पेरिस नहीं है जो आप फिल्म मामले के अन्दर बढ़िया-बढ़िया वस्त्र पहनाते हो और इतना खर्च करते हो । यह तो गांधी का देश है, यहां पर लंगोटी पहन कर गांधी ने देश को आजाद कराया । उनमें इतनी हिम्मत थी कि लंगोटी पहनकर शहन्शाह के दरबार में जा सकते थे । जिस देश के लोगों को पहनने को लंगोटी नहीं करोड़ों रुपया विदेशों से नाचने वालियों और नाचने वालों के लिए आपने फिल्म बनाने पर खर्च किया ।

एक बात और बड़े जोरदार आवाज के साथ कह रहा हूं । 80 लाख रुपया बहुत मामूली बात है, उसकी कोई कीमत नहीं । लेकिन बटवारा देखो । आप अंग्रेजियत के गुलाम हो गये, दिमाग गुलाम पड़ा है । "हिन्दुस्तान समाचार" "समाचार भारती" शुद्ध भारतीय नाम हैं । लेकिन यू० एन० आई०, पी० टी० आई० भी हैं, उनसे मुझे कोई द्वेश नहीं, लेकिन नाम के गुलाम हो । अंग्रेजी की न्यूज ऐजेन्सीज को 0 लाख रु० और हिन्दी की न्यूज ऐजेन्सीज की 10 लाख रु० । आपका शासन है, राज्य है, राज्य वाले के पास सत्ता होती है उसकी बोली अपनी बोली नहीं होती है, कुछ विपक्ष की भी होती है । वरना जरूरत ही क्या है विपक्ष की । आवाज की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, सौर उस की बोली यानी विपक्ष की ज्यादा आनी चाहिए । लेकिन आपने क्या किया है ? आपने कोई काली लिस्ट बनायी है जिसके अन्दर जो लोगों का प्रचार करते हों, जो आम लोगों का प्रचार करते हों, जो आप लोगों की सही बात कहने वाले

[श्री मनीराम बागड़ी]

हों, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत गलत बात कहें, लेकिन विपक्ष का जिसमें ज्यादा हिस्सा रहे उन्हें काट दिया जाता है। मेरा बस चले तो मैं कम से कम इस आकाशवाणी और दूरदर्शन से वर्णाश्रम खत्म कर दूं। हां बोलने वाले के आगे शर्मा, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, पांडे, जोशी जो लगा हुआ है इसको समाप्त होना चाहिए।

साथ ही भाषा का भी आप तनाव पैदा करते हो, जैसे उर्दू के साथ खान आयेगा, हिन्दी का प्रोग्राम होगा तो चतुर्वेदी आयेगा, पंजाबी का आयेगा तो किसी सिक्ख का नाम जुड़ा होगा। अच्छा होता उर्दू का प्रोग्राम किसी हिन्दू के नाम से हो, पंजाबी प्रोग्राम किसी मुसलमान के नाम से हो, हिन्दी प्रोग्राम किसी क्रिश्चियन के नाम से हो। लेकिन आप अभी तक ऐसा कर नहीं सके हों। यह परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। ज्ञान नहीं है इनको, एक-एक आदमी को आपने जमा कर रखा है। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं है, लेकिन आज अगर हरिजन के नाम से, कल को पंडित के नाम से नफरत होगी तो देश का क्या हाल होगा ? देश में किसी न किसी से नफरत रही न ?

इस नफरत को मिटाने के लिए जरूरत है कि यह जो कुल के नाम हैं, ऊंचे नाम हैं, इनको थोड़ा बहुत हटायें। हो सकता है कि कमलापति त्रिपाठी जैसे हैं उनका पुराना नाम पक गया, छूटने में मुश्किल होगी, लेकिन नई पार्टी में तो त्रिपाठी जी जैसों को भी सोचना चाहिये। यह नहीं कि बाप का नाम भी त्रिपाठी, बेटे और पोते का नाम भी त्रिपाठी। इस त्रिपाठी को चौपाटी में भी ले जाने की कोशिश करिये जिससे यह पद्धति खत्म हो। इस किस्म की बात आप कुछ चलाइये।

एक बात मैं और कहूंगा कि यह जो तरीका है, कितना गलत है, ज्ञान कितना गलत है। मान लिया कि हम छोटी पार्टी के आदमी हैं, 3 आदमी हैं। मुझे कभी लोकदल का बताते हैं, कभी एक पार्टी का बताते हैं कभी और पार्टी का बताते हैं, इतना ज्ञान नहीं कि सोशलिस्ट पार्टी का हूं। तो आकाशवाणी में.....

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : इतना रंग बदलते हो, किसी को क्या पता ?

श्री मनीराम बागड़ी : आपको क्या तकलीफ हो गई ? आप तो नहीं बदल रहे हैं ? आपकी हैसियत तो बन रही है। आप तो एक रंग में रंगे हुए हो, आप तो एक ही लैला के मजनू हो।

आचार्य भगवान देव : आप कितने परेशान है, कितने रंग बदले हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : तुमको रंग कौन बदलने देता है। तुम तो जमे हुए हो एक जगह।

सभापति महोदय : बागड़ी जी, अपनी बात कहिए। आपका टाइम खो रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : मुझे कोई तकलीफ नहीं है । मेरा टाइम थोड़े ही खो रहे है, अपना खो रहे हैं । मैं शास्त्री जी की इज्जत करता हूं, कद्र करता हूं, बहुत भले आदमी हैं, बोलना सीख रहे हैं । हमसे ही सीखेंगे और किससे सीखेंगे ? (**व्यवधान**) तुम्हारे गुरू को भी सिखाया है, तुम तो कल के आये हो ।

आचार्य भगवान देव : जितना लिखा है तुम्हारे खानदान में उतना नहीं लिखा होगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : बस, बस, बहुत देखें हैं तुम्हारे जैसे, बैठ जाओ । बात करिये कहीं चौड़े में जाकर । (**व्यवधान**) तेरे वर्गों को थाने वालों से पिटते हुए रोका करता था, छुटाया करता था । (**व्यवधान**) बहुत हो गया, बैठ जाओ । मैं जानता हूं तुम्हें और तुम्हारी 7 पीढ़ी को जानता हूं ।

सभापति महोदय : बागड़ी जी,

श्री मनीराम बागड़ी : यह क्यों नहीं अपनी औकात को देखकर बात करते हैं ? यहां झुंड में आकर ताकत दिखाना तो मामूली बात है, शक्ति के साथ बैठकर ताकत दिखाना कोई बड़ी बात नहीं । विरोध में बैठकर ताकत का मुकाबला करे तब बात होती है । शेर के सामने बैठे हो यह तुम्हारी जैसे बड़े आदमी छोटी बात करते है, वह बुरी बात है, मेरे जैसे विपक्ष में बैठकर छोटी बात करे, फिर भी बर्दाश्त करना होता है । तुम राज पार्टी के हो, शर्म आनी चाहिए किस तरह से विरोधियों के साथ पेश आते हो । आपको सोचना चाहिए, तमीज आनी चाहिए । आप यह समझते हैं कि किसी की जबान को रोक सकते हैं ? नामुमकिन बात है, जिस दिन जबान हमारी रोकेंगे, उस दिन लाखों का कंट रुकेगा, अकेले का थोड़े ही रुकेगा । क्या बचपने की बात करते हो ?

मैं चाहूंगा साठेसाहब आपकी जोड़ी मुबारक हो आपको । लेकिन कुछ मथुरा की तरफ देखो, राधाकृष्ण की तरफ भी देखो, कुछ कुरुक्षेत्र की तरफ भी देखो । हरियाणा में एक पैसा आप नहीं लगाते हैं, उधर भी आप देखें ।

हिन्दुस्तान समाचार या समाचार भारती वालों ने भारती नाम रख लिया तो कोई जुल्म नहीं हो गया । उधर भी आप देखिये । तनख्वाह का और जो भेद है, उसको मिटाइये ।

आपको मैं इसलिये भी कह सकता हूं कि दोनों शासन आपने देखे हैं, विपक्ष भी देखा है और सत्ता में भी हैं । राम, राम नहीं होते, अगर 14 साल वनवास नहीं जाते । राज छोड़कर नहीं जाते तो भगवान नहीं होते । जिसने सब दिन देखे हैं, उनसे कह सकता हूं । मैं उनसे नहीं कह सकता जो कल दुबक्की मारकर यहां आकर गद्दी पर बैठ गये । हो सकता है कोई चक्कर चल गया हो जिसमें यहां आ गये । भीष्म नारायण जी पुराने हैं, उनको जानता हूं, यह मुझे जानते हैं ।

[श्री मनीराम बागड़ी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि यू० एन० आई और पी० टी० आई से मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मुझे सख्त हमदर्दी है और आपको हमदर्दी होनी चाहिये समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार से आपको एक आचार संहिता बनानी चाहिये। जो तमाम यहां पर बैठते हैं सब बार वाले सबको दीजिये, एक ही एक को देते हैं, इससे बात नहीं बनती। आप रिकार्ड निकालकर देखें कौन-कौन हैं, कितने लोग आपके हैं। इंडियन एक्सप्रेस आपके खिलाफ लिखता है, कोई बात नहीं। मैं मानता हूं हो सकता है कोई ऐसी बात हो, लेकिन उस खिलाफत की भी जरूरत है डैमोक्रेसी में। जनतंत्र में इस बात की भी जरूरत है, कई जगह वह भी काम आती है। उन लोगों को भी आपको देखना चाहिये। इतनी बात मुझे कहनी थी।

सभापति महोदय : डिप्टी मिनिस्टर।

श्री मनीराम बागड़ी : हां, हां ठीक है, मेरे बाद आप ही बोलेंगी और कौन आयेगा। यह मेरी खुशकिस्मती है, आइये।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी कुमुदबेने एम० जोशी) : मैंने विपक्ष रूपचन्द्र जी रशीद, मसूदजी, गीताजी तथा कांग्रेस (ई) के डोगराजी और नरसिम्हा रेड्डी जी, सदस्यगणों तथा अन्त में श्री मनिराम बागड़ी जी के भाषणों को ध्यान से सुना। उन्होंने हमें साधुवाद दिया है। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। उन्होंने कृपापूर्वक साधुवाद लिया है।

महोदय, मैं विकास गतिविधियों तथा छठी पंचवर्षीय योजना में हम जो करना चाहते हैं उस पर ही अपना भाषण केन्द्रित करना चाहती थी। लेकिन अब मुझे स्पष्ट तौर पर बताना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष के कतिपय सदस्यों ने हमारे प्रचार माध्यम, विशेषकर टेलीविजन तथा आकाशवाणी पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान, हमारे सहकर्मी श्री साठे ने दोनों सदन में सदस्यों तथा विपक्ष के नेताओं तथा शासनदल के भाषणों से समाचार देने के संबंध में सही-सही आंकड़े प्रस्तुत किए है। दुर्भाग्यवश, मैं समझती हूं कि जिन सदस्यों अपने विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने रिकार्ड नहीं देखा है हां उन्होंने श्री साठे का भाषण सुना है।

श्री साठे सविस्तार उत्तर देंगे। लेकिन आज मैं कतिपय चीजें साफ-साफ कहना चाहती हूं और मैं रिकार्ड भी आपके समक्ष रखूंगी। अतः मैं विपक्षी सदस्यों के भाग लेने के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करूंगी। मैं साल दर साल का आंकड़ा पेश कर रही हूं। 1878-79 में जनता शासन काल के दौरान, विपक्ष से 7 सदस्यों को चार अवसरों पर अर्थात् प्रत्येक को एक बार मौका दिया गया था। उनके नाम है : श्री शफी कुरैशी, श्री भीष्म, पसवान शास्त्री, श्री योगेन्द्र शर्मा और श्री प्रणाव मुखर्जी, (कांग्रेस आई)। 1980-81 के दौरान, कांग्रेस शासन काल में विपक्ष के 16 सदस्यों को मौका दिया गया है। उन्हें 19 बार अवसर दिए गए हैं। जिन संसद सदस्यों तथा नेताओं को आमंत्रित किया गया था उनके नाम हैं; प्रो० मधु दंडवते, श्री अटल विहारी वाजपेयी, श्री मती मारग्रेट अल्वा और विपक्ष के अन्य सदस्य।

अब आकाशवाणी से राष्ट्रीय बुलेटिनों में संसद के समाचार दिए जाने के संबंध में बताऊंगी। दिसम्बर 1980 में, कांग्रेस (आई) के 94 संसद सदस्यों तथा विपक्ष के 252 संसद सदस्यों के समाचार दिए गए। जनता शासन काल में, अर्थात् 1979 में जनता पार्टी के 38 सदस्यों तथा विपक्ष के 81 सदस्यों के समाचार दिए गए, जनवरी 1981 में, कांग्रेस (आई) के सिर्फ 13 संसद सदस्यो तथा विपक्ष 31 सदस्यों के समाचार दिए गए, फरवरी 1981 में, कांग्रेस (आई) के 45 संसद सदस्यों और विपक्ष के 96 संसद सदस्यों के समाचार प्रसारित किए गए और मार्च, 1981 से 22 मार्च तक, क्योंकि इसके बाद का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, कांग्रेस (आई) के 14 सदस्यों तथा विपक्ष के 44 संसद सदस्यों के समाचार दिए गए।

वे 'टुडे इन पार्लियामेंट" में समाचार दिए जाने के बारे में अधिक बोल रहे हैं। लोक-सभा के बारे में यह स्थिति है—फरवरी-मार्च 1981, अर्थात् कांग्रेस सरकार के दौरान : कांग्रेस (आई) के 244 संसद सदस्यों तथा जनता और विपक्षी दलों के 406 संसद सदस्यों के समाचार दिए गए। अब मैं राज्य सभा के संबंध में आंकड़े दूंगी : कांग्रेस (आई) के 111 सदस्यों तथा विपक्ष के 381 सदस्यों के समाचार दिए गए।

एक माननीय सदस्य : कितना अन्याय हुआ है !

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : आपके नोटिस में एक चीज और लाना चाहती हूं क्योंकि रात-दिन वे आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के विरुद्ध आरोप लगाते रहते हैं, अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्री के विरुद्ध।

कतिपय बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार पत्रों में देश के प्रधानमंत्री के समाचार प्रकाशित किए जाने के बारे में बताने वाला यह एक विवरण है। अवधि है 1-1-81 से 14-1-81 तक यह, मुख्य शीर्षक, लीड तथा द्वितीय मुख्य शीर्षक, इत्यादि के बारे में है। इस अवधि के दौरान, "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने प्रधानमन्त्री के बारे में 13 बार समाचार दिए। "पैट्रियट" ने 13 बार, "स्टेट्समैन" ने 13 बार, "इण्डियन एक्सप्रेस" ने 12 बार "नेशनल हेराल्ड"—23 बार, "दी टाइम्स आफ इंडिया"—50 बार। इन समाचार पत्रों द्वारा दिए गए मुख्य शीर्षक की तुलना में आपको आश्चर्य होगा कि आकाशवाणी ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में सिर्फ 9 बार मुख्य शीर्षक दिए हैं।

संसद अथवा संसद के बाहर वे रात-दिन जो कुछ भी कहें, मैं समझती हूं कि इन आंकड़ों से आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य मंत्रालय के प्रचार माध्यमों के कार्यकरण का सही सही पता चल जाता है। विपक्ष के एक माननीय सदस्य प्रो० रूप चन्द पाल ने मेरा नाम लिया है। अत: स्पष्टीकरण कर देना मेरा कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा था कि एक कान्फ्रेंस में मैंने कहा था कि यह एक सरकारी माध्यम है। मैंने कहा था। स्पष्ट तौर पर मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि यह एक सरकारी माध्यम है। परन्तु हमने इस माध्यम को पूर्ण स्वतन्त्रता दे रखी है। हम उस तरीके से बात कभी भी नहीं करते जिस तरीके से तत्कालीन मंत्री तथा जनता सरकार के नेता बात करते थे। हमने उन्हें कार्य करने की स्वास्तता दे रखी है और यही कारण है कि इन विश्वसनीय नेताओं तथा दलों को इतना अधिक अवसर प्रदान किया जा रहा है। इन माध्यमों के कार्य में दिनानुदिन

[कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी]

दखल नहीं देते । मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि यह एक सरकारी माध्यम है और उन्हें कार्यकरण की स्वायत्तता दे रखी है ।

सभापति महोदय : आप विपक्ष को बढ़ावा दे रहे हैं ।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : हां, श्रीमान, यह आरोप लगाया जा सकता है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आकाशवाणी को इस प्रकार उपयोग नहीं करना चाहिए ।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या यह उचित नहीं होगा कि आकाशवाणी हमें उतना समय दे जो सभा में आनुपातिक रूप से हमें मिलता है क्योंकि आपने जो आंकड़े दिए हैं उनसे पता चलता है कि विपक्षी दल ज्यादा समय ले रहे हैं उन्हें अनावश्यक प्रचार मिल रहा है । क्या मैं आपसे एक वक्तव्य देने का अनुरोध कर सकता हूँ कि जैसा कि संसद में हमें मिलता है, वैसा ही हमारी संख्या के अनुपात में समय मिले ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : मेरा नाम प्रेस सेंसरशिप के बारे में उल्लेख किया गया था जब मैंने स्पष्ट रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी थी ।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदया, क्या मुझे उत्तर मिलेगा ? (व्यवधान)

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : हमने साफ-साफ उल्लेख कर दिया है कि हम प्रेस सेंशरशिप में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब राज्य के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था तब मैंने यह कहा था, जैसा कि कानूनी स्थिति है । मैंने राज्य प्राधिकरण की कानूनी स्थिति स्पष्ट की थी ।

सलाहकार समिति के बारे में मंत्रालय ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए सभी सलाहाकार, समितियों को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है और प्रक्रिया जारी है । अब मैं उन विकास गतिविधियों के बारे में बोलूंगी जो हम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करने जा रहे हैं । माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि अपने 14 माह के शासन काल के दौरान आकाशवाणी तथा दूरदर्शन और अन्य माध्यमों पर हमारी नीति का मुख्य केन्द्रीकरण व जोर ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करना रहा है जो आवश्यकता पर आधारित हो, विशेष रूप से साम्प्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय विकास । इसके अलावा, छुआछूत निवारण, अपंग व्यक्तियों को मदद करने के लिए सामाजिक जागृति पैदा करने, दहेज विरोधी प्रचार, कमजोर वर्गों को सहायता पहुंचाने, शिशु कल्याण, इत्यादि के समर्थन में कार्यक्रम तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया—यह जानकारी तथा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रजातन्त्र तथा लोगों के मनोबल को ऊंचा रखने, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ।

अब मैं वित्तीय पहलू तथा अपने मंत्रालय के कार्य निष्पादन के बारे में कुछ उल्लेख करूंगी । 1979-80 में, 23.52 करोड़ के योजना परिव्यय की तुलना में 10.82 करोड़ रुपए ही खर्च

किए गए अर्थात् 46 प्रतिशत। योजना स्कीमों की कार्यान्वित करने में चहुंमुखी प्रगति हुई है। मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगी। ऐसी आशा है कि आकाशवाणी 92.3 प्रतिशत उपयोग करेगी।

87.3 प्रतिशत खर्च दूरदर्शन के लिए और 74.7 प्रतिशत खर्च अन्य साधनों के लिए नियत किया गया है। समूचे रूप से जब हम योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, तब कुल खर्च लगभग 86 प्रतिशत होगा। यह इसलिए सम्भव है क्योंकि हमारा मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने में बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है।

अब, आकशवाणी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी क्योंकि सीमित समय होने के कारण तब कुछ विस्तारपूर्वक नहीं बताया जा सकता। सरकार और मंतालय समस्याओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति के बारे में जागरूक है और इसीलिए सरकार ने उप महानिदेशक का एक कार्यालय गोहाटी में खोलने का निर्णय किया है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दे रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए हमने गोहाटी में शार्ट वेव ट्रांसमिटर की शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए वहां पर 50 किलोवाट का एक ट्रांसमिटर लगाया जायेगा। 50 किलोवाट के एक और शार्ट वेव ट्रांसमिटर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा। मंत्रालय और सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विशेषकर सांस्कृतिक विकास के बारे में जागरूक है।

इसके साथ-साथ हम अपनी विदेश सेवाओं के बारे में भी जागरूक हैं। छठी योजना को अन्तिम रूप देते समय हाई पावर शार्ट वेव ट्रांसमिटरों के माध्यम से विदेश सेवाओं के विकास का भी ध्यान रखा गया है। अलीगढ़ में 250 किलोवाट के चार शार्ट वेव ट्रांसमिटर और बंगलौर में 500 किलोवाट के दो ट्रांसमिटर लगाने की योजना है। छठी योजना के दौरान खर्च होने वाले 122 करोड़ रुपयों में से 23 करोड़ रुपये की राशि तो इसी काम पर खर्च होगी।

अब सदस्य दूरदर्शन के बारे में जानना चाहेंगे। इस समय राज्यों के मुख्यालयों में सात दूरदर्शन केन्द्र हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में अहमदाबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में चार और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। आठ नये रिले केन्द्र पणजी, आसनसोल, मदुरै, मुर्शीदाबाद वाराणसी, विजयवाड़ा, कटक और कसौली में खोलने, उपग्रह के जरिए वर्तमान ट्रांसमीटरों के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्रों की स्थापना करने, 'इन्सार–1' के जरिये में गांवों में टेलीविजन सेवा की व्यवस्था करने की एक व्यापक योजना विचाराधीन है। विद्यमान दूरदर्शन केन्द्रों से लगभग 48,000 गांवों में प्रसारण किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर 62,000 हो जायेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रकाशन विभाग तथा रोजगार की गुन्जाइश के बारे में कुछ बातें कही है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगी कि हम अंग्रेजी में एम्पलायमेंट न्यूज और हिन्दी तथा उर्दू में रोजगार समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। पहले 2.26 लाख पत्र बिकते थे परन्तु अब इनकी संख्या बढ़कर 3.47 लाख हो गई है। इस महत्वपूर्ण सेवा से देश में बेरोजगार लोगों की

[कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी]

आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इससे लोगों का मार्गदर्शन होता है और उनको जानकारी मिलती है।

कुछ सदस्यों ने उर्दू भाषा का उल्लेख किया। इस बारे में मैं बतलाना चाहूंगी कि इस विभाग ने योजना को उर्दू भाषा में भी निकालने का निर्णय किया है।

अब मैं कुछ शब्द प्रेस सूचना विभाग के बारे में कहना चाहूंगी। प्रेस सूचना विभाग ने 1980-81 में पहली बार अध्ययन दौरों की एक योजना बनाई। इस योजना के अधीन प्रेस सूचना विभाग ने बारह ऐसे दौरों की व्यवस्था की। इनमें छोटे और मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों विशेषकर देशी भाषाओं के समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। इन बारह दौरों के लिए देश के विभिन्न भागों से 104 पत्रकारों ने भाग लिया। इनमें से 38 अंग्रेजी भाषा के और 66 देशी भाषा के समाचार पत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार देशी भाषाओं के समाचार पत्रों को बल देना चाहती है और उनकी मदद करना चाहती है।

कुछ सदस्यों ने छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को दी गई सुविधाओं के उल्लेख किया छोटे और मध्यम समाचार पत्र ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बहुत सेवा करते हैं। सरकार इसे अच्छी तरह जानती है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लोग अधिक अच्छी तरह समझ सकें इसके लिए सरकार ने छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को अधिक विज्ञापन देने का भी निर्णय किया है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को अधिक विज्ञापन दिये गये हैं।

फिल्म विभाग भी मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है। फिल्म विभाग क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के लिए वृत्त चित्रों की व्यवस्था करता है। क्षेत्रीय प्रचार यूनिट भी एक महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसका काम देश भर में विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में लोगों को उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करना होता है। फिल्म विभाग ने 16 एम० एम० प्रोजेक्ट स्कीम को लागू करने का निर्णय किया है। इसके लिए फिल्म तैयार करने के लिए दो केन्द्र अर्थात् एक कलकत्ता में और दूसरा बंगलौर में है। इन केन्द्रों में तैयार होने वाली फिल्में विशेष रूप से जनजाति के लोगों की कला, संस्कृति और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में होंगी। ये कार्यक्रम 1981-82 से तैयार होने आरम्भ होंगे।

एक महत्वपूर्ण संघटन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है। मैं इस यूनिट के बारे में इस में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। जब से नई सरकार ने सत्ता सम्भाली है तबसे इसने कई निर्णय किए है जिनसे अधिक अच्छी फिल्में तैयार करने में सहायता मिलेगी। जहां तक बेहतर फिल्मों का सम्बन्ध हैं मैं स्पष्ट कर दूं कि फिल्म बनाने वालों को ऋण देने की शर्तों को उदार बना दिया गया हैं। यदि हम कला, संस्कृति आदि पर अधिक अच्छी फिल्में चाहते हैं, तो हमें ऋण ब्याज की उचित दर पर देना होगा। अतः इस विभाग ने ऋण सम्बन्धी नीति को उदार बनाने का निर्णय किया है। ऋण के लिए अधिकतम सीमा जो पहले तीन लाख रुपये थी उसे बढ़ा कर अब सात

लाख रुपये कर दिया गया है। इससे नये फिल्म निर्माताओं तथा निर्देशकों को लाभ होगा। तीसरा निर्णय जो किया गया है वह यह है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्वयं फिल्में बनाने लग गया है। हम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। फिल्मों में सैक्स और हिंसा के बारे में आलोचना की गई है। अतः राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप फिल्में बनाने का निर्णय किया है।

इस ओर से मेरे एक साथी ने उनको लिखे गए मेरे एक पत्र का हवाला दिया है जिसमें सस्ते सिनेमा घरों का उल्लेख था। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघर बनाने का निर्णय किया है। उन कस्बों में, जिनकी आबादी 10,000 से 20,000 तक है, अधिक सिनेमा घर खोलने का निर्णय किया गया है। हम ग्रामीण लोगों को फिल्में देखने की सुविधाएं देकर उनका मनोरंजन कर सकते हैं और उन्हें शिक्षा दे सकते हैं।

यही बातें थीं जो मैं कहना चाहती थीं। अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिए गए समय के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने आपसे कहा था–पी० टी० आई० को 70 लाख, हिन्दुस्तान समाचार को 10 लाख, समाचार भारती को 10 लाख–इसके बारे में बतलायें। दूसरी बात यह थी कि आपके यहां जाति को बढ़ावा देने का प्रचार होता है, खास कर मथुरा और हरियाणा में कोई शर्मा है, कोई चतुर्वेदी है–इनके बारे में बतलायें ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : मनीराम जी ने पी० टी० आई और दूसरी समाचार एजेन्सियों के बारे में कहा है। उसके लिए हम इन्फार्मेशन कलैक्ट कर लेंगे, कल जब साठे साहब बोलेंगे तो अपने भाषण में उनका जिक्र करेंगे। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है – जाति-पाति जैसी चीज को बढ़ावा देने की बात है। आइडियोलाजिकली या विचारधारा की दृष्टि से गवर्नमेंट मीडिया में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। बल्कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व की यह सरकार चाहती है कि हायेस्ट पोस्ट पर भी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग आने चाहिए, हम उनको जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। मेरी मिनिस्ट्री में ऐसा कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं है और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस गवर्नमेंट में भी नहीं है।

आचार्य भगवानदेव : (अजमेर) सभापति महोदय, आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के ऊपर जो चर्चा चल रही है, उसमें भाग लेते हुए सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी तथा उनकी सहयोगी बहन कुमुद जी को बधाई देता हूं जिन्होंने जनता पार्टी के जमाने में जो आकाश-वाणी एडवानी-वाणी बनी हुई थी, उसको वास्तव में आकाशवाणी बनाया है और उसको क्रियात्मक रूप दिया है।

दूसरी बात—जो मांगें रखी गई हैं–मेरी दृष्टि में ये पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि यह माध्यम है बातों के फैलाव का, विचारों के फैलाव का। अभी मैं 9-10 देशों का दौरा करके आया हूं। वहां

[आचार्य भगवान देव]

जितना खर्चा इस डिपार्टमेंट पर दिया जाता है, उसको देखते हुए हिन्दुस्तान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए जो बजट स्वीकार किया गया है, मैं समझता हूं कि एक तरह से अनाथालय बना दिया है। मांगें तो हम भी करेंगे, विरोधी पार्टियों के लोग भी करेंगे—हमारे बागड़ी जी जा रहे हैं, मैं क्या कहूं मेरे मित्र हैं···

श्री मनीराम बागड़ी : आप कहते हो तो बैठ जाऊंगा।

आचार्य भगवान देव : बैठें तो बड़ा अच्छा है। आप शिकायत करते हैं। मैं कहता हूं रोते क्यों हो ? चेहरा ही ऐसा है मैं क्या करूं। शिकायतें तो बहुत करते हैं, कहते हैं कि डिपार्टमेंट के लोग मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं किस पार्टी में हूं। जो इतने रंग बदलता हो तो वे क्या करें। अभी कुछ समय पहले मैं बिहार जा रहा था। एक पेपर निकलता है—"आज" जो बनारस से प्रकाशित होता है। उसमें एक कार्टून छपा था। सम्पादक अपने विशेष संवाददाता से पूछ रहा है, तीन दिन से कहां गैरहाजिर रहे ? तुम तो विशेष संवाददाता हो, विशेष संवाद लाना था। कहने लगा—तीन दिन कोई विशेष संवाद नहीं मिला, इसलिए नहीं आया। साधारण समाचार तो और लोग लाते हैं। आज क्या विशेष समाचार लाये हो ? उसने कहा—आज सारा दिन राजनारायण कुछ नहीं बोले, यह समाचार लाया हूं। उस दल के नेता बागड़ी जी हैं, पता नहीं पहले कितने दल बदले गए, लेकिन शिकायत करते हैं—जाति-पाति की। मैं पूछता हूं—वह अपने को बागड़ी जी क्यों लिखते हैं, यहां पर शिकायत करते हैं। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, बल्कि इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि अमरीका और लन्दन में मैंने पता किया—वहां आकाशवाणी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कमी है। मैंने लन्दन में देखा—वहां टेलीविजन पर स्वर्गीय संजय गांधी के सम्बन्ध में एक बहुत ही रद्दी रील दिखाई गई, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मैंने संसद में भी इस बात को उठाया था। इससे साबित होता है कि बी० बी० सी० यहां पर न जाने कितने एजेन्ट खुले रूप में और कितने गुप्त रूप में रख कर इसके पीछे पैसा खर्च कर रही है। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि उस दृष्टि से हमारा जो बजट है, वह बिल्कुल एक अनाथालय जैसा ही है। मैं मांग करता हूं कि इस विभाग को अधिक से अधिक पैसा दिया जाए ताकि अच्छे कार्यक्रम वह रख सके हर क्षेत्र में और टेलीवीजन और आकाशवाणी की स्थापना भी कर सके।

रंगीन टेलीवीजन के बारे में हमारे माननीय—बागड़ी जी ने एक बात यह कही थी कि रंगीन टेलीवीजन करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो जायेंगे, हमारे 30, 35 करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव साठे साहब को देना चाहता हूं। सन् 1982 में यहां पर एशियाई खेल हो रहे हैं और मुझे पता लगा है कि जापान और बाहर के देशों ने इसकी रंगीन फिल्म लेने के लिए आपसे मांग की है। वे मांग क्यों कर रहे हैं ? वे इसलिए इसकी मांग कर रहे हैं कि रंगीन फिल्म लेकर संसार में उसको बेचें और नफा कमाएं। मेरा यह कहना है कि भारत सरकार

के लिए यह एक बहुत अच्छा चान्स है कि यदि रंगीन टेलीवीजन की व्यवस्था कर ले कुछ रुपया खर्च करके और रंगीन मूवी लेकर संसार को बेचे, तो रंगीन टेलीवीजन पर बहुत ज्यादा खर्च होने से जो उसके बजट पर प्रभाव पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा और करोड़ों रुपया वह इसपे प्राप्त कर सकती है। इससे केन्द्रीय सरकार के बजट पर जो प्रभाव पड़ता, वह नहीं पड़ेगा और अधिक रुपया उसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। खेलों की रंगीन फिल्म ले और संसार में उसको बेचे और किसी विदेशी एजेन्सी को फिल्म न लेने दी जाए। इसकी मैं जोरदार मांग करता हूं और भारत सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोचे क्योंकि यह एक नफे वाली बात है और इसी बहाने रंगीन टेलीवीजन भी शुरू हो जाएगा और इस तरह से बहुत बड़ा काम होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर 'समय' की बात कही गई। विरोधी पार्टियों की तरफ से यह कहा गया कि उनको कम समय दिया जाता है। मुझे आपसे यह शिकायत है कि हमें समय नहीं दिया जाता और मैं तो यह कहता हूं अपने माननीय मंत्री जी से कि वे एक जांच कमीशन बैठाएं और वह यह देखे कि हमारी और बागड़ी जी, हमारी और पासवान जी, हमारी और रामावतार शास्त्री जी की कितनी चर्चा होती है। यहां पर इस बारे में खूब चर्चा होती है। मैंने इन विरोधी पार्टियों को, जिनके नाम मैंने लिए हैं, आज तक यह जो पार्लियामेंट चालू हुई है और सातवीं पार्लियामेंट है, इसके अन्दर इन लोगों के नाम कितनी बार लिए गए और मेरा नाम कितनी बार लिया गया। उससे आपको अन्दाजा लग जाएगा कि कितना प्रोत्साहन विरोधी पार्टियों के लोगों को दिया जाता है और अनुपात की जो बात हमारे माननीय शर्मा जी ने कही, मेरा कहना है कि उस अनुपात के आधार पर हमें हक देना चाहिए। हमारा कोई उल्लेख नहीं होता है। शून्यकाल के अन्दर कितना समय बर्बाद होता है, एक-एक और दो-दो घंटे बर्बाद हो जाते हैं और अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि 'टु दि प्वाइन्ट बातें करिए,' खड़े होकर बात करिए लेकिन ये लोग खूब शोर मचाते हैं और एक घंटा, दो घंटे समय बर्बाद करते हैं।

अगस्त में अभी मैं लन्दन में था और वहां पर इन्डिया हाऊस में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बलराम जाखड़, भी थे और वहां एक प्रेस कान्फ्रेंस रखी गई थी। तो वहां पर प्रेस वालों ने पूछा कि आपके हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में रोज क्या हो रहा है और एक-एक, दो-दो घंटे बर्बाद होते हैं और वहां पर बड़ा शोरगुल होता है। इसका क्या मतलब है, यह भारत की पार्लियामेंट क्या मखौल बनी हुई है। तो उस समय माननीय अध्यक्ष, श्री बलराम जाखड़ ने यह कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्पीकर हूं और हमारे साथ ये मेम्बर आफ पार्लियामेंट आचार्य भगवान देव हैं, जो यहां बैठे हुए हैं, इसका जवाब ये देंगे। मैंने तुरन्त इसका जवाब दिया कि हम लोकशाही की स्थापना किए हुए हैं और जनता पार्टी के शासन में हमारी पार्टी की अध्यक्षा को, श्रीमती इन्दिरा गांधी को, इस पार्टी ने तानाशाही अख्तियार करके हाऊस से निकाला था और लोग तीन सेशनों में जो अगस्त तक हो चुके हैं, रोज शोरगुल करते हैं और हमने एक भी विरोधी पार्टी के किसी सदस्य को इस हाऊस में से बहुमत के आधार पर नहीं निकाला

[आचार्य भगवान देव]

और एक घंटे तक, दो घंटे तक और डेढ़ घंटे तक, ये शोरगुल करते हैं। उसकी सूचना लन्दन तक को मिलती है। इससे बढ़ कर लोकशाही क्या हो सकती है। हम आपको मौका देते हैं कि आपको जो बोलना हो, बोलो और यह सारी सूचना सारे संसार में जाती है और पता चलता है कि इनकी कीमत हैं, इनकी क्या वैल्यू है। आज जब बागड़ी जी बोल रहे थे, तो मैंने बीच में कुछ कह दिया तो हमारे बागड़ी जी का दिमाग उस वक्त तनाव में आ गया और उन्होंने कहा 'बैठ जाइए'। मेरा कहना यह है कि "टू दि प्वाइंट" आप बात करके देखें। आपको दुनिया नहीं जानती है, अधिकारी नहीं जानते हैं, आकाशवाणी को पता नहीं कि आप कौन-कौन सी पार्टी बदलते हैं। जब आप इतनी पार्टी बदल चुके हैं, तो बेचारे क्या करें। आप एक स्थान पर हों तो पता लगे। आप लोकदल में हैं, राज नारायण के साथ हैं, चौधरी चरण सिंह के साथ हैं यह तो पता लगना चाहिए। इसलिए किसी कर्मचारी को दोष देना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या आप ** अनुमति दे रहे हैं? क्या यह सही है?

आचार्य भगवान देव : जब अध्यक्ष महोदय, खड़े होते हैं तो ये खड़े रहते हैं, उस समय बैठते नहीं हैं। उस समय भी ये हुड़दंगबाजी करते हैं?

सभापति महोदय : आपका टाइम हो गया है।

आचार्य भगवान देव : आपने जिस अन्दाज में बात की, उसका आपको अन्दाजा नहीं है। आपका तो चेहरा ही ऐसा है।

माननीय सभापति महोदय, ये तो कुछ बातें विरोधी पार्टियों की थीं। अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो मैं अपने एरिए के बारे में इस बजट में मांग करता हूं। मेरे क्षेत्र अजमेर में टेलीविजन टावर लगाने की बात थी। उसके बाद पता नहीं इसे क्यों टाला जा रहा है? मेरे पास एक लेटर आ गया कि इसे स्थापित किया जाता है। आप शादी की तारीख निश्चित करने के बाद यह कहें कि शादी नहीं होगी तो यह बड़ा अन्याय है। आप अजमेर क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। वहां बहुत बड़े कलाकार हैं। अजमेर एक शिक्षा का केन्द्र है। बड़े-बड़े विद्वान् और कलाकार भी वहां हैं। वहां दरगाह शरीफ है, तीर्थराज पुष्कर है। वहां पर टेली केन्द्र की स्थापना करें।

आकाशवाणी का भी एक केन्द्र जो कि सभी दृष्टियों से सम्पूर्ण हो, आप वहां खोलें। राजस्थान से बार्डर लगता है। जैसा कि हमारे जैन साहब ने कहा कि बार्डर पर लोग पाकिस्तान का रेडियो सुनते हैं, हमारा रेडियो सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमारी आकाशवाणी वहां पहुंचती ही नहीं है। इसलिए आपको वहां के लिए एक पावरफुल रेडियो स्टेशन देना चाहिए। आप राजस्थान को एक पावरफुल आकाशवाणी का केन्द्र दे दें जिससे कि वहां के लोग हमारी गतिविधियों को सुन सकें, वे पाकिस्तान की ही गतिविधियों को न सुनें। आशा है आप इस पर ध्यान देंगे और बाड़मेर हो, या अजमेर इस पर विशेष ध्यान देंगे।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

एक मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस भाषा के कलाकार हों उनको आपको उसी भाषा के प्रांत में रखना चाहिए। यह न हो कि राजस्थान के कलाकारों को आप तमिलनाडु में भेज दें। उससे उन्हें वहां कार्यक्रम नहीं मिल पाते। अगर आपको उनका तबादला करना ही है तो उसी प्रांत में एक स्टेशन पर से दूसरे स्टेशन कर दें। अभी मुझे राजस्थान के कुछ कलाकार मिले थे, उन्होंने अपनी समस्या मेरे सामने रखी थी।

एक प्रार्थना मेरी सिंधी भाषा-भाषी लोगों के बारे में है। आपके प्रसारण केन्द्रों पर सिन्धी भाषा के कार्यक्रम निश्चित किए हुए हैं परन्तु मैंने दिल्ली में, भोपाल में, अहमदाबाद में, बम्बई में और बड़ौदा में यह देखा है कि वहां के आकाशवाणी केन्द्रों पर सिन्धी अधिकारी न होकर अन्य अधिकारी हैं। कम से कम आपको सिन्धी सेक्शन में तो सिन्धी भाषा-भाषी अधिकारी रखने चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुछ जबूरी हो लेकिन आप जानते हैं कि सिन्धियों का कोई प्रान्त नहीं है, कोई रेडियो स्टेशन नहीं है। इसलिए सिन्धी सेल में सिन्धी ही अधिकारी रखने की आप कृपा करें।

मैं इस बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर आप ध्यान देंगे।

* **श्री एन० सेलवराजू** (तिरुचिरापल्ली)—सभापति महोदय, मैं डी० एम० के० की ओर से जिसका मैं एक सदस्य हूं, वर्ष 1981-82 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों के बारे में थोड़े शब्द कहना चाहूंगा।

देश में रंगीन टी०वी० (दूरदर्शन) के बारे में माननीय मन्त्री जी ने हाल में बार-बार जो जोर दिया है। उससे मैं अवगत हूं। किन्तु मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि रंगीन दूरदर्शन के बारे में मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कोई उल्लेख न होने का क्या कारण है। इसी प्रकार उसमें माननीय मंत्री जी के उस भाषण का कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जहां तक आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार के सभी क्रिया-कलापों के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय मुख्य स्त्रोत होगा।

मैंने वार्षिक प्रतिवेदन को सावधानी पूर्वक पढ़ा है। 15 मई 1959 को दूरदर्शन दिल्ली में आरम्भ किया गया था। 22 वर्ष बाद 15.2 प्रतिशत जनता के पास टेलीविजन हैं और देश के 61 प्रतिशत कुल क्षेत्र में दूरदर्शन प्रसारण होता है। हमारे देश में 68 करोड़ लोग हैं और इस समय केवल 11, 51, 311 टेलीविजन सैट्स हैं। इस बात का मुझे भारी आश्चर्य है कि इतने अधिक क्षेत्र में टी० वी० प्रसारण कैसे हो पाया है। शहरी आबादी में भी इतना अधिक प्रसारण नहीं होगा—इससे बहुत कम होगा। स्पष्ट है कि इन आंकडों में गलती है और मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह देश में टेलीविजन प्रसारण की स्थिति को स्पष्ट करें।

---

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एन० सेलवराजू]

तमिलनाडु में मद्रास शहर में दूरदर्शन केन्द्र है। तटवर्ती शहर होने से 40 प्रतिशत प्रसारण तो समुद्र में बेकार चला जाता है और केवल 60 प्रतिशत प्रसारण मद्रास शहर के आसपास के क्षेत्रों को मिलता है। मद्रास दूरदर्शन केन्द्र का भू-प्रसारण इससे काफी कम है। मदुराई जिले में कोडाइकनाल में हमारा सेटेलाइट टी०वी० रिले व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। त्रिवेन्द्रम में भी एक दूरदर्शन केन्द्र खोलने का हमारा प्रस्ताव है। इस तरह देश के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक दूरदर्शन प्रसारण हो जायेगा। तमिलनाडु के मध्य भागों के टी०वी० द्वारा व्यापक प्रसारण को ध्यान में रखकर मैं ऐसा कह रहा हूं। मेरा सुझाव है कि तिरुचिरापल्ली में एक टी० वी० रिले केन्द्र या पूर्ण टी० वी० केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो पड़ोस के तंजौर, पुडुकोटे और सलेम जिलों में टी० वी० प्रसारण हो जायेगा और लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग टी० वी० देख सकेंगे।

छठी पंच वर्षीय योजना में तमिलनाडु की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। जब हम तमिलनाडु की अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हैं तो स्थिति इस प्रकार है—पश्चिम बंगाल को 1071 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, उत्तर प्रदेश को 974 लाख रुपये, कर्नाटक को 626 लाख रुपए और तमिलनाडु को पूरी छठी पंच वर्षीय योजना के लिए केवल 251 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु के साथ इस तरह का भेद-भाव पूर्ण (सौतेली मां की तरह का) व्यवहार क्यों बरता गया है। मैं मांग करता हूं कि तमिलनाडु के साथ न्याय किया जाना चाहिए ताकि तमिलनाडु के लोगों की आकांक्षाओं तथा आशाओं पर तुषारपात न हो।

कुछ महीने पूर्व मेरे नेता डा० के० करुणानिधि जो विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक सार्वजनिक समारोह में भाग ले रहे थे और इस समारोह को टी० वी० में भी दिखाया गया था तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री उस राजनैतिक महत्व को सहन नहीं कर सके जो प्रतिपक्षी नेता को दिया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित किसी भी सार्वजनिक समारोह में उन सम्बन्धित टी० वी० अधिकारियों को न बुलवाकर उन्होंने उनकी भर्त्सना की। उन्होंने इस मामले में केन्द्रीय सरकार को भी गलत ढंग से विवरण दिया। जब अधिकारियों ने अपनी गलती मानी उसके बाद अब उनका सार्वजनिक समारोहों में आना शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार भी तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के राजनैतिक दबाव में आई है। इस अधम कार्य के बारे में तमिलनाडु के लोग ऐसा महसूस करते हैं। डा० करुणानिधि प्रतिपक्ष के नेता हैं और उन्हें यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए जो लोकतन्त्र व्यवस्था में अपेक्षित है। इसी प्रकार टी० वी० वाले लोग हवाई अड्डों या अन्य स्थानों पर आयोजित स्वागत समारोहों आदि को, जिनमें स्थानीय संसद सदस्य भाग लेते हैं, महत्व नहीं देते हैं। वे संसद् सदस्यों को इतना महत्व भी नहीं देते जितना तमिलनाडु के चतुर्थ वर्ग के किसी फिल्म ऐक्टर के प्रति प्रदर्शित किया जाता है। इस पर भी मन्त्री जी को विचार करना चाहिए।

आकाशवाणी से रात 9 बजे जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं उनका केवल राष्ट्रीय महत्व ही नहीं है अपितु उन्हें बाहरी देशों को भी रिले किया जाता है। दुर्भाग्यवश, समाचार पढ़ाने

वाले समाचार नहीं पढ़ते हैं; वे समझते हैं कि वे स्वर-सामंजस्य कर रहे हैं किन्तु ऐसा लगता है कि वे हिन्दुस्तानी राग में समाचार गा रहे हैं। इसी प्रकार आकाश वाणी के अनाउन्सरों का भी ऐसा ही लगता है कि वे कार्यक्रमों के बारे में ही नहीं बता रहे हैं बल्कि गीत गा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रात नौ बजे के समाचार केवल वे कर्मचारी पढ़ें जो अच्छी तरह प्रशिक्षित हों और अंग्रेजी से पूर्णत: अवगत हों। इस समय तिरुचिरापल्ली में एक रिले केन्द्र है। सभी उपकरण तथा मशीनरी उसे पूर्ण स्टेशन में परिवर्तित करने के लिए लगाये गए हैं। किन्तु कर्मचारियों की भर्ती में विलम्ब के कारण इस कार्य में देरी हो रही है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तिरुची स्टेशन तुरन्त एक स्वतन्त्र स्टेशन बने। केवल ऐसा किये जाने पर ही तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रेडियो प्रसारण हो सकेगा।

दूरदर्शन पर जो गीत तथा अन्य कार्यक्रम होते हैं वे सभी आधुनिक समय के अनुकूल नहीं होते। दूरदर्शन में उन फिल्मों के गीत गाए जाते हैं जिनमें कुछ दशक पूर्व मुख्य मन्त्री ने भूमिका अदा की थी। नई फिल्मों के गीत टेलिकास्ट नहीं किए जाते। यह बहुत आवश्यक है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के चंगुल से मुक्त किया जाए और स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए।

इस बात को हम सभी महसूस करते हैं कि अन्धविश्वासी धारणाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषक रआर्थिक तथा सामाजिक प्रगति करने में भारी बाधाएं हैं। इसी प्रकार दहेज प्रथा और अनियंत्रित रूप से सन्तानोत्पत्ति भी उस प्रगति में बाधक हैं जिसे हम अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं। इन चीजों को प्रदर्शित करने वाली फिल्में-फिल्म विभाग द्वारा बनायी जानी चाहिए और चलती-फिरती गाड़ियों के जरिये उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाया जाना चाहिए। श्रव्य तथा दृश्य साधनों द्वारा प्रदत्त अनुभव से इन सामाजिक बुराइयों के बारे में ग्रामीण लोगों के दिमागों पर वांछित प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह जाति-पांति तथा साम्प्रदायिक संघर्षों से उत्पन्न सामाजिक तनावों के बारे में भी चलती-फिरती गाड़ियों की मदद से फिल्मों द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

प्रत्येक केबिनेट मन्त्री के साथ एक सूचना अधिकारी नियुक्त है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मुख्य काम समाचार पत्रों को मंत्री के टूर प्रोग्राम (दौरा कार्यक्रम) के बारे में सूचित करना होता है। उसे मन्त्रालय के क्रिया-कलापों तथा सर्व साधारण के हित में किए गए निर्णयों से पूरी तरह अवगत होने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसे ऐसे क्रिया-कलापों, जिनका सम्बन्ध सर्व साधारण के हित से है और राष्ट्र के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण से भी है, के बारे में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के पास कई विभाग हैं तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्मस, प्रेस फील्ड पब्लिसिटी, रजिस्टर आफ न्यूजपेपर्स आदि। इस कारण मंत्रालय प्रकाशन विभाग को जो उसके प्रभाराधीन है, उतना महत्व नहीं दे रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। इसे शिक्षा मन्त्रालय को या उस मन्त्रालय को जिसके अधीन भारत सरकार के मुद्रणालय हैं।

[श्री एन० सेलव राजू]

अन्तरित किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी की पुस्तकें, गजटियर आफ इंडिया आदि शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशन विभाग जिसे राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियों तथा उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है शिक्षा मंत्रालय के आधीन होना चाहिए। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही पुस्तकें केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी में होती हैं तमिलनाडु के विख्यात लोगों यथा थैंथाई पेरियार, चिदाम्बरम पिल्ले, अरिग्नार अन्ना, मु० बरादराजनार, कल्याण सुन्दानार, की जीवनियां प्रकाशन विभाग द्वारा तमिल में प्रकाशित की जानी चाहिए। मेरे नेता डा० के० करुणानिधि जिन्हें तमिल भाषा का अतुलनीय ज्ञान है, की रचनाएं प्रकाशन विभाग द्वारा अवश्य प्रकाशित की जानी चाहिए।

मद्रास में 16 एम० एम० का एक फिल्म सेन्टर स्थापित करने का प्रस्ताव था और मैं नहीं जानता सरकार ने किस राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण मद्रास में उसे स्थापित करने का निर्णय बदल दिया। अब इसे बंगलौर में स्थापित किया रहा है, 16 एम० एम० फिल्म सेन्टर केवल तभी सफल होगा जब उसे मद्रास में स्थापित किया जाये, मैं सरकार से इस निर्णय में परिवर्तन करने और उसे मद्रास में स्थापित करने अनुरोध करूंगा।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम और इसी प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रम केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं। किन्तु ऐसे सभी कार्यक्रमों का सारा श्रेय तमिलनाडु सरकार आकाशवाणी और दूर दर्शन के माध्यम से खुद लेती है और तमिलनाडु के लोगों को इस बात पता नहीं लगने दिया गया है कि इन योजनाओं को हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा शुरू किया गया है। मन्त्रीजी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य सरकार ऐसा अनुचित लाभ न उठाये।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। राज्य तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में जो स्थान रिक्त होते हैं और जिन्हें भरने के लिये भर्ती करने का विचार होता है, उनके बारे में सम्बन्धित क्षेत्रों की आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में बताया जाना चाहिए। इससे काफी सीमा तक अर्धनगरीय क्षेत्रों में बेरोजगार स्नातकों को लाभ होगा। इसी प्रकार, दूरदर्शन में होने वाली जगहों के लिए आकाशवाणी के कलाकारों को, चाहे उनकी आयु कितनी हो, वरीयता दी जानी चाहिए। केवल इस तरह आकाशवाणी के तदर्थ कलाकारों को स्थायी नौकरियां मिल सकती है।

मुझे इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना है कि क्षेत्रीय भाषाई समाचार पत्रों को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय से विज्ञापन नहीं मिलते हैं। यह सिद्धान्त निर्धारित कर देना चाहिए कि जिसका परिचालन 20,000 प्रतियों से अधिक होगा उसे विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय से विज्ञापन मिलेंगे। 1981-82 के बजट में अखबारी कागज पर हाल में 15% का जो सीमा शुल्क बढ़ाया गया है उससे समाचार पत्र उद्योग की रुग्णता में वृद्धि होगी। मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह अपनी सद्भावना का प्रयोग कर इस वृद्धि को कम करें।

अन्त में, फिल्मों की सेन्सर-व्यवस्था में निष्पक्षता नहीं है। एक तमिल चलचित्र को 'ए' प्रमाण-पत्र दिया जाता है और उसी चल-चित्र को जिसमें उसी तरह के दृश्य हैं किन्तु दूसरी भाषा में है उसे 'यू' प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह गलत है, स्थानीय उच्च पदाधिकारियों को और स्थानीय सांसद को भी क्षेत्रीय सेन्सर बोर्ड मे नियुक्त किये जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे वहां व्याप्त असन्तुलन दूर हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की जो डिमांडज हमारे सामने हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं।

जहां तक हमारे साठे साहब का सवाल है, मैं यह समझता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में इस तरह से इन्होंने अपनी डिमांड रखी हैं जिससे हमको आशा बंधती है कि कुछ न कुछ काम होने वाला है। इससे पहले जो सरकार थी, उसकी उपलब्धियां भी हमने देखी हैं। उसमें यह बात साफ थी कि उस समय इस तरह का प्रसारण भी होता था कि जो आदमी मरा नहीं है, जिन्दा है, उसकी पार्टी का राष्ट्र का नेता है, उसको भी मरा हुआ बताकर इस सदन में उसके लिए झंडे गिरा दिये गये कि वह मर चुके हैं। इसी तरह से रेडियो का भी प्रसारण सारे का सारा इसी तरह का था। सिर्फ हिन्दुस्तान में ही उसकी बदनामी नहीं हुई, बाहर के मुल्कों में भी इसकी बदनामी हुई।

आज हमारे सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह ऐसा विभाग है, ऐसा मंत्रालय है जिसको सिर्फ हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया इसको सुनती है। अगर कोई गलत प्रसारण होता है तो उससे हम बच नहीं सकते, जिम्मेदारी हमारी है। अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमारा कोई प्रचार नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि अपोजिशन का सबसे ज्यादा प्रचार होता है। वह खड़े होते हैं तो उसका प्रचार होता है कि खड़े हो रहे हैं, विपक्ष के लोग जब वाक-आउट करते हैं तो उसका प्रसारण भी होता है। जब हम लोग यहां से कहते हैं कि भाइयों, बैठ जाओ, आपका और हमारा दोनों का उद्देश्य यह होना चाहिये कि देश के सामने इस तरह का प्रदर्शन करें इस तरह की बात करें कि लोगों को लगे कि इस माननीय सदन में जो हमारा मंदिर हैं हिन्दुस्तान का उसमें हम लोगों की आस्था है। हमको यहां पर नियम का पालन करना चाहिए और जहां तक हो अच्छे सजैशन देने चाहिए।

अपने-अपने क्षेत्र के टेलीविजन के बारे में बातें आई हैं। मैं साठे साहब से कहूंगा कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, यहां टेलीविजन में किसानों का प्रोग्राम दिखाया जाता है, उस पर तो खूबसूरत कलाकार आने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि किसान को कहें वह करो यह करो। यहां बाहर के 80,85 कंटरीज के लोग भी रहते हैं। इसलिए टेलीविजन के कार्यक्रम में सुधार करने की आवश्यकता है।

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

आप अमृतसर, जालन्धर वगैरा जगहों को देखिए। तमाम जगह आपके कलाकार अच्छे प्रोग्राम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दिल्ली की राजधानी में इन प्रोग्रामों को सुधारने की जरूरत है। मैं यह भी समझता हूं कि पिछले दिनों में जो यहां भर्ती हुई होगी, उसमें उन लोगों ने आर० एस० एस० के कैडर को घुसेड़ दिया होगा, समझ में नहीं आता है कि वह लोग क्या करते हैं। इसमें भी गहराई से छानबीन करने की जरूरत है।

जहां तक आपकी उपलब्धियों का ताल्लुक है, वह बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह से आपने प्रेस को आजादी देने की बात की है, इन लोगों ने कहा है कि प्रेस की आजादी खो दी है। मैं कहता हूं कि प्रेस का यह काम है कि जो सही हालत है, वह आवाम के सामने जनता के सामने रखे। प्रेस का यह काम नहीं है कि फलां जगह उपद्रव हो गये, गड़बड़ हो गई और उसको छाप दिया। अखबारों का पेपर का काम है कि गांवों में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, जो हमारी सरकार नेक काम करती है, उसका प्रसारण वह करें। यह नहीं होना चाहिए कि बिना मतलब झूठी बातें पैसा कमाने के लिए अखबारों में छाप दें। जो अखबार इस तरह की बेहूदा खबरें छापते हैं, उनकी तरफ भी आपकी निगाह जानी चाहिए। हमको जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोच-समझकर इस तरह के कदम उठाने चाहियें। हिन्दुस्तान में प्रेस का अखबार का बड़ा भारी रोल है, कार्यक्रम है जो कि हमारे देश को आगे ले जा सकता है। लेकिन हमारे सम्पादक, एडीटर और अखबार के मालिकों का भी फर्ज है कि इस सरकार को सिर्फ कमजोर करने के लिए अपने गन्दे अल्फाजों का इस्तेमाल करना छोड़ दें। इसके लिए जरूरी है कि जो सम्पादक, अखबार के मालिक हैं उनको एडवटाईजमेंट तब मिलने चाहिए जब वह हमारी सरकार की बातें भी लिखें। वह सारी बातें ऐसी भर देते हैं, मानो हिन्दुस्तान में कोई शासन ही नहीं है। देश को आगे ले जाने की बातें आनी चाहिए।

किसानों का जो प्रोग्राम देते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि आलू, सेब और सन्तरे के भाव ये हैं, दर्जनों के हिसाब से उनको लिखा जाता है। रोज इसका प्रसारण होता है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो वह भाव नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से जो दलालों की दिल्ली के हिसाब से प्रसारण करते हैं, इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। हमारे जमींदार बड़े भोले-भाले होते हैं। रेडियो का प्रोग्राम सारे देश में सुना जाता है और टेलिविजन के प्रोग्राम भी बहुत जगह देखे जाते हैं। हमारे यहां काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा होता है और आलू, टमाटर और गोभी की फसल होती है। जब वे लोग मार्केट में आते हैं, तो उन्हें रेडियो पर सुनाये गये भाव नहीं मिलते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि किसान प्रोग्राम में बिल्कुल सही सूचना दी जाए।

रेडियो और टेलिविजन पर फैमिली प्लानिंग के अच्छे प्रोग्राम भी जरूर होने चाहिए, ताकि आम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जनता पार्टी वालों ने तो कह दिया था कि लोग अपनी खुशी से फैमिली प्लानिंग करायें, अगर हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ती है, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें तो अपनी जिम्मेदारी का पता ही नहीं था। उनकी सरकार तो अपने आप खत्म हो गई। फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रमों का प्रसारण ठीक होना चाहिए। अभी तक उनकी ठीक व्यवस्था नहीं है।

हमारे मंत्री बड़े समझदार हैं। हम उन्हें टेलिविजन पर देखते हैं। हमारे अध्यक्ष, श्री बलराम जाखड़, तो सबसे लम्बे नजर आते हैं। वह इन्टव्यू में भी कमाल करते हैं। टेलिविजन पर इन्टरव्यू करने वाले कनफ्यूज हो जाते हैं।

मैं ये प्रोग्राम यहां दिल्ली में देखता हूं। शिमला में अभी तक टेलिविजन सेंटर नहीं बनाया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश और काश्मीर के लोग भी फायदा उठा सकें। वहां की सब स्कीमें सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। कागजों में लिखा है कि वहां के लिए इतने करोड़ रुपये रखे गये हैं, लेकिन अभी तक किसी स्कीम को पूरा नहीं किया गया है। मैंने इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश की तरफ ध्यान दें। बजट में जो रकम रखी गई है, उसका उपयोग किया जाये। वहां पर बहुत जगह है। हिमाचल प्रदेश बार्डर का इलाका है। वहां के लोग हमेशा देश के प्रति वफादार रहे हैं। हमारे नौजवान हमेशा आजादी की लड़ाई में, और फिर फौजी बन कर, देश के लिए लड़ते रहे हैं। हम चाहते हैं कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड वगैरह सीमावर्ती क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया जाये। रंगीन टेलिविजन का काम बाद में हो, उससे पहले हिन्दुस्तान की तस्वीर खूबसूरत, रंगीन पहाड़ों के वायु-मंडल तक पहुंचे।

हम मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि वह हिमाचल प्रदेश में टेलिविजन केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें। वह यह काम कर सकते हैं। हमारे यहां चैल एक ऐसी जगह है, जहां संसार का सबसे बड़ा ग्राउन्ड है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गये थे। अगर वहां पर टेलिविजन केन्द्र बन जाये, तो फायदा हो सकता है। कसौली एक फौजी छावनी है, इसलिए वहां के लिए इजाजत नहीं दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में चैल, शिमला या पोलन में टेलिविजन केन्द्र बनाया जा सकता है।

एक क्वेस्चन के जवाब में मंत्री महोदय ने सब स्टेट्स के लिए रखे गये रुपये का ब्यौरा दिया था। उसमें हिमाचल प्रदेश और काश्मीर को भी शामिल किया गया। उसमें हिमाचल प्रदेश और काश्मीर को भी शामिल किया गया था। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उनकी तरफ तवज्जुह दें।

मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। हिन्दुस्तान में सबसे पहले 1921 में इसकी शुरुआत हुई। पहला कार्यक्रम 1923 में कलकत्ता से और फिर 1924 में बम्बई से प्रसारित हुआ। सूचना प्रसारण विभाग 1941 से तथा आजाद हिन्दुस्तान ने सबसे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री हम वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस समय इस काम को देखा और यह काम बड़ी जिमेदारी का काम है। इसकी स्वायत्ता के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।

[श्री सत्यनारायण जटिया]

हम किसी पक्ष के ऊपर इसकी जवाबदेही डाल दें इससे यह बात नहीं बनेगा। पंडित नेहरू ने 15 मार्च 19 8 को संविधान सभा में विदेशी प्रचार पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा था कि—

"मेरे विचार में प्रसारण का स्वरूप यथा संभव ब्रिटिश ढांचे का बी. बी. सी. की तरह का होना चाहिए, अर्थात् अच्छा होगा कि यदि हम सरकार के अधीन अर्द्ध स्वायत्त निगम रखें, जिसकी नीतियां सरकार नियंत्रित करे, अन्य अर्थों में सरकारी विभाग के रूप में नहीं बल्कि एक अर्द्ध-स्वायत्त निगम के रूप में। लेकिन मैं नहीं सोचता कि यह तत्काल व्यवहार्य होगा। मैंने सदन में इसका केवल उल्लेख किया है। मेरे विचार में हमें इस उद्देश्य को सामने रखना चाहिए, भले ही हमें कठिनाइयां आएं। दरअसल, अधिकांश मामलों में हमारा उद्देश्य अर्द्ध स्वायत्त निगम होना चाहिए। स्पष्टतः नीति और अन्य बातें सरकार द्वारा नियंत्रित होंगी। लेकिन सरकार या सरकारी विभाग उनके रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन यह तात्कालिक प्रश्न नहीं है।"

यह उन्होंने उस वक्त कहा था, सन् 1948 में। आज तो हम 32 33 साल आगे बढ़ चुके हैं। हमें स्वायत्ता के बारे में विचार करना चाहिए। दुनिया के अनेक देशों में यह महत्वपूर्ण प्रसारण का आकाशवाणी और टेलीविजन का विभाग वहां स्वायत्त शासी संस्थाओं को दिया हुआ है। आस्ट्रेलिया के अन्दर ब्राडकास्टिक कमीशन है जो संघीय सरकार के खर्चे से चलता है। उसके सारे खर्चे मे चलता है। उसके सारे खर्चे का पूर्ति तो सरकार करती है लेकिन वह जो कार्यक्रम प्रसारित करता है उसमें वह पूरा स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, उनको सरकार कोई निर्देश नहीं देती। बेल्जियम में रेडियो और टी वी की संस्थाएं हैं वह स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। कैनाडा में कैनाडियन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, सरकार के प्रति नहीं। चीन में व्यवस्था है। रेडियो पीकिंग की जो प्रसारण व्यवस्था है उसे सारी दुनिया जानती है, बहुत सशक्त प्रसारण क्षमता है। हमारे देश में हम कहां हैं इसके बारे में विचार करना चाहिए। पश्चिम जर्मनी में तो मौलिक कानून के अनुच्छेद 555 के अन्तर्गत अभिव्यक्ति, प्रेस और प्रसारण की आजादी की गारन्टी दी गई है और यह व्यवस्था है कि सेंसरशिप कभी लागू नहीं होगी।

सारी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा। फ्रांस का रेडियो और टी वी सरकारी नियंत्रण में नहीं है। वहां पहले सरकारी नियंत्रण था। 1978 में उसका पुनर्गठन किया गया। छः सदस्यीय प्रशासनिक मंडल में दो सरकारी प्रतिनिधि हैं, एक संसद सदस्य हैं, एक समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं, एक उनके स्टाफ का प्रतिनिधि है और एक सांस्कृतिक क्षेत्र का व्यक्ति भी उन्होंने लिया है। इस प्रकार के छः व्यक्तियों का एक प्रशासन मंडल बनाया हुआ है। ऐसे ही जापान के अंदर है। जापान प्रसारण के क्षेत्र में स्वायत्त है। वहां एन एच के जापान ब्राड कास्टिंग कारपोरेशन सारा काम देखता है। वह अपना खर्च स्वयं जुटा लेता है, इसलिए किसी प्रकार के सरकारी

या और स्रोत पर निर्भर नहीं रहता। अन्य देशों के बारे में जब यह ये सारी बातें हैं तो हमारा देश कहां है, इस बारे में हमें सोचना होगा।

कार्यक्रमों के अन्दर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, यह तभी संभव होगा जब हम इसको आटोनामस स्टेटस दें। नेहरू जी ने कहा था अर्द्ध स्वाययत्ता दे दी जाय, क्या यह बात अब तक पूरी हुई हैं ? इस बारे में हम समझते हैं कि पिछले वर्षों में कुछ काम हुआ है, उस काम को और बढ़ाना चाहिए।

जहां तक इस प्रसारण का मामला है इसमें हम काफी पीछे हैं। शार्ट वेव ट्रांसमिशन में हम काफी पीछे रह गए हैं। अभी हमारे यहां तो यह स्थिति है कि हम 250 किलोवाट के शार्ट वेव प्रसारण के युग में है जबकि दुनिया के 11 देशों के अन्दर इस प्रसारण में 500 किलोवाट शार्ट वेव के माध्यम से वे ट्रांसमिट करते हैं। हमारा सशक्त ट्रांसमिशन होगा तो अपने देश की नीति के बारे में और उसके कार्यकलापों के बारे में सारे विश्व को हम बता सकेंगे।

आज जब सारी दुनिया में इसकी होड़ लगी हुई है हम यदि अपने आप को आगे न बढ़ा पायें तो यह ठीक नहीं होगा।

जहां तक टी वी का मामला है हिन्दुस्तान के अन्दर टी वी की तो अभी शुरूआत है। मैं समझता हूँ कि 1959 से शायद यह शुरू हुआ होगा। किन्तु इसमें हम आगे नहीं बढ़ पाये। इसमें हम कुछ उल्लेखनीय कार्य कर पाये हों, ऐसा नहीं है। हिन्दुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा भाग ऐसा है कि जिसके लिए टी वी की सुविधा नहीं मिल पायी है। मेरा कहना है कि टी वी को किस प्रकार से विकसित किया जाय, इसको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। ये जो आपके संचार विभाग के माइक्रोवेव टावर हैं उनसे भी रिले करके हम इस व्यवस्था को काफी आगे बढ़ा सकते हैं।

यह मास एजूकेशन का बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। कृषि के लिए आप प्रसारण कर सकते हैं। गांव-गांव तक हम जो टेक्नालोजी को ले जाना चाहते हैं उसके लिए अगर ठीक प्रकार से प्रसारण किए जायेंगे तो उनसे सभी को लाभ मिलेगा। आज कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान किए जा रहे हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी जो विकास कार्य चल रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं और विरोधी पक्ष की जो बातें हैं—इन सारी बातों को देने के लिए टी वी एक प्रभावी माध्यम है। मुझे पता लगा है कि दिल्ली का जो टी वी है वह भी कोई एफिशिएन्ट नहीं है। उसके कार्यक्रम थका देने वाले एवं नीरस होते हैं। वहां पर कुछ लोगों की सूची बनी हुई है जिससे कुछ लोगों को तो प्रोत्साहन मिलता है और कुछ लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। ऐसे डेढ़ सौ, दो सौ ड्रामा के कलाकार हैं, इन्सटूमेंट्स के कलाकार इनलिस्ट हैं—इन सभी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। निश्चत रूप से यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम है। टी वी के सम्बन्ध में

[कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी]

सरकार को कोई उचित नीति बनाने पर विचार करना चाहिए ताकि उसके द्वारा सभी को प्रोत्साहन मिल सके।

जहां तक मध्य प्रदेश का मामला है, वहां पर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी बहुत कम है। भोपाल में दूरदर्शन है ही नहीं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर दूरदर्शन होना चाहिए। इन्दौर में मीडियम वेव से प्रोग्राम ट्रांसमिट किए जाते हैं, वहां पर शार्ट वेव ट्रांसमिटर होना चाहिए। उज्जैन एक सांस्कृतिक नगर है। इसी प्रकार से रतलाम, मंसोर, ग्वालियर जो भी स्थान हैं वहां पर इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करने की बात सोची जानी चाहिए। हमारे संचार विभाग की ओर से जो माइक्रो टावर लगे हैं उसके माध्यम से आप प्रोग्राम्स को रिले तो कर ही सकते हैं। अगर सारा देश आगे बढ़ता जाए और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की सुविधायें न पहुंचें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मेरी मांग है कि रतलाम, मन्सौर उज्जैन, ग्वालियर— ऐसे जो भी स्थान हैं वहां पर रेडियो स्टेशन की कैपेसिटी को बढ़ा जाए तथा टेलिविजन की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में भी मंत्रालय विचार करे।

अन्य जो तमाम बातें हैं उनको कहने के लिए बहुत काफी समय चाहिए। मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस विभाग में काम करने के लिए कोई विदेशी तो आने वाला नहीं है, हमारे अपने ही लोग वहां पर हैं और हमारी अपनी टेक्नालाजी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनमें विदेशों पर निर्भर रहना होता होगा। उसी तरह से विकास के काम में यदि हम विदेशों की मदद न लें तो मैं समझता हूं वह ठीक नहीं रहेगा। विदेशी टेक्नालोजी के माध्यम से हम देश में विकास का काम करें। दुनिया के वे देश जोकि हमारे साथ आजाद हुए थे उनमें आज काफी प्रगति हुई है, उनमें ट्रांसमिटिंग पावर काफी बढ़ी है। इसलिए हमें भी वी वी सी या वायस आफ अमेरिका की ताकत के अनुरूप अपने देश की ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी खड़ी करनी चाहिए।

जहां तक समाचारों के प्रेषण का मामला है, अथवा समाचार एजेंसी का मामला है, उसके बारे में भी हमारा कोई दुर्लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भाषायी समाचार जोकि ठेठ गांव तक पहुंचते हैं इनके सम्बन्ध में सरकार को सोचना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो भाषायी समाचार एजेन्सी हैं, जो भाषायी समाचार ट्रांसमिट करती हैं जो नागरी लिपि में समाचार ट्रांसमिट करती हैं उनको प्रोसाहन देने की बात सरकार को सोचनी चाहिए। हिन्दुस्तान मशीन्स का जो कारखाना मद्रास में लगा हुआ है वह भाषायी समाचारों के लिए उपयुक्त मशीन नहीं बना पाता। उसकी अपनी कुछ कठिनाइयां होंगी लेकिन अगर विभाग इसके बारे में रुचि ले तो मैं समझता हूं बहुत कुछ करना सम्भव हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है।

जहां तक सेन्टर बोर्ड का मामला है, इसके बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहती क्योंकि मुझे समयाभाव के कारण अपनी कोई बात सेन्सर नहीं करवानी है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक फिल्म एक भाषा में बनती है, नमूने के लिए फिल्म 'प्रतिशोध" जब तमिल

भाषा में बनी थी तब उसको "यू" सर्टीफिकेट दिया गया था लेकिन जब वही फिल्म डब करके हमारे यहां बनाई गई तो उसको "ए" सर्टिफिकेट दिया गया। जो भी बात हम यहां पर कहें उसको अगर दूसरी भाषा में कह दिया जाए तो उसका अर्थ नहीं बदल जाता, उसका रूप नहीं बदल जाता। भाषा अलग है लेकिन बात वही है। जैसे कि मैं यहां पर बोल रहा हूं तो उसको अंग्रेजी भाषा में इन्टरप्रेट किया जा रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदल रहा है। इसलिए यह जो सेंसरशिप का गोरखधंधा है। उस पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे यहां फीचर फिल्म ज्यादा बनाई जानी चाहिए जिनके माध्यम से कृषि तथा दूसरी टेक्नालाजीज के विकास का काम होना चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा था, मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बताया गया है कि प्रसारण के काफी घंटे बढ़ा दिए गए हैं। वैसे यह खुशी की बात है लेकिन जो घंटे बढ़े हैं वह किस तरह से बढ़े हैं? आपने विविध भारती के प्रसारणों को बढ़ा दिया है। अगर वास्तव में एजूकेशन को हम देखें तो उसके प्रसारण केवल 3 परसेन्ट और ग्रामीण प्रसारण 5 प्रतिशत है। तो इसको केवल मनोरंजन के साधन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, जबकि दुनिया के दूसरे देश टैक्नालाजी को बढ़ाने के क्षेत्र में और एजूकेशन बढ़ाने के क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं।

सभापति जी, आपको भी पता होगा कि बी. बी. सी. ने ओपन-यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम शुरू किया है। जब दुनिया के देश इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के आधार पर विकास कर सकते हैं, तो भारत देश क्यों नहीं कर सकता ?

जैसा कि हमारी बहन माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि हमने काफी स्वायत्तता दे रखी है, जैसाकि उनके कार्यक्रमों से पता चलता है। स्वायत्तता स्वरूप देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, जिससे आप को पता चल जाएगा, जनवरी माह के पहले पखवाड़े में रात्रि अंग्रेजी न्यूज बुलेटिन में प्रसारित हुई हैं विदेशी सरकार के अलावा मेरा देश के किसी नेता या प्रधानमंत्री के बारे में आरोप नहीं है, किन्तु जो लाइनें उस पखवाड़े के अन्दर प्रसारित हुई है वे हैं 2551। प्रधानमंत्री के सम्बन्ध में जो स्थान दिया गया वह स्थान है 532 पंक्तियां कांग्रेस पार्टी को 734 पक्तियां अपोजीशन के लोगों की 134 लाइनें हैं—इस प्रकार 50 प्रतिशत प्रकाशन सिर्फ कांग्रेस (इ) के प्रचार के लिए रहा। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि संसद की सारी बातों का ज्यादा से ज्यादा प्रसारण होना चाहिए। प्रजातन्त्र के अन्दर डैमोक्रेसी के अन्दर हर एक व्यक्ति को भावनाओं की अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभापति जी, मैं सोचता हूँ कि हमारे योग्य मंत्री जी जो मैंने सुझाव दिए हैं, उन पर विचार करेंगे तथा मध्य प्रदेश के अन्दर रेडियो से प्रसारण के बारे में और टैलिविजन के बारे में जो मैंने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ सभापति जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान की मांगों के बारे में मैं अपने विचार आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

सूचना एवं प्रसारण विभाग अगर मुस्तैदी से काम करे तो सामाजिक क्रांति पैदा कर सकता है। सामाजिक क्रांति पैदा करने की आवश्यकता इसलिए है कि अभी हमारे हिन्दुस्तान में बहुत से रुढ़िवादी तरीके, रुढ़िवादी जो सिस्टम चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। फिल्म डिवीजन ने कुछ कार्य किया है। मैं फिल्म डिवीजन ने जो फिल्में बनाई हैं उनको देख रहा था, परन्तु उनको और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकत है। परिवार नियोजन के बारे में भी फिल्म बनाने की आवश्यकता है। जो फिगर्स दी गई है, वे एलार्मिंग फिगर्स हैं। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस वक्त हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी और अब वह बढ़ कर 68 करोड़ हो गई है। इसलिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सूचना और प्रसारण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, जो कि उसको करना चाहिए। इस संबंध में फिल्म डिवीजन भी कार्य करे और जितनी भी भाषायें हैं, चाहे वह सिन्धी हो, राजस्थानी हो, प्रत्येक भाषा में परिवार नियोजन के कार्यक्रम का प्रसार और प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना हमारी प्रगति और विकास नहीं हो सकता है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना की प्रगति इस पर निर्भर है कि हम किस प्रकार परिवार नियोजन के कार्यक्रम को फलीभूत कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश की तरक्की हो सके। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि फिल्म डिवीजन सक्रिय रोल प्ले करे और परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिया योनदान दे, ताकि यह कार्यक्रम सफल हो सके।

दूसरी बात—अभी मेरे मित्र आचार्य भगवान देव कह रहे थे कि आपके साधन बड़े सीमित हैं, इसलिए आपके सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको प्राथमिकताओं को देखना ही पड़ेगा। यदि प्राथमिकताओं को नहीं देखेंगे, तो कार्य नहीं चलेगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर है—तो 70 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हरियाणा प्रांत से पौने दो गुना है। इस क्षेत्र की आप ने घोर उपेक्षा कर रखी है। हमारे क्षेत्र के 50 प्रतिशत भाग में तो हम रेडियो की खबरें भी नहीं सुन पाते, जयपुर की न्यूज नहीं पहुंच पाती, अजमेर की न्यूज नहीं पहुंच पाती, बीकानेर सूरतगढ़ की न्यूज नहीं पहुंच पाती यहां तक कि दिल्ली का रेडियो भी वे नहीं सुन पाते। जब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद 1971 में युद्ध हुआ उस समय वहां की आवाज बहुत साफ सुनाई देती थी, कराची और लाहौर के रेडियो बहुत बुलन्द आवाज में बोलते थे। आप हमारे मोरेल को बूस्ट करना चाहते हैं, आप कहते कि हम देश के प्रहरी हैं - लेकिन हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं? पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपने हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, चौथी पंचवर्षीय योकना में किया लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में मैंने देखा कि आपने हमारे लिए कोई प्रावधन नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है, पता नहीं क्यों आप हमारी अवहेलना कर रहे हैं। यही अवहेलना आपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की की थी, जिसके नतीजे आज आप भुगत रहे हैं और अब आप जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं—हम भी सजग हैं, हमारी

जनता भी सजग है, रेगिस्तानी क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, 10 वर्ष के सेन्सस के अनुसार 45 परसेन्ट बढ़ी हैं, इसलिए इस क्षेत्र के बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

इसी तरह से आज राजस्थान के रेडियो स्टेशन की यह स्थिति है कि हम जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की न्यूज दिल्ली में सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते हैं। यहां के स्टेशन्स इतने कमजोर हैं कि उनकी आवाज यहां नहीं सुनाई पड़ती है। हम दिल्ली में बैठकर अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की जानकारी लेना चाहें तो ले नहीं सकते हैं। यह स्थिति हम बरदास्त नहीं कर सकते हैं। आकाशवाणी की दृष्टि से हमारी घोर उपेक्षा की गई है, दूरदर्शन की दृष्टि से तो हम कहीं भी नहीं हैं, हमारा कोई भी स्थान नहीं है। जयपुर में आपने कहा है। लेकिन जोधपुर भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है—इन सबके लिए दूरदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए।

अब थोड़ा सा दूरदर्शन के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैंने दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखा है—आपके दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत समय तो मनोरंजन के कार्यक्रमों पर लग जाता है। इन कार्यक्रमों को थोड़ा एजुकेटिव वैल्यूज देनी होगी; सामयिक कार्यक्रमों को हाथ में लेना होगा, एक तरह कंस्ट्रक्टिव रोल आपके कार्यक्रमों को प्ले करना चाहिए। डवेलपमेंटल एक्टिविटीज की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। जो फिल्में दूरदर्शन पर दिखलाई जाती हैं वे हिंसा को प्रोत्साहन देती हैं, घृणा को पैदा करती हैं। मेरी दृष्टि में इस प्रकार की फिल्मों को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। फिल्मों में सिलेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरा अनुरोध है मंत्री जी तथा डिप्टी मिनिस्टर महोदया स्वयं इन फिल्मों को देखें, क्योंकि आज जो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, जो ला-लेस नेस-छाई हुई है, जो घृणा का वातावरण फैला हुआ है उस में इन फिल्मों का सक्रिय योग है···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र —जारी

लघु विनिर्माताओं द्वारा निर्मित कुछ मदों पर उत्पादन शुल्क से छूट देने वाली अधिसूचना

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) मैं श्री सवाई सिंह सिसोदिया की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 62/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से 73/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सां० सा० नि० 192 (ङ) से 203 (ङ)) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 25 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

[श्री वसन्त साठे]

दुई थी तथा लघु विनिर्माताओं द्वारा निर्मित सुलक्ष्य जिन्सों के लिए उत्पाद शुल्क छूट प्रदायी योजनाओं में कतिपय संशोधन करने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल० टी० 2194/81]

आधे घण्टे की चर्चा

छठी योजना के दौरान पेय जल की ओर विशेष ध्यान देना

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी मानव की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि हम अपने देश के मानचित्र पर दृष्टि डालें, तो हमें पता लगेगा कि सबसे अधिक पानी की समस्या राजस्थान प्रान्त में है।

मान्यवर, साढ़े तीन लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह प्रान्त भयंकर पानी के अभाव से पीड़ित है। दुर्भाग्य से इस समय अकाल की भी स्थिति है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जहां पर एक साल के बाद दूसरे साल अकाल पड़ता ही रहता है। इस अकाल को यदि हम इस शताब्दी का सबसे अधिक भयंकर अकाल कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय फसल सूखी तो सूखी, खड़े हुए जंगल सूख गये, नदियों, तालाबों और यहां तक कि कुओं तक का पानी सूख गया। ऐसी स्थिति में पीने के पानी की समस्या मानव के लिए एक भयंकर समस्या के रूप में सामने आई है। ऐसे तो सारे राजस्थान में पानी की भयंकर समस्या है परन्तु राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, वह बहुत अधिक पीने के पानी के अभाव से ग्रसित है। प्राचीन समय में एक यह कहावत थी कि मारवाड़ का व्यक्ति पानी पश्चिमी राजस्थान का व्यक्ति जीवन में तीन बार ही नहाता है, जन्म, वरण और मरण के समय यानी जन्म के समय, विवाह के समय और मृत्यु के बाद। यद्यपि सरकार ने इस उक्ति को झुठला दिया है फिर भी हमारा यह कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में भयंकर पीने के पानी का आभाव है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो इलाका है, वहां पर मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, 0 किलोमीटर तक से पानी लाया जाता है और यहां तक कि ऐसे कई परिवार हैं जिनमें सभी काम करने वाले व्यक्ति पानी लाने के लिए लगे रहते हैं। सरकार के द्वारा भी कई स्थानों पर टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है लेकिन टैंकरों से पहुंचाये गए पानी की संख्या बहुत कम होती है। इसके साथ ही साथ पानी इतनी गहराई पर मिलता है कि 80 मीटर और 130 मीटर तक तो सामान्य बात है लेकिन कहीं-कहीं पर तो 200 मीटर तक की गहराई में भी पानी नहीं मिलता है और वहां पर खारा पानी उपलब्ध होता है।

बीकानेर के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान केनाल से वहां के लोगों की पानी की समस्या का समाधान किया जा सकता है यदि हम लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा जगह-जगह

पर गांवों में पानी पहुंचायें। मैंने राजस्थान के पश्चिमी इलाके के बारे में अभी निवेदन किया है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, वह एक पहाड़ी इलाका है। वहां पर भी पानी की भयंकर समस्य है। खास तौर पर वहां का पानी भी दूषित है उसके पीने से नारू रोग हो जाता है उसमें ऐसे कीटाणु पाये जाते हैं जिससे चर्म रोग भी हो जाता है।

राजस्थान का जो अर्द्ध रेगिस्तानी इलाका है उसके पानी में फ्लुराइड नाइट्रेट रसायन पाया जाता है। उस पानी के पीने से मनुष्य की हड्डी मुड़ जाती हैं। शरीर ऐसा विकृत हो जाता है कि मनुष्य जीते हुए भी मृतक के समान हो जाता है। ऐसा कई इलाकों में है जहां पर कि लोग अपनी बेटी का विवाह करना पसन्द नहीं करते क्योंकि वहां के लोगों की हड्डियां मुड़ी हैं। इसलिए सारा राजस्थान पीने के पानी की समस्या से अत्यन्त ग्रस्त है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 1972 में राजस्थान में पीने के पानी के अभाव के बारे में एक सर्वे किया गया था। उसके अनुसार 33,262 गांवों में से 24,037 गांव किसी न किसी तरीके से पानी की समस्या से ग्रासित पाये गए थे। मैं यही निवेदन करूंगी कि आपने जहां और चीजें देने की बात की है, वहां मनुष्य के लिए पीने का पानी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समस्या से हमें राजस्थान को छुटकारा दिलाना ही चाहिए। मानव खाए बिना रह सकता है मगर पानी पिये बगैर नहीं रह सकता है।

राजस्थान के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि 490 करोड़ रुपया पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए दिया जाए परन्तु मुझे कहते हुए यह बड़ा दुःख होता है कि उतनी राशि देने के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। इसके लिए केवल 198 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। यदि हमें जलप्रदाय योजना के लिए 490 करोड़ रुपये दिए जाएं तो उसमें से 358 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 132 करोड़ रुपये नगरीय क्षेत्रों की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए खर्च किये जायेंगे। परन्तु जो राशि मंजूर की गई है वह अत्यधिक कम है। मैं सरकार से पुर जोर शब्दों में कहना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय शक्तावतजी, यह 198 करोड़ होना चाहिए।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : ये जो 198 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं ये अत्यधिक कम हैं मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि छठी पंच वर्षीय योजना में इस राशि को बढ़ाया जाए। नहीं तो राजस्थान के समस्याग्रस्त गांव और नगर पीने के पानी से वंचित ही रहेंगे। वे आगे भी समस्यापूर्ण बने रहेंगे। इसलिए इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, कुछ समय पहले ही हमारी प्रधान मन्त्री और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था और वहां उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वहां पर जो महिलाएं काम कर रही थीं, उस प्यासी धरती की प्यासी महिलाओं ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि सरकार के जो पानी के टैंकर वहां आते हैं उनसे सिर्फ

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

एक घड़ा पानी उन्हें पूरे परिवार के लिए एक दिन के लिए दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि एक घड़े पानी से एक इन्सान और उसके परिवार की खाने और पीने की समस्या कैसे हल हो सकती है। यह जो मैं आपके सामने वर्णन कर रही हूँ यह कोई बनावटी बात नहीं है, यह आंखों देखी बात का वर्णन कर रही हूँ इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इस प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए इतनी राशि आपको निश्चित तौर पर देनी चाहिए नहीं तो राजस्थान का रेगिस्तान बूंद-बूंद पानी को तरसता रहेगा।

पी० एच० ई० डी० डिपार्टमेंट राजस्थान ने "इन्टरनेशनल वाटर सप्लाई एंड सेनीटेशन डिकेड" में एक डिवेड की प्लानिंग की है। अर्थात दस वर्ष के अन्दर वह क्या-क्या काम करना चाहते हैं, किस-किस मद के लिए वे पैसा खर्च करेंगे।

इस प्रकार का एक पूरा प्लान बनाकर उन्होंने केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा हुआ है। उसमें उन्होंने बताया है कि वर्ष 1981 से 1991 तक इस प्रदेश में शत-प्रतिशत शहरी आबादी को जल-प्रदाय योजना से लाभान्वित करने के लिए उन्हें 76 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि 1981 से 1991 तक 80 प्रतिशत शहरी आबादी को सीवरेज की सुविधा प्रदान करने के लिए 212 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि 10 वर्ष में शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को जल प्रदाय योजना से लाभान्वित करने के लिए उन्हें 490 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और चौथी बात उन्होंने कही है कि 25 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को सेनीटेशन सुविधा दिलाने के लिए उन्हें 260 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस प्रकार से 1044 करोड़ रुपये की 10 वर्ष की योजना उन्होंने बनाकर सरकार के सामने प्रस्तुत की है। लेकिन मान्यवर ऐसा बताया गया है कि केवल 721 करोड़ रुपये ही इन 10 वर्षों के लिए राजस्थान के लिए मंजूर किए गए हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रान्त है। और वहां पर विकास की सभी संभावनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यदि वहां पर पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या 33 वर्ष बाद भी हम इस महत्वपूर्ण जीवन रक्षक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आज हम समाजवादी और कल्याणकारी समाज की बात करते हैं, लेकिन यदि इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो संभव है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस प्रांत में मनुष्य को अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रात-दिन सोचना पड़े, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहां पर सारे परिवार के सदस्य पानी लाने के काम में लगे रहते हैं, वह प्रांत कैसे उन्नति कर सकता है, वहां पर विकास की बात कल्पना मात्र होगी यदि हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि मांगी गई है या पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट द्वारा राजस्थान प्रांत के लिए मांगी गई है, जिसका पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, उस धनराशि को अवश्य ही स्वीकृत किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या निर्मला कुमारी शक्तावत जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे के वाद-विवाद के लिए आपसे अनुमति मांगी है।

उपाध्यक्ष महोदय, उनके भाषण को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जिस मूल विषय पर उन्होंने वाद-विवाद की अनुमति मांगी थी, बहुत-सी बातें उस विषय से बाहर कही हैं फिर भी जो मेरे मन्त्रालय से सम्बन्धित बातें हैं, उनके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से उनको और इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा।

जहां तक पेयजल आपूर्ति की बात है, मनुष्य जीवन के लिए तीन बातें आवश्यक हैं— मनुष्य के पीने के जल चाहिए मनुष्य को खाने के लिए अन्न चाहिए और मनुष्य को जीने के लिए हवा चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का भारत भी एक सदस्य है। और यूनाइटेड नेशन्स ने यह घोषणा की है कि 1981 से लेकर 1960 तक का जो दशक होगा वह अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और सफाई दशक के रूप में बनाया जाएगा। चूंकि भारत को भी यूनाइटेड नेशन्स की इस घोषणा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने थे।

दूसरी बात यह कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वचन दिया है कि छठी योजना में, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद ने हाल ही में स्वीकार किया है, उसमें हमारी चेष्टा होगी कि देश भर में जो प्रौबलम विलेज हैं, पेयजल जहां उपलब्ध नहीं है और जिसका कि मापदंड जो भारत सरकार ने तय किया था। उनके अनुसार जिसको राज्य सरकारों ने बताया है कि यह प्रौबलम विलेज है, समस्याग्रस्त ग्राम है और जिसको योजना आयोग ने भी कहा है, उन तमाम गांवों में यह कोशिश होगी भारत सरकार की राज्य सरकारों को मदद के रूप में धनराशि देकर या योजना आयोग ने उनके लिए जो आउटले ड्रिंकिंग वाटर के लिए निर्धारित किया है उसके जरिए उनसे निवेदन करके और मदद करके इस लक्ष्य की पूर्ति करें जिससे छठीं योजना के अन्तर्गत देश भर में कोई ऐसा प्रौबलम विलेज न रह जाए जो माना हुआ समस्याग्रस्त गांव है जहां जल आपूर्ति की व्यवस्था न हो जाय और इसी वजह से सम्मानीय प्रधान मन्त्री जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विशेष तौर से इस बात की चर्चा की और तमाम मुख्य मन्त्रियों से यह निवेदन किया कि यह दशक पहली अप्रैल 1981 से शुरू होने वाला है तो भारत के तमाम राज्यों में इस दशक को बड़े जोरों से कार्यान्यान की दृष्टि से मनाया जाए, और पहली अप्रैल से लेकर छठी योजना के कार्यकाल के अन्तर्गत यह कोशिश की जाय कि जो समस्याग्रस्त गांव हैं उन तमाम में पेय जल की आपूर्ति कर सकें इसकी चेष्टा हो।

मैंने भी मान्यवर, व्यक्तिगत पत्र देश के तमाम मुख्य मन्त्रियों को लिखा है और उन्हें याद दिलाया है कि एक अप्रैल से आप जोरों से इस कार्यक्रमों में लग जाएं जिससे जी हमारा

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

लक्ष्य है और जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में हम वचनबद्ध हैं उसकी पूर्ति के लिए हम सब कार्यान्वयन कर सकें और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

जो आंकड़े अभी हमारे सामने उपलब्ध हैं उपाध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार जो योजना आयोग से आंकडे मिले हैं उसके मुताबिक देश भर में लगभग 2 लाख गांव ऐसे हैं जिन्हें समस्याग्रस्त बताया गया है जहां पेय जल आपूर्ति करनी है। इसको ध्यान में रखते हुए छठी योजना में इस बात को जानते हुए भी कि आर्थिक कठिनाइयां हैं सरकार के सामने, लेकिन चूंकि हमारा कमिटमेंट था इस वजह से इन तमाम दो लाख प्रौबलम विलेजेज में पेय जल आपूर्ति के लिए लगभग 2,000 करोड़ रु० यानी 20 अरब रु० का प्रावधान छठी योजना में कराया गया है ताकि कोई भी एक गांव न बच जाए जहां पेयजल की आपूर्ति न कर सके। इन बातों की जानकारी मैंने आपके माध्यम से सदन को दिलाने की कोशिश की है कि सरकार इस समस्या से न केवल अवगत है बल्कि सरकार किस तरह से सजग और प्रयत्नशील है कि इस समस्या का समाधान निकाले।

जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां सूखा है और केन्द्रीय सरकार उस सूखे की स्थिति से अवगत है। कृषि मन्त्री या अन्य मन्त्री की बात आप छोड दें, प्रधान मन्त्री स्वयं वहां गई थीं। वह इस वजह से वहां गई थीं कि जो वहां की पीड़ित, अकाल ग्रस्त बनता है, उनसे मिलकर उनकी समस्या को जानें, उनके प्रति न केवल सहानुभूति प्रकट करें बल्कि निदान निकले, इसकी चेष्टा करें।

अब चूंकि बहुत सी बातें सम्मानीय सदस्या श्रीमती निर्मला कुमारी जी ने रखी हैं, वह कृषि मन्त्रालय से सम्बन्ध रखती हैं, लेकिन जहां तक पेय जल आपूर्ति की बात है, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं। आपने रिग की बात की थी। राजस्थान सरकार से हम लोगों की बात हुई है। राजस्थान के पास कुल मिलाकर 76 रिग हैं। राजस्थान की कुल आबादी 1 करोड़ है जो पेयजल आपूर्ति की समस्या से ग्रस्त है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 3 करोड़ है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने प्राबलम विलेजेज की फिगर बताई हैं जो समस्याग्रस्त गांव हैं, जहां पेयजल की आपूर्ति की बात है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सारा राजस्थान पीड़ित है।

श्री वृद्धि चंद्र जैन : साढ़े तीन करोड़ की आबादी है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मेरी बात सुन लीजिए (व्यवधान) जब अवसर आयेगा तो बता दीजिए।

श्री एम० राम रेड्डी : राजस्थान कैनाल के बाद इतने गांव नहीं होने चाहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों से है। राजस्थान से ही नहीं पूरे देश से है। इसलिए मैंने 2 लाख गांव की चर्चा करके बताया। लेकिन राजस्थान में एक करोड़ की जो आबादी है, राज्य सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, वही बात हमारे सामने हैं।

श्री बद्धि चंद्र जैन : आप 1971 की जनसंख्या कह रहे हैं, 1981 की नहीं कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। कृपया बैठ जाइए। सब ठीक है। (**अन्तर्बाधायें**) कृपया बैठ जाइए। आप प्रश्न नहीं उठा सकते। चार और सदस्य जो प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : पूरी आबादी जो राजस्थान की है उसको इसके साथ न मिलायें। 1 करोड़ की आबादी है जो ईफक्टेड है, जहां जल आपूर्ति की बात है।

एक माननीय सदस्य : तीन साल से बराबर अकाल पड़ रहा है, पानी का लैवल नीचे चला गया है नदी के किनारों से।

श्री भीष्म नारायण सिंह : इसीलिए कह रहा हूं कि वहां सूखे की स्थिति विशेष रूप से है। कृषि मन्त्री जी उसके बारे में व्यापक रूप से वक्तव्य दे सकते हैं मेरा सम्बन्ध तो पेय जल की आपूर्ति से सम्बन्धित है जिस पर माननीय सदस्या ने यह चर्चा मांगी है। यह समस्या पूरे देश की है, लेकिन फिर भी राजस्थान की बात उठाई है, उससे हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति है। इसीलिए विशेष रूप से चर्चा अलहैदा से कर देना चाहता हूं। इसीलिए जो आंकड़ें राजस्थान सरकार से आए हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 24 हजार गांव में···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास आप बीच में न बोले। आप बीच में क्यों बाधा डाल रहे हैं। अन्तर्बाधाओं को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा (**व्यवधान**)* कृपया नियम समझिए। चार और सदस्य हैं। हम नियम से बंधे हैं। मैं नियमों के विपरीत नहीं जा सकता और न ही आप। हम नियमों से बंधे हुए हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : इस वजह से जो 1 करोड़ की आबादी है, जो पेय-जल की समस्या से ग्रस्त है, उसको दृष्टिकोण में रखकर जब देखेंगे तो राजस्थान के लिए खासकर जो उपलब्ध किये गए हैं, छठीं योजना में पेयजल एवं सफाई के लिए जो धनराशि रखी गई है वह 1 अरब 98 करोड़ 29 लाख रुपए का प्रावधान है। यह कुल धनराशि का प्रावधान है। आपके प्राबलम वाले विलेजेज के लिए, उसमें 106 करोड़ रुपये के लगभग वह भी है।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

उसके अतिरिक्त मैं रिग की बात बता रहा था कि उस पर आपने बल दिया है। राजस्थान सरकार के पास जो अभी रिग उपलब्ध हैं, उनकी संख्या 76 है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में न बोलें। वह श्रीमती शक्तावत के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)*

इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने अभी बताया है कि राजस्थान सरकार के पास टोटल 76 रिग है। पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को 23 रिग दिए हैं। इस बारे में राजस्थान सरकार से बात हुई है। उसने केन्द्रीय सरकार को बताया है कि अभी उसने रिग के मुताल्लिक कोई मांग नहीं करनी है।

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार वहां पर 19,391 प्राबलम विलेज हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये फिगर्ज गलत हैं। मंत्री महोदय इस बारे में दोबारा देख लें।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्यों के सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते हैं, और करेंगे। लेकिन सरकार के चलने का एक सिलसिला है। सरकार के पास जो माध्यम हैं, उनमें राज्य सरकार मुख्य माध्यम है। सच पूछिए, तो पेय जल आपूर्ति या आवास, यह राज्य का विषय है। राज्य सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए जो कोशिश करती है, केन्द्रीय सरकार तो उसे सप्लीमेंट करती है, उसकी मदद करने की चेष्टा करती है। एक्सेलेरेटेड रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अन्तर्गत राजस्थान को ग्रांट के रूप में इस साल में 359.10 लाख रुपया दिया है। यह रुपया वापस नहीं दिया जाना है।

जहां तक प्राबलम विलेज का सम्बन्ध है, पूरे देश के लिए यह मापदंड रखा गया है कि एक मील, या 1.6 किलोमीटर, के अन्दर अगर कहीं पेय जल की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें जो गांव पड़े, वह प्राबलम विलेज है। एक प्राबलम विलेज में जल-आपूर्ति के लिए लगभग एक लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है। उसी के मुताबिक छठी योजना में लगभग 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। हमारे पास राज्य सरकार और योजना आयोग से प्राप्त जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक लगभग 2 लाख समस्याग्रस्त गांव हैं और एक लाख रुपये प्रति-गांव के हिसाब से 2,000 करोड़ रुपये या 20 अरब रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार को सरकारी माध्यमों

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के जरिए जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं, वही मैं बता सकता हूँ। राजस्थान की यह स्थिति है। राजस्थान के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है।

हमने पेय जल के लिए जिस धनराशि का आवंटन किया है, अगर राज्य सरकारें किन्हीं कारणों से-ड्राउट है, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा के हिस्सों में सूखे की स्थिति है, कठिनाई है—उसको 31 मार्च तक खर्च नहीं करेंगी, तो हम उसपर फिर से विचार करते हैं और अगर हमारे पास रुपये उपलब्ध होते हैं, तो हम उनमें से मदद करने की कोशिश करते हैं।

राजस्थान के बारे में मैं कहूँगा–वैसे तो सारे देश के बारे में सदन चर्चा कर रहा है—कि राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के जो उचित हक होंगे, वे हम लोगों के रहते हुए कभी नहीं मारे जायेंगे।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आपका नाम सूची में नहीं है। न ही मैं किसी को अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : इस समस्या का बहुत ही हृदय विदारक पहलू यह है कि देश के 5.76 लाख गावों में से केवल 66,000 को ही पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। गत 30 वर्षों में ग्रामीण जल सप्लाई योजना पर केवल 100 करोड रुपया खर्च किया गया है। इस पर भी कुछ राज्यों में पूरे धन का उपयोग नहीं किया गया। ये आंकड़े स्थिति की विषमता को स्पष्ट दर्शाते हैं। इस सबसे हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस समस्या को युद्ध स्तर पर तुरन्त हल करने की आवश्यकता है।

सरकार को क्योंकि इस स्थिति की जानकारी है, अतः उसे कतिपय कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। कृपया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्यमान स्थिति पर विचार करें। शहरों में गन्दी बस्तियों में आप देखेंगे कि लोग, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोग गन्दा पानी पीते है जो मनुष्य के पीने योग्य नहीं है। वहां अक्सर आंत्रशोध और अन्य बीमारियां फैलती रहती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस दशक में इस समस्या के हल के लिए क्या कदम उठाए हैं।

यहां मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1981-90 के दशक को अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित जल सप्लाई और स्वच्छता दशक घोषित किया है। पीने के पानी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ? क्या यह

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जनार्दन पुजारी]

तथ्य कि जल संसाधनों के विकास के लिए 50,000 रुपए की राष्ट्रीय सम्भावना योजना स्वीकार की गई है ? यदि हाँ तो उसमें क्या प्रगति हुई है ? क्या यह सत्य है कि 1981-90 के दशक में पीने के पानी की सप्लाई और स्वच्छता पर 11,000 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है ? यदि हां तो क्या सरकार राष्ट्रीय जल प्रबन्ध बोर्ड का गठन करने के लिए कोई कानून बनाएगी ? इसे संसद में कब पुर:स्थापित किया जाएगा ? क्या इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता मांगी गई है ?

मेरे राज्य में 19 जिलों में से 15 को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी शक्तियों ने ऐसी प्रक्रिया का विकास कर लिया जिससे वे जिस देश में चाहें कृत्रिम तूफान, सूखा ला सकते हैं और उन्हें आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं। क्या सरकार का विचार इसकी पूरी-पूरी जांच करने का है ?

जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कितना रुपया रखा गया है और कितने गांवों को समस्या ग्राम समझा गया है ? आशा है मंत्री महोदय इन प्रश्नों के उत्तर देंगे ?

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : श्रीमन्, अन्तर्राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता दशक की दृष्टि से इस कार्य के लिए 13 करोड़ रुपये रखे गए है तथा केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अपनी योजनाएं भेजने को कहा है। पिछले सप्ताह लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों की नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें राज्य सरकारों के लोक स्वास्थ्य इंजिनियर आए थे और उन्होंने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की थीं। पश्चिम बंगाल से आए लोगों ने चार योजनाएं प्रस्तुत की थीं। (**व्यवधान**) इनमें दो रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए, एक पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिले पुरुलिया में रघुनाथपुर के लिए तथा एक हल्दिया के लिए थी। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार इन योजनाओं को केन्द्र ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। इसके क्या कारण हैं ? आपको रानीगंज कोयला क्षेत्र में रह रहे हजारों लाखों लोगों की स्थिति का पता है। आपको रघुनाथपुर और हल्दिया की दशा का भी पता है। परन्तु फिर भी इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। इसके क्या कारण हैं ? मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें और इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें।

एक अन्य बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को पीने के पानी की सप्लाई के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है। नलकूपों के बारे में आप जानते हैं कि ये खराब हो जाते हैं और इनकी लगातार मरम्मत करने की आवश्यकता होती है और राज्य सरकार के पास इनकी मरम्मत करने और फिर से गलाने के लिए रुपया नहीं है। जहां पानी उपलब्ध नहीं है वहां नलकूपों को फिर से गलाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए राज्य सरकार

के पास पैसा नहीं है। एक ब्लाक में कई प्रकार के नलकूप हैं तथा कभी कहीं कोई कुंआ खराब हो जाता है और कभी कहीं। इस प्रकार अनेकों कुएं खराब हो जाते हैं और उनकी मरम्मत के लिए एक-दो लोग ही हैं। अतः मैं, मंत्री महोदय से अनुरोश करता हूं कि इस पर विचार करें और यदि उचित समझें तो गांवों के कुछ बेरोजगार लोगों को इस कार्य में लगाएं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अभी को हमारी बहन शक्तावत ने भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि राजस्थान में सबसे अधिक समस्याप्रद गांव हैं–विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर-जैसलमेर आदि। हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसी क्षेत्र का दौरा किया था। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन गांवों का उन्होंने दौरा किया और जिन गांवों में वे गई, वे बहुत ही समस्याप्रद गांव हैं। उन गांवों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या आप राज्य सरकारों को आदेश देंगे कि जहां-जहां भी पानी का संकट है, उन योजनाओं को वे प्राथमिकता दें ?

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी जो ग्रामीण जल-प्रदाय योजना बनती है, उसमें मनुष्यों के पीने के पानी के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन पशुओं के पीने के पानी का प्रावधान नहीं किया है। हमारी इकानोमी पशुओं पर निर्भर है। इसलिए क्या ग्रामीण जल-प्रदाय योजना बनाते समय, जो पीने के पानी का प्रोवीजन कर रहे हैं, उसमें मनुष्यों के साथ पशुओं के लिए पानी का प्रावधान करेंगे ?

तीसरा प्रश्न यह है कि आपने एक्सोलरेटेड प्रोग्राम के बारे में राजस्थान को 3 करोड़ 59 लाख रुपया प्रोवाइड किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में पूरी तरह से जांच नहीं की गई है। उनमें एक गांव को जोड़ने के लिए एक लाख रुपया लगता है। हमारे यहां एक गांव को जोड़ने के लिए 10 से 15 लाख रु० लगते हैं। हमारे कुछ गांव 50 वर्गमील में हैं, कुछ 100 वर्गमील के है, जैसे बाड़मेर-जैसलमेर और सुन्दरा 500 वर्गमील दूरी का गांव हैं। यदि आप इन गांवों में पानी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जो एक गांव के लिए एक लाख रुपए का प्रोविजन कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में एक्सलरेटेड प्रोग्राम के अन्तर्गत एक लाख की जगह पर आपको कम से कम दस लाख रु० का प्रोवोजन करना पड़ेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी ?

चौथा प्रश्न मेरा यह है कि जिन गांवों में ट्रकों के द्वारा, टैंकरों के द्वारा 50-50 मील से पानी पहुंचाया जाता है, खास कर फैमिन के दिनों में पानी पहुंचाने से बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है और वे स्कीमें भी बहुत ही कास्टली होती हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस चीज की तरफ भी ध्यान देंगे ? जो समस्याप्रद की डेफिनिशन हैं, उसको आप तीन श्रेणियों में बनाइए। जिन गांवों पर ज्यादा खर्चा पड़े, जिनमें टैंकरों में द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, जहां पर बाला वगैरह की बीमारी होती है, उनको आप फर्स्ट-श्रेणी में लें। जब इस प्रकार से आप तीन श्रेणियां बनायेंगे तब जाकर के हमारे गांवों की समस्या हल होगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है,

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

जिस गांव पर खर्च कम होता है और समस्यायें नहीं हैं, उन गांवों को लेकर गांव का नाम तो बढ़ा दिया गया लेकिन हमारे गांवों को बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। हम वंचित रहते हैं। इन समस्याप्रद गांवों की समस्याओं को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार तीन श्रेणियां बनाकर राजस्थान सरकार से और दूसरी सरकारों से मिलकर उनको दूर करने का प्रयास करे। क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुकुन्द मण्डल ।

वे केवल एक प्रश्न पूछेंगे जो उनके ही समान छोटा होगा।

श्री मुकुन्द मण्डल (रसूलपुर) : मैं एक बहुत ही छोटा प्रश्न पूछूंगा।

स्वतंत्रता के 33 वर्ष बाद हमें पानी का प्रश्न उठाना पड़ रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी का दूसरा नाम जिन्दगी हैं। बंगला में कहते हैं "जल ही जीवन हैं" यह सरकार लोगों को वह जीवन ही नहीं दे रही है।

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार यह ग्रामीण क्षेत्र की ही समस्या नहीं है, शहरी क्षेत्रों में भी यह समस्या है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में 83 प्रतिशत जनसंख्या को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। यह भी कहा गया कि अधिकतर स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं है। प्रतिवेदन में आगे बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्यामूलक गांव हैं। देश में इस प्रकार के गांवों की संख्या 1,00,580 है, जिन्हें अभी स्वच्छ पानी सप्लाई करना है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इन समस्या-गांवों को स्वच्छ पीने का पानी सप्लाई करने के लिए कदम उठा रही है। देश के लोगों को रोटी, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। हमने यह मांग की थी कि सभी आवश्यक वस्तुएं उन्हें उचित दर दुकानों से सप्लाई की जाएं। वह नहीं किया गया। तथापि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को पीने का पानी तो दिया जाए।

हर क्षेत्र में चाहे वह पहाड़ी, रेगिस्तानी या मैदानी हो, पीने के पानी की समस्या है। महिला सदस्य ने बताया कि राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है। आदिवासी क्षेत्रों में यह उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति है।

इस दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितने गांवों, लोगों और कितने प्रतिशत ग्रामीण लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई। दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने गांवों और वहां के लोगों को अभी यह सुविधा प्रदान करनी शेष है। छठी पंचवर्षीय योजना में कितने गांवों तथा इनके कितने लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। छठी पंचवर्षीय

योजना के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे गांवों को पीने के पानी की सुविधा कब और कैसे प्रदान की जाएगी तथा कितने लोगों को यह सुविधा प्रदान नहीं की जा सकेगी ? देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिए छठी योजना में कितनी धनराशि रखी गई है ?

मेरा अन्तिम प्रश्न, जो कि अनन्तिम नहीं है, यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी रिग मशीनें सप्लाई की गई तथा इस समय उनमें से कितनी कार्य कर रही हैं तथा यह भी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी मशीनें मांगी थीं ।

ये ठोस प्रश्न मैंने पूंछे है और मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय इन सभी का उत्तर देंगे ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : श्रीमन्, मैं राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा छठीं पंच वर्षीय योजना में किए गए प्रयत्नों पर अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं ।

मैं पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दी गई धनराशि के आंकड़े बताना चाहता हूँ । कुछ सदस्यों ने स्वच्छता का उल्लेख किया है । मैं जो आंकड़े आपके सम्मुख रख रहा हूं उनसे आप इस क्षेत्र में हुई प्रगति का अनुमान लगा सकेंगे ।

सरकार पीने के पानी और सफाई कार्यों के लिए धनराशि में वृद्धि करने का पूरा प्रयत्न करती रही है ।

जल सप्लाई और सफाई कार्यों के लिए छठीं और पांचवीं योजना में रखी गई धन-राशियों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

छठीं योजना में इस मद के लिए 3,922.02 करोड़ रुपया दिया गया है जबकि पांचवीं योजना में 1,030.68 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई थी ।

आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार इस समस्या के प्रति कितनी जागरूक है तथा उसको हल करने को वचनबद्ध है ।

आप इस बात को मानेंगे कि देश के सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना में दी गई धनराशि के आंकड़े देना बड़ा कठिन है ।

परन्तु मैं आपके सामान्य प्रश्न का उत्तर दूंगा । श्री पुजारी जी को मैं कर्नाटक संबंधी आंकड़े दे सकता हूं । कर्नाटक को इस कार्य के लिए छठी योजना में 132.00 करोड़ रुपये दिए गए जिसमें से 19 करोड़ रुपये केवल समस्या-गांवों के लिए दिए गए । यह धन केवल इसी कार्य के लिए दिया गया ।

इसी प्रकार पश्चिम बंगाल को छठी योजना में 103,00 करोड़ रुपये दिए गए इसमें से गांवों में पीने के पानी की समस्या के हल के लिए 48.0 करोड़ रुपये रखें गए ।

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

रिग्स शादि के सम्बन्ध में मैं तुरन्त आंकड़े नहीं दे सकता। वे मेरे पास इस समय नहीं है। (व्यवधान)

बाड़मेर और जैसलमेर के बारे में पूछा गया है, जिसकी माननीय प्रधान मंत्री ने यात्रा की थी। आपने जो कहा है उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। परन्तु यदि ये दोनों अत्यधिक प्रभावित हैं तो राज्य सरकार निश्चित रूप से उन्हें प्राथमिकता देगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पीने के पानी की समस्या और आवास, दोनों ही राज्य सरकार के विषय हैं। हम तो केवल उनके प्रयत्नों में सहयोग कर सकते है, जबकि वे ऐसा चाहें। जैसा आप कहते हैं ये क्षेत्र हैं और इसीलिए माननीया प्रधान मंत्री ने उन क्षेत्रों की यात्रा भी की। इसलिए, राज्य सरकार इस ओर गम्भीरता से ध्यान दे रही होगी।

(तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 26 मार्च, 1981/5 चैत्र, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

मुद्रक : आकाशदीप प्रिण्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली